वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

योजना आयोग
भारत सरकार
www.planningcommission.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वेबसाइट : **www.planningcommission.gov.in**

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	भूमिका, गठन और कार्य	1-5
अध्याय 2	अर्थव्यवस्था और योजना : एक सिंहावलोकन	6-28
अध्याय 3	योजना	29-39
अध्याय 4	योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में प्रमुख कार्यकलाप	40-192
4.1	कृषि प्रभाग	40-42
4.2	सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण प्रभाग	42-50
4.3	भारत निर्माण	50-54
4.4	संचार तथा सूचना प्रोद्यौगिकी और सूचना (सी.आई.टी. एंड आई) प्रभाग	54-58
4.5	विकास नीति प्रभाग	58-60
4.6	मानव संसाधन विकास प्रभाग	60-63
4.7	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	63-65
4.8	आर्थिक प्रभाग	65-67
4.9	पर्यावरण और वन प्रभाग	68-70
4.10	वित्तीय संसाधन प्रभाग	70-74
4.11	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग	74-77
4.12	आवास और शहरी मामले प्रभाग	77-82
4.13	उद्योग प्रभाग	82-83
4.14	श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग	83-84
4.15	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	84-88
4.16	अल्पसंख्यक प्रभाग	88-89
4.17	खनिज प्रभाग	89
4.18	योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग (पी.सी.एम.डी.)	89-92
4.19	संसद अनुभाग	93
4.20	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	93-95

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
4.21	भावी योजना प्रभाग	95-97
4.22	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	97-101
4.23	सार्वजनिक निजी भागीदारी संवर्धन (पीपीपी) व अवसंरचना प्रभाग	102-107
4.24	अनुसंधान प्रभाग	107-110
4.25	ग्रामीण विकास प्रभाग	110-113
4.26	विज्ञान और प्रोद्यौगिकी प्रभाग	113-114
4.27	राज्य योजना प्रभाग	114-115
4.28	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (डोनर)	115-117
4.29	परिवहन प्रभाग	117-122
4.30	पर्यटन प्रकोष्ठ	122-123
4.31	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	123-132
4.32	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ	133-134
4.33	ग्राम एवं लघु उद्यम प्रभाग	134-135
4.34	जल संसाधन प्रभाग	135-138
4.35	महिला एवं बाल विकास प्रभाग	138-154
4.36	प्रशासन और अन्य सेवाएं	154-192
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निष्पादन का मूल्यांकन	193-198
अध्याय 6	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	199
परिशिष्ट–I	सी एंड ए जी की ऑडिट टिप्पणियाँ	200

लघुरूप की सूची

1.	**जीडीपी**	सकल घरेलू उत्पाद
2.	**सीएडी**	चालू खाता घाटा
3.	**एफआईआई**	विदेशी संस्थागत निवेश
4.	**सीएसओ**	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
5.	**एमओएसपीआई**	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
6.	**एनएएस**	राष्ट्रीय लेखे सांख्यिकी
7.	**आईआईपी**	औद्योगिकी उत्पादन सूचक
8.	**डब्ल्युपीआई**	थोक कीमत सूचक
9.	**एमटीए**	मध्यावधि आकलन
10.	**जीडीपीएफसी**	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
11.	**जीडीपीएमपी**	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
12.	**पीई**	अनन्तिम अनुमान
13.	**क्युई**	तुरत अनुमान
14.	**एई**	अग्रिम अनुमान
15.	**जीडीएस**	सकल घरेलू बचत
16.	**जीसीएफ**	सकल पूंजी निर्माण
17.	**एफआरबीएम**	राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन
18.	**डीएसी**	कृषि और सहकारिता विभाग
19.	**आरई**	संशोधित अनुमान
20.	**बीई**	बजट अनुमान
21.	**आरबीआई**	भारतीय रिजर्व बैंक
22.	**एफडीआई**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
23.	**पीएफआई**	पोर्टफोलियो निवेश
24.	**एनएसएसओ**	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
25.	**एमआरपी**	मिश्रित स्मरण अवधि
26.	**पीएलबी**	गरीबी रेखा डाली

अध्याय–1
भूमिका, गठन और कार्य

1.1 योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत 15 मार्च, 1950 को किया गया था। संकल्प में कहा गया है ''भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कतिपय मौलिक अधिकारों की गारंटी है और इसमें कतिपय राज्य के नीति निदेशात्मक सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया गया है जिसमें विशेष रूप से राज्य जितना कारगर ढंग से संभव हो सके राज्य के लोगों की सुरक्षा और रक्षा के द्वारा कल्याण करने को बढ़ावा देगा और इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा से राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अवगत कराया जाएगा और राज्य अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह होगाः–

क) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा;

ख) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा ऐसे किया जाए जिससे ये आम हितों के लिए उपयोगी हों; और

ग) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन में धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण न हो जिससे आम क्षति हो।

भूमिका

1.2 योजना आयोग के गठन के संकल्प में इसकी भूमिका का उल्लेख निम्नानुसार हैः

क. देश की भौतिक, पूंजी और मानव संसाधनों का तकनीकी कार्मिकों सहित मूल्यांकन करना और देश की जरूरतों के अनुरूप कम पाए जाने वाले संसाधनों में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना।

ख. देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

ग. प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में उन चरणों की परिभाषा करना जिनमें योजना को पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण के पूरे किए जाने के लिए संसाधनों का आबंटन प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

घ. उन कारकों का उल्लेख करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही हो और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाना चाहिए।

ङ. ऐसी मशीनरी की प्रकृति का विनिर्धारण करना जो योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन को हासिल करने के लिए जरूरी हो।

च. योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

छ. ऐसी अन्तरिम अथवा सहायक सिफारिशें तैयार करना जो सौंपी गई ड्यूटी को पूरा करने की सुविधा के लिए या तो उपयुक्त प्रतीत होती हों अथवा मौजूदा आर्थिक स्थितियों पर विचार करने के संबंध में, चालू नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों या केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए संदर्भित की जाने वाली ऐसी विशिष्ट समस्याओं की जांच के लिए जरूरी हो।

1.3 संकल्प के पैराग्राफ 6 में सर्वोच्च नीति स्तर पर एक सलाहकार निकाय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक भार से मुक्त होगी परन्तु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में रहेगी और नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हासिल करने में मददगार होगी।

1.4 संकल्प के अनुसार, योजना आयोग मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें भेजेगा और इस प्रकार निर्णयों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की होगी।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के तहत कार्य आबंटन

1.5 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 जिसमें समय–समय पर संशोधन किए गए हैं, के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं–

- देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधन,जो कम पाए जाएं, की वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।
- देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।
- उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।
- योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।
- उन कारकों की पहचान करना जिन से आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही हो और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।
- योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।
- राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।
- समय–समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।
- भावी योजना।
- अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और संबंधित मामले।
- राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) से संबंधित सभी मामले।
- स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ) से संबंधित सभी मामले।

योजना आयोग के विकासकारी कार्य

1.6 भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यन्त केन्द्रीकृत योजना प्रणाली के शुरूआती स्तर से धीरे–धीरे निर्देशात्मक योजना की तरफ अग्रसर हुई है। योजना आयोग अब स्वयं भविष्य के लिए दीर्घ अवधि कार्यनीतिक स्वरूप तैयार करने से जुडा हुआ है और देश की प्राथमिकताओं को तय करता है। यह क्षेत्रक लक्ष्य तैयार करता है और अर्थव्यवस्था को अपेक्षित दिशा में विकसित करने के लिए प्रोत्साहक प्रेरणा प्रदान करता है।

1.7 योजना आयोग मानक और आर्थिक विकास के जटिल क्षेत्रों में नीति तैयार करने के लिए एक समग्र पहुंच के विकास में समाकलनात्मक भूमिका अदा करता है। सामाजिक क्षेत्रक में योजनाएं, जिन्हें समन्वय और संश्लेषण जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण ऊर्जा संबधी जरूरतें, साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, धीरे–धीरे समन्वित नीति तैयार करने की ओर अग्रसर हैं।

1.8 आयोग, योजना परिव्यय में मात्र वृद्धि न करके किए गए आबंटनों का दक्ष उपयोग करने पर जोर दे रहा है, जिससे सीमित संसाधनों का इष्टतम रूप से उपयोग करके उत्पादकता के साथ–साथ उसके परिणामों में भी इजाफा हुआ है।

1.9 उपलब्ध बजट संसाधन में कमी की वजह से राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के मध्य संसाधन आबंटन की व्यवस्था में कठिनाई बढ़ रही है। अतः योजना आयोग के लिए आवश्यक है कि वह सभी संबंधित पक्षों के हितों के मद्देनजर मध्यस्थता और इसे सुकर बनाने की भूमिका अदा करे।

1.10 योजना आयोग सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका अदा करता है। योजना आयोग हासिल किए गए अनुभव को अधिक विस्तृत रूप से फैलाने के लिए सूचना का प्रचार–प्रसार करने की भी भूमिका अदा करता है।

योजना आयोग की संरचना

1.11 यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान योजना आयोग के कार्यकलापों से संबंधित है। इस अवधि के दौरान योजना आयोग की संरचना निम्नानुसार थीः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री और पदेन अध्यक्ष
2	श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया	उपाध्यक्ष
3	श्री पी. चिदम्बरम	सदस्य
4	श्री शरद पवार	सदस्य
5	श्री सुशील कुमार शिन्दे	सदस्य
6	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	सदस्य
7	श्री गुलाम नबी आजाद	सदस्य
8	श्री कमलनाथ	सदस्य
9	श्री कपिल सिब्बल	सदस्य
10	श्री एम.एम. पल्लमराजू	सदस्य
11	श्री जयराम रमेश	सदस्य
12	श्री राजीव शुक्ल	सदस्य
13	श्री बी.के. चतुर्वेदी	सदस्य
14	प्रो. अभिजीत सेन	सदस्य
15	डा. (सुश्री) सईदा हमीद	सदस्य
16	डा. सौमित्र चौधरी	सदस्य
17	डा. मिहिर शाह	सदस्य
18	डा. नरेन्द्र जाधव	सदस्य
19	डा. के. कस्तूरी रंगन	सदस्य
20	श्री अरूण मायरा	सदस्य

1.12 उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के थे जबकि उपर्युक्त संरचना के सभी पूर्णकालिक सदस्य (क्रम संख्या 13 से 20) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के थे।

1.13 योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1.14 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और सचिव विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संयुक्त निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

संगठनात्मक संरचना

1.15 योजना आयोग कुछ विशेषज्ञ प्रभागों और अनेक विषय प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात प्रधान सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार जो सचिव अथवा अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर का होता है।

1.16 ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(क) **विशेषज्ञ प्रभाग** जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं, यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति और परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग इत्यादि और

(ख) **विषय प्रभाग**, अर्थात कृषि, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

1.17 योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग है:

(i) विकास नीति और भावी योजना प्रभाग

(ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग

(iii) आर्थिक प्रभाग

(iv) श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

(v) योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग

(vi) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

(vii) अनुसंधान प्रभाग

(viii) राज्य योजना प्रभाग (द्वीप विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ सहित)

(ix) विकेन्द्रीय योजना प्रभाग, पंचायती राज और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

(x) अवसंरचना, वित्त और सार्वजनिक निजी सहभागिता मूल्यांकन एकक।

1.18 विषय प्रभाग हैं:

(i) कृषि प्रभाग

(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(iii) संचार, आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी

(iv) मानव संसाधन विकास प्रभाग

(v) पर्यावरण और वन प्रभाग (जलवायु परिवर्तन सहित)

(vi) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण प्रभाग

(vii) आवास और शहरी मामले प्रभाग

(viii) उद्योग प्रभाग

(i) खनिज प्रभाग

(ix) अल्पसंख्यक कार्य प्रभाग

(x) गृह मंत्रालय प्रकोष्ठ

(xi) विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

(xii) ग्रामीण विकास प्रभाग

(xiii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

(xiv) महिला एवं बाल विकास प्रभाग

(xv) परिवहन एवं पर्यटन प्रभाग

(xvi) ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

(xvii)स्वैच्छिक कार्यवाई प्रकोष्ठ

(xviii)जल संसाधन प्रभाग

(xix) महिला एवं बाल विकास

1.19 इसके अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों को सेवाएं प्रदान करनी होती हैं और/अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय–समय पर इसे सौंपे जाएं।

1.20 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग का एक अभिन्न अंग है जो चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ फील्ड कार्यालय हैं।

1.21 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन जनवरी, 2009 में योजना आयोग के अधीन एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया। यूआईडीएआई की जिम्मेदारी होगी कि वह यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना और नीतियां निर्धारित करे, इसका अपना यूआईडी डेटा बेस होगा जिसका वह प्रचालन करेगा और इसे सतत रूप से अद्यतन करने और उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। यूआईडीएआई का मुख्यालय दिल्ली में है और आठ स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.22 कृषि मंत्रालय से राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का अंतरण योजना आयोग को करने से अब एनआरएए से संबंधित सभी मामले योजना आयोग द्वारा देखे जाएंगे।

1.23 स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) योजना आयोग के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है जो विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों, स्कीमों आदि का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है, जो कार्य इसे विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) या भारत सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर सौंपे जाते हैं।

1.24 जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) योजना आयोग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो योजना आयोग का एकमात्र थिंकटैंक है। संस्थान के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं; मानव पूंजी योजना एवं मानव संसाधन विकास संबंधी सभी पहलुओं के संबंध में अनुसंधान, आंकड़ा संग्रहण करना और शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

अध्याय–2
अर्थव्यवस्था और योजना–एक सिंहावलोकन

क. अर्थव्यवस्था के निष्पादन का सिंहावलोकन

2.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) कई घरेलू और वैश्विक घटकों के कारण आर्थिक मंदी की अवधि में शुरू की गई। यह रूझान तेजी से घटती हुई वृद्धि दर जो ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–08) के शुरू में 9.3 प्रतिशत थी ग्यारहवीं योजना अवधि (2011–12) के अंत में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई, में देखा गया। यह कमी बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष (2012–13) में जारी रही जिसमें आर्थिक वृद्धि दर मात्र 4.5 प्रतिशत रिकार्ड की गई। तथापि बारहवीं योजना के दस्तावेज में औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है।

2.2 वर्ष 2013–14 (अर्थात बारहवीं योजना का द्वितीय वर्ष) के दौरान तीन क्षेत्रक नामतः कृषि, उद्योग और सेवा की वृद्धि दरें क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय आय संबंधी अग्रिम आकलन जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 07 फरवरी, 2014 को जारी किया गया, के अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत आंकी गई है। तालिका 2.1 में पिछले छह वर्षों के दौरान वर्ष–वार कारक लागत (जीडीपीएफसी) और बाजार कीमत (जीडीपीएमपी) पर जीडीपी विकास दर दर्शाई गई है। जीडीपीएमपी में जीडीपीएफसी के अलावा निवल अप्रत्यक्ष कर (सब्सिडियों को घटाकर अप्रत्यक्ष कर) सम्मिलित है।

तालिका 2.1

2004–05 की कारक लागत और बाजार कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर

वर्ष	जीडीपी$_{\text{एफसी}}$	जीडीपी$_{\text{एमपी}}$
2007-08	9.3	9.8
2008-09	6.7	3.9
2009-10	8.6	8.5
2010-11^	8.9	10.3
2011-12@	6.7	6.6
2012-13*	**4.5**	**4.7**
2013-14#	**4.9**	**4.6**

31 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार *प्रथम संशोधित अनुमान (आरई), @द्वितीय सं.अ. ^तृतीय सं.अ., 7 फरवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार #अग्रिम अनुमान
स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

2.3 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर हासिल करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सामना किए गए प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां जिन्होंने वृद्धि की प्रक्रिया में बाधा का कार्य किया है वे उच्च राजकोषीय घाटा है जिसने सरकारी खर्चे को नियंत्रित किया है, साथ ही मुद्रास्फीति भी पैदा हुई है और कई स्थापित की गई परियोजनाओं में निवेश की बाधा आई है।

2.4 बारहवीं योजना ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जिनमें वृद्धि को बढ़ाने के लिए उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्यनीति शामिल है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है इसमें उच्च राजकोषीय घाटे के साथ–साथ विशाल चालू खाता घाटा (सीएडी) का भी

सामना किया है। विशेषकर सीएडी का वित्तपोषण का समाधान विदेशी निधि के माध्यम से नहीं होगा बल्कि प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता स्तरों में वृद्धि और अधिक प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से होगी, इस प्रकार राजकोषीय घाटा कम होने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में और अधिक वृद्धि होगी जिससे प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार होगा।

ख. विकास की क्षेत्रकीय संरचना

2.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रक के संबंध में प्राप्त जीडीपी वृद्धि दरें 4.1 प्रतिशत, 7.7 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत थी जो क्रमशः लक्षित वृद्धि 4 प्रतिशत, 10–11 प्रतिशत और 9–11 प्रतिशत की तुलना में थी। बारहवीं योजना में कृषि के लिए 4 प्रतिशत, उद्योग के लिए 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्रक के लिए 9.0 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है जिससे समग्र जीडीपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है। ग्यारहवीं योजना और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में क्षेत्रक वृद्धि निष्पादन नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2

क्षेत्रकीय विकास दर (% में) (2004–05 कीमतों पर कारक लागत पर)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीडीपी
2007-08	5.8	9.7	10.3	9.3
2008-09	0.1	4.4	10.0	6.7
2009-10	0.8	9.2	10.5	8.6
2010-11^	8.6	7.6	9.7	8.9
2011-12@	5.0	7.8	6.6	6.7
ग्यारहवीं योजना उपलब्धि	**4.1**	**7.7**	**9.4**	**8.0**
बारहवीं योजना लक्ष्य	**4.0**	**7.6**	**9.0**	**8.0**
2012-13*	1.4	1.0	7.0	4.5
2013-14#	4.6	0.7	6.9	4.9

*प्रथम संशोधित अनुमान (आरई); @ द्वितीय सं.अ.; ^ तृतीय सं.अ.; 7 फरवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार # अग्रिम अनुमान
स्रोतः 11वीं योजना लक्ष्यः 11वीं योजना दस्तावेज; 12वीं योजना लक्ष्यः 12वीं योजना दस्तावेज;
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

2.6 सीएसओ द्वारा 31 जनवरी, 2014 को वर्ष 2012–13 का प्रथम संशोधित अनुमान (आरई) जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2012–13 में कृषि क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक का अनुमानित विकास क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 1 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है जो क्रमशः वर्ष 2011–12 के 5 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत 6.6 प्रतिशत विकास की तुलना में है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2011–12 में हुए 6.7 प्रतिशत विकास दर की तुलना में वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत विकास हुआ। विकास की इस मंदी का कारण मुख्य रूप से कृषि और उद्योग के विकास में मंदी का रूझान है। सीएसओ द्वारा 7 फरवरी, 2014 को जारी किए गए अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रकों के विकास का अनुमान क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत है इसके साथ–साथ वर्ष 2013–14 में विकास दर 4.9 प्रतिशत रह गई।

2.7 कृषि क्षेत्रक ने वर्ष 2010–11 में 8.6 प्रतिशत की एक सराहनीय विकास दर हासिल की परन्तु वर्ष 2011–12 में इसमें 5 प्रतिशत तक कमी आ गई। तथापि, इसने ग्यारहवीं योजना अवधि में 4.1 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल की जो 4 प्रतिशत की विकास दर से ऊपर है। कृषि क्षेत्रक में वर्ष 2012–13 में अनुमानतः 1.4 प्रतिशत की मंदी विकास में देखी गई जो प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार है। अग्रिम अनुमान के अनुसार यह आशा की जाती है कि वर्ष 2013–14 में विकास दर 4.6 प्रतिशत हो जाएगी। इसका अनुमान खाद्यान्नों में 2.3 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से लगाया गया है। जो कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के पिछले वर्ष के आंकड़ों में देखी गई 0.8 प्रतिशत की कमी की तुलना में है।

2.8 उद्योग क्षेत्र के विकास में भी वर्ष 2012–13 में मंदी देखी गई है जो संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2011–12 की 7.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मात्र 01 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 में उद्योग के विकास में कमी का कारण विनिर्माण क्षेत्रक में विकास दर में 1.1 प्रतिशत, निर्माण में 1.1 प्रतिशत, बिजली, गैस और जल आपूर्ति में 2.3 प्रतिशत और खनन और उत्खनन में (–)2.2 प्रतिशत की कमी है। इन क्षेत्रकों में वर्ष 2011–12 में ऊंची विकास दरें थी जैसे विनिर्माण में 7.4 प्रतिशत, निर्माण में 10.8 प्रतिशत, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति में 8.4 प्रतिशत और खनन और उत्खनन क्षेत्रकों में 0.1 प्रतिशत की ऊंची विकास दरें थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो कई क्षेत्रकों में कम विकास दर देखी गई जैसे वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में उद्योग क्षेत्रक में 0.2 प्रतिशत की कमी और द्वितीय तिमाही में 2.3 प्रतिशत की कमी और तृतीय तिमाही में 0.7

तालिका 2.3

नियत (2004–05) में लगाए गए उद्योग द्वारा उत्पन्न जीडीपी की वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)

क्र.सं.		ग्यारहवीं योजना अवधि						बारहवीं योजना अवधि		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	औसत	2012-13	2013-14*	लक्ष्य
1	कृषि, वन और मत्स्यपालन	5.8	0.1	0.8	8.6	5.0	4.1	1.4	4.6	4.0
2	खनन और उत्खनन	3.7	2.1	5.9	6.5	0.1	3.7	-2.2	-1.9	5.7
3	विनिर्माण	10.3	4.3	11.3	8.9	7.4	8.4	1.1	-0.2	7.1
4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	8.3	4.6	6.2	5.3	8.4	6.5	2.3	6.0	7.3
5	निर्माण	10.8	5.3	6.7	5.7	10.8	7.9	1.1	1.7	9.1
6	व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट	10.1	5.7	7.9	12.0	1.2	7.4	4.5	3.5	7.4
7	परिवहन, भंडारण और संचार	12.5	10.8	14.8	12.6	9.4	12.0	6.0		11.8
8	वित्तपोषण, बीमा, रियलस्टेट और कारोबार सेवाएं	12.0	12.0	9.7	10.0	11.3	11.0	10.9	11.2	9.9
9	समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.9	12.5	11.7	4.2	4.9	8.1	5.3	7.4	7.2
	कुल जीडीपी	9.3	6.7	8.6	8.9	6.7	8.0	4.5	4.9	8.0
	उद्योग (2-5)	9.7	4.4	9.2	7.6	7.8	7.7	1.0	0.7	7.6
	सेवाएं (6-9)	10.3	10.0	10.5	9.7	6.6	9.4	7.0	6.9	9.0

* 7 फरवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान

स्रोतः 12वीं योजना लक्ष्य, 12वीं योजना दस्तावेज; केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

प्रतिशत की नकारात्मक विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2013–14 के लिए अग्रिम अनुमान में विनिर्माण में (–) 0.2 प्रतिशत, निर्माण में 1.7 प्रतिशत, बिजली, गैस और जल आपूर्ति में 6 प्रतिशत और खनन और उत्खनन क्षेत्रक में (–) 1.9 प्रतिशत के विकास का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ–साथ इस अवधि में उद्योग क्षेत्रक के लिए 0.7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई है। जीडीपी की वार्षिक विकास दर तालिका 2.3 में दी गई है। जिसमें उद्योग और उनकी नियत (2004–05) कीमतों से उत्पन्न वार्षिक विकास दर ग्यारहवीं योजना के साथ–साथ प्रत्येक क्षेत्रक के लिए बारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के प्रतिशत और लक्ष्य को दर्शाया गया है।

2.9 संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2012–13 में सेवा क्षेत्रक में 7 प्रतिशत की विकास दर रिकार्ड की गई थी और वर्ष 2013–14 में 6.9 प्रतिशत विकास दर्ज किया गया, जो अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2011–12 के 6.6 प्रतिशत विकास की तुलना में अधिक है। तथापि वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में सेवा क्षेत्रक में विकास 6.7 प्रतिशत था, जो द्वितीय तिमाही में घटकर 6 प्रतिशत हो गई जिसकी वजह व्यापार, होटल, परिवहन और संचार के क्षेत्र में विकास में स्थिरता रही। इस प्रकार दोनों तिमाहियों में उक्त क्षेत्रों का विकास 4 प्रतिशत रहा और 'समुदाय, समाज और वैयक्तिक सेवाओं' की विकास दर में साथ ही गिरावट आई जो वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में 9.4 प्रतिशत थी वह द्वितीय तिमाही में घटकर 4.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। तथापि 2013–14 की तृतीय तिमाही में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 9.3 प्रतिशत का विकास रिकार्ड किया गया और ''समुदाय, समाज और वैयक्तिक सेवाओं'' का विकास 7.0 प्रतिशत तक बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013–14 की तृतीय तिमाही में सेवा क्षेत्रक में विकास 7.6 प्रतिशत हो गया। उक्त अनुमान दिनांक 28 फरवरी, 2014 को सीएसओ द्वारा जारी तिमाही अनुमानों पर आधारित हैं। पिछले वर्षों में सेवा क्षेत्रक में विकास की धीमी गति का श्रेय कुछ हद तक वैश्विक आर्थिक संकट को दिया जा सकता है जिसका सामना ग्यारहवीं योजना के दौरान किया गया। जबकि सेवा क्षेत्रक में विकास का भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है जो वर्ष 2010–11 में 9.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा और वर्ष 2011–12 में 6.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2012–13 में विकास के प्रमुख संचालक 'वित्तपोषक, बीमा, रियल स्टेट और कारोबारी सेवाएं' (10.9 प्रतिशत) 'परिवहन, भण्डारण और संचार' (6 प्रतिशत) और समुदाय, समाज और वैयक्तिक सेवाएं (5.3 प्रतिशत) है। तथापि सेवा क्षेत्रक के विकास में मंदी का प्रमुख श्रेय व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट एवं परिवहन, भण्डारण और संचार की विकास दर में गिरावट को जाता है जो क्रमशः वर्ष 2010–11 में 12 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011–12 में घटकर 1.2 प्रतिशत और वर्ष 2010–11 में 12.6 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011–12 में 9.4 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2012–13 में इन क्षेत्रकों का विकास क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।

2.10 इन क्षेत्रकों के घटिया निष्पादन के अलावा जुड़वा घाटों के उच्च स्तरों जिनमें अधिक मुद्रास्फीति शामिल है, ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास निष्पादन को प्रभावित किया है। बारहवीं योजना में वर्ष 2012–17 में 8 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर के नियोजित लक्ष्य को पूरा करना और आने वाले वर्षों में सार्थक उच्चतर विकास दरें हासिल करना एक चुनौती है।

2.11 जीडीपी वृद्धि में आई मंदी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, उनमें बड़ी निवेश परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन करना, मल्टी ब्रांड रिटेल, पावर एक्सचेंज और विमानन जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देना, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना और अवसंरचना के वित्तपोषण को बढ़ावा देना शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के संघीय बजट में कई पहलें की गई हैं जिनका उद्देश्य अवसंरचना और उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है। इनमें से कुछ अवसंरचना ऋण निधियों को प्रोत्साहित करने, अवसंरचना कंपनियों के लिए उधार

देने में बढ़ोतरी, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के समूहों का उन्नयन, नए अधिक कीमत वाले निवेश इत्यादि के लिए निवेश भत्ता को प्रारंभ करने के रूप में है। कुछ पहलें कृषि क्षेत्रक के लिए भी है जिनमें फसल के विविधीकरण के कार्यक्रम प्रमुखतः रूप से शामिल हैं जो तकनीकी नवप्रवर्तन को बढ़ावा देगा और किसानों को फसल का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्रेडिट गारंटी निधि भी लघु कृषक कृषि कारोबार निगम में सृजित की जा रही है जिसकी शुरूआती संग्रह राशि 100 करोड़ रू. की है और जिसमें से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इत्यादि के लिए आवंटन होगा। इन उपायों से बाजार के पुर्नरूद्धार की आशा की जाती है और ये विकास को एक प्रेरणा प्रदान करेंगे।

2.12 वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत विकास दर की तुलना में वर्ष 2013–14 में अनुमानित 4.9 प्रतिशत की विकास दर से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त उपायों से अर्थव्यवस्था में आशातीत स्थायित्व आयेगा। इसके अलावा कृषि और सहायक व्यवसायों में विकास दर में वृद्धि देखी गई जो वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में 2.7 प्रतिशत थी वह द्वितीय तिमाही में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई इसका एक कारण अनुकूल मानसून भी था। अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए कृषि विकास दर का अनुमान 4.6 प्रतिशत लगाया गया है। तथापि वर्ष 2013–14 की तृतीय तिमाही में कृषि विकास में मंदी रही (जो द्वितीय तिमाही में 4.6 प्रतिशत थी वह घटकर तृतीय तिमाही में 3.6 प्रतिशत हो गई) इसके साथ–साथ उद्योग का विकास मंदा रहा। वर्ष 2013–14 की तृतीय तिमाही में सेवा क्षेत्र में विकास का प्रतिशत 7.6 प्रतिशत रहा जो पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर निष्पादन रहा (प्रथम तिमाही में 6.7 प्रतिशत और द्वितीय तिमाही में 6 प्रतिशत) जो वर्ष 2012–13 की तृतीय तिमाही में दर्ज किए गए 6.9 प्रतिशत विकास से भी ज्यादा है। उद्योग क्षेत्रक विशेषकर विनिर्माण की विकास दर निम्न स्तर का होना जारी है और यह महत्वपूर्ण है।

राज्य स्तर पर विकास परिदृश्य

2.13 अर्थव्यवस्था की कुल विकास दर का निर्धारण क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर न केवल राज्यों में बल्कि जिलों में भी किया जाता है। जहां तक राज्यों में पिछड़े जिलों का संबंध है वे ठीक प्रकार विकास नहीं कर रहे हैं जबकि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य भी विकास दर पूरी कर रहे हैं। ग्यारहवीं योजना जिसमें समावेशता पर ध्यान दिया गया है इस बात का साक्षी है कि ज्यादातर राज्य विकास की संधारणीय उच्च दर प्रदर्शित करने में प्रोत्साहन और सकारात्मक रूझान अपना रहे हैं। असल में आर्थिक रूप से कमजोर कई राज्यों ने विकास दर में सुधार का प्रदर्शन किया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर कुछ राज्यों की औसत जीडीपी विकास दर सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत विकास दर को भी पार कर गई है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक यही रूझान बारहवीं योजना अवधि (2012–13) के प्रथम वर्ष के दौरान देखा गया, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा विकास दर्शाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि में ज्यादातर राज्यों के पास 6 प्रतिशत या इससे अधिक की औसत जीएसडीपी विकास दर प्रतीत हुई है। 'अनुबंध–क' ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्य–वार विकास निष्पादन दर्शाता है। 'अनुबंध–ख' वर्ष 2012–13 में राज्यों की क्षेत्रकीय विकास निष्पादन के साथ–साथ बारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों के क्षेत्रकीय विकास लक्ष्यों को दर्शाता है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य

2.14 विकास दरों में वैश्विक स्तर पर सामान्यतौर से उतार–चढ़ाव रहा है जिसका श्रेय मुख्य रूप से वर्ष 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट और वर्ष 2011–12 में सारे यूरोप के ऋण संकट को जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विश्व उत्पादन की विकास दर में कमी देखी गई जो वर्ष 2007 में 5.3 प्रतिशत थी वह

वर्ष 2008 में घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई। बाद के वर्षों में सारे यूरोप के ऋण संकट के कारण वर्ष 2011 में विकास का अनुमान 3.9 प्रतिशत लगाया गया जो वर्ष 2012 में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया।

2.15 विश्व में वर्ष 2011 में विकास दर 3.9 प्रतिशत थी वह घटकर वर्ष 2012 में 3.1 प्रतिशत हो गई। जिसके कारण उन्नत अर्थव्यवस्था का विकास वर्ष 2011 में 1.7 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012 में 1.4 प्रतिशत हो गया। इन वैश्विक रूझानों ने उभरती हुई और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास गतियों पर असर डाला है। जनवरी 2014 में आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2011 में 6.3 प्रतिशत थी वह वर्ष 2012 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई परन्तु भारत ने इसे वर्ष 2013 में पुनः 4.4 प्रतिशत तक हासिल कर लिया। इसी प्रकार चीन की विकास दर वर्ष 2011 में 9.3 प्रतिशत थी वह वर्ष 2012 में घटकर 7.7 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2013 में स्थिर रही। वर्ष 2011–13 की अवधि में भारत में जीडीपी की वृद्धि की कमी में बाहरी घटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

2.16 आईएमएफ द्वारा जनवरी 2014 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण वर्ष 2014 और 2015 के लिए विश्वभर में विकास का रूझान प्रस्तुत करता है। विकासशील देशों का विकास विकसित देशों की तुलना में ज्यादा रहा क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। तथापि यूरो–जोन में संस्थागत सुधारों और अमेरिका में वित्तीय संकट को सहायता किया जाना, दोनों ने ही वैश्विक वित्तीय संकट को धीरे–धीरे कम किया है। विकसित देश धीमी गति से अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते रहे हैं। वैश्विक मंदी के परिदृश्य में देशों के विकास को इससे अलग नहीं किया जा सकता, भारत एक विकासशील देश है और इसका व्यापार के माध्यम से विश्वभर की अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है अतः यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर भारत भी इससे लाभान्वित होगा।

2.17 उभरते हुए और विकासशील देशों की वैश्विक जीडीपी की वृद्धि में प्रमुख भूमिका है। विशेषकर एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख साधन है यह मुख्य रूप से चीन (वर्ष 2008 और 2011 के मध्य औसतन 9.6 प्रतिशत विकास) और कुछ हद तक भारत (वर्ष 2008 और 2011 के मध्य औसतन 7.3 प्रतिशत का विकास) की वजह से है। पिछले कुछ वर्षों के लिए विश्व विकास का परिदृश्य तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4

विश्व आर्थिक दृष्टिकोणः वैश्विक विकास दरों का रूझान (प्रतिशत में)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
विश्वभर का उत्पादन	5.3	2.7	-0.4	5.2	3.9	3.1	3.0	3.7	3.9
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	2.7	0.1	-3.4	3.0	1.7	1.4	1.3	2.2	2.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.8	-0.3	-2.8	2.5	1.8	2.8	1.9	2.8	3.0
यूरो क्षेत्र	3.0	0.4	-4.4	2.0	1.5	-0.7	-0.4	1.0	1.4
जापान	2.2	-1.0	-5.5	4.7	-0.6	1.4	1.7	1.7	1.0
यूनाइटेड किंगडम	3.4	-0.8	-5.2	1.7	1.1	0.3	1.7	2.4	2.2
कनाडा	2.0	1.2	-2.7	3.4	2.5	1.7	1.7	2.2	2.4
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	8.7	5.8	3.1	7.5	6.2	4.9	4.7	5.1	5.4
चीन	14.2	9.6	9.2	10.4	9.3	7.7	7.7	7.5	7.3
भारत	9.8	3.9	8.5	10.5	6.3	3.2	4.4	5.4	6.4
ब्राजील	6.1	5.2	-0.3	7.5	2.7	1.0	2.3	2.3	2.8
रूस	8.5	5.2	-7.8	4.5	4.3	3.4	1.5	2.0	2.5
दक्षिण अफ्रीका	5.5	3.6	-1.5	3.1	3.5	2.5	1.8	2.8	3.3

स्रोतः विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, जनवरी 2014 और अक्टूबर 2013, आईएमएफ, * वर्ष–वार प्रस्तुतीकरण

2.18 आईएमएफ द्वारा जनवरी 2014 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान विकास दरों में वृद्धि का रूझान दर्शाया गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर जो वर्ष 2013 में 1.3 प्रतिशत था वह वर्ष 2014 में बढ़कर 2.2 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 2..3 प्रतिशत हो गया है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास को भी बढ़ते हुए दर्शाया गया है जो वर्ष 2013 में 4.7 प्रतिशत था वह वर्ष 2014 में बढ़कर 5.1 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 5.4 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार के परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का आभास कराते हैं जो वर्ष 2013 में 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 5.4 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

2.19 बारहवीं योजना अवधि के लिए 8 प्रतिशत का औसत वार्षिक लक्षित विकास प्रमुख रूप से दो कारकों नामतः बचत और निवेश दर पर निर्भर होगा। बारहवीं योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत के विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए जीडीपी की औसत निवेश दर 37 से 39 प्रतिशत की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उच्च स्तरीय निवेश के वित्तपोषण के लिए जीडीपी के करीब 34–35 प्रतिशत की घरेलू बचत दर की आवश्यकता होगी। वर्ष 2011–12 में जीडीपी के घरेलू बचत स्तर का अनुमान करीब 31.3 प्रतिशत लगाया गया है जो इस बात को इंगित करता है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है। बारहवीं योजना के दौरान लोगों की बचत में सुधार की कार्यनीति में कर वसूली में सुधार और राजस्व घाटे के स्तर में कमी करना होगा। तथापि, यह अनुमान लगाया जाता है कि जब निवेश के अवसर खुलेंगे तो निजी कोरपोरेट क्षेत्रक की बचत इसमें लगाई जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) और ऋण के आप्रवाहों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बचत के निवेश करने संबंधी अंतर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह से अनुमान लगाया जाता है कि ये भी निवेश बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे।

बचत और निवेश दर

2.20 अर्थव्यवस्था में अधिक घरेलू बचत की सहायता से ज्यादा निवेश किए जाने पर अर्थव्यवस्था उच्च विकास के पथ पर अग्रसर होगी। बारहवीं योजना (2012–13) के प्रथम वर्ष में निवेश दर का अनुमान 34.8 प्रतिशत लगाया गया था जबकि बचत दर 30.1 प्रतिशत रिकार्ड की गई थी। बचत और निवेश के मध्य का यह अंतर अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटा के स्तर से करीब से जुड़ा हुआ है। ग्यारहवीं योजना में घरेलू बचत के लिए 34.8 प्रतिशत और निवेश के लिए 36.7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था उक्त लक्ष्य दसवीं योजना अवधि के दौरान घरेलू बचत और निवेश के बढ़ते रूझान के अनुभव के आधार पर रखा गया था। ग्यारहवीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में बचत और निवेश की दरें लक्ष्य से ऊपर देखी गईं परन्तु आगे उक्त दोनों के मध्य कमी और अंतर देखा गया और आगे उतार–चढ़ाव के साथ वर्ष 2010–11 में जीडीपी का चालू खाता घाटा 2.8 प्रतिशत था वह वर्ष 2011–12 में 4.2 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बचत और निवेश दरें दसवीं योजना के औसत से ऊपर रहीं और ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य के करीब रहीं। बारहवीं योजना में बचत दर का लक्ष्य 33.6 प्रतिशत रखा गया जो ग्यारहवीं योजना में रिकार्ड की गई बचत दर (33.5 प्रतिशत) के करीब है, और जीडीपी के 38 प्रतिशत विनिवेश दर का लक्ष्य रखा गया है। तथापि वर्ष 2012–13 में चालू खाता घाटे में जीडीपी के 4.7 प्रतिशत तक गिरावट के साथ बचत और निवेश के मध्य अंतर बढ़ा है, जबकि बचत और निवेश दरों में भी कुछ कमी देखी गई और इसका क्रमशः 30.1 प्रतिशत और 34.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया।

तलिका 2.5

मौजूदा कीमतों पर बचत और निवेश दर

(मौजूदा कीमतों पर जीडीपीएमपी का प्रतिशत)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
दसवीं योजना (औसत)	31.1	31.0
ग्यारहवीं योजना–लक्ष्य	**34.8**	**36.7**
2007-08	36.8	38.1
2008-09	32.0	34.3
2009-10	33.7	36.5
2010-11^	33.7	36.5
2011-12@	31.3	35.5
ग्यारहवीं योजना (औसत)	**33.5**	**36.2**
बारहवीं योजना (लक्ष्य)	**33.6**	**38.8**
2012-13*	30.1	34.8

*प्रथम संशोधित अनुमान; @द्वितीय संशोधित अनुमान; ^ तृतीय संशोधित अनुमान

स्रोतः 11वीं योजना लक्ष्यः 11वीं योजना दस्तावेज, 12वीं योजना लक्ष्यः 12वीं योजना दस्तावेज; केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

ग. निवेश की संरचना

2.21 निवेश को सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) द्वारा मापा जाता है जिसके अन्तर्गत सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) और स्टॉक में परिवर्तन (सीआईएस) सम्मिलित है। जीएफसीएफ का संदर्भ भौतिक परिसम्पत्तियों के सृजन से है और इसलिए इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता सम्मिलित है, जबकि स्टॉक में परिवर्तन से माल सूची या कार्यकारी पूंजी को मापा जाता है। जीएफसीएफ, अर्थव्यवस्था के संभावित विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सकल घरेलू निवेश में इसका हिस्सा 90% से अधिक होता है।

2.22 2005–06 से 2007–08 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक उच्च विकास मार्ग को निवेश के बढते स्तरों के कारण बनाए रखा गया। औसत निवेश दर (चालू कीमतों पर सकल पूँजी निर्माण द्वारा मापित), दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31 प्रतिशत थी। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्राप्त औसत निवेश दर 36.2 प्रतिशत अनुमानित है जोकि लक्ष्य 36.7 प्रतिशत के लगभग था। हालांकि, बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष (2012–13) में निवेश दर 34.8 प्रतिशत रही जोकि पिछले वर्षों की तुलना में कमी दर्शाता है।

2.23 चालू कीमतों पर निश्चित निवेश की दर 2009–10 में 31.7 प्रतिशत थी वह 2010–11 में कम होकर 30.9 प्रतिशत हो गई। यद्यपि यह वर्ष 2011–12 में बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गई और यह वर्ष 2012–13 में दोबारा घटकर 30.4 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2013–14 में घटकर 28.5 प्रतिशत हो गई। यह सभी अग्रिम अनुमानों के अनुसार है। इसका श्रेय प्राईवेट कोरपोरेट क्षेत्रक में कम निवेश को जाता है जो वर्ष 2010–11 में 10.4 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011–12 में 9.4 प्रतिशत हो गया और आगे वर्ष 2012–13 में 8.5 प्रतिशत हो गया। घरेलू निश्चित निवेश वर्ष 2010–11 में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 15.2 प्रतिशत हो गया परन्तु वर्ष 2012–13 में घटकर 14.1 प्रतिशत रह गया (तालिका 2.6)।

तालिका 2.6

चालू कीमतों पर निवेशों की संरचना (चालू कीमतों पर जीडीपीएमपी का प्रतिशत)

मद / वर्ष	ग्यारहवीं योजना अवधि						2012-13*
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11^	2011-12@	औसत	
जीडीसीएफ	**38.0**	**35.5**	**36.3**	**36.5**	**36.4**	**36.6**	**34.7**
1. सार्वजनिक क्षेत्रक	8.9	9.4	9.2	8.4	7.7	8.7	8.1
2. कोरपोरेट क्षेत्रक	17.3	11.3	12.1	12.8	10.1	12.7	9.2
3. घरेलू क्षेत्रक	10.8	13.5	13.2	13.2	15.8	13.3	14.8
निजी निवेश (2+3)	28.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	23.9
निश्चित निवेश दर	**32.9**	**32.3**	**31.7**	**30.9**	**31.8**	**31.9**	**30.4**
1. सार्वजनिक क्षेत्रक	8.0	8.5	8.4	7.8	7.1	8.0	7.8
2. निजी कोरपोरेट क्षेत्रक	14.3	10.3	10.2	10.4	9.4	10.9	8.5
3. घरेलू क्षेत्रक	10.6	13.5	13.2	12.7	15.2	13.0	14.1
निवेश दर	**38.1**	**34.3**	**36.5**	**36.5**	**35.5**	**36.2**	**34.8**

*प्रथम संशोधित अनुमान; /@द्वितीय संशोधित अनुमान; ^ तृतीय संशोधित अनुमान
स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

आकृति 2.1: निवेशों की संरचना (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

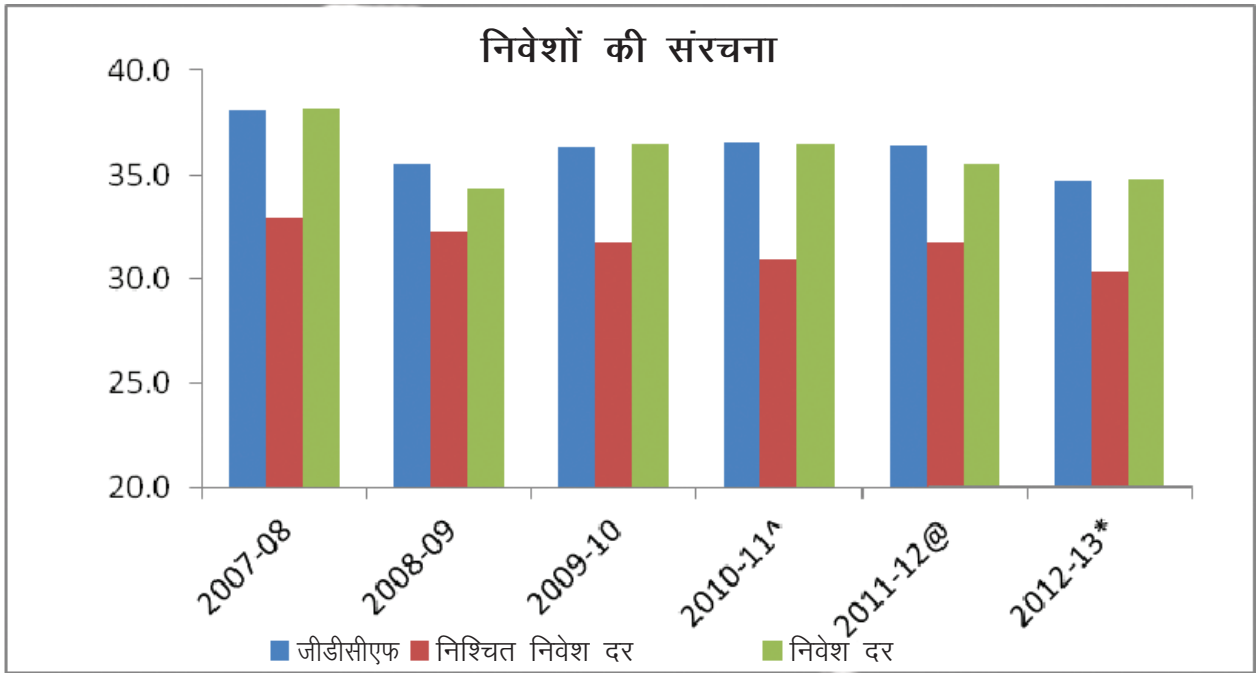

2.24 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश में बहुत अधिक कमी आई जो वर्ष 2010–11 में 26 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 25.9 प्रतिशत और वर्ष 2012–13 में 23.9 प्रतिशत हो गई। इसका श्रेय निजी कॉरपोरेट क्षेत्रक में निवेश की कमी को जा सकता है जो वर्ष 2010–11 में 12.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 9.2 प्रतिशत हो गई है। घरेलू क्षेत्रक निवेश में हालांकि वृद्धि हुई है जो वर्ष 2010–11 में जीडीपी के 13.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 14.8 प्रतिशत हो गई। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक में उपभोग पर व्यय की दृष्टि से

वर्ष 2012–13 में निजी उपभोग के व्यय में जीडीपी का 60.1 प्रतिशत रिकार्ड किया गया और वर्ष 2013–14 में 59.8 प्रतिशत रिकार्ड किया गया, यह सभी अग्रिम अनुमान के अनुसार हैं। सरकारी उपभोग व्यय वर्ष 2012–13 में जीडीपी का 11.2 प्रतिशत और वर्ष 2013–14 में 11.3 प्रतिशत रिकार्ड किया गया जबकि यही स्थिति वर्ष 2011–12 में थी। निजी उपभोग व्यय के विकास में कमी आई जो वर्ष 2011–12 में 9.3 प्रतिशत थी वह वर्ष 2012–13 में 5 प्रतिशत घट गई। सरकारी उपभोग के व्यय के विकास में भी कमी आई जो वर्ष 2011–12 में 6.9 प्रतिशत थी वह घटकर वर्ष 2012–13 में 6.2 प्रतिशत हो गई (तालिका 2.7)।

तालिका 2.7

2004–05 की कीमतों पर उपभोग व्यय (वार्षिक विकास दर और जीडीपी के % के रूप में)

मद / वर्ष	ग्यारहवीं योजना अवधि						2012-13*
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11^	2011-12@	औसत	
वार्षिक वास्तविक विकास दर प्रतिशत							
निजी उपभोग व्यय	9.2	6.9	7.4	8.7	9.3	8.3	5.0
सरकारी उपभोग व्यय	9.6	10.4	13.9	5.8	6.9	9.3	6.2
कुल उपभोग व्यय	9.3	7.4	8.4	8.2	8.9	8.4	5.2
जीडीपी (स्थिर बाजार कीमतों पर) के अनुपात का प्रतिशत							
निजी उपभोग व्यय	58.3	60.0	59.4	58.5	60.0	59.2	60.1
सरकारी उपभोग व्यय	10.3	11.0	11.5	11.0	11.1	11.0	11.2
कुल उपभोग व्यय	68.7	71.0	70.9	69.6	71.0	70.2	71.4

*प्रथम संशोधित अनुमान; @द्वितीय संशोधित अनुमान; ^ तृतीय संशोधित अनुमान
स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

छ. बचतों की संरचना

2.25 सकल घरेलू बचत (जीडीएस) को सरकारी और निजी बचतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सरकारी क्षेत्रक बचतों के अन्तर्गत सरकारी विभागों (केन्द्र और राज्य) के साथ–साथ सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की बचतें सम्मिलित हैं। निजी बचतों के अन्तर्गत घरेलू बचतों के साथ–साथ निजी कारपोरेट क्षेत्रक बचतें सम्मिलित हैं।

2.26 ग्याहरवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष 2007–08 में जीडीएस 36.8 प्रतिशत के शिखर मूल्य पर पहुंच गई जिसके बाद यह कम होकर वर्ष 2010–11 में 33.7 प्रतिशत और आगे 2011–12 में कम होकर 31.3 प्रतिशत हो गई (तालिका 2.8)। इसके आगे बारहवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात् 2012–13 में गिरावट 30.1 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस कमी का श्रेय कुछ अंश तक घरेलू क्षेत्रक की बचतों में कमी को जाता है जो वर्ष 2010–11 में 23.1 प्रतिशत थी वह कम होकर वर्ष 2011–12 में 22.8 प्रतिशत तक हो गई और आगे वर्ष 2012–13 में 21.9 प्रतिशत हो गई। सरकारी क्षेत्रक की बचतों में भी कमी आई जो वर्ष 2010–11 में 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 और 2012–13 में 1.2 प्रतिशत हो गई। उक्त कमी का कारण सरकारी प्राधिकरणों और सरकारी प्रशासन द्वारा कम बचत किया जाना रहा जो क्रमशः वर्ष 2012–13 में –1.6 और –1.9 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर वर्ष 2010–11 और 2012–13 में घरेलू बचतों में कमी का श्रेय काफी हद तक सरकारी क्षेत्रक को जाता है। साथ ही इस कमी का कारण हाउसहोल्ड क्षेत्रक में नीची विकास दर तथा निगमित क्षेत्रक में रोका गया कम मुनाफा भी रहा।

तालिका 2.8

बचतों की संरचना (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद / वर्ष	ग्यारहवीं योजना अवधि						2012-13*
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11^	2011-12@	औसत	
सकल घरेलू बचत	36.8	32.0	33.7	33.7	31.3	33.5	30.1
1. घरेलू क्षेत्रक	**22.4**	**23.6**	**25.2**	**23.1**	**22.8**	**23.4**	**21.9**
1.1 वित्तीय बचत	11.6	10.1	12.0	9.9	7.0	10.1	7.1
1.2 भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	10.8	13.5	13.2	13.2	15.8	13.3	14.8
2. निजी निगमित क्षेत्रक	**9.4**	**7.4**	**8.4**	**8.0**	**7.3**	**8.1**	**7.1**
2.1 संयुक्त स्टॉक कंपनियां	8.9	7.0	7.9	7.6	6.9	7.7	6.7
2.2 सहकारी बैंक और समितियां	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3. सार्वजनिक क्षेत्रक	**5.0**	**1.0**	**0.2**	**2.6**	**1.2**	**2.0**	**1.2**
3.1 सार्वजनिक प्राधिकरण	1.1	-2.4	-2.7	-0.2	-1.7	-1.2	-1.6
3.2 सरकारी प्रशासन	0.5	-2.8	-3.1	-0.5	-2.0	-1.6	-1.9
3.3 विभागीय उद्यम	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
3.4 गैर–विभागीय उद्यम	3.9	3.3	2.8	2.8	2.9	3.2	2.8

*प्रथम संशोधित अनुमान; @द्वितीय संशोधित अनुमान; ^ तृतीय संशोधित अनुमान
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

आकृति 2.2: बचतों की संरचना (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

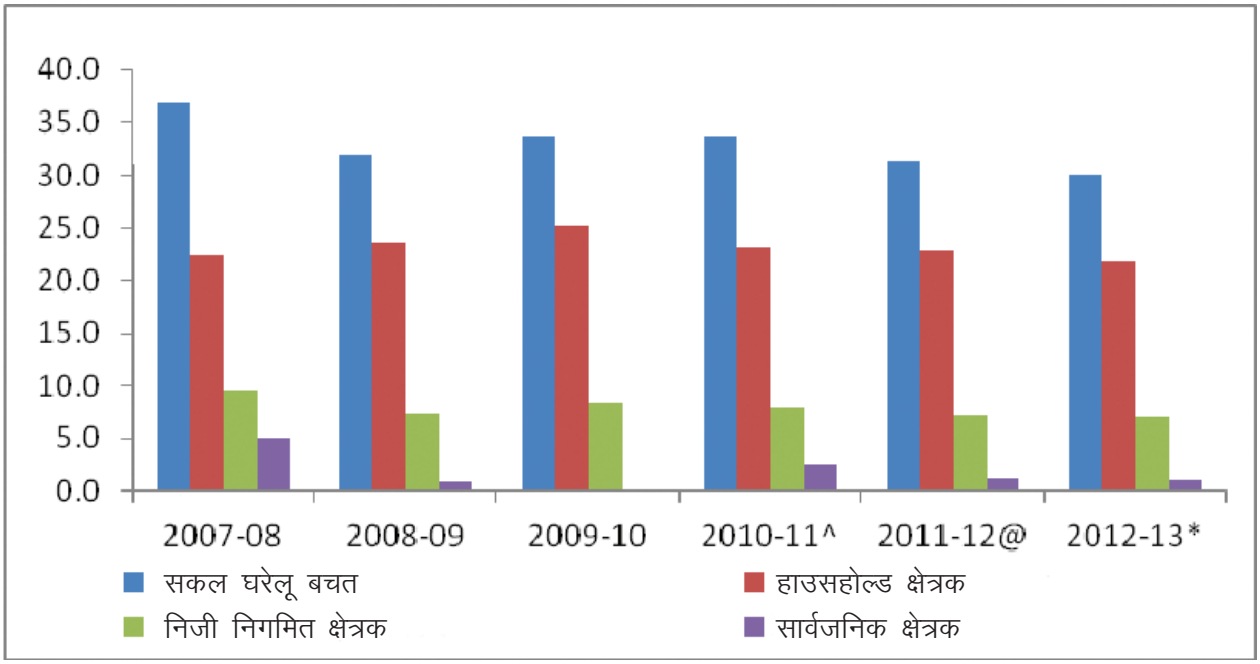

2.27 औसतन अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू बचतों का प्रमुख साधन घरेलू बचतें निजी निगमित क्षेत्रकों को रोका गया मुनाफा और सरकारी क्षेत्रक की बचतें होती हैं। घरेलू क्षेत्रक में समग्र बचतें वर्ष 2007–08 से 2012–13 की अवधि के दौरान जीडीपी के 21.25 प्रतिशत की रेंज में रही। निजी निगमित क्षेत्रक की बचतें 7 से 9.5 प्रतिशत की रेंज में रही और वर्ष 2012–13 में 7.1 प्रतिशत की रेंज में रही। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्रक की बचत वर्ष 2007–08 में 5 प्रतिशत थी वह घटकर वर्ष 2010–11 में 2.6 प्रतिशत हो गई और आगे वर्ष 2012–13 में 1.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार बारहवीं योजना अवधि के शुरू में सकल घरेलू बचतों में निजी निगमित क्षेत्रक में ज्यादा की गई बचतों को मिलाकर घरेलू वित्तीय बचतों के साथ–साथ भौतिक परिसंपत्तियां दुगुनी हो गई।

ज. राजकोषीय निष्पादन

2.28 वर्ष 2009–10 में केंद्र और राज्यों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा 9.4 प्रतिशत रिकार्ड किया गया जो वर्ष 2010–11 में घटकर जीडीपी का 6.9 प्रतिशत हो गया। तथापि वह वर्ष 2011–12 में जीडीपी के 7.6 प्रतिशत से ऊपर हो गया और इसे वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार बारहवीं योजना के शुरू में जीडीपी के 7.5 प्रतिशत के रूप में अनुमानित किया गया था। वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान (बीई) के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया था कि जीडीपी 6.9 प्रतिशत हो जाएगी। केंद्र सरकार के बेहतर व्यय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2010–11 में वित्तीय संकट की अवधि के दौरान केंद्र में राजकोषीय घाटे की कमी जीडीपी के 4.8 प्रतिशत तक पहुंच पाई जो वर्ष 2009–10 में 6.5 प्रतिशत थी। तथापि यह वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 में जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर रिकार्ड किया गया और बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2013–14 में इसे जीडीपी के 4.8 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद की जाती है। सभी राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में एक साथ वर्ष 2010–11 में सुधार होना शुरू हुआ है और इसे वर्ष 2010–11 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर रिकार्ड किया गया जो आगे वर्ष 2011–12 में घटकर जीडीपी के 1.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2012–13 (आरई) में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे को 2.3 प्रतिशत पर रिकार्ड किया गया और वर्ष 2013–14 (बी.ई.) में जीडीपी के 2.2 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।

2.29 केंद्र के राजकोषीय घाटे की स्थिति खराब होकर वर्ष 2008–09 में जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 के जीडीपी का 5.2 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय समेकन प्रयासों से राजस्व घाटे में सुधार होकर 2010–11 में जीडीपी का 3.2 प्रतिशत हो गया। तथापि यह वर्ष 2011–12 में घटकर जीडीपी के 4.4 प्रतिशत तक पहुंच गई और इसके बारहवीं योजना (2012–13) (आर.ई.) के शुरू में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने की संभावना है। वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान के अनुसार केंद्र के राजस्व घाटे की उम्मीद जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक होने की है। राज्यों का राजस्व घाटा जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान मामूली रहा जिसकी वजह अधिक कर संग्रह और गैर–योजना राजस्व व्यय में कटौती थी जिससे वर्ष 2009–10 में राजस्व घाटे में मामूली वृद्धि हुई जो जीडीपी का 0.5 प्रतिशत था और वर्ष 2010–11 में यह प्रायः शून्य था। वर्ष 2011–12 और 2012–13 (आरई) के अनुसार सभी राज्यों का मिला–जुला राजस्व घाटे का अनुमान क्रमशः जीडीपी के (–) 0.3 प्रतिशत और (–) 0.2 प्रतिशत होने का लगाया गया था और इसके आगे वर्ष 2013–14 (बीई) में जीडीपी के (–) 0.4 प्रतिशत होने की उम्मीद की गई थी। केंद्र और राज्यों के मिले–जुले राजस्व घाटे की स्थिति खराब हो गई जो 2008–09 में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत से खराब होकर 2009–10 में जीडीपी का 5.7 प्रतिशत हो गया। किंतु जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया, राजस्व घाटे में सुधार के संकेत दिखने लगे और यह 2010–11 में कम होकर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत हो गया। आगे वर्ष 2011–12 में यह जीडीपी के 4.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। 12वीं योजना के शुरू हो जाने पर वर्ष 2012–13 (आरई) में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत पर सामान्य बने रहने का अनुमान है और वर्ष 2013–14 (बीई) में जीडीपी के 2.9 प्रतिशत पर बने रहने का अनुमान है। तालिका 2.9 में राज्यों, केंद्र का राजकोषीय निष्पादन और विगत कुछ वर्षों के संबंध में केंद्र और राज्यों का मिला–जुला राजकोषीय निष्पादन दर्शाया गया है।

तालिका 2.9

केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे में प्रवृत्तियां (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केंद्र		राज्य		मिला–जुला	
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2007-08	2.5	1.1	1.5	-0.9	4.1	0.2
2008-09	6.0	4.5	2.4	-0.2	8.4	4.3
2009-10	6.5	5.2	2.9	0.5	9.4	5.7
2010-11	4.8	3.2	2.1	0.0	6.9	3.2
2011-12	5.7	4.4	1.9	-0.3	7.6	4.1
2012-13 (आरई)	5.2	3.9	2.3	-0.2	7.5	3.7
2013-14 (बीई)	4.8	3.3	2.2	-0.4	6.9	2.9

स्रोतः केंद्र हेतु : संघ का बजट 2013–14; राज्यों हेतु : आरबीआई राज्य वित्त : 2013–14 के बजटों का अध्ययन।
नोटः आरई : संशोधित अनुमान; बीई : बजट अनुमान। नकारात्मक चिह्न (–) घाटे के संकेतकों में अधिकता को दर्शाता है।

2.30 केंद्रीय सरकार का कुल व्यय विकासात्मक राजकोषीय नीति के कारण संकट के दौरान बढ़ गया था और वर्ष 2009–10 में जीडीपी का 15.8 प्रतिशत हो गया था। तथापि वर्ष 2010–11 में अर्थव्यवस्था में तेजी से बहाली और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के साथ व्यय कम होकर जीडीपी का 15.4 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011–12 में कुल व्यय जीडीपी का 14.5 प्रतिशत था। संशोधित अनुमानों के अनुसार बारहवीं योजना (2012–13) के प्रथम वर्ष में यह करीब 14.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। तथापि वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों में अनुमानित व्यय जीडीपी का 14.6 प्रतिशत है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय योजना व्यय 2007–08 और 2011–12 के बीच 4.1 से 4.9 प्रतिशत के रेंज में रहा, नवीनतम (2011–12) 4.6 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान के अनुसार इसका अनुमान 4.2 प्रतिशत होने का है, जबकि वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) के अनुसार इसके 4.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। केंद्र गैर–योजना व्यय को वर्ष 2009–10 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 11.1 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। यह 2010–11 में कम होकर 10.5 प्रतिशत और आगे वर्ष 2011–12 में कम होकर 9.9 प्रतिशत हो गया। बारहवीं योजना अवधि में 2012–13 (संशोधित अनुमान) के लिए इसका अनुमान 9.9 प्रतिशत होना लगाया गया है। 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार केंद्र के गैर–योजनागत व्यय के जीडीपी के प्रतिशत का अनुमान 9.8 प्रतिशत लगाया गया है।

2.31 वर्ष 2009–10 में सभी राज्यों का कुल व्यय जीडीपी का 15.7 प्रतिशत रिकार्ड किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान यह घटकर जीडीपी के 15 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया। तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि यह वर्ष 2012–13 (आरई) में 16.5 प्रतिशत होगा और यह भी उम्मीद की जाती है कि इसका यही स्तर वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में कायम रहेगा। राज्य योजना व्यय वर्ष 2009–10 में जीडीपी का 4.8 प्रतिशत रहा जो आगे वर्ष 2010–11 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2011–12 में बढ़कर 4.7 प्रतिशत तक पहुंच गया। तथापि वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह बढ़कर जीडीपी के 5.7 प्रतिशत तक हो गया और इसके इसी स्तर पर वर्ष 2013–14 (बीई) में बने रहने की उम्मीद है। राज्य गैर–योजना व्यय वर्ष 2009–10 के 10.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 10.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान के अनुसार बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में जीडीपी 10.8 प्रतिशत होने का

अनुमान है और वर्ष 2013–14 (बीई) में 10.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.32 दूसरी तरफ, वर्ष 2009–10 में केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व जीडीपी के प्रतिशत का 9.6 प्रतिशत रिकार्ड किया गया और जो वर्ष 2011–12 में 9.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान के अनुसार बारहवीं योजना की शुरूआत जीडीपी के 10.3 प्रतिशत सकल कर राजस्व के साथ हुई जिसका बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2013–14 में 10.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्यों का अपना कर राजस्व जो वर्ष 2009–10 में 5.6 प्रतिशत रिकार्ड किया गया था उसमें वृद्धि होने का रूझान देखा गया और वर्ष 2010–11 में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया और वर्ष 2011–12 में यह 6.2 प्रतिशत हो गया। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2012–13 (आरई) में यह जीडीपी का 6.5 प्रतिशत होगा और वर्ष 2013–14 (बीई) में जीडीपी का 6.7 प्रतिशत होगा।

2.33 वर्ष 2009–10 में केंद्र का कर–भिन्न राजस्व जीडीपी का 1.8 प्रतिशत रिकार्ड किया गया था और यह वर्ष 2010–11 में बढ़कर जीडीपी के 2.8 प्रतिशत तक हो गया और आगे 2011–12 में घटकर जीडीपी के 1.4 प्रतिशत तक हो गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वर्ष 2012–13 (आरई) में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा और वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो जाएगा। जैसाकि नीचे तालिका से देखा जा सकता है, राज्यों के कर–भिन्न राजस्व जो वर्ष 2007–08 में जीडीपी का 3.7 प्रतिशत था वह धीरे–धीरे बढ़कर वर्ष 2008–09 में 3.8 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2009–10 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 3.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010–11 में आगे फिर घटकर जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक पहुंच गया और वर्ष 2011–12 में यह 3.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 3.8 प्रतिशत होने की संभावना है और वर्ष 2013–14 (बी.ई.) में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत होने की उम्मीद की जाती है।

2.34 केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारी जो वर्ष 2009–10 में 54.5 प्रतिशत थी वह वर्ष 2010–11 में कम होकर 50.6 प्रतिशत हो गई। यह कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रदान किए गए तीन लगातार प्रोत्साहन पैकेजों के बावजूद हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान केंद्र सरकार की बकाया देनदारी जीडीपी की 49.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2012–13 (सं.अ.) में घटकर 45.9 प्रतिशत हो गई और संघीय बजट 2013–14 के अनुसार वर्ष 2013–14 में संभवतः यही 45.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

तालिका 2.10

केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में प्रवृत्तियां (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर–कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का अपना कर राजस्व	केन्द्र	राज्यों का गैर–कर राजस्व
2007-08	11.9	5.7	2.1	3.7
2008-09	10.8	5.7	1.7	3.8
2009-10	9.6	5.6	1.8	3.7
2010-11	10.2	5.9	2.8	3.3
2011-12	9.9	6.2	1.4	3.2
2012-13 (आरई)	10.3	6.5	1.3	3.8
2013-14 (बीई)	10.9	6.7	1.5	3.7

स्रोतः केंद्र हेतुः संघ का बजट 2013–14; राज्यों हेतुः आरबीआई राज्य वित्तः 2013–14 के बजटों का अध्ययन
नोटः आरईः संशोधित अनुमान; बीईः बजट अनुमान

झ. बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.35 ग्यारहवीं योजना के दौरान निर्यात में अमरीकी डालर की दृष्टि से औसतन लगभग 20.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। तथापि बारहवीं योजना (2012–13) के प्रथम वर्ष में निर्यात में (–)1.8 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी भारतीय अर्थव्यवस्था (2012–13) के संबंध में सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2009–10 में निर्यातों का मूल्य 178.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष 2008–09 की तुलना में 3.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है जिससे भारतीय निर्यात पर विश्व आर्थिक कार्यकलाप में मन्दी के नकारात्मक प्रभाव का पता चलता है। तथापि सरकार द्वारा बाजार और उत्पाद में किए गए विविधीकरण उपायों से विश्व जीडीपी में भारत के निर्यात की नम्यता को बढ़ाने में मदद मिली। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11 में निर्यात महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 251.1 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का हो गया और पिछले वर्ष की तुलना में 40.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड की गई। वर्ष 2011–12 में निर्यात 21.8 प्रतिशत की वार्षिक दर पर बढ़ा और निर्यात का मूल्य 305.9 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड किया गया। इसे वर्ष 2012–13 में 300.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का अनुमानित किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि निर्यात में 1.8 प्रतिशत की कमी रिकार्ड की गई।

2.36 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आयात में औसतन 22.3 प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड की गई। बारहवीं योजना (2012–13) के शुरू में निर्यात में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। वर्ष 2009–10 के दौरान आयात का मूल्य 288.4 बिलियन अमरीकी डालर और 2010–11 में 369.8 बिलियन अमरीकी डालर था जिससे 28.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर रिकार्ड की गई। वर्ष 2011–12 में आयात में 32.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई तथा आयात का मूल्य 489.4 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड किया गया और वर्ष 2012–13 के लिए अनुमानित निर्यात 491.4 बिलियन अमरीकी डालर था जिससे 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.37 पिछले कुछ वर्षों से भारत में व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है। यह वर्ष 2009–10 में 109.6 बिलियन अमरीकी डालर रिकार्ड की गई जो आगे वर्ष 2010–11 में बढ़कर 118.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। बारहवीं योजना का प्रथम वर्ष (2012–13) में 190.9 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा देखा गया। अप्रैल–दिसम्बर 2013 के दौरान निर्यात में वर्ष

आकृति 2.3: जीडीपीएमपी के प्रतिशत के रूप में भारत का व्यापार घाटा

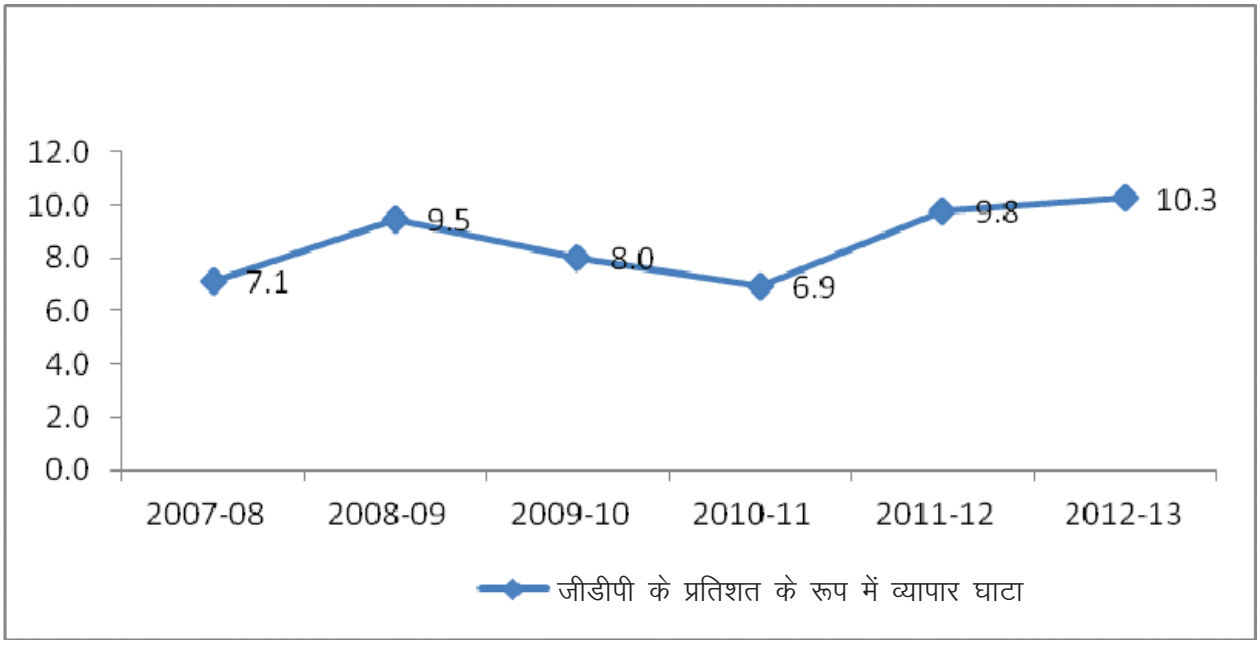

2012–13 की उसी अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। उसी अवधि में आयात में मामूली (–)6.6 प्रतिशत की कमी आई, जिससे व्यापार घाटे में 25 प्रतिशत तक कमी आई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार घाटा वर्ष 2009–10 में 8 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2010–11 में 6.9 प्रतिशत हो गया तथापि यह वर्ष 2011–12 में जीडीपी के 9.8 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है और आगे वर्ष 2012–13 में 10.3 प्रतिशत तक बढ़ा है। (आकृति 2.3)

2.38 भारत के चालू खाते घाटे (सीएडी) में धीरे–धीरे गिरावट देखी गई और यह 2008–09 में 2.3 प्रतिशत से 2009–10 में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर पहुंच गया। सीएडी में इस वृद्धि का कारण विश्व मन्दी और विश्व व्यापार में कमी का मिला–जुला प्रभाव हो सकता है। वर्ष 2011–12 में निरपेक्ष दृष्टि से और जीडीपी के अनुपात के रूप में सीएडी में बढ़ोतरी हुई जो घटी बाह्य मांग, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) के अपेक्षाकृत अनम्य आयात और सोने और चांदी के उच्च आयात के कारण बढ़ते व्यापार घाटे को परिलक्षित करता है। वर्ष 2011–12 में सीएडी जीडीपी का 4.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2010–11 में यह जीडीपी का 2.8 प्रतिशत था। बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष 2012–13 में सीएडी 4.7 प्रतिशत तक बढ़ा (तालिका 2.11) आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति, 2013–14 की तृतीय तिमाही समीक्षा के अनुसार वर्ष 2013–14 में सीएडी का जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। जो बड़े स्तर पर व्यापार घाटे में कमी के कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप सोने के आयात में कमी आई है। सीएडी, जो वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था वह घटकर द्वितीय तिमाही में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हो गया और यही रूझान वर्ष 2013–14 के तृतीय तिमाही में रहने का अनुमान है। उक्त कमी आरबीआई के फरवरी 2014 के मासिक बुलेटिन के अनुसार है।

2.39 वर्ष 2009–10 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का निवल आप्रवाह 18 बिलियन अमरीकी डालर था। तथापि वर्ष 2010–11 में भारत में एफडीआई आप्रवाह तेजी से कम होकर 11.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर का हो गया जो पुनः 2011–12 में बढ़कर 21.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत में एफडीआई का निवल आप्रवाह वर्ष 2012–13 में 19.8 बिलियन अमरीकी डालर तक घटा है। निवल पोर्टफोलियो निवेश (पीएफआई) में 2008–09 में 14 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बाह्य प्रवाह दर्ज किया गया और वर्ष 2009–10 और वर्ष 2010–11 में क्रमशः 32.4 बिलियन अमरीकी डालर और 30.3 बिलियन अमरीकी डालर का निवल आप्रवाह दर्ज किया गया। वर्ष 2011–12 में पीएफआई का निवल आप्रवाह 17.2 बिलियन अमरीकी डालर तक घटा परन्तु वर्ष 2012–13 में 26.9 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा।

तालिका 2.11: मौजूदा कीमतों पर जीडीपीएमपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा

वर्ष	सीएडी (करोड़ रू.)	जीडीपीएमपी (करोड़ रू.)	जीडीपी के % के रूप में सीएडी
2007-08	63500	4987090	1.3
2008-09	127600	5630062	2.3
2009-10	179700	6477827	2.8
2010-11	219700	7784115	2.8
2011-12	376000	9009722	4.2
2012-13	479600	10113281	4.7

स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था का डाटा आधार, आरबीआई

2.40 भारत का बाह्य ऋण मार्च 2010 के अंत में 261 बिलियन अमरीकी डालर और मार्च 2009 के अंत में 224.5 बिलियन अमरीकी डालर से मार्च 2011 के अंत तक बढ़कर 317.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें मार्च 2012 के अंत तक 360.7 बिलियन अमरीकी डालर, मार्च 2013 के अंत तक 400.3 बिलियन अमरीकी डालर और सितंबर 2013 के अंत तक 400.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। बाह्य ऋण में वृद्धि का कारण मुख्यतः बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) निर्यात क्रेडिटों और अल्पावधिक ऋण में वृद्धि होना है। सीएडी के वित्त पोषण के लिण ऋण सृजन प्रवाहों के बढ़ते उपायों से भारत के बाह्य ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है किन्तु यह प्रबंधन योग्य रहेगा। सितंबर 2013 के अंत में कुल बाह्य ऋणों में से 305.5 बिलियन अमरीकी डालर का दीर्घावधिक ऋण और 94.8 बिलियन अल्पावधि ऋण हैं जिनका अनुपात क्रमशः 76.3 प्रतिशत और 23.7 प्रतिशत है। जीडीपी अनुपात में कुल ऋण 2007–08 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 20.3 प्रतिशत हो गया। अनुपात कम होकर 2009–10 में 18.3 प्रतिशत हो गया और यह इसी स्तर पर वर्ष 2010–11 में रहा। तथापि 2011–12 के दौरान जीडीपी अनुपात में कुल ऋण में पुनः वृद्धि हुई और यह जीडीपी के 20.5 प्रतिशत पर रही जो आगे मार्च 2013 के अंत तक बढ़कर 21.5 प्रतिशत तक हो गई।

2.41 विदेशी मुद्रा भण्डारों में (स्वर्ण, एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व संग्रह स्थिति सहित) पिछले कुछ समय से लगातार वृद्धि हो रही है और यह मार्च 2008 के अन्त में 309.7 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। तथापि, मार्च 2009 के अन्त तक यह कम होकर 251.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भण्डारों में कमी मुख्यतः विश्व संकट के कारण थी। मार्च 2010 के अन्त तक विदेशी मुद्रा भण्डारों का स्तर बढ़कर 279.1 बिलियन अमरीकी डालर तथा मार्च 2011 के अन्त तक और बढ़कर 304.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मार्च 2012 के अन्त तक विदेशी मुद्रा भण्डारों का मूल्य 294.4 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2012–13 में विदेशी मुद्रा भण्डार मामूली कमी के साथ 292 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

ञ. कीमत स्थिरता

2.42 वर्ष 2008–09 में थोक कीमत सूचक (डब्ल्यूपीआई 2004–05 श्रृंखला) आधारित मुद्रास्फीति मापित 8.1 प्रतिशत था जबकि 2007–08 में 4.7 प्रतिशत था। पुनः वित्त वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान डब्ल्यूपीआई अत्यंत अस्थिर था। 2009–10 में वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 3.8 प्रतिशत परमापित थी जो बढ़कर 2010–11 में 9.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010–11 में मुद्रा स्फीति का सबसे अधिक बुरा चरण देखा गया जबकि अप्रैल 2010 में दर 10.9 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2011–12 की वार्षिक मुद्रास्फीति का मापन 8.9 प्रतिशत किया गया जो पिछले वर्ष के अनुमान से 0.7 प्रतिशत अंक कम रहा। तथापि वर्ष 2012–13 के दौरान मुद्रास्फीति की दर कम होकर 7.4 प्रतिशत के स्तर पर रही। वर्ष 2013–14 के दौरान अप्रैल 2013 में 4.8 प्रतिशत के शीर्ष मुद्रास्फीति के साथ शुरू हुआ जो नवम्बर 2013 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से आपूर्ति तरफ के कारकों से हुई। तथापि, सब्जी की कीमतों में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति फरवरी, 2014 में घटकर 4.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

2.43 हाल ही में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। जिनमें गेहूं, प्याज, दाल और रिफाइन्ड खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कमी, खाद्य तेल और दालों के निर्यात पर प्रतिबंध, कुछ आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण सीमा तय करना शामिल है। इस प्रकार की नीतियां 29 अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार आरबीआई की द्वितीय तिमाही समीक्षा के अनुरूप तैयार की गईं जिसमें मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वर्ष 2013–14 (अप्रैल–अक्तूबर) में थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार 31 आवश्यक वस्तुओं की सामासिक मुद्रास्फीति 9.48 प्रतिशत तक कम हुई जो वर्ष 2012–13 के

10.65 प्रतिशत के औसत की तुलना में थी। राजकोषीय नीतियों के अलावा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सख्त आर्थिक नीति भी अपनाई गई है।

ट. गरीबी अनुमान

2.44 योजना आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में अलग–अलग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिए नोडल एजेन्सी है। योजना आयोग लगभग पांच वर्ष के अन्तराल के बाद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से गरीबी का अनुमान लगाता है। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए क्रिया विधि की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.45 योजना आयोग ने प्रोफेसर सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में दिसम्बर 2005 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तेन्दुलकर समिति रिपोर्ट के अनुसार, 2004–05 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 578.8 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है। ये गरीबी रेखाएं कीमतों में भेद के कारण प्रत्येक राज्य में भिन्न–भिन्न हैं।

2.46 योजना आयोग ने, परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एनएसएस 68वें चक्र (2011–12) डेटा का इस्तेमाल करते हुए तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011–12 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं को अद्यतन बनाया है और 22 जुलाई, 2013 को 2011–12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए हैं। इनके अनुसार वर्ष 2011–12 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है।

2.47 योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम अनुमानों के आधार पर देश में गरीबी में 2004–05 और 2011–12 के बीच 2.2 प्रतिशतांक प्रतिवर्ष की कमी आई है। चाहे गरीबी या अन्य शब्दों में कहे तो देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो वर्ष 1993–94 में 45.3 प्रतिशत था वह घटकर 2004–05 में 37.2 प्रतिशत रह गया और आगे 2011–12 में घटकर 21.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993–94 से 2004–05 तक की 11 वर्ष की अवधि में गरीबी अनुपात में कमी की औसत दर 0.74 प्रतिशत के स्तर पर प्रतिवर्ष थी जो आगे बढ़कर 2.18 प्रतिशत के स्तर पर प्रतिवर्ष 2004–05 से 2011–12 तक की 7 वर्ष की अवधि में रही। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 के नवीनतम 7 वर्षों की अवधि में गरीबी अनुपात में कमी की दर वर्ष 1993–94 से 2004–05 तक के 11 वर्ष की अवधि में हुई कमी की तुलना में लगभग तिगुनी थी। तेंदुलकर पद्धति पर आधारित गरीबी के अनुमानों के साथ–साथ वर्ष 1993–94 से 2004–05 और 2004–05 से 2011–12 की अवधि के दौरान कमी की दर नीचे तालिका में दी गई है।

2.48 तेन्दुलकर क्रियाविधि के आधार पर वर्ष 2004–05 और 2011–12 के लिए राज्य–वार गरीबी रेखा से नीचे आबादी की प्रतिशतता और संख्या दर्शाने वाली एक तालिका भी संलग्न है (संलग्नक ग और घ)।

2.49 योजना आयोग ने गरीबी के माप के लिए क्रियाविधि की समीक्षा करने के लिए जून 2012 में डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल जून, 2014 तक है।

तालिका 2.12: तेंदुलकर पद्धति द्वारा अनुमानित गरीबों की संख्या और प्रतिशतता

	गरीबी अनुपात (%)			गरीबों की संख्या (मिलियन में)		
	गरीबी	*शहरी*	*कुल*	*गरीबी*	*शहरी*	*कुल*
1. 1993-94	50.1	31.8	45.3	328.6	74.5	403.7
2. 2004-05	41.8	25.7	37.2	326.3	80.8	407.1
3. 2011-12	25.7	13.7	21.9	216.5	52.8	269.3
4. वार्षिक औसत कमी: 1993-94 से 2004-05 (प्रतिशतता प्रतिवर्ष)	0.75	0.55	0.74			
5. वार्षिक औसत कमी: 2004-05 से 2011-12 (प्रतिशतता प्रतिवर्ष)	2.32	1.69	2.18			

स्रोत: योजना आयोग

अनुलग्नक–क

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार और क्षेत्रक–वार विकास लक्ष्य और प्राप्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सहायक		उद्योग		सेवाएं		जीएसडीपी विकास	
		11वीं योजना लक्ष्य	प्राप्ति	11वीं योजना लक्ष्य	प्राप्ति	11वीं योजना लक्ष्य	प्राप्ति	11वीं योजना लक्ष्य	प्राप्ति
1	आंध्र प्रदेश	4.0	5.3	12.0	7.3	10.4	9.8	9.5	8.2
2	अरूणाचल प्रदेश	2.8	4.5	8.0	10.9	7.2	11.6	6.4	8.6
3	असम	2.0	4.1	8.0	4.2	8.0	9.1	6.5	6.8
4	बिहार	7.0	3.8	8.0	17.5	8.0	10.9	7.6	9.9
5	झारखण्ड	6.3	4.9	12.0	11.2	8.0	12.6	9.8	10.4
6	गोवा	7.7	3.5	15.7	6.8	9.0	12.0	12.1	9.1
7	गुजरात	5.5	5.6	14.0	10.1	10.5	10.5	11.2	9.5
8	हरियाणा	5.3	3.9	14.0	6.2	12.0	12.6	11.0	8.9
9	हिमाचल प्रदेश	3.0	2.3	14.5	8.8	7.5	10.6	9.5	8.0
10	जम्मू व कश्मीर	4.3	3.7	9.8	1.9	6.4	9.1	6.4	5.8
11	कर्नाटक	5.4	6.6	12.5	5.0	12.0	8.7	11.2	7.2
12	केरल	0.3	-1.3	9.0	6.2	11.0	10.6	9.5	8.2
13	मध्य प्रदेश	4.4	6.9	8.0	9.7	7.0	10.3	6.7	9.2
14	छत्तीसगढ़	1.7	6.9	12.0	5.6	8.0	11.1	8.6	7.7
15	महाराष्ट्र	4.4	4.3	8.0	6.3	10.2	9.7	9.1	8.1
16	मणिपुर	1.2	8.6	8.0	4.2	7.0	6.7	5.9	6.2
17	मेघालय	4.7	1.7	8.0	9.8	7.9	8.9	7.3	7.8
18	मिजोरम	1.6	8.8	8.0	11.9	8.0	11.2	7.1	10.8
19	नागालैण्ड	8.4	4.3	8.0	9.2	10.0	6.5	9.3	6.2
20	ओडिशा	3.0	2.3	12.0	6.8	9.6	9.5	8.8	7.1
21	पंजाब	2.4	1.9	8.0	7.8	7.4	9.0	5.9	6.7
22	राजस्थान	3.5	7.4	8.0	7.3	8.9	10.1	7.4	8.5
23	सिक्किम	3.3	4.3	8.0	48.2	7.2	9.5	6.7	22.7
24	तमिलनाडु	4.7	3.3	8.0	8.9	9.4	9.4	8.5	8.6
25	त्रिपुरा	1.4	8.4	8.0	8.7	8.0	9.4	6.9	8.9
26	उत्तर प्रदेश	3.0	3.2	8.0	5.9	7.1	9.6	6.1	7.0
27	उत्तराखण्ड	3.0	3.2	12.0	15.1	11.0	14.1	9.9	12.8
28	पश्चिम बंगाल	4.0	2.4	11.0	4.9	11.0	8.7	9.7	6.6

स्रोतः योजना आयोग की 11वीं योजना के क्षेत्रक–वार लक्ष्य और 11वीं योजना की प्राप्तियां दिनांक 01.08.2013 को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है।

अनुलग्नक–ख

बारहवीं योजना के राज्य–वार और क्षेत्रक–वार विकास लक्ष्य और 2012–13 में विकास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	12वीं योजना लक्ष्य				2012–13 में विकास			
		कृषि और सहायक	उद्योग	कृषि और सहायक	उद्योग	कृषि और सहायक	उद्योग	कृषि और सहायक	उद्योग
1	आंध्र प्रदेश	5.0	8.3	9.4	8.3	7.1	-2.0	7.4	5.0
2	अरूणाचल प्रदेश	5.7	10.3	9.0	8.5	4.1	2.3	6.5	4.4
3	असम	4.8	4.6	8.9	7.0	3.8	3.7	9.3	6.9
4	बिहार	6.0	12.0	11.0	10.0	6.3	17.1	16.9	14.5
5	झारखण्ड	6.0	7.0	10.5	8.5	5.4	4.8	11.6	7.8
6	गोवा	0.5	7.2	9.9	8.5	-1.2	-4.8	17.1	8.5
7	गुजरात	4.0	9.2	10.5	9.2	-7.0	7.1	12.7	8.0
8	हरियाणा	4.2	7.3	11.5	9.0	2.1	5.5	9.5	7.1
9	हिमाचल प्रदेश	2.0	8.2	10.0	8.0	9.0	5.0	6.3	6.2
10	जम्मू व कश्मीर	1.5	4.3	9.5	6.5	3.1	0.8	9.9	6.1
11	कर्नाटक	5.0	5.5	9.2	7.5	2.3	5.4	8.7	6.2
12	केरल	1.0	6.0	9.6	8.0	4.4	18.4	5.5	8.2
13	मध्य प्रदेश	6.5	9.3	9.6	8.8	13.4	4.5	11.8	10.0
14	छत्तीसगढ़	6.0	7.5	9.5	8.0	5.5	6.7	12.1	8.6
15	महाराष्ट्र	3.0	8.2	9.5	8.6	-2.1	7.0	8.5	7.1
16	मणिपुर	6.0	4.5	8.4	6.5	10.2	4.7	7.3	7.1
17	मेघालय	2.8	8.5	9.2	8.0	2.3	12.9	8.6	8.9
18	मिजोरम	6.9	9.3	9.8	9.0	-4.6	4.3	6.7	4.1
19	नागालैण्ड	4.8	9.0	7.5	7.0	4.8	7.9	4.7	5.2
20	ओडिशा	3.2	8.2	9.5	8.0	16.1	3.0	11.2	9.1
21	पंजाब	1.6	8.0	8.0	6.5	-0.3	3.5	8.9	5.2
22	राजस्थान	5.5	5.5	9.0	7.2	0.1	4.6	6.5	4.5
23	सिक्किम	4.0	8.3	9.8	8.5	6.7	6.7	7.6	7.0
24	तमिलनाडु	3.4	7.4	8.5	7.7	-10.2	5.4	5.5	4.1
25	त्रिपुरा	5.0	8.0	9.7	8.2	6.0	12.5	7.9	8.6
26	उत्तर प्रदेश	3.2	5.8	9.6	7.2	3.5	2.4	7.8	5.5
27	उत्तराखण्ड	3.0	9.0	11.2	9.5	3.4	9.2	7.9	7.9
28	पश्चिम बंगाल	2.5	5.5	8.8	7.0	2.6	5.5	9.5	7.5

स्रोतः योजना आयोग की 12वीं योजना के क्षेत्रक–वार लक्ष्य और 2012–13 के आंकड़े दिनांक 01.08.2013 को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है।

अनुलग्नक–ग

2004–05 (तेंदुलकर पद्धति) के अनुसार राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		कुल	
		लोगों की उम्र का %	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों की उम्र का %	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों की उम्र का %	लोगों की संख्या (लाख)
1	आंध्र प्रदेश	32.3	180.0	23.4	55.0	29.6	235.1
2	अरूणाचल प्रदेश	33.6	3.2	23.5	0.6	31.4	3.8
3	असम	36.4	89.4	21.8	8.3	34.4	97.7
4	बिहार	55.7	451.0	43.7	42.8	54.4	493.8
5	छत्तीसगढ़	55.1	97.8	28.4	13.7	49.4	111.5
6	दिल्ली	15.6	1.1	12.9	18.3	13.0	19.3
7	गोवा	28.1	1.8	22.2	1.7	24.9	3.4
8	गुजरात	39.1	128.5	20.1	42.9	31.6	171.4
9	हरियाणा	24.8	38.8	22.4	15.9	24.1	54.6
10	हिमाचल प्रदेश	25.0	14.3	4.6	0.3	22.9	14.6
11	जम्मू व कश्मीर	14.1	11.6	10.4	2.9	13.1	14.5
12	झारखण्ड	51.6	116.2	23.8	16.0	45.3	132.1
13	कर्नाटक	37.5	134.7	25.9	51.8	33.3	186.5
14	केरल	20.2	42.2	18.4	19.8	19.6	62.0
15	मध्य प्रदेश	53.6	254.4	35.1	61.3	48.6	315.7
16	महाराष्ट्र	47.9	277.8	25.6	114.6	38.2	392.4
17	मणिपुर	39.3	6.7	34.5	2.3	37.9	9.0
18	मेघालय	14.0	2.9	24.7	1.2	16.1	4.1
19	मिजोरम	23.0	1.1	7.9	0.4	15.4	1.5
20	नागालैण्ड	10.0	1.5	4.3	0.2	8.8	1.7
21	उड़ीसा	60.8	198.8	37.6	22.8	57.2	221.6
22	पुदुच्चेरी	22.9	0.8	9.9	0.7	14.2	1.5
23	पंजाब	22.1	36.7	18.7	16.9	20.9	53.6
24	राजस्थान	35.8	166.4	29.7	43.5	34.4	209.8
25	सिक्किम	31.8	1.5	25.9	0.2	30.9	1.7
26	तमिलनाडु	37.5	134.4	19.7	59.7	29.4	194.1
27	त्रिपुरा	44.5	11.9	22.5	1.5	40.0	13.4
28	उत्तर प्रदेश	42.7	600.5	34.1	130.1	40.9	730.7
29	उत्तराखण्ड	35.1	23.1	26.2	6.6	32.7	29.7
30	पश्चिम बंगाल	38.2	227.5	24.4	60.8	34.2	288.3
31	अंडमान व निकोबार द्वीप	4.1	0.1	0.8	0.0	3.0	0.1
32	चंडीगढ़	34.7	0.2	10.1	0.9	11.6	1.1
33	दादर और नगर हवेली	63.6	1.1	17.8	0.1	49.3	1.3
34	दमन व दीव	2.6	0.0	14.4	0.1	8.8	0.2
35	लक्षद्वीप	0.4	0.0	10.5	0.0	6.4	0.0
	अखिल भारत	**42.0**	**3258.1**	**25.5**	**814.1**	**37.2**	**4072.2**

अनुलग्नक–घ

2011–12 (तेंदुलकर पद्धति) के अनुसार राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		मिला–जुला	
		लोगों का %	लोगों की संख्या (लाख में)	लोगों का %	लोगों की संख्या (लाख में)	लोगों का %	लोगों की संख्या (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	10.96	61.80	5.81	16.98	9.20	78.78
2	अरूणाचल प्रदेश	38.93	4.25	20.33	0.66	34.67	4.91
3	असम	33.89	92.06	20.49	9.21	31.98	101.27
4	बिहार	34.06	320.40	31.23	37.75	33.74	358.15
5	छत्तीसगढ़	44.61	88.90	24.75	15.22	39.93	104.11
6	दिल्ली	12.92	0.50	9.84	16.46	9.91	16.96
7	गोवा	6.81	0.37	4.09	0.38	5.09	0.75
8	गुजरात	21.54	75.35	10.14	26.88	16.63	102.23
9	हरियाणा	11.64	19.42	10.28	9.41	11.16	28.83
10	हिमाचल प्रदेश	8.48	5.29	4.33	0.30	8.06	5.59
11	जम्मू व कश्मीर	11.54	10.73	7.20	2.53	10.35	13.27
12	झारखण्ड	40.84	104.09	24.83	20.24	36.96	124.33
13	कर्नाटक	24.53	92.80	15.25	36.96	20.91	129.76
14	केरल	9.14	15.48	4.97	8.46	7.05	23.95
15	मध्य प्रदेश	35.74	190.95	21.00	43.10	31.65	234.06
16	महाराष्ट्र	24.22	150.56	9.12	47.36	17.35	197.92
17	मणिपुर	38.80	7.45	32.59	2.78	36.89	10.22
18	मेघालय	12.53	3.04	9.26	0.57	11.87	3.61
19	मिजोरम	35.43	1.91	6.36	0.37	20.40	2.27
20	नागालैण्ड	19.93	2.76	16.48	1.00	18.88	3.76
21	उड़ीसा	35.69	126.14	17.29	12.39	32.59	138.53
22	पंजाब	7.66	13.35	9.24	9.82	8.26	23.18
23	राजस्थान	16.05	84.19	10.69	18.73	14.71	102.92
24	सिक्किम	9.85	0.45	3.66	0.06	8.19	0.51
25	तमिलनाडु	15.83	59.23	6.54	23.40	11.28	82.63
26	त्रिपुरा	16.53	4.49	7.42	0.75	14.05	5.24
27	उत्तराखण्ड	11.62	8.25	10.48	3.35	11.26	11.60
28	उत्तर प्रदेश	30.40	479.35	26.06	118.84	29.43	598.19
29	पश्चिम बंगाल	22.52	141.14	14.66	43.83	19.98	184.98
30	पुदुच्चेरी	17.06	0.69	6.30	0.55	9.69	1.24
31	अंडमान व निकोबार द्वीप	1.57	0.04	0.00	0.00	1.00	0.04
32	चंडीगढ़	1.64	0.00	22.31	2.34	21.81	2.35
33	दादर और नगर हवेली	62.59	1.15	15.38	0.28	39.31	1.43
34	दमन व दीव	0.00	0.00	12.62	0.26	9.86	0.26
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	3.44	0.02	2.77	0.02
	अखिल भारत	**25.70**	**2166.58**	**13.70**	**531.25**	**21.92**	**2697.83**

स्रोतः योजना आयोग

नोटः 01 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के आकलन के लिए प्रयोग किया गया है (2011 की जनगणना जनसंख्या बहिर्वेशित है)। 2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा को अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए प्रयोग की गई है। 3. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा को चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया गया है। 4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा को दादर और नगर हवेली के लिए प्रयोग किया गया है। 5. गोवा की गरीबी रेखा को दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है। 6. केरल की गरीबी रेखा

अध्याय–3
योजना

3.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना के लिए आबंटन (27 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथाअनुमोदित) किए गए थे। योजना में तीव्र, संधारणीय तथा और अधिक समावेशी विकास के लिए एक त्रिआयामीय नीति का प्रस्ताव किया गया है। योजना आबंटन तय करते समय, योजना आयोग ने मंत्रालयों/विभागों की अग्रणी स्कीमों सहित चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों की दृष्टि से उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन किया था। अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार करने, संसाधनों को इकट्ठा करने, आर्थिक विकास में वृद्धि करने और पर्याप्त तथा समय पर रोजगार की व्यवस्था करने, भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्तम उच्च शिक्षा और सशक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिवेश सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था। योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं पर बल दिया गया ताकि विकास के लाभ समानरूप से आम जनता को और समाज के गरीब वर्गों को मिल सकें।

वार्षिक योजना 2013–14 की पृष्ठभूमि

3.2 योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को 2013–14 के लिए वार्षिक योजना निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, तैयार करने की सलाह दी गई थी:

i) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बारहवीं पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना (2013–14) के लिए स्कीमों/परियोजनाओं पर फिर से विचार करना ताकि उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक विवेकपूर्ण ढंग से और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए सुचारू ढंग से उपयोग हो सके।

ii) विद्यमान सीएसएस स्कीमों की बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकताओं के अनुसार पुनर्संरचना करना।

iii) धनराशि का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता सुधारने के लिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देख–रेख, प्राथमिक शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने, सड़कों, रेल–सड़कों, बन्दरगाहों और हवाई अड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाएं प्रदान करने और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता में सुधार करने के लिए, सार्वजनिक धनराशि का लाभ उठाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

iv) धनराशि की आवश्यकता और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए सभी स्कीमों के संबंध में ''शून्य आधारित बजट पद्धति (जेडबीबी)'' अपनाने पर बल देना। इससे, वित्तीय आबंटन की बजाए वांछित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल देने में मदद मिलती है।

v) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में बदलने पर बल दिया जाना चाहिए। मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे योजना कार्यक्रमों स्कीमों के मध्यवर्ती आउटपुट/आउटकम के लक्ष्य तय करने तथा मात्रात्मक सुपुर्दगियों के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन परिणाम बजट दस्तावेजों के अनुसार करने की जरूरत है।

vi) योजना प्रक्रिया और कार्यकलापों के बीच बजटीय संसाधनों के आबंटन की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने–अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में प्रस्तावित बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजना (ईएपी) को सम्मिलित करना।

vii) बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए उद्दिष्ट करना (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)। लैंगिक बजट पद्धति और अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए विशेष बल दिए जाने की जरूरत है। एससीएसपी और टीएसपी के अन्तर्गत निधियां उद्दिष्ट करने के संबंध में योजना आयोग के संशोधित दिशानिदेशों का पालन करने के अलावा, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रत्येक वर्ष अलग–अलग एससीएसपी और टीएसपी के अन्तर्गत स्कीम/कार्यक्रम–वार आबंटन विनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

वार्षिक योजना 2013–14 के बजटीय आबंटन की विशेषताएं

3.3 बजट 2013–14 में केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 1665297.32 करोड़ रुपए या जीडीपी का 14.6 प्रतिशत निश्चित किया गया है। योजना व्यय के अन्तर्गत, केन्द्रीय योजना पर सरकार का राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय, और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। योजना व्यय, कुल व्यय का लगभग 33 प्रतिशत अथवा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 के लिए योजना व्यय 555322.00 करोड़ रुपए था।वर्ष 2013–14 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 136254.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता योजना व्यय का 25 प्रतिशत और अथवा जीडीपी का 1.2 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय योजना परिव्यय

3.4 केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता और साथ ही सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईईबीआर) केन्द्रीय योजना परिव्यय है। सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय योजना परिव्यय का लगभग 62% थी। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल योजना परिव्यय, 4,19,068.00 करोड़ रुपए की जीबीएस और 2,61,055.39 करोड़ रुपए के आईईबीआर घटक को मिलाकर 6,80,123.39 करोड़ रुपए रखा गया था। 2013–14 के लिए कुल योजना परिव्यय 2012–13 में योजना परिव्यय से 4.39 प्रतिशत अधिक था। वार्षिक योजना 2012–13 में किए गए आवंटनों की तुलना में वार्षिक योजना 2013–14 में जीबीएस और आईईबीआर में क्रमशः 7.17 प्रतिशत और 0. 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में वार्षिक योजना 2012–13 में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, वार्षिक योजना 2012–13 में 651509.25 करोड़ रुपए में 28614.14 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई जो वार्षिक योजना 2013–14 में 680123.39 करोड़ रुपए हो गया।

विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय

3.5 विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय से पता चलता है कि योजना प्राथमिकताएं वर्षों के दौरान सतत बनी हुई हैं। सामाजिक सेवाएं, ऊर्जा और परिवहन मिलकर 2013–14 में कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का मोटे तौर पर 73 प्रतिशत रहा और यह 2012–13 में 72 प्रतिशत था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का 23.77 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रक के लिए, 28.99 प्रतिशत समाज सेवाओं के लिए और 19.24 प्रतिशत परिवहन के लिए आबंटित किया गया। 2013–14 के दौरान ऊर्जा, समाज सेवाओं और परिवहन क्षेत्रकों के लिए योजना आवंटन क्रमशः 23.3, 30.4 और 19.6 प्रतिशत था। यद्यपि समाज सेवाओं, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, सामान्य आर्थिक सेवाओं, कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, विज्ञान प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण, सिंचाई और बाढ नियंत्रण और सामान्य सेवाओं के हिस्से में मामूली वृद्धि दर्ज की गई तथापि ग्रामीण उद्योग और खनिजों और संचार के हिस्से में

मामूली सी कमी आई (कृपया तालिका 2 देखें)। विकास शीर्षों का संक्षिप्त विश्लेषण अनुवर्ती खण्डों में दिया गया है।

कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप

3.5.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों से जीडीपी में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। यह लक्ष्य, ''समावेशिता'' का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारी लगभग आधी आबादी अपनी आजीविकाओं के लिए या तो पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से कृषि और सम्बद्ध जैसे कार्यकलापों फसल खेती, बागवानी, पशुपालन अथवा मात्स्यिकी पर निर्भर है। इस प्रकार समावेशी विकास का उद्देश्य केवल इस क्षेत्रक में आमूल रूप से परिवर्तन करके और वर्तमान कृषि परिदृश्य को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, 2013–14 के दौरान कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 18,781.28 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जो कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का 2.8 प्रतिशत था जो 2012–13 ब.अ. की तुलना में 1088.91 करोड़ रुपए अधिक (6.15 प्रतिशत) है। सभी उप क्षेत्रकों के लिए, सहकारिता को छोड़कर 2012–13 के दौरान की तुलना में 2013–14 के दौरान उच्च आबंटन की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास

3.5.2 ग्रामीण विकास क्षेत्रक के लिए परिव्यय में 2012–13 और 2013–14 के बीच 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 40,763.45 करोड़ रुपए था जो 2013–14 के दौरान बढ़कर 42,772.55 करोड़ रुपए हो गया।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

3.5.3 वार्षिक योजना 2013–14 में सिचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक के लिए वर्ष 2012–13 में आबंटित 1,275.00 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2013–14 में 1,200.00 करोड़ रूपए आबंटित किए गए। इस प्रकार योजना परिव्यय में मामूली कमी हुई। बड़ी और मझौली सिंचाई क्षेत्रक के लिए परिव्यय 2012–13 में 745.20 करोड़ रुपए से घटकर 2013–14 में 639.55 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार से छोटी सिंचाई क्षेत्रक परिव्यय वर्ष 2012–13 में 336.80 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2013–14 में 272.00 करोड़ रूपये और बाढ़ तथा नाली व्यवस्था नियंत्रण क्षेत्रक के लिए परिव्यय वर्ष 2012–13 में 193.00 करोड. रुपए से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 288.45 करोड़ रूपये हो गया।

ऊर्जा

3.5.4 ऊर्जा क्षेत्रक के लिए कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो 2012–13 के दौरान 1,54,841.94 करोड़ रुपए से 2013–14 में 1,58,286.92 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 2012–13 में 69,507.53 करोड़ रुपए था जो जीबीएस में वृद्धि के बावजूद 2013–14 में कम होकर 68,883.22 करोड़ रुपए हो गया। पेट्रोलियम के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2012–13 में 72,596.88 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 74,498.80 करोड़ रुपए हो गया। 2013–14 के दौरान कोयला और लिगनाइट तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आबंटन क्रमशः 9,492.00 करोड़ रुपए और 5,412.90 करोड़ रुपए किया गया।

उद्योग और खनिज

3.5.5 तेरह क्षेत्रकों को इकट्ठाकर उद्योग और खनिज क्षेत्रक बनाया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान इन क्षेत्रकों के लिए कुल योजना परिव्यय 48,009.82 करोड़ रुपए था जबकि 2012–13 के दौरान 57,226.76 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया था जो स्थूल रूप से 16 प्रतिशत की कमी का द्योतक है। उद्योग और खनिज के लिए कमी मुख्यतः ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक और पेट्रो–रसायन उद्योगों के योजना परिव्यय में 35 प्रतिशत की कमी के कारण हैं क्योंकि इन क्षेत्रकों के परिव्ययों में वर्ष 2012–13 में 6,147.51 करोड़ से वर्ष 2013–14 में 3996.20 करोड़ और वर्ष 2012 के

8,590.50 करोड़ रूपये से घटाकर वर्ष 2013–14 में 5536.83 करोड़ रूपये कर दी गई। लौह एवं इस्पात उद्योग, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, उर्वरक उद्योग और परमाणु ऊर्जा उद्योग आदि में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

परिवहन

3.5.6 उच्च आर्थिक विकास के लिए परिवहन अवस्थापना की गुणवत्ता में सुधार एक अनिवार्य पूर्वावेक्षा है। अपर्याप्त और अकुशल परिवहन क्षेत्रक के कारण उच्च कारोबारी लागतों से अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी पूरी विकास क्षमता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है चाहे अन्य मोर्चो पर कितनी ही प्रगति हो। इसलिए परिवहन क्षेत्रक के लिए परिव्यय को 2012–13 में 1,25,357.06 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013–14 में 1,33,488.05 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः सड़कों और पुलों के लिए अधिक आबंटन के कारण थी। रेलवे के लिए परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। ये सभी मिलकर परिवहन क्षेत्रक के लिए योजना परिव्यय का लगभग 88 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में पोत परिवहन के लिए परिव्यय में 9.8 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गई और वर्ष 2013–14 में नागर विमानन क्षेत्रक के लिए परिव्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

संचार

3.5.7 संचार क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 2012–13 से 2013–14 में 19.67 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। इस क्षेत्र में मुख्य कमी दूरसंचार सेवाओं में 2012–13 में परिव्यय 10,391.39 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2013–14 में 6379.83 करोड़ रूपये रहने अर्थात 39 प्रतिशत की गिरावट हुई।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

3.5.8 वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए एक गुणक के रूप में कार्य करता है तथा भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से सम्बद्ध पांच क्षेत्रकों के लिए वार्षिक योजना 2013–14 में 17,586.79 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो वार्षिक योजना 2012–13 की तुलना में 995.14 करोड़ रुपए अधिक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यारण से संबंधित पांच क्षेत्रकों में से दो क्षेत्रकों यथा समुद्रीय अनुसंधान और पारिस्थिति की और पर्यावरण में 2012–13 और 2013–14 के बीच उनके आवंटन में प्रतिकूल आबंटन देखा गया।

सामान्य आर्थिक सेवाएं

3.5.9 सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में 2012–13 में 24,777.28 करोड़ रुपए से 2013–14 में 31,602.43 करोड़ रुपए की 28 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस क्षेत्रक के अंदर अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के घटक में अधिकतम वृद्धि देखी गई। एकमात्र उप–क्षेत्रक जिसमें कुल योजना परिव्यय में कमी देखी गई, वह धातुकर्म था। पर्यटन और विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्रक के लिए क्रमशः 1,168.66 करोड़ रुपए और 1,515.99 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई।

समाजिक सेवाएं

3.5.10 स्वास्थ्य, शिक्षा और जल व स्वच्छता सामाजिक क्षेत्रक योजना के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इन सेवाओं में सरकारी व्ययमान व पूंजी निर्माण और देश के संधारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस खंड में वार्षिक योजना 2013–14 के दौरान कुछेक प्रमुख सामाजिक सेवाओं के योजना आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। शिक्षा को सबसे बड़ा समता लाने वाला उपाय समझा जाता है क्योंकि यह आम जनता को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समर्थ बनाती है। इसलिए, सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए 2013–14 में 59,393.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 8.7 प्रतिशत है। वार्षिक योजना 2013–14 में खेलों और युवा

मामलों तथा कला और संस्कृति के लिए उनके आवंटन में क्रमशः 5.08 प्रतिशत और 66 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बारहवीं योजना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति प्राप्त करने की नीतियों पर पुनः बल दिया गया जिनमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक नीति और स्वास्थ्य संकेतकों में, जैसे कि मातृत्व मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, समग्र प्रजनन दर और रक्ताल्पता, (विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच) में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित होगा। तदनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए समग्र योजना आवंटन को 2012–13 में 27,404.72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013–14 में 29,444.12 करोड़ रुपए कर दिया गया। स्वच्छता बीमारी के भार को कम करने तथा कुपोषण को चौक करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपाय और कार्यनीति का एक अनिवार्य संघटक है। इसलिए, जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए वार्षिक योजना 2013–14 में कुल परिव्यय 2012–13 के 12,625.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,859.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार, आवासन क्षेत्रक के लिए आवंटन, जो 2012–13 के दौरान 22575.08 करोड़ रुपए था, 2013–14 में बढ़ाकर 27480.27 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनु. जातियों, अनु. जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों व अन्य बहिष्कृत समूहों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें समाज के शेष वर्गों के बराबर लाने के लिए अनु. जातियों, अनु. जनजातियों, अ.पि. वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2013–14 में क्रमशः 10,228.70 करोड़ रुपए और 19,497.55 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि 2012–13 में यह राशि क्रमशः 9,132.47 करोड़ रुपए और 18,191.30 करोड़ रुपए थी। देश में बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए, श्रम और रोजगार के लिए योजना आवंटन 2012–13 में 2216.73 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013–14 में 2264.40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शहरी विकास के लिए वार्षिक योजना 2013–14 परिव्यय 10,463.59 करोड़ रुपए था।

सामान्य सेवाएं

3.5.11 सामान्य सेवाओं के लिए परिव्यय 2013–14 में 9,306.71 करोड़ रुपए रखा गया था जिसमें न्याय के प्रशासन के लिए 993.00 करोड़ रुपए, सामान्य सचिवालयी सेवाओं के लिए 43.71 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए 7,904.86 करोड़ रू., आपूर्ति एवं निपटान के लिए 25.00 करोड़ रुपए, लोक निर्माण कार्यों के लिए 150.00 करोड़ रुपए और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 190.14 करोड़ रुपए सम्मिलित है।

प्रमुख कार्यक्रम

3.6 प्रमुख अग्रणी कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष के बजट आबंटन से पता चलता है कि 17 बड़े विकास कार्यक्रमों में से दस कार्यक्रमों में वृद्धि देखी गई, सात कार्यक्रमों में उनके पिछले वर्ष के बजट आबंटनों की तुलना में कमी देखी गई।

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना

3.7 अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना पर योजना आयोग के कार्यदल ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक मंत्रणा की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में योजना आबंटन नियत करने की मंत्रालय/विभाग वार सिफारिश की। अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अधीन योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित निधियों से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ अवगत कराया गया कि वे प्रत्येक वर्ष अलग–अलग अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अधीन योजना/कार्यक्रमवार नियत आवंटन प्रस्तुत करें। वार्षिक योजना 2013–14 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के लिए क्रमशः 37,113.03 करोड़ रूपये और 21,710.11 करोड़ रूपये नियत किए गए थे। वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए आबंटन वार्षिक योजना 2013–14 के कुल सकल बजटीय सहायता का 9.92 प्रतिशत था। इसी

प्रकार वार्षिक योजना 2013–14 की कुल सकल बजटीय सहायता का 5.5 प्रतिशत जनजाति उपयोजना के लिए नियत किया गया।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3.8 राज्यों की वार्षिक योजनाओं और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र से राज्यों को हस्तान्तरित किए जाने वाले महत्वपूर्ण योजना अनुदान हैः सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) और स्कीम आधारित केन्द्रीय सहायता जिसे एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) के नाम से जाना जाता है। एनसीए फार्मूला आधारित है जबकि एसीए, कतिपय स्कीम, जैसेकि एआईबीपी, जेएनएनयूआरएम आदि कार्यान्वित करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा दी गई सहायता है।

वार्षिक योजना 2013–14 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते 13,6254.00 करोड़ रूपये विनिश्चित किए गए हैं।

राज्यों के लिए अग्रणी योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	कार्यक्रम					*प्रतिशत अंतर*		*2013-14 बजट अनुमान में लैगशिप कार्यक्रम के लिए कुल जीबीएस का प्रतिशत हिस्सा*
		ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13	ब.अ. 2013-14	सं.अ. 2013-14	ब.अ. *2013-14/* ब.अ. *2012-13*	सं.अ. *2013-14/* सं.अ. *2012-13*	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)	33000	29387	33000	33000	0.00	0.12	7.87
2	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	11075	9024	15184	13184	0.37	0.46	3.62
3	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	25555	23645	27258	26608	0.07	0.13	6.50
4	मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम)	11937	11500	13215	12189	0.11	0.06	3.15
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	24000	10000	21700	9700	-0.10	-0.03	5.18
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	10500	10500	11000	9700	0.05	-0.08	2.62
7	निर्मल भारत अभियान	3500	2500	4260	2300	0.22	-0.08	1.02
8	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	8382	7882	9541	9541	0.14	0.21	2.28
9	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	20542	17000	20999	18100	0.02	0.06	5.01
10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)*	12040	10524	11500	2800	-0.04	-0.73	2.74
11	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	12522	6822	14000	7191.18	0.12	0.05	3.34
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई)	9217	8400	9954	7089	0.08	-0.16	2.38
13	एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)	14250	14250	15912.2	14648	0.12	0.03	3.80
14	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	14242	7342	12962	6162	-0.09	-0.16	3.09
15	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	3195	2600	4000	2600	0.25	0.00	0.95
16	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवीई)	4900	2,492	4500	3137.65	-0.08	0.26	1.07
17	पुनःसंरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आर–एपीडीआरपी	3114	1,500	575	700	-0.82	-0.53	0.14
	कुल	**221971**	**175368**	**229560**	**178650**			

** बजट अनुमान 2013–14 में एलडब्ल्यूई जिलों हेतु एसीए के लिए उपलब्ध कराए गए 1000 करोड़ रूपये को छोडकर*

स्रोतः व्यय बजट खण्ड I एवं II 2013–14 एवं 2014–15

संलग्नक–3.1

विकास शीर्ष–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय (ब.अ.) 2012–13 और 2013–14

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	2012-13		2013-14	
		बजट अनुमान	कुल परिव्यय का %	बजट अनुमान	कुल परिव्यय का %
1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	17692.37	2.72	18781.28	2.8
2	ग्रामीण विकास	40763.45	6.26	42772.55	6.3
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1275.00	0.20	1200.00	0.2
4	ऊर्जा	154841.94	23.77	158286.92	23.3
5	उद्योग एवं खनिज	57226.76	8.78	48009.82	7.1
6	परिवहन	125357.06	19.24	133488.05	19.6
7	संचार	15411.38	2.37	12379.92	1.8
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	16591.65	2.55	17586.79	2.6
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	24777.28	3.80	31602.43	4.6
10	सामाजिक सेवाएं	188871.69	28.99	206708.92	30.4
11	सामान्य सेवाएं	8700.67	1.34	9306.71	1.4
	कुल	**651509.25**	**100**	**680123.39**	**100.00**

संलग्नक–3.2

मंत्रालय/विभाग–वार केन्द्रीय योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना (2012-13) बजट अनुमान			वार्षिक योजना (2013 - 14) अनुमोदित परिव्यय			2012-13 की तुलना में कमी	2012-13 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल		
1	कृषि और सहकारिता विभाग	10991.00	0.00	10991.00	11655.00	0.00	11655.00	664.00	6.04
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3220.00	0.00	3220.00	3415.00	0.00	3415.00	195.00	6.06
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग	1910.00	0.00	1910.00	2025.00	0.00	2025.00	115.00	6.02
4	परमाणु ऊर्जा विभाग	5600.00	6073.41	11673.41	5880.00	7999.06	13879.06	2205.65	18.89
5	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	1757.00	0.00	1757.00	1200.00	0.00	1200.00	-557.00	-31.70
6	उर्वरक विभाग	256.00	3075.29	3331.29	269.00	2770.71	3039.71	-291.58	-8.75
7	फार्मास्युटीकल्स विभाग	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00
8	नागर विमानन मंत्रालय	4500.00	2793.37	7293.37	5200.00	3665.40	8865.40	1572.03	21.55
9	कोयला मंत्रालय	450.00	9182.78	9632.78	450.00	11304.21	11754.21	2121.43	22.02
10	वाणिज्य विभाग	2100.00	0.00	2100.00	2226.00	0.00	2226.00	126.00	6.00
11	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग	1365.00	0.00	1365.00	1501.00	0.00	1501.00	136.00	9.96
12	डाक विभाग	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
13	दूरसंचार विभाग	4800.00	10431.39	15231.39	5800.00	6439.93	12239.93	-2991.46	-19.64
14	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	2362.80	5362.80	3000.00	742.59	3742.59	-1620.21	-30.21
15	उपभोक्ता मामले विभाग	241.00	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	126.00	177.86	303.86	259.00	157.72	416.72	112.86	37.14
17	कारपोरेट मामले विभाग	32.00	0.00	32.00	34.00	0.00	34.00	2.00	6.25
18	संस्कृति मंत्रालय	864.00	0.00	864.00	1435.00	0.00	1435.00	571.00	66.09
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	205.00	0.00	205.00	226.00	0.00	226.00	21.00	10.24
20	भू–विज्ञान मंत्रालय	1281.00	0.00	1281.00	1281.00	0.00	1281.00	0.00	0.00
21	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2430.00	0.00	2430.00	2430.00	0.00	2430.00	0.00	0.00
22	विदेश मंत्रालय	1500.00	0.00	1500.00	3000.00	0.00	3000.00	1500.00	100.00
23	आर्थिक कार्य विभाग	4040.00	0.00	4040.00	4040.00	0.00	4040.00	0.00	0.00
24	वित्तीय सेवाएं विभाग	16088.00	0.00	16088.00	16088.00	0.00	16088.00	0.00	0.00
25	व्यय विभाग	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	660.00	0.00	660.00	708.00	0.00	708.00	48.00	7.27

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	वार्षिक योजना (2012-13) बजट अनुमान			वार्षिक योजना (2013 - 14) अनुमोदित परिव्यय			2012-13 की तुलना में कमी	2012-13 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल		
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	27127.00	0.00	27127.00	29165.00	0.00	29165.00	2038.00	7.51
28	आयुष विभाग	990.00	0.00	990.00	1069.00	0.00	1069.00	79.00	7.98
29	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	660.00	0.00	660.00	726.00	0.00	726.00	66.00	10.00
30	एड्स नियंत्रण विभाग	1700.00	0.00	1700.00	1785.00	0.00	1785.00	85.00	5.00
31	भारी उद्योग विभाग	553.00	2081.78	2634.78	585.00	1794.08	2379.08	-255.70	-9.70
32	लोक उद्यम विभाग	13.00	0.00	13.00	10.00	0.00	10.00	-3.00	-23.08
33	गृह मंत्रालय	10500.00	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00
34	आवास और शहरी गरीबी उप शमन मंत्रालय	1155.00	12176.33	13331.33	1460.00	13369.14	14829.14	1497.81	11.24
35	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	45969.00	0.00	45969.00	49659.00	0.00	49659.00	3690.00	8.03
36	उच्च शिक्षा विभाग	15458.00	0.00	15458.00	16210.00	0.00	16210.00	752.00	4.86
37	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	905.00	400.00	1305.00	905.00	200.00	1105.00	-200.00	-15.33
38	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2470.00	0.00	2470.00	2524.00	0.00	2524.00	54.00	2.19
39	विधि और न्याय मंत्रालय	1050.00	0.00	1050.00	1103.00	0.00	1103.00	53.00	5.05
40	सूक्ष्म, लघु तथा मफौले उद्योग मंत्रालय	2835.00	341.00	3176.00	2977.00	308.00	3285.00	109.00	3.43
41	खान मंत्रालय	243.00	2699.64	2942.64	467.00	2452.12	2919.12	-23.52	-0.80
42	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	3135.00	0.00	3135.00	3511.00	0.00	3511.00	376.00	11.99
43	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1385.00	1970.00	3355.00	1521.00	2394.00	3915.00	560.00	16.69
44	पंचायती राज मंत्रालय	300.00	0.00	300.00	500.00	0.00	500.00	200.00	66.67
45	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	279.00	0.00	279.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00
46	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43.00	79684.88	79727.88	43.00	79009.17	79052.17	-675.71	-0.85
47	योजना मंत्रालय	2100.00	0.00	2100.00	8000.00	0.00	8000.00	5900.00	280.95
48	विद्युत मंत्रालय	9642.00	52782.50	62424.50	9642.00	49687.41	59329.41	-3095.09	-4.96
49	ग्रामीण विकास विभाग	73175.00	0.00	73175.00	74429.00	0.00	74429.00	1254.00	1.71
50	भू–संसाधन विभाग	3201.00	0.00	3201.00	5765.00	0.00	5765.00	2564.00	80.10
51	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14000.00	0.00	14000.00	15260.00	0.00	15260.00	1260.00	9.00
52	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2477.00	0.00	2477.00	2777.00	0.00	2777.00	300.00	12.11
53	डीएसआईआर	2013.00	0.00	2013.00	2013.00	0.00	2013.00	0.00	0.00
54	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	1485.00	0.00	1485.00	1485.00	0.00	1485.00	0.00	0.00
55	पोत परिवहन विभाग	817.00	4858.47	5675.47	852.00	6235.30	7087.30	1411.83	24.88
56	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	23000.00	10000.00	33000.00	23500.00	14000.00	37500.00	4500.00	13.64
57	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	5915.00	0.00	5915.00	6625.00	0.00	6625.00	710.00	12.00

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	वार्षिक योजना (2012-13) बजट अनुमान			वार्षिक योजना (2013 - 14) अनुमोदित परिव्यय			2012-13 की तुलना में कमी	2012-13 की तुलना में % वृद्धि
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल		
58	अशक्तता विभाग**				560.00	0.00	560.00	560.00	
59	अन्तरिक्ष मंत्रालय	5615.00	0.00	5615.00	5615.00	0.00	5615.00	0.00	0.00
60	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	631.00	0.00	631.00	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00
61	इस्पात मंत्रालय	46.00	21756.00	21802.00	46.00	19684.77	19730.77	-2071.23	-9.50
62	कपड़ा मंत्रालय	7000.00	0.00	7000.00	4631.00	0.00	4631.00	-2369.00	-33.84
63	पर्यटन मंत्रालय	1210.00	0.00	1210.00	1282.00	15.66	1297.66	87.66	7.24
64	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1573.00	0.00	1573.00	1762.00	0.00	1762.00	189.00	12.02
65	शहरी विकास मंत्रालय	6908.00	2637.20	9545.20	7456.00	2565.12	10021.12	475.92	4.99
66	जलसंसाधन मंत्रालय	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
67	महिला और बाल विकास मंत्रालय	18500.00	0.00	18500.00	20350.00	0.00	20350.00	1850.00	10.00
68	युवा मामले विभाग	1041.00*	0.00*	1041.00*	284.00	0.00	284.00		
69	खेलकूद विभाग	@	@	@	809.00	0.00	809.00	809.00	
70	रेल मंत्रालय	24000.00	34997.55	58997.55	26000.00	36261.00	62261.00	3263.45	5.53

* युवा मामले और खेलकूद विभाग के लिए परिव्यय
** नया मंत्रालय @ युवा मामले विभाग के अधीन प्रावधान शामिल है

अध्याय–4
योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में प्रमुख कार्यकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

4.1.1 योजना आयोग में कृषि प्रभाग को देश में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के विकास की नीति संबंधी रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रभाग कार्यक्रमों/स्कीमों की जांच करता है और ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियों के आबंटन की सिफारिश करता है। कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभाग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा भी करता है तथा आवश्यक होने पर मध्यावधि सुधारों की सिफारिश करता है।

4.1.2 कृषि प्रभाग ने राज्य योजनाओं की समीक्षा की क्योंकि वे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों से संबंधित थीं और राज्यों के साथ बैठकें करके कृषि और सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभागों के साथ परामर्श करके तथा सम्बद्ध विभागों के साथ वार्षिक योजना पर चर्चा करके योजना स्कीमों के निष्पादन की निगरानी की।

4.1.3 ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत विकास के लक्ष्य की तुलना में 4.1 प्रतिशत विकास दर को हासिल कर लिया गया है। बारहवीं योजना के दौरान इस क्षेत्रक में विकास का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य 259.29 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर के साथ बहुत ही प्रभावी रहा है। द्वितीय अग्रिम अनुमान 2013–14 के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन 263.20 मिलियन टन अनुमानित है। दाल का उत्पादन 19.77 मिलियन टन की मात्रा के साथ अब तक का सर्वाधिक रहने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 के दौरान बागवानी से उत्पादन भी 266 मिलियन टन के रिकार्ड के साथ अब तक का सर्वाधिक रहने का अनुमान है। 2013–14 के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) की शुरुआत करते हुए इस क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, जिससे पूरे देश में बागवानी उत्पाद के उत्पादन, फसल उपरांत प्रबंधन, संसाधन और विपणन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान होगा। भारत से निर्यात में कृषि का हिस्सा वर्ष 2011–12 में 12.81 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012–13 में 13.08 प्रतिशत हो गया।

4.1.4 कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उपकरणों, बीजों/रोपण सामग्री, मालगोदाम और शीत भंडारण तथा अन्य अवसंरचनात्मक संभार–तंत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। यह किसानों के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक और निजी निवेश की आवश्यकता को पूरा करता है। बीजों और रोपण सामग्री के विकास तथा उत्पादन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूमों की खेती, पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मत्स्यपालन, जलीय तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से संबंधित सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

4.1.5 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने बारहवीं योजना में 12,350 करोड़ रु. के आबंटन के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। उत्पादकता और उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए एक क्रमबद्ध अंतःक्षेप के कार्यान्वयन हेतु सभी खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों को शामिल करने के लिए बारहवीं योजना के

दौरान एनएफएसएम का नवीकरण किया गया है। 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन (10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दाल और 3 मिलियन टन मोटा अनाज) का लक्ष्य परिकल्पित है। उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले फसल पद्धति–आधारित पैकेज पर पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रमों के लिए समेकित ब्लॉक में समूह को समस्याग्रस्त मृदाओं के सुधार हेतु विशेषीकृत परियोजनाओं, जलभराव वाले क्षेत्रों के विकास और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करने के साथ अंतर्विष्ट किया गया है। छोटे उत्पादकों के मूल्य श्रृंखला एकीकरण तथा कृषि मशीनरी के कस्टम हायरिंग केन्द्रों के साथ दालों और बाजरा हेतु विपणन समर्थन पर विशेष ध्यान देना उपयुक्त है।

4.1.6 राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) जल सकारात्मक प्रौद्योगिकियों और एकीकृत कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी, आरकेवीवाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), कृषि विस्तार एवं प्रौद्यागिकी हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएई एण्ड टी) इत्यादि जैसी अन्य स्कीमों/मिशनों से निवेश लाभ उठाकर तथा समन्वय और अभिसरण करके लाभरहित क्षेत्रों में अच्छी पहुँच बनाकर और स्थल विशिष्ट योजना बनाकर वर्षासिंचित प्रौद्योगिकियों के प्रसार और अंगीकरण के माध्यम से एकीकृत विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रायोगिक परियोजना के रूप में चयनित ब्लॉकों में जलवायु संबंधी मापदंडों हेतु प्रेरक के रूप में और भूमि सामर्थ्य के अनुसार कार्यक्रम संबंधी अंतःक्षेपों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। कृषि समुदाय के लाभ के लिए एकल खिड़की सेवा/ज्ञान प्रदाता प्रणाली प्रदान करने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केन्द्रों इत्यादि जैसे ज्ञान साझेदारों सहित विभिन्न पणधारकों के साथ सामूहिक दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा।

4.1.7 पुनर्संरचित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अप्रैल, 2014 से प्रभावी है जो राज्यों को केन्द्र सरकार के माध्यम से 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। निधियों का उपयोग 35 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि, 35 प्रतिशत अवसंरचना और परिसंपत्तियों के सृजन, 20 प्रतिशत विशेष स्कीमों और 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधियों के घटक पर प्रतिवर्ष किया जाएगा। प्रत्येक पात्र राज्यों को आरकेवीआई निधि का आबंटन छह मापदंडों नामतः असिंचित क्षेत्र, तिलहन एवं दाल क्षेत्र, पिछले पांच वर्षों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आबंटन, पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर योजना और गैर–योजना व्यय पर करके सरकार द्वारा सुझाए गए सूत्र के अनुसार क्रमशः 15, 5, 30, 30, 10 और 10 प्रतिशत अंकों के भारांश के साथ राज्य औसत तथा संभावित पैदावार के बीच अंतर को दूर करना है।

4.1.8 राष्ट्रीय तिलहन एवं खजूर–तेल मिशन (एमएमओओपी) ने बारहवीं योजना के अंत तक (2016–17) तिलहन, खजूर–तेल और पेड़ से प्राप्त तिलहन से प्राप्त वनस्पति तेल के उत्पादन में वृद्धि होकर 7.06 मिलियन टन से 9.51 मिलियन टन होने की परिकल्पना की है। कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन में बीज और रोपण सामग्री, कृषिजन्य मशीनीकरण और पादप संगरोधन भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल द्वारा प्रमुख पुनर्संरचित केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों अर्थात कृषि विपणन, कृषि आधारित गणना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी तथा सहकारिता संबंधी एकीकृत स्कीमों को अनुमोदित किया गया है।

4.1.9 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) ने कृषि शिक्षा में सुधार करने सहित इसके अनुसंधान

और विकास को पुनः उन्मुख किया है। अनुसंधान में फसलों, बागवानी, विस्तारण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु समुत्थान प्रौद्योगिकी और पशुपालन पर ध्यान दिया जाएगा और यह व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अनुमोदित 74 केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस) स्कीमों के माध्यम से पूर्ण होगा। आईसीएआर कृषि अनुसंधान मेल–जोल मंच के प्रारंभन द्वारा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान सहायता प्रणाली शुरू की गई है जो नवप्रवर्तनकारी अनुसंधान को मजबूत करेगी और प्रोत्साहित करेगी। कृषि अनुसंधान मेल–जोल मंच (एग्री–सीआरपीएस) देश में विज्ञान के विशेष क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को विचारों, प्रतिभा, कार्य–कौशल और नेतृत्व के संबंध में प्रोत्साहित करेगा। मेल–जोल की रीति विभिन्न स्टॉक होल्डरों को विभिन्न संस्थाओं और प्रयोगशालाओं को चलाने में आपसी सहयोग करने में समर्थ बनाएगी। इन कृषि–अनु. मेल–जोल मंचों का कृषि और सहायक क्षेत्रकों के संबंध में मूल, प्रायोगिक और अनुकूली अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम अवधि लक्ष्य है। जिसका उद्देश्य अत्यावश्यक समस्याओं को हल करना है। कृषि जैव विविधता प्रबंधन, जेनोमिक्स, बीज, हाइब्रिड, जीएम फूड, जीव–पुष्टीकरण, पौधा भेदक, हाई वेल्यू कम्पाउंड/फाइतो केमिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक और वैक्सीन कृषि संरक्षण, जल प्रबंधन, नैचुरल फाइबर, हेल्थफूड, परिशुद्ध खेती, खेती का मशीनीकरण और ऊर्जा, गौण कृषि और कृषि–ऊष्मायित्र पर संकेंद्रित, समयबद्ध बहुविध अनुसंधान किए जा रहे हैं।

4.1.10 पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग पुनर्संरचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात गोजातीय प्रजनन और डेयरी संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य और रुग्ण नियंत्रण एवं राष्ट्रीय पशु मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। मछली पालन के विकास के लिए राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड (एनएफडीबी) जिसे वर्ष 2006 में मत्स्य क्षेत्रक के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरु किया गया था, को मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास संबंधी लगभग सभी स्कीमें लाने और मछली की बीमारियां के इलाज की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित अवसंरचना का सृजन करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा।

4.2 सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग

4.2.1 भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और सामाजिक विधान/प्रावधानों के तहत भारत को एक कल्याणकारी राज्य होने की पुष्टि करता है। जिसमें सामान्य और किसी भी रूप से कमजोर लोगों के समावेशी विकास का दावा किया गया है। चूंकि भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, कमजोर और दुर्बल वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की योग्यता आवास, आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी और मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता आदि की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं अतः स्वतंत्र भारत की उत्तरोत्तर सरकारों ने आमदनी, सामाजिक दशा और अवसरों की असमानता को कम करके नियोजित तथा अधिक समावेशी कल्याणकारी और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है।

4.2.2 योजना आयोग का सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग, समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम स्कीम तैयार करने के लिए समग्र रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, घुमन्तू, अर्ध–घुमन्तू और अन–अधिसूचित जनजातियों व अन्य कमजोर वर्गों, जैसे कि विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, मादक औषधियों/मादक लत के शिकार व भिखारियों के और अधिक समावेशी व शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह प्रभाग, अनुसूचित जाति

उप–योजना और जनजातीय उप–योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में भी सलाह प्रदान करता है।

क. अनुसूचित जातियों का कल्याण व सशक्तिकरण:

4.2.3 संविधान के अनुच्छेद 366(24) में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों का अर्थ ऐसी जातियां, वंश अथवा जनजातियों अथवा ऐसी जातियों, वंशों अथवा जनजातियों के अन्दर समूह अथवा भाग हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ समझा जाता है। अनुसूचित जातियों को संवैधानिक रूप से जातियों और उप–जातियों के समूह के रूप में घोषित किया गया है जो अस्पृश्यता की प्रथा से पीड़ित थे। वे 1208 जातियों और उप–जातियों से अधिक के अन्तर्गत सम्मिलित हैं जिनमें सामान्यतः पूर्व अस्पृश्य शामिल हैं।

4.2.4 भारत में 1241 मुख्य अनुसूचित जातियां है जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.3 करोड़ की जनसंख्या अनुसूचित जाति से संबंधित हैं जो कुल जनसंख्या का 16.66% है। अनु. जाति की दशकीय साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ी है जो 1961 (10.3 प्रतिशत) से बढ़कर 2011 (66.1 प्रतिशत) हो गई है। जहाँ तक मानव विकास के सूचक जैसे स्वास्थ्य, पोषाहार, शिशु मृत्युदर (आईएमआर), बाल मृत्युदर (सीएमआर), मातृ मृत्युदर (एमएमआर) का संबंध है, ये उन समूहों में सामान्य जनसंख्या की तुलना में ज्यादा पाए गए हैं। अनुसूचित जाति के पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषाहार की कमी सामान्य बच्चों से ज्यादा पाई गई।

4.2.5 आर्थिक विकास संकेतकों के संबंध में, बताया गया है कि 45.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी कृषि श्रमिकों, 14.8% किसानों और 36.1% अन्य कामगारों के रूप में नियोजित है। एनएसएसओ 2004–05 सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के बीच भूमिहीनों की प्रतिशतता 78 प्रतिशत थी जबकि गैर–अनु. जातियों अनु. जनजातियों के संबंध में 57% थी। यद्यपि अनु. जातियों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता, आम आबादी के मुकाबले, धीरे–धीरे कम हो रही है किन्तु फिर भी यह ऊँची है।

4.2.6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई कार्यनीतियों में निम्नमलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है:

- अनु. जातियों से संबंधित सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उनके विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना।
- अनु. जातियों के सदस्यों को–पुरुष और स्त्रियों दोनों–अधिकतम सम्भव सीमा तक गैर–अनु. जाति अनु. जनजाति के लोगों के साथ, सभी विकास सूचकों की दृष्टि से – शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, आवास, आय सृजन और रोजगार में बराबरी पर लाना।
- अनु. जातियों को, अन्यों के साथ समान आधार पर समाज और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना।
- समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए अनिवार्य साधन के रूप में एससीएसपी पर प्रभावी ढंग से अमल करना।

4.2.7 शिक्षा को अनु. जातियों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन समझा गया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों के रूप में जरूरी सहायता प्रदान करके, लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल सुविधाओं में वृद्धि करके और देशभर में उच्चकोटि के रिहायशी स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करके शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

4.2.8 रोजगार अवसरों के सृजन और आय सृजक कार्यकलापों को सुकर बनाने के माध्यम से अनु. जातियों के लिए समान सामाजिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण साधन है। अनु. जातियों और सफाई कर्मचारियों सिर पर मैला ढोने वालों के बीच आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत वित्तीय संस्थानों, जैसे कि राष्ट्रीय अनु. जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बारहवीं योजना के दौरान एक मजबूत संस्थागत तंत्र कायम करने का प्रस्ताव है ताकि अनु. जाति उद्यमियों शिल्पकारों को अपने उत्पादों को एक संस्थागत ढंग से बेचने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके।

4.2.9 नियोज्यता और कौशल विकास व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए आय सृजन का साधन है। सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम 1992 से चल रही है। सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार की स्कीम (एसआरएमएस) जनवरी 2007 में लागू की गई थी ताकि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को बिल्कुल समाप्त किया जा सके। ''सिर पर मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया है। सभी प्रकार के शोषण और अस्पृश्यता की प्रथा से अनु. जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रचालनरत दो महत्वपूर्ण संरक्षण विधान हैं : नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम 1989।

4.2.10 2012–13 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर, अनु. जातियों के सशक्तीकरण के लिए 2013–14 के दौरान 4663 करोड़ रुपए के बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई है। उनके सामाजिक सशक्तीकरण के लिए, विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथापि अनु. जातियों और आम आबादी के बीच गरीबी अंतर को कम करने के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ख. अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण और मुख्य धारा में लाना

4.2.11 संविधान के अनुच्छेद 366(25) में यह परिभाषित किया गया है कि अनु. जनजातियों का अर्थ उन जनजातियों अथवा ऐसी जनजातियों के बीच जनजातीय समुदायों अथवा समूहों और उनके भाग से है। अनु. जनजातियों के अंतर्गत सामान्यतः वनों और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी व अन्य जनजातीय समूह आते हैं। अनुसूचित जनजातियां ऐतिहासिक रूप से भौतिक अथवा भौगोलिक रूप से बहिष्कृत रही हैं। लगभग 700 ऐसी जनजातियों समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनु. जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनु. जनजातियों के बीच अत्यधिक पिछड़ों को विशेष रूप से कमजोर समूह (पीवीटीजी) समझा गया है जिनमें 75 ऐसी जनजातियां समुदाय सम्मिलित हैं।

4.2.12 ऐसी 705 जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में भारत में अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनजातीय आबादी 10.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.61 प्रतिशत है। उनमें से 91.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बसे हैं। देश के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रफल में जनजातीय समुदायों का वास है जो मैदानों से लेकर वनों और पर्वतीय से लेकर दुर्गम इलाकों में विभिन्न परिस्थितियों और भू–जलवायु स्थितियों में रहते हैं। अनु. जनजातियों की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात मध्य प्रदेश से (14.51%) और उसके बाद महाराष्ट्र (10.7%) और ओडीशा (9.66%) व पूर्वोत्तार राज्यों में अन्य (विशिष्ट क्षेत्रों से बताया गया है।

4.2.13 अनु. जनजातियों की दशकीय साक्षरता दर में धीरे–धीरे वृद्धि हुई है जो 1961 में 8.53% से 2011 में 59% हो गई। स्वास्थ्य और पोषाहार के संबंध में, शिशु मृत्युदर (आई.एम.आर.), बाल मृत्युदर (सी.एम.आर.) और मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) जैसे संकेतक आम आबादी के मुकाबले ऊंचे हैं। एन.एच.एफ.डब्ल्यू. सर्वेक्षण से पता चला कि मुश्किल से 18% अनु. जनजातियों के बच्चो का जन्म स्वास्थ्य सुविधा के अन्तर्गत होता है, जब कि अन्य समुदायों के बीच यह प्रतिशतता 51% है। 81.56% जनजातीय श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रकों में कार्यरत हैं। अनु. जनजातियों के बीच ग्रामीण गरीबी का स्तर अखिल भारत आधार पर 47.4 प्रतिशत (2009–10) है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच औसत से काफी अधिक है। विभिन्न विकास सूचकों से पता चलता है कि अनु. जनजातियां अन्य समुदायों से अभी भी काफी पीछे हैं।

4.2.14 अनु. जनजातियों को शेष समाज के साथ मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें शेष राष्ट्र के साथ–साथ विकास करने में सक्षम बनाने, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की साक्षरता और शैक्षिक स्थिति के संदर्भ में अनु. जनजातियों के बीच साक्षरता के निम्न स्तर से निपटने और जनजातीय और गैर–जनजातीय बच्चों के मामले में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दरों में अन्तर को पाटने के लिए शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन समझा गया है। बारहवीं योजना के दौरान बहुत सी नई पहलें करने का प्रस्ताव है।

4.2.15 अनु. जनजातियों के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से बहुत से आय और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है जो ट्राइफेड के जरिए जनजातीय उत्पादों के बाजार विकास, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता–अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को बढ़ावा दे रहा है। अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यकलापों पर निर्भर है। इसके अलावा, वन संसाधनों और गौणवन उत्पादों से जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त योगदान प्राप्त होता है।

4.2.16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर अधिनियम) और अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989, अनु. जनजातियों के साथ सभी किस्म के शोषण और अत्याचारों को रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण सामाजिक विधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996, 9 राज्यों में लागू है, यथा आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, जो जरूरत आधारित स्कीम और कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। बहुत से अन्य अग्रणी कार्यक्रम हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित नहीं हैं किन्तु वे अनु. जनजातियों को भी लाभान्वित करते हैं।

4.2.17 वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर, 2013–14 के दौरान अनु. जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए 1762.00 करोड़ रूपए के बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यद्यपि, विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया गया है, तथापि अनु. जनजातियों और आम आबादी के बीच गरीबी के अन्तर को कम करने और पाटने के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ग. अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

4.2.18 आजादी के बाद से सरकार द्वारा संवैधानिक निदेशों और बहुत से विधायी और कार्यकारी उपायों के बावजूद, आम आबादी और अनु. जाति और अनु. जनजातियों के रहन–सहन की स्थितियों के बीच बड़ा

अन्तर है। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए इन अंतरों को कम करने के प्रयास किए गए हैं और हालांकि, अभिसरण के कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, फिर भी अन्तर अस्वीकार्य रूप से अधिक है।

4.2.19 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक नई कार्यनीति नामतः 'सक्रिय आयोजना दृष्टिकोण के संबंध में कार्योत्तर लेखा' को अपनाया जाएगा ताकि अ.जा. और अ.ज.जा. को समग्र आर्थिक विकास के लाभ और अधिक समतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। इसे अनु. जाति उप–योजना और जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। योजना आयोग के एससीएसपी और टीएसपी मार्ग निर्देशों के आधार पर एससीएसपी के लिए (789) और टीएसपी के लिए (796) पृथक बजट उप–शीर्ष सृजित किए गए हैं तथा एससीएसपी और टीएसपी के लिए वास्तविक आबंटन भी 2011–12 के बाद से बढ़ा दिया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में एससीएसपी और टीएसपी के लिए एससीए प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों के लिए एससीएसपी के तहत 41,561.00 करोड़ रु. के आबंटन का प्रावधान किया गया है और इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों के लिए टीएसपी के तहत 24598.39 करोड़ रु. के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

घ. अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण

4.2.20 अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत वे जातियां और समुदाय सम्मिलित हैं जिन्हें मन्डल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों में समान रूप से पाया जाता है। मन्डल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के अन्तर्गत 3000 से अधिक समुदायों जातियों और उपजातियों को शामिल किया है। ओबीसी देश की आबादी का लगभग 52% हैं। 2004–05 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (61वां चक्र) के अन्तर्गत आंकड़े 41% हैं। सामान्यतः अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, शिल्पकार, चारागाह समुदाय व इसी प्रकार के समूह सम्मिलित हैं जिन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है।

4.2.21 अन्य पिछड़े वर्गों की समाजार्थिक और शैक्षिक स्थिति अनु. जातियों और अनु. जनजातियों से बेहतर नहीं है। अ.पि. वर्गों के 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिसके फलस्वरूप सर्वोत्कृष्ट संस्थानों में अ.पि.व. के लिए आरक्षित बहुत से स्थान, उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके और अ.पि.व. के लिए आरक्षित सार्वजनिक सेवाओं में अनेक रिक्तियां पर्याप्त शैक्षिक अर्हताओं वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी गई। अ.पि. वर्गों की स्वास्थ्य स्थिति भी समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले बेहतर नहीं है।

4.2.22 किसी समुदाय के समाजार्थिक सशक्तीकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि अ.पि.व. की शैक्षिक स्थिति मुख्य धाराओं वाले समुदायों से बेहतर नहीं है, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कतिपय स्कीमें कार्यान्वित करता है, नामतः मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अ.पि.व. के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृत्ति, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम और शैक्षिक स्थिति सुधार ने तथा अ.पि. वर्गों के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण स्कीम।

4.2.23 अ.पि. वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण में आर्थिक उन्नति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। चूंकि अ.पि. वर्गों की आर्थिक स्थिति आम आदमी के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अ.पि. वर्गों की समाजार्थिक स्थितियां सुधारने के लिए कतिपय स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि अ.पि. वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, दक्षता विकास और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से सब्सिडाइज्ड ऋण।

4.2.24 वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर, वित्त वर्ष 2013–14 में अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए 1225 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

ङ. खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अनअधिसूचित जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी) का कल्याण और विकासः

4.2.25 खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अन–अधिसूचित जन जातियों के अन्तर्गत 200 से अधिक समुदाय सम्मिलित हैं जिन्हें उपनिवेशी सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) 1871 नामक एक कुख्यात विधान के अन्तर्गत अपराधी जनजातियों के रूप में विनिर्धारित किया गया था, उसके बाद उन्हें अन–अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश जनजातियों (डीएनटी, एसएनटी और एनटी) के रूप में संदर्भित किया गया है। डीएनटी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती हैं तथा अधिकांशतः अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अ.पि. वर्गों से संबंधित हैं तथा कुछ समुदाय इन तीन श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत सम्मिलित होने पर भी वे लाभ उठाने में समर्थ नहीं होते क्योंकि या तो उनके पास जाति प्रमाणपत्र नहीं होता या आरक्षित श्रेणियों में कोटा गैर–खानाबदोश/गैर–अन–अधिसूचित समुदायों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।

4.2.26 खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और अनअधिसूचित जनजातियों को अपनी खुद की विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस समय डीएनटी के लिए कोई केन्द्रीय सरकार स्कीम/कार्यक्रम नहीं है, हालांकि अनु. जातियों, अनु. जनजातियों तथा अ.पि. वर्गों के लिए निर्धारित स्कीमों के तहत, अपनी–अपनी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले डीएनटी द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। डीएनटी को, पूर्व आपराधिक जनजातियों के रूप में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ता है तथा ऐसी बहुत सी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है जो अनु. जातियों/अनु. जनजातियों और अ.पि. वर्गों को उपलब्ध हैं।

4.2.27 डीएनटी का सशक्तीकरण और विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख प्राथमिकता वाला विषय है। बारहवीं योजना में छात्रवृत्ति स्कीमों की सुलभता, छात्रावास सुविधाएं, दक्षता विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आर्थिक सशक्तीकरण, आवास और बसापत के लिए ऋण तथा एकीकृत अवस्थापना विकास कार्यक्रम आदि का प्रस्ताव किया गया है।

च. अशक्त व्यक्तियों का सशक्तीकरण और कल्याण

4.2.28 भिन्न रूप से समर्थ व्यक्ति, जिन्हें सामान्यतया अशक्त व्यक्ति कहा जाता है, को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2(झ) और (न) में परिभाषित किया गया है। ''अशक्तता'' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो मेडिकल प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित अशक्तता के साथ कम–से–कम 40% तक पीड़ित हो, अन्धपन; निम्न दृष्टि; कुष्ठ–उपचारित; श्रवण बाधा; लोको मोटर अक्षमता; मानसिक अवरूद्धता; मानसिक बीमारी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति अशक्तता से पीड़ित हैं जो कुल आबादी का 2.13% हैं। एनएसएसओ द्वारा 2002 में एकत्रित डेटा से पता चला कि अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 1.85 करोड़ थी।

4.2.29 अशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, परिवहन और खेलों, मनोरंजन इत्यादि की सुलभता की दृष्टि से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अशक्त व्यक्तियों के हित कतिपय संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित हैं जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्त, 11वीं और 12वीं अनुसूची, इसके अलावा कुछेक संवैधानिक अधिनियम हैं जैसे कि अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, आटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक अवरूद्धता और बहु अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006।

4.2.30 बारहवीं योजना के अन्तर्गत अशक्त व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता के लिए अनेक सामाजिक, शैक्षिक और रोजगार प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है। अशक्त व्यक्तियों के समाजार्थिक सशक्तीकरण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बारहवीं योजना में अशक्त व्यक्तियों के लिए कुछ नई स्कीमों का प्रस्ताव है जैसे कि मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां; मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां; निःशुल्क कोचिंग; गम्भीर और बहु अशक्तता वाले छात्रों के लिए विशेष/रिहायशी स्कूल, उन जिलों में जहां सरकारी विशेष स्कूल नहीं हैं; विद्यमान सरकारी विशेष स्कूलों के लिए छात्रावास, जहां छात्रावास नहीं हैं तथा सरकारी विशेष स्कूलों के विद्यमान छात्रावासों में सीटों की बढ़ोतरी; ब्रेल प्रैसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता; ''उच्च श्रेणी'' शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति; राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति; देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में बधिरों के लिए कॉलेज की स्थापना और राष्ट्रीय सुलभ पुस्तकालय की स्थापना।

4.2.31 वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर वर्ष 2013–14 के दौरान अशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 560.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

छ. वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याणः

4.2.32 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत ''वरिष्ठ नागरिक'' की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष अथवा अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में विश्वभर में वरिष्ठ नागरिकों (60+) की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी है। जनगणना 2001 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों (60+) की कुल आबादी 7.7 करोड़ थी जो कुल आबादी का 7.5 प्रतिशत है।

4.2.33 वरिष्ठ नागरिकों की प्रमुख समस्याएं हैं : सुरक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख और अनुरक्षण एवं देख–रेख की जरूरत। बारहवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित प्रस्तावित स्कीमों की शुरूआत करके समाज के इन कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक समन्वित पद्धतियों में समेकन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा : i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना; ii) राज्य सरकार के माध्यम से देश के 640 जिलों में भिन्न–भिन्न क्षमता (25, 60 और 120) के एकीकृत बहु–सुविधा केन्द्र के साथ अभावग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था गृहों की स्थापना; iii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक ''हेल्पलाइन'' और जिला स्तर हेल्पलाइनों की स्थापना; iv) जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के समाजार्थिक सशक्तीककरण के लिए एक ब्यूरो की स्थापना; v) वृद्धों के लिए राष्ट्रीय न्यास की स्थापना; vi) वरिष्ठ नागरिकों के लिए ''स्मार्ट'' पहचान पत्र जारी करना; और vii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

4.2.34 वार्षिक योजना 2012–13 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण के संबंध में हासिल की गई प्रगति के मद्देनजर पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर वित्त वर्ष 2013–14 में 58.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

ज. मादक वस्तुओं/नशाखोरी/शराबखोरी के पीड़ितों का पुनर्वास

4.2.35 नारकोटिक्स औषधि और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 में ''व्यसनी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नारकोटिक्स औषधि अथवा मादक पदार्थ पर निर्भर है''।

4.2.36 नशाखोरी एक सतत, आवर्ती विकार है जिसमें बाध्यकर मादक औषधि की इच्छा और उपयोग और मस्तिष्क में तंत्रिका–रासायनिक तथा मोलेकुलर परिवर्तनों के लक्षण देखे जाते हैं। मादक औषधि उपयोगकर्ता धीरे–धीरे अपना अधिकाधिक समय और ऊर्जा मादक औषधि प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करने पर खर्च करते हैं।

4.2.37 शारीरिक और स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा नशाखोरी एक बड़ी सामाजिक समस्या है जिसमें नशे/शराब की लत वाले व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नशाखोरी से व्यसनी और उसके परिवार को भारी वित्तीय और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000–01 में अनुमान लगाया गया था कि फिलहाल भारत में लगभग 6.25 करोड़ शराबी, 87 लाख भांग उपयोगकर्ता और 20 लाख स्वापक उपयोगकर्ता हैं।

4.2.38 संविधान के अनुच्छेद 47 में जन–स्वास्थ्य के सुधार के लिए व्यवस्था है तथा सरकार नशीले पेयों और मादक औषधियों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खपत को, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, निषिद्ध करने के विषय में प्रयास करेगी। नारकोटिक्स औषधि और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 का अधिनियमन अन्य बातों के साथ–साथ, मादक औषधियों के सेवन को रोकने के लिए किया गया है। भारत नारकोटिक्स औषधि, साइकोट्रोपिक पदार्थों और नारकोटिक्स औषधियों और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध व्यापार का विरोध करने संबंधी तीन संयुक्त राष्ट्र समझौतों पर हस्ताक्षरकर्ता है। मादक औषधियों से संबंधित मुद्दों का समाधान भारत सरकार द्वारा दो–आयामीय कार्यनीति के जरिए किया जाता है, अर्थात आपूर्ति में कटौती और मांग में कमी।

4.2.39 नारकोटिक्स औषधि और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 का अधिनियमन, अन्य बातों के साथ–साथ मादक औषधि के सेवन पर रोक लगाने के लिए किया गया था। अधिनियम की धारा 71, सरकार को नशाखोरों की पहचान, उपचार आदि के लिए तथा नारकोटिक्स औषधियों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की आपूर्ति के लिए केन्द्र स्थापित करने के लिए सशक्त बनाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शराबखोरी और पदार्थ (औषधि) दुरुपयोग रोकथाम के लिए सहायता की स्कीम के अन्तर्गत नशाखोरों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करता है।

4.2.40 पदार्थ दुरुपयोग/नशाखोरी/शराबखोरी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर वार्षिक योजना 2013–14 में 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

झ. भिखारियों का पुनर्वासः

4.2.41 भीख मांगना एक बड़ी सामाजिक समस्या और मानव सम्मान के विरुद्ध है जो राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इसका समयबद्ध ढंग से प्रभावी व कुशलतापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। दान मांगने वाले धार्मिक भिखारी और धार्मिक भिक्षु विश्व के सभी धर्मों में, वंचित और कमजोर वर्गों की सेवा करने के इरादे से समाज की भलाई के लिए मौजूद हैं।

4.2.42 जनगणना 2001 के अप्रकाशित डेटा के अनुसार भिखारियों की संख्या 7.03 लाख थी जिनमें से 6.31 लाख गैर–कामगार श्रेणी में थे। भीख मांगने को रोकने के लिए दो सामान्य विधान हैं जिनमें प्रावधान हैं (i) भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000, और (ii) भारतीय रेलवे अधिनियम 1989।

4.2.43 इस समय ऐसी कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है जो भीख मांगने की समस्या से सीधे ही संबंधित हो। तथापि, वृद्ध व्यक्तियों, शारीरिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों और मादक औषधि दुरुपयोग पीड़ितों के लिए भीख मांगने के मुद्दों/समस्याओं को कवर करते हुए, कल्याण और विकास कार्यक्रम हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर समस्या का समाधान करने के लिए, भिखारियों के पुनर्वास कार्यक्रम का रात्रि आश्रय एवं कार्य उत्पादन केंद्र के साथ एकीकरण करके; बहु दक्षता प्रशिक्षण, चल स्वास्थ्य देख–रेख; परामर्श; जागरूकता सृजन; और संवेदीकरण कार्यक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और गरीबी उपशमन, महिला और बाल विकास आदि मंत्रालयों द्वारा कमजोर

वर्गों के लिए कार्यान्वित मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र स्तर पर नई स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है।

ञ. वर्ष 2013–14 के लिए परिव्ययः

4.2.44 2012–13 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति के आधार पर वर्ष 2013–14 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 6065.00 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय आबंटित किया गया था और अशक्तता मामले विभाग को 560.00 करोड़ रु. और जनजातीय कार्य मंत्रालय को 1766.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। यद्यपि उनके सामाजिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से, विशेष बल दिया गया है तथापि, आम लोगों और अनु. जातियों, अनु. जनजातियों, अ.पि. वर्गों, डीएनटी व अन्य कमजोर वर्गों के बीच गरीबी अन्तर को घटाने और पाटने के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि सामाजिक रूप से वंचित इन समूहों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।

ट. केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना 2013–14 पर चर्चा

4.2.45 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना, 2013–14 प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए सलाहकार (एसजेई) की अध्यक्षता में कार्यदल बैठकें/चर्चाएं आयोजित की गई जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा कार्यदलों ने वित्तीय आवश्यकताओं का भी आकलन किया और क्षेत्रकों के लिए संसाधनों के आबंटन की सिफारिश की।

ठ. नोडल मंत्रालयों के साथ विचार–विनिमयः

4.2.46 प्रभाग ने, ईएफसी/एसएफसी बैठकों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अशक्तता मामले विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया। इसके अलावा, प्रभाग ने विभिन्न स्कीमों, नीतियों आदि के निर्माण, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के संबंध में विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

ड. नई स्कीमें प्रारंभ करनाः

4.2.47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अशक्त और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए नई स्कीमों को लागू किया जा रहा है जैसे कि राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां, राजीव गांधी अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां और योग्यता उन्नयन तथा उच्च श्रेणी शिक्षा आदि।

4.3 भारत निर्माणः

पृष्ठभूमि

4.3.1 ग्रामीण भारत में अपार विकास क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ''भारत निर्माण'' नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ में चार वर्षों अर्थात 2005–2009 अवधि के लिए 2005 में शुरू किया था। कार्यक्रम को, ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी से, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई, सड़कों, आवास ,जलापूर्ति, दूर संचार संयोजकता और विद्युतीकरण के क्षेत्रों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट लक्ष्य और ध्येय निश्चित किए गए थे। भारत निर्माण के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में तात्कालिकता बरतने और कार्यक्रमों को समयबद्ध, पारदर्शी और साथ ही जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम का चरण–I

2005–06 से 2008–09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था तथा परिणाम के आधार पर चरण–II को वर्ष 2009–10 में कार्यान्वित किया गया था।

4.3.2 प्रत्येक घटक के अन्तर्गत चरण–वार वास्तविक लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किए गए हैं:

घटक	लक्ष्य	
	चरण I	**चरण II**
सिंचाई	दस मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना।	शेष बचे 3.5 मिलियन हेक्टेयर को 2012 तक आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा।
सड़कें	एक हजार और उससे अधिक की आबादी वाली (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500) प्रत्येक बस्ती के लिए बारह मासी सड़कों की व्यवस्था करना या शेष बची 66,802 बस्तियों को कवर किया जाएगा।	लगभग 1000 अथवा पर्वतीय अथवा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी वाले शेष 23000 गांवों के लिए सड़क संपर्कों की व्यवस्था करना।
बिजली	शेष बचे 1,25,000 गांवों और 23 मिलियन परिवारों के लिए बिजली की व्यवस्था करना।	लगभग 40,000 शेष गांवों के लिए बिजली की व्यवस्था करना तथा लगभग 1.75 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन की व्यवस्था करना।
आवास	0.6 करोड़ मकानों का निर्माण करना	प्रत्येक वर्ष 24 लाख मकानों के हिसाब से अतिरिक्त 1.2 करोड़ मकानों की व्यवस्था करना जिनका निर्माण पंचायतों के माध्यम से बेघरों को आवंटित निधियों के जरिए किया जाएगा।
पेय जल	कवर न हुई 55,067 बस्तियों के लिए 2009 तक पेयजल की व्यवस्था करना। सभी बस्तियों को, जहां स्रोत असफल हो गए हैं और पानी की गुणवत्ता की समस्या है, कवर किया जाएगा।	लगभग 55 हजार कवर न हुई बस्तियों को कवर करना तथा घटिया जल गुणवत्ता से प्रभावित लगभग 2.17 लाख गांवों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना।
टेलीफोन संयोजकता	शेष बचे 66,822 गांवों को 2007 तक टेलीफोन से जोड़ना।	ग्रामीण टेली–घनत्व को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना और सभी 2.5 लाख पंचायतों के लिए ब्राड बैण्ड संयोजकता और भारत निर्माण सेवा केन्द्रों की व्यवस्था करना।

भारत निर्माण का संघटकवार ब्यौरा

4.3.3 पेयजल

4.3.3.1 भारत निर्माण के अन्तर्गत 2012 तक सभी कवर न हुई बस्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। कवर न हुई, सुविधा से पुनः वंचित और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना ''भारत निर्माण'' का एक घटक है। इसलिए ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत 55,067 कवर न हुई बस्तियों, 2.8 लाख सुविधा से पुनः वंचित बस्तियों और लगभग 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने की परिकल्पना की गई थी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्य सरकारों की भागीदारी से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। ''भारत निर्माण'' अवधि के दौरान कवर की जाने वाली कवर न हुई 55,067 बस्तियों के मुकाबले चरण–I के दौरान 54,440 बस्तियों को कवर किया गया। ''भारत निर्माण'' चरण–II के अन्तर्गत एनआरडीडब्ल्यूपी की कार्यान्वयन स्थिति से पता चलता है कि भारत निर्माण के अन्तर्गत परिकल्पित सभी कवर न हुई बस्तियों को कवर कर लिया गया है।

4.3.3.2 जहां तक जल की गुणवत्ता का संबंध है, 3,10,698 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का समाधान स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत किया गया, इनमें से 50,168 बस्तियों को चरण–I के दौरान सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए पूरी हो चुकी परियोजनाओं के साथ पूरी तरह से कवर किया गया है। ''भारत निर्माण'' चरण–I और II के दौरान गुणवत्ता प्रभावित 1,31,526 बस्तियों को कवर किया गया है। मार्च, 2014 तक 1,63,972 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की गई है। सुविधा से पुनः वंचित 3,31,604 बस्तियों के लक्ष्य की तुलना में चरण I के दौरान सुविधा से पुनः वंचित 3,58,362 बस्तियों को कवर किया गया। ''भारत निर्माण'' के चरण–II (2009–10 से 2011–12) के दौरान कवर नहीं की गईं 627 लक्षित बस्तियों को 01.03.2011 तक कवर किया गया।

4.3.4 सिंचाई

4.3.4.1 सिंचाई ''भारत निर्माण'' के छह घटकों में से एक है। राज्य सरकारों के सहयोग से जल संसाधन मंत्रालय बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से और पूरक भूजल विकास के साथ वर्ष 2009 तक 10 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए उत्तरदायी है।

4.3.4.2 सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच विशाल अन्तर है। ''भारत निर्माण'' के अन्तर्गत, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ–साथ, स्कीमों के विस्तार, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को बहाल और उपयोग करने की योजना है। देश में अप्रयुक्त भूमिगत जल संसाधनों वाले काफी क्षेत्र हैं। भूमिगत जल विकास के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करने की योजना है। दस लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए शेष लक्ष्य, सतही प्रवाह का उपयोग करके लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए सृजित करने की योजना है। जल स्थलों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली के जरिए और लघु सिंचाई स्कीमों के विस्तार, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के जरिए भी दस लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की योजना है।

4.3.4.3 चरण–I के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 7.32 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया और मार्च, 2014 तक बीएनपी के तहत 13.46 मिलियन हेक्टेयर की संचयी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।

4.3.5 सड़क

सड़क संयोजकता, ''भारत निर्माण'' का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य, उन सभी गांवों, जहां 1000 की आबादी है (अथवा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र में 500) को 2012 तक बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ना है। आशा है कि इससे उत्पादन को बाजार और सेवाओं के साथ जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव सृजित होंगे। निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस कार्य को, जिसे 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा था, आशोधित किया गया। कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नामक सीएसएस के अन्तर्गत किया जाता है और यह केन्द्र द्वारा राज्यों को 100% वित्तपोषण की योजना है। 1,78,184 पात्र बस्तियों में से, 1,32,499 बस्तियों को मंजूरी दी गई और भारत निर्माण के पीएमजीएसवाई घटक के तहत 93,201 बस्तियों को सड़क संयोजकता प्रदान की गई। नई संयोजकता के तहत, कुल 3,67,673 कि.मी. की अपेक्षित सड़क लम्बाई में से 3,27,917 कि.मी. सड़क लम्बाई के लिए मंजूरी दी गई है और जून, 2013 तक 2,34,403 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण किया गया। 63,940 बस्तियों के लक्ष्य की तुलना में मार्च, 2014 तक 51,253 बस्तियों को कवर किया गया। नई संयोजकता के अंतर्गत, मार्च, 2014 तक 1,72,916 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण किया गया।

4.3.6 बिजली

4.3.6.1 विद्युत मंत्रालय ने, एक लाख से अधिक अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने और 2.34

करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अपने एक अग्रणी कार्यक्रम के रूप में मार्च 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को ''भारत निर्माण'' के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिजली वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत एक ब्लाक में कम से कम एक 33/11 केवी सब–स्टेशन के साथ, एक गांव अथवा बस्ती में कम से कम एक वितरण ट्रांसफोर्मर के साथ ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) और जहां ग्रिड आपूर्ति सम्भव नहीं है वहां उत्पादन के साथ स्टेण्डअलोन ग्रिड के साथ ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन (आरईडीबी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

4.3.6.2 पूँजीगत खर्च के लिए 90% तक की सब्सिडी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी है। गरीबी रेखा से नीचे अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का वित्त पोषण सभी ग्रामीण बस्तियों में 2200/- रुपए प्रति कनेक्शन की दर से 100% पूँजी सब्सिडी के साथ किया जा रहा है।

4.3.6.3 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नोडल एजेन्सी है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में राज्यों की सहायता करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रेन्चाइची के माध्यम से किया जाता है।

4.3.6.4 आरजीजीवीवाई के तहत, आरजीजीवीवाई की 648 परियोजनाएं (10वीं योजना के दौरान 235 परियोजनाएं, 11वीं योजना के दौरान 341 परियोजनाएं और चरण–II के दौरान 72 परियोजनाएं) स्वीकृत की गईं जिनके अंतर्गत 1,12,219 अविद्युतीकृत गांवों (यूईवी) को विद्युतीकृत करना और देश में 2.76 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी करना शामिल है। भारत निर्माण के तहत, 31 मार्च, 2012 तक 1.0 लाख अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने और 1.75 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार, 1,00,100 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्य पूरा कर लिया गया था और इस स्कीम के तहत लगभग 1.76 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया करवा दिए गए थे। इस प्रकार, भारत निर्माण के तहत लक्ष्य को नवम्बर, 2011 में हासिल कर लिया गया था। संचयी रूप से, 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार 1,07,782 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्य पूरा कर लिया गया था और इस स्कीम के तहत लगभग 2.13 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन मुहैया करवा दिए गए हैं। इस स्कीम को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है और 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार, 39 अतिरिक्त परियोजनाएं (मध्य प्रदेश–5, उत्तर प्रदेश–6 और राजस्थान–28) स्वीकृत की गईं थी जिनमें 93 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना और 8,59,082 बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी करना शामिल था।

4.3.7 आवासन

4.3.7.1 ग्रामीण आवासन, भारत निर्माण पैकेज के छः घटकों में से एक घटक है। ग्रामीण आवासन कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत लागत 75:25 आधार पर केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वित्तीय संसाधनों के आबंटन के लिए अपनाए गए मापदंड के अंतर्गत आश्रय विहीनों के अधिक भार वाले राज्यों को अधिक बल दिया जाता है। 75 प्रतिशत भारांश आवासन की कमी के लिए और 25 प्रतिशत राज्य–स्तर आबंटनों के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात के लिए प्रदान किया जाता है। जिला स्तर आबंटनों के लिए 75 प्रतिशत भारांश आवासन की कमी के लिए और 25 प्रतिशत आबादी के अनु. जाति/अनु. जनजाति घटक के लिए

प्रदान किया जाता है। सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 25,000/- रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 27,500/- रुपए की सीमा तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निधिया डीआरडीए को दो किस्तों में जारी की जाती हैं।

4.3.7.2 साठ लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध आवासन के घटक के अंतर्गत ''भारत निर्माण'' के चरण–I के दौरान 71.76 लाख मकान निर्मित किए गए। भारत निर्माण के चरण–II के तहत, वर्ष 2009–10 से शुरु करते हुए पांच वर्ष की अवधि के लिए 120 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है। भारत निर्माण कार्यक्रम के चरण–II की अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान मार्च, 2014 तक लगभग 118.50 लाख मकानों का निर्माण किया गया था।

4.3.8 ग्रामीण टेलीफोन संयोजकता

4.3.8.1 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी कवर न हुए शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन संयोजकता प्रदान करने की है। यूनिवर्सल सर्विसिज आब्लिगेशन के कार्यान्वयन के लिए संसाधन ''यूनिवर्सल सर्विस लेवी'' के माध्यम से जुटाए जाते हैं जो इस समय सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत पर निश्चित है, विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, जैसे कि इन्टरनेट, वायस मेल, ई–मेल सेवा प्रदाता। नियमों में निधि के लिए ऋण और अनुदान देने के लिए भी केन्द्रीय सरकार के लिए प्रावधान किया गया है। निधि में जमा शेष वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होता।

4.3.8.2 भारत निर्माण कार्यक्रम चरण–I के ग्रामीण टेलीफोनी घटक के तहत, जनगणना 1991 के अनुसार 100 से अधिक आबादी वाले चिह्नित किए गए 66,822 गांवों में से 62,302 गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की व्यवस्था करने का कार्य आरंभ किया गया था (अगम्य, उग्रवाद–प्रवण क्षेत्रों और गहन वनों में अवस्थित गांवों को छोड़कर)। इसकी तुलना में, 31.08.2012 को रोल आउट अवधि के समाप्त होने तक इस स्कीम के तहत 62101 वीपीटी की व्यवस्था कर दी गई है। ''भारत निर्माण'' कार्यक्रम चरण–II के ग्रामीण टेलिफोनी घटक के अंतर्गत वर्ष 2014 तक कम–से–कम 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली–घनत्व के लक्ष्य को हासिल करने और वर्ष 2012 तक देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए ब्राड बैण्ड कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई थी। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार देश की 1,57,895 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैण्ड संयोजकता के तहत लाया गया और 43.96 प्रतिशत ग्रामीण टेलीघनत्व हासिल किया गया।

4.4 संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना (सीआईटीएंडआई) प्रभाग

4.4.1 संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रभाग दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, डाक और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2013 मार्च, 2014) इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलापों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों और नए कार्यक्रमों की जांच, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के अलावा योजना आयोग की वेबसाइट के अनुरक्षण और सूचना द्वार के प्रबंधन का कार्य सम्मिलित है। इस क्षेत्रक के सिंहावलोकन के साथ–साथ वर्ष 2013–14 के दौरान आरंभ किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

I. दूरसंचार

4.4.2 दूरसंचार क्षेत्रक, आर्थिक और सामाजिक विकास के एक प्रमुख प्रणेता के रूप में उभरा है। 31 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 922.04 मिलियन मोबाइल कनेक्शनों में से 370.08 मिलियन के ग्रामीण अभिदाता आधार के साथ, मोबाइल फोन अब बाजार जानकारी, कृषि–आधारित सूचना, वित्तीय सेवाएं और मनोरंजन जैसी विविध सेवाओं के लिए आम आदमी के उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। इसी अवधि में 145.39 प्रतिशत शहरी टेली–घनत्व और 43.13 प्रतिशत

ग्रामीण टेली–घनत्व के साथ समग्र टेली घनत्व 74.50 प्रतिशत हो गया है। नवम्बर, 2004 से कार्यान्वयनाधीन भारत निर्माण चरण–I फ्लैगशिप स्कीम के तहत ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की व्यवस्था करने हेतु लक्षित 62,302 गांवों में से 62,101 गांवों को जोड़ दिया गया है। इस फ्लैगशिप स्कीम के चरण–II को, वर्ष 2014 तक कम–से–कम 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली–घनत्व को हासिल करने और वर्ष 2012 तक देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए ब्राडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरंभ किया गया था। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, 1,57,733 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड संयोजकता प्रदान कर दी गई थी। प्रत्येक पंचायत को जोड़ने वाले राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना का कार्य यूएसओएफ निधि के माध्यम से शुरु किया गया है जिससे ब्राडबैंड संयोजकता में काफी वृद्धि होगी। 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी): 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा गठित आईएमसी में योजना आयोग के सीआईटीएंडआई प्रभाग के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति द्वारा क्रमिक रूप से बैठकें की गईं और समिति ने 900 और 1800 एमएचजैड बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को सफलतापूर्वक निष्पादित किया।

वर्ष 2013–14 के दौरान दूरसंचार क्षेत्रक से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की प्रभाग में जांच की गई:

- वर्ष 2014–15 के लिए दूरसंचार विभाग के वार्षिक योजना प्रस्ताव।
- वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से ग्रस्त क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था।
- ट्राई अधिनियम, 1997 का संशोधन।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की संपर्कता को सुधारने के लिए समुद्र–तल केबल की स्थापना करना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन और 2जी–जीएसएम/सीडीएमए बैंड में स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित सभी मामले दूरसंचार आयोग, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरूद्धार के लिए जीओएम के विचारार्थ प्रस्ताव।

II. डाक क्षेत्रक

4.4.3 डाक विभाग, पिछले 150 वर्षों से भारत के संचार का पृष्ठाधार और देश के समाजार्थिक विकास का आधार है। विभाग का प्रमुख कार्यकलाप, डाक की प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन और सुपुर्दगी है। विभाग ने गति, सुगमता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के समावेश के माध्यम से डाक नेटवर्क का आधुनिकीकरण आरंभ किया है। डाकघर बचत बैंक देश के सभी लोगों को विभिन्न स्कीमों में अपनी बचत जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी पहुंच और सेवा प्रदायगी की, देश में किसी अन्य बैंकिंग एजेंसी द्वारा बराबरी नहीं की जा सकती है। हाल ही में, विभाग ने एटीएम प्रणाली लागू की है जिससे बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

4.4.4 वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान को सुसाध्य बनाने के लिए योजना आयोग ने मनरेगा भुगतान प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए इन क्षेत्रों में डाक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का मामला डाक विभाग के साथ उठाया है।

4.4.5 वर्ष 2013–14 के दौरान डाक विभाग (डीओपी) से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं स्कीमों नीतिगत मुद्दों की प्रभाग में जांच की गई:

- डाक विभाग के वार्षिक योजना 2014–15 प्रस्ताव।
- स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र।

- सड़क परिवहन नेटवर्क का विकास
- प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास।
- सम्पदा प्रबंधन।
- डाक नेटवर्क को इष्टतम बनाने संबंधी परियोजना (एमएनओपी) और स्पीड पोस्ट केन्द्र का संवर्धन।
- डाक जीवन बीमा का कार्यान्वयन।
- ग्रामीण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और डाक नेटवर्क की सुलभता।
- भारतीय पोस्ट बैंक।
- राष्ट्रीय डाक नीति।

III. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.6 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) धारणीय समाजार्थिक विकास हासिल करने का एक साधन है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में इसका उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी), जिसमें केन्द्र और राज्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 31 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) शामिल हैं, ने आम आदमी को विभिन्न सरकारी सेवाएं पहले ही उपलब्ध करवा दी हैं। विभाग ने ई–ताल की स्थापना की है, जो मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई–गवर्नेंस परियोजनाओं की ई–ट्रांजेक्शन सांख्यिकी के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 256.91 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की सूचना दी गई है। कोर अवसंरचनाओं के निर्माण में भी काफी प्रगति हासिल की गई है जैसे कि 31 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और 22 स्टेट डेटा केन्द्र आदि।

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 देश में इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रक के पुनरुद्धार के लिए पहलों के एक व्यापक समुच्चय की व्यवस्था करती है। इस नीति के विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा मानव संसाधन विकास की एक स्कीम तैयार की गई थी, जिसका लक्ष्य आईसीटी में वर्ष 2020 तक 10 मिलियन अतिरिक्त कुशल जनशक्ति और विशिष्ट क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 3000 पीएचडी के एक पूल का सृजन करना है। ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन में तथा केन्द्र राज्य संघ राज्य–क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को एकीकृत द्वार प्रदान करने में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। एनआईसी स्टाफ के क्षमता निर्माण और कौशल विकास हेतु एक स्कीम वर्ष के दौरान आरंभ की गई है।

4.4.7 सी–डेक एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटिंग परिवेश को शामिल करते हुए उन्नत विषयक क्षेत्रों पर अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसने अनुसंधान परियोजनाओं के पैमाने को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय और कार्यनीतिक महत्व के क्षेत्रों में विकास में सहयोग देने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान आईटी क्षेत्रक में जांच किए गए प्रमुख नीतिगत मुद्दों/नोट्स/स्कीमों/परियोजनाओं का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के वार्षिक योजना 2014–15 प्रस्ताव।
- आईटी क्षेत्रक के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्ताव और विभिन्न राज्यों से प्राप्त आईटी क्षेत्रक से संबंधित विशेष योजना सहायता (एसपीए) के संबंध में प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय डेटा भागीदारी और सुलभता नीति (एनडीएसएपी)–2012 का कार्यान्वयन– संगत डेटा सेटों को data.gov.in पर अपलोड करना।

- ईएसडीएम क्षेत्रक में कौशल विकास के लिए 6 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को वित्तीय सहायता।
- वेल्डन इण्डिया सेमीकंडक्टर वेंचर कैपिटल निधि की स्थापना।
- आईटी/आईटीईएस क्षेत्रक में एमएसएमई के लिए कर्मचारी प्रतिधारण और प्रतिभा अधिग्रहण हेतु प्रोत्साहन योजना।
- रोपड़, पंजाब में एनआईईएलआईटी के स्थायी भवन का निर्माण।
- एनआईसी स्टाफ का कौशल विकास।
- इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) तथा आईटी/आईटी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रकों में पीएचडी की संख्या को बढ़ाने की स्कीम।
- सीडीएसी द्वारा मोबाइल सेवा के माध्यम से सरकारी विभागों को समर्थ बनाना।
- सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरुकता (आईएसईए) चरण–II।
- पुणे, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में सीडीएसी प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के सृजन हेतु आरसीई।
- हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, उड़ीसा और बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना।
- भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रीकेशन विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना।
- ई–शासन के लिए एचआर पालिसी।

IV. सूचना और प्रसारण

4.4.8 सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के अन्तर्गत तीन स्कंध सम्मिलित हैं – अर्थात फिल्म, सूचना और प्रसारण। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग, विगत कुछेक वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के एक सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रक के रूप में उभरा है तथा उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह 13.2 प्रतिशत की औसतन वार्षिक दर से वृद्धि करके 2015 में 1.19 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। वर्ष के दौरान, विकास संचार और सूचना प्रसार के माध्यम से लोगों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न पहलें की गईं हैं। इसके अतिरिक्त, डीएवीपी के विकास संचार पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के मीडिया पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रम तथा फील्ड प्रचार विभाग (डीएफपी) के प्रत्यक्ष सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए सहक्रियाशील दृष्टिकोण के साथ बहु–आयामी प्रचार आरंभ किया गया है। जीवंत कला और संस्कृति के तहत, समसामयिक विषयों पर, विशेष रूप से सीमावर्ती, पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों पर जीवंत कार्यक्रम (लाइव शो) आयोजित किए गए। सोशल मीडिया का चौबीसों घंटे उपयोग तथा संचार साधनों का क्षैतिज और उदग्र एकीकरण करते हुए लक्षित लोगों के साथ प्रत्यक्ष विचार–विनिमय करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

4.4.9 मनोरंजन और मीडिया उद्योग फिल्म निर्माण, विपणन और प्रदर्शनी जैसे सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। कम्प्यूटरीकरण और सॉफ्टवेयर को प्रवर्तित करने के माध्यम से फिल्म प्रमाणीकरण प्रक्रिया का संवर्धन और आधुनिकीकरण करने हेतु उपाय किए गए हैं। फिल्म उद्योग के लिए कुशल कामगारों की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एफटीआईआई पुणे और सत्यजीत राय फिल्म संस्थान, कोलकाता ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। विगत कुछ वर्षों में, युवा प्रारम्भिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु वृत्तचित्रों फीचर फिल्मों का निर्माण करने के प्रयास किए गए हैं। फिल्म उद्योग में चोरी को कम करने के लिए नीतिगत उपाय भी किए गए हैं।

4.4.10 प्रसारण स्कंध की दो शाखाएं आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी), भारत के लोगों को शिक्षित और सशक्त करने के लिए कार्यक्रम, सूचना और स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने के काम में लगी हैं। सामुदायिक रेडियो के विस्तार और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अवसंरचना यथा स्टूडियो, ट्रांसमीटरों और अंतर–संयोजन सुविधाओं के डिजिटीकरण हेतु प्रयास किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों नोटों स्कीमों परियोजनाओं की जांच की गई उनका ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक योजना 2014–15 प्रस्ताव।
- आकाशवाणी सभा भवन का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण।
- भारत में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और सुसाध्य बनाने संबंधी समिति (सीपीएफएफपीआई) का गठन।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानव संसाधन विकास।
- विकास संचार एवं फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)।
- राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)।
- सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से सरकार की पहलों के प्रचार–प्रसार हेतु नए मीडिया स्कंध का सृजन।
- निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण–III) के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन।
- विकास संचार एवं सूचना प्रसार।
- दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास।

V. सीआईटी एंड आई प्रभाग के अन्य कार्यकलाप

अन्तरिक्ष विभाग का तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी)

4.4.11 अन्तरिक्ष विभाग ने, ट्रांसपोन्डरों के आबंटन और ''इनसेट'' क्षमता के उपयोग से संबंधित सभी तकनीकी मामलों व आईसीसी द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले के संबंध में विचार करने और आईसीसी को सलाह देने के लिए ''इनसेट'' समन्वय समिति (आईसीसी) के अधीन एक तकनीकी सलाहकार दल गठित किया है। वरिष्ठ सलाहकार (सीआईटीएण्डआई), योजना आयोग टीएजीके एक सदस्य हैं।

सूचना द्वार

4.4.12 ''सूचना द्वार'' का प्रबंधन करना सीआईटीएण्ड आई प्रभाग की एक अन्य जिम्मेदारी है। इस सुविधा से भ्रमणकारी मीडिया व्यक्तियों को जानकारी के लिए इन्टरनेट को ब्राउज करने में मदद मिलती है। यह आम जनता को जानकारी और प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है। प्रभाग, योजना आयोग की वेबसाइटों और आरटीआई आनलाइन/आफलाइन का भी अनुरक्षण और अद्यतनीकरण करता है।

4.4.13 सीआईटीएण्डआई प्रभाग चुनिन्दा समाचार मदों का एक ''कम्प्यूटरीकृत डेली डाइजेस्ट'' भी तैयार करता है और उपाध्यक्ष के कार्यालय, राज्य मंत्री व योजना आयोग के सदस्यों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण मदों की समाचार–पत्र कतरनें उपलब्ध कराता है।

4.5 विकास नीति प्रभाग

4.5.1 विकास नीति प्रभाग को प्रमुख रूप से आर्थिक नीति मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सार, समीक्षाएं और टिप्पणियां तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा यह खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता मामले,

कृषि में कीमत पद्धति मुद्दों और अनिवार्य वस्तुओं का आयात निर्यात संबंधी कार्य करता है। प्रभाग, कृषि मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, कृषि लागत और कीमत आयोग (सीएसीपी) से प्राप्त होने वाली विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एमएसपी) के संबंध में सिफारिशों की जांच करता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नोडल प्रभाग के रूप में प्रभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग की स्कीमों की जांच करता है। इसके अलावा प्रभाग भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), शर्करा विकास निधि (एसडीएफ) संबंधी समिति के प्रस्तावों और कार्यकलापों, केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के संबंध में बफर स्टाकिंग मानदण्डों और खाद्य तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दों के संबंध में मानीटरन समिति की बैठकों में भाग लेता है। प्रभाग, मुद्रास्फीति स्थिति की समीक्षा करने के लिए अन्तर–मंत्रालयीय दल (आईएमजी) और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों के लिए शीत श्रृंखला अवस्थापना संबंधी आईएमजी तथा खुला बाजार विपणन स्कीम (घरेलू) के तहत गेहूं की निविदा बिक्री हेतु गतिशील मूल्य निर्धारण नीति को अपनाने संबंधी आईएमजी की बैठकों में भी योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

4.5.2 वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभाग में निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए गए:

प्रभाग ने, कृषि मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा खाद्यान्न (खरीफ और रबी), तिलहनों, गन्ने, कोपरा, जूट आदि के संबंध में न्यूनतम समर्थन कीमतों के संबंध में की गई सिफारिशों की जाँच की और टिप्पणियाँ उपलब्ध कराई।

- प्रभाग ने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और केन्द्रीय पूल स्टॉक के संबंध में बफर स्टाकिंग नीति के संबंध में योजना आयोग के विचारों की जांच की और उनका संप्रेषण किया। प्रभाग ने संसद सदस्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर सूचना बुलेटिन तैयार करने हेतु लोक सभा सचिवालय को इनपुट भी प्रदान किए।
- प्रभाग ने, लक्षित सार्वजनिक वितरण पद्धति, कृषि फसलों की एमएसपी, शर्करा और दालों के संबंध में नीति, अनिवार्य वस्तुओं के आयात निर्यात, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत स्टाक सीमाओं के निर्धारण प्रतिबन्धों, मुद्रास्फीति, उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वायदा संविदा विनियमन अधिनियम आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए मंत्रियों के अधिकार–प्राप्त समूह कीमत संबंधी मंत्रिमंडल समिति आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति मंत्रिमण्डल की बैठकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त संगत एजेण्डा मदों के संबंध में सिफारिशों की जांच की और योजना आयोग के विचारों को अन्तिम रूप दिया। इसके अलावा, संबंधित एजेण्डा नोटों के समय–समय पर सार तैयार किए गए।
- वर्ष के दौरान प्रभाग से संबंधित विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों, आरटीआई प्रश्नों और वीआईपी संदर्भों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्यान्नों के भण्डारण और पीडीएस के अन्तर्गत सब्सिडी सीधे ही हस्तान्तरित करने के विषय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त संदर्भों की जांच की गई और उपयुक्त रूप से उत्तर दिए गए।
- प्रभाग ने, 12वीं योजना स्कीमों और उनके अंतर्गत कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में उपभोक्ता मामले विभाग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ बैठकों का आयोजन किया।
- प्रभाग ने, श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई,

अवसंरचना के सृजन, आजीविका और मानव विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्वतीय राज्यों में वन भूमि के प्रबंधन से होने वाले विकास का अध्ययन करने संबंधी समिति की रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान की।

- प्रभाग ने, उपभोक्ता मामले विभाग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 12वीं योजना की विभिन्न स्कीमों के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापनों की जांच की। प्रभाग फिलहाल, इन दोनों विभागों के संबंध में वार्षिक योजना 2014–15 हेतु सकल बजटीय सहायता के लिए स्कीम–वार प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

- प्रभाग ने, खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत गेहूं की निविदा बिक्री के लिए गतिशील मूल्य–निर्धारण नीति अपनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालयी दल की आवधिक चर्चाओं में भाग लिया। प्रभाग ने, खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे पर चर्चा करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में भी भाग लिया।

4.6 मानव संसाधन विकास प्रभाग

4.6.1 पूर्ववर्ती शिक्षा प्रभाग जिसे मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रभाग के रूप में पुनर्नामित किया गया था, शिक्षा, खेल–कूद और युवा मामलों एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास योजना के सभी पहलुओं से संबंधित है। तथापि, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षा इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है।

4.6.2 एचआरडी प्रभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैः (क) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैस कि प्राथमिक–पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण; (ख) प्रौढ़ साक्षरता सहित औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा; और (ग) विशेष क्षेत्र जैसे कि लड़कियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए शिक्षा और विशिष्ट जरुरतों वाले बच्चों के लिए शिक्षा।

4.6.3 प्रमुख विकास कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, माध्यमिक स्तर तक सर्वसुलभ पहुंच और स्तरीय शिक्षा में सुधार स्तरीय और आईसीटी आधारित उच्च शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच; प्रौढ़ शिक्षा; शिक्षा का व्यावसायीकरण; शिक्षक शिक्षा; विज्ञान शिक्षा; शारीरिक शिक्षा; खेल–कूद; छात्रवृत्तियां; भाषा विकास; पुस्तक प्रोन्नयन; पुस्तकालय; युवा सेवा स्कीम; सांस्कृतिक संस्थान और उनसे संबंधित कार्यकलाप आदि।

4.6.4 वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रभाग ने योजना स्कीमों को जारी रखने से सम्बद्ध कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन), खेल विभाग और युवा मामले विभाग (युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन) और संस्कृति विभाग (संस्कृति मंत्रालय के अधीन) की स्कीमों के संबंध में स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए) प्रस्तावों का ''सिद्धान्तः'' अनुमोदन और जाँच करना। इन विभागों के व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (एचआरडी) की अध्यक्षता में वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन समीक्षाओं के दौरान प्रगति की बारी की से जाँच की गई, स्कीमों के कार्यान्वयन में समस्याओं का विनिर्धारण किया गया तथा निधियों के उपयोग/बेहतर लक्ष्यों के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए गए।

4.6.5 वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), एसएसए के परियोजना अनुमोदन बोर्डों (पीएबी), एमडीएम, आरएमएसए, आरयूएसए, आदर्श विद्यालयों, साक्षर भारत जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा में भाग लिया और तकनीकी समिति एवं उचित उद्यम समिति जैसी उप–समितियों की बैठकों; एनसीआरआई और टीईक्यूआईपी–II के शासी निकाय और कार्यकारी परिषद की बैठकों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षक शिक्षा परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में भाग लिया। एचआरडी प्रभाग के अधिकारियों ने 61वीं और 62वीं सीएबीई बैठकों; राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन की सीएबीई उप–समिति की बैठकों; 71वें एनएसएसओ सर्वेक्षण हेतु कार्यदल की बैठकों; एमडीएमएस के कार्यान्वयन और एनएफएसओ के संदर्भ में एचआरडी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभागों की संयुक्त बैठक; उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के कार्यदल की बैठकों; विभिन्न मुद्दों पर खेल और युवा मामले मंत्रालय की बैठकों; सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मॉडल स्कूलों संबंधी बैठकों में भाग लिया। कुछ अधिकारियों ने कोलकाता में ब्रिटिश परिषद द्वारा आयोजित 'कनेक्टिंग क्लासरूम्स' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा खेल प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन (आईएनएसटीएएल) पर आईएमजी की बैठक में भी भाग लिया। प्रभाग ने धारणीय सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुले कार्यदल तथा 2015 के बाद की विकास कार्यसूची पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उच्च स्तरीय पैनल के लिए भी उत्तर तैयार किए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डेटा भागीदारी और सुलभता नीति (एनडीएसएपी–2012) के तहत डेटा पोर्टल वेबसाइट (data.gov.in) पर 29 डेटासेट अपलोड किए गए हैं।

4.6.6 एचएडीपी, आईएपी, बीआरजीएफ जिलों के लिए सहायता सहित अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता (एसीए/एसपीए) के लिए राज्यों के प्रस्तावों की जाँच की गई।

4.6.7 शिक्षा प्रभाग ने वर्ष के दौरान नीतिगत मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित पहलों सहित अनेक पहलें कीः प्रमुख अग्रणी कार्यक्रम यथा एसएसए और एमडीएम की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतीकरण। प्रभाग ने, एसएसए और आरएमएसए के संबंध में संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) तथा स्कूलों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय संचालन–सह–मानीटरन समिति की बैठकों में भाग लिया। प्रभाग ने, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रमुख स्कीमों–आरएमएसए, माध्यमिक स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों आदि की जाँच की। प्रभाग ने 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों, एमडीएम, एसएसए, एसपीक्यूईएम/आईडीएमआई, नवोदय विद्यालय (एनवी) कर्मचारियों और राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन (आरएवीएस) के लिए पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए बाह्य वित्तपोषण एजेंसियों से अतिरिक्त वित्तपोषण, 6000 मॉडल स्कूलों, किशनगंज (बिहार) और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में एएमयू केन्द्र की स्थापना, डिजाइन नवप्रवर्तन केन्द्र, ओपन डिजाइन स्कूल एवं राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन नेटवर्क, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन छात्रवृत्ति की स्कीम लागू करने, राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) के तहत स्कूल शिक्षा में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के कार्यान्वयन, प्लॉट न.10–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली का पुनर्विकास, एसएसए के तीसरे चरण के लिए विश्व बैंक से बाह्य वित्तपोषण और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा प्रशासित स्कूलों का केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन को अंतरण के संबंध में एसएफसी/ईएफसी ज्ञापनों/सीसीईए नोटों की जांच की। प्रभाग ने, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2013 के जरिए संसद में

एक विधेयक के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987 की धारा 2(ज) में संशोधन करने और 24क को जोड़ने के प्रस्ताव, नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक) 2013 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(1) के तहत स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर (एसपीए), अध्यादेश 2014 को लागू करने हेतु प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिमंडल नोटों की भी जांच की। प्रभाग ने, प्रारम्भिक शिक्षा, विशेष रूप से – वाम पंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में एसएसए, एमडीएमएस और आरएमएसए की प्रगति के संबंध में सुविचारित सार और समालोचनाएं तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। शिक्षा प्रभाग ने, अनुसंधान अध्ययनों/मूल्यांकन अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए एनजीओ और स्वायत्त निकायों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जाँच की और सहायता–अनुदान समिति को मूल्यांकन नोट उपलब्ध कराए। इसके अलावा, विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एसईआर प्रभाग को प्रस्तुत की गईं अनुसंधान रिपोर्टों की प्रभाग में जांच की गई। कुछेक अधिकारियों को योजना आयोग में पीईओ द्वारा स्थापित अध्ययनों के लिए मूल्यांकन समितियों में शामिल किया गया। शिक्षा प्रभाग ने, संसदीय प्रश्नों और आश्वासनों संबंधी कार्य किया, शिक्षा क्षेत्रक और अ.जा. एवं अ.ज.जा. के शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर संसदीय स्थायी समितियों के लिए टिप्पणियां उपलब्ध कराई, वीआईपी संदर्भों, आरटीआई सम्बद्ध मामलों संबंधी कार्य किया, आउटकम बजट तैयार करने में भाग लिया और राष्ट्रपति के बजट भाषण, आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन में शामिल करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई।

4.6.8 उच्च शिक्षा यूनिट ने विडियो कन्फरेन्सिंग के माध्यम से अनेक व्याख्यान, प्रस्तुतीकरण और सेमिनार आयोजित किए जिनमें राष्ट्र के कई प्रतिष्ठित केन्द्रीय संस्थानों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, विभिन्न विषयों यथा नूतनता, उच्च शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी, नेतृत्व विकास कार्य नीति, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, उच्च शिक्षा अध्ययन परिणामों के आकलन, संस्थागत बदलाव, संस्थागत नेतृत्व विकास, उच्च शिक्षा में सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने के संबंध में व्याख्यानों वार्ताओं, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया ताकि नीति निहितार्थों को समझने में मदद मिल सके। विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट करने वाले वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे।

4.6.9 उच्च शिक्षा यूनिट द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने हेतु समिति तथा नालंदा विश्वविद्यालय की प्रगति की निगरानी करने हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित लम्बे अर्से से लम्बित मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ अनेक बैठकें की गईं। राज्यों में उच्च शिक्षा क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न लम्बित मुद्दों/समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों, एमएचआरडी, यूजीसी, एआईसीटीई के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की गई।

4.6.10 इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न मंत्रिमंडल नोटों और एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए प्रस्तावों की जांच की गई। उच्च शिक्षा यूनिट में संसद प्रश्नों, वीआईपी संदर्भों, राज्यों से प्राप्त एसीए/एसपीए संबंधी प्रस्तावों से संबंधित कार्य भी किया गया। उच्च शिक्षा और बदलते शैक्षिक व्यवसाय (सीएपी) पर डेटा–बेस तैयार करने हेतु दो अनुसंधान अध्ययन क्रमशः इंडीकस एनालिटिक और आईआईटी, दिल्ली को प्रदान किए गए। विभिन्न विषयों पर कई अन्य अनुसंधान अध्ययनों/रिपोर्टों की जांच की गई। योजना आयोग द्वारा विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्थापित मौजूदा 14 पीठों के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य किया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

4.6.11 राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण

अत्यंत कम है; इसकी पहुंच बहुत सीमित है और इसका प्रभाव नगण्य है। वर्ष के दौरान, उच्च शिक्षा यूनिट में आरयूएसए के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे की जांच की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराए गए। राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण को राज्यों और केन्द्र के वित्तपोषण के बीच समन्वय से लाभ होगा। उच्च शिक्षा यूनिट में आरयूएसए संबंधी ईएफसी ज्ञापन और सीसीईए नोटों की जांच की गई। वर्ष के दौरान वार्षिक योजना (2013–14) की समीक्षा भी की गई।

युवा मामले और खेलकूद

4.6.12 भारत युवा लोगों का देश है तथा लगभग 70 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों से सम्पन्न है जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इस ''जनांकिकीय लाभांश'' को, देश की विकास दर को तेज करने के एक अवसर की दृष्टि से देखा जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाशक्ति का दोहन करने के लिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसलिए बारहवीं योजना में किशोरों और युवाओं से संबंधित समस्याओं पर मुख्यतः ध्यान दिया गया।

4.6.13 वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, युवा और किशोर विकास से जुड़ी एनपीवाईएडी के अन्तर्गत प्रस्तावों पर विचार करने, खेल कोचिंग के लिए अनुदान और अशक्त व्यक्तियों के बीच खेलों के प्रोत्साहन के लिए स्कीम के अन्तर्गत उपभोज्यों, गैर–उपभोज्यों एवं खेल उपस्कर की खरीद पर विचार करने के लिए ''परियोजना आकलन समिति'' (पीएसी) की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। आधार स्तर पर खेल अवस्थापना कायम करने के लिए वित्तीय सहायतार्थ प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पीवाईकेकेए की कार्यकारी समिति और शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लिया। पीवाईकेकेए को आरजीकेए के रूप में पुनर्संरचित करने, युवा छात्रावासों, राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) और एनएसएस से संबंधित एसएफसी/ईएफसी/प्रारुप मंत्रिमंडल नोट/सीसीईए के लिए अनेक प्रस्तावों की जाँच की गई। प्रभाग ने राष्ट्रीय युवा नीति–2014 लागू करने संबंधी मंत्रिमंडल नोट की जांच की तथा राष्ट्रीय युवा नीति–2014 (एनवाईपी–2014) और राष्ट्रीय युवा कोष के विकास हेतु आवश्यक इनपुट प्रदान किए।

4.6.14 खेल विभाग और युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्तावों तथा छमाही निष्पादन समीक्षा की जाँच की गई। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त एसीए और एसपीए संबंधी प्रस्तावों और वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्तावों की जाँच प्रभाग में की गई।

4.7 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

4.7.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की संरचना निम्नवत थी:

डा. सी. रंगराजन,
पूर्णकालिक अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के रैंक में

डा. सौमित्र चौधरी,
अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में
सदस्य, योजना आयोग

डा. वी.एस. व्यास,
अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में
पूर्व प्रोफेसर,
विकास अध्ययन संस्थान,
जयपुर

प्रो. पुलिन बी. नायक,
अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में
अर्थशास्त्र प्रोफेसर,
दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स,
दिल्ली

प्रो. दिलीप एम. नचाने,
अंशकालिक सदस्य, राज्य मंत्री के रैंक में
पूर्व–निदेशक
इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान

4.7.2 ईएसी के विचारार्थ विषय निम्नवत थे:

प्रधान मंत्री द्वारा इसे संदर्भित किसी आर्थिक अथवा अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उस पर उन्हें सलाह देना:

- मेक्रो आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचार करना तथा उसके संबंध में प्रधानमंत्री को विचार प्रस्तुत करना। यह स्वमेव हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य द्वारा संदर्भित किया जा सकता है;
- आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों और मेक्रो आर्थिक घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- किसी अन्य कार्य पर विचार करना जिसके संबंध में प्रधानमंत्री समय–समय पर इच्छा व्यक्त करे।

4.7.3 प्रशासनिक व्यवस्था और बजट

- प्रशासनिक, सम्भारतन्त्रीय, योजना और बजटीय प्रयोजनों के लिए ईएसी के लिए योजना आयोग नोडल एजेन्सी है।
- ईएसी के लिए वर्ष 2013–14 के लिए योजना मंत्रालय के अधीन पृथक बजट आबंटित किया गया है।
- ईएसी का कार्यालय विज्ञान भवन के हॉल–ई में स्थित है। अधिकारी स्तर पर इसका एक पूर्णकालिक सचिव (सरकार के अपर सचिव संयुक्त सचिव के रैंक में), एक अधिकारी सलाहकार के रैंक में (सं.स. स्तर), दो अधिकारी निदेशक के रैंक में (अध्यक्ष के पीएस सहित), एक उप सचिव के रैंक में और एक वरि. अनुसंधान अधिकारी के रैंक में है।

4.7.4 किए गए कार्य

4.7.4.1 अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार ईएसी ने अपनी छमाही ''आर्थिक समीक्षा'' (2012–13) और ''आउटलुक'' (2013–14) क्रमशः अप्रैल और सितम्बर 2013 में प्रकाशित की। इन रिपोर्टों में अर्थव्यवस्था का एक आवधिक स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, ईएसी ने प्रधानमंत्री पीएमओ द्वारा संदर्भित किए गए अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह दी। ईएसी द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया वे हैं:

1. सड़क क्षेत्रक में वित्तपोषण संबंधी विवशता
2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर बेसिल–III का निहितार्थ
3. कोयला तल मीथेन (सीबीएम) का मूल्य निर्धारण
4. प्रशुल्क आयोग का भविष्य
5. प्राथमिक जनगणना सार 2011–व्यापक रूझानों का विश्लेषण
6. गैस मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर
7. रबड़ के बढ़ते आयात शुल्क के मुद्दे पर
8. भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार हेतु उपाय

4.7.4.2 टिप्पणियों के माध्यम से औपचारिक सलाह के अलावा, परिषद के अध्यक्ष ने, जब भी समय–समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर, उनसे सलाह मांगी गई, प्रधानमंत्री को अनौपचारिक रूप से भी सलाह दी।

4.7.4.3 ईएसीके अध्यक्ष ने, राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में रियायत–प्राप्तीकर्ताओं द्वारा उद्धृत प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने हेतु नीति से संबंधित विशेषज्ञ दल तथा गरीबी का अनुमान लगाने संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। पहले विशेषज्ञ दल द्वारा रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ईएसी का अध्यक्ष व्यापार और उद्योग संबंधी समिति, व्यापार और आर्थिक संबंध हेतु समिति, जी 20 की शीर्ष परिषद, जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद,

विनिर्माण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का भी सदस्य है।

4.7.4.4 आर्थिक नीति के मुद्दों पर विचार विमर्श करने और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सलाह के संबंध में अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए पूर्ण ईएसी की बैठक आवश्यक होने पर समय–समय पर आयोजित की गई।

4.8 आर्थिक प्रभाग

4.8.1 आर्थिक प्रभाग का कार्य मुख्यतः भारत की अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्रक से संबंधित है। इसमें विदेश व्यापार, भुगतान शेष, विदेशी निवेश और योजना प्रक्रिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। प्रभाग, द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय आर्थिक सहयोग से संबद्ध मुद्दों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करता है। इस क्षेत्रक से संबंधित अन्य विषय हैं–विश्व–बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.टी.ए.डी.) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग और साथ ही एशिया व प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं संबंधी कार्य। इस संदर्भ में प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने के कार्य में भी लगा है। प्रभाग, अन्य बातों के साथ–साथ विदेश मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए योजना आबंटनों का कार्य भी देखता है।

4.8.2 निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ वाणिज्य विभाग की योजना स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है। ये हैं– निर्यात के अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पात निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), समुद्रीय उत्पााद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.), निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.), बाजार सुलभता पहल (एमएआई), राष्ट्रीय निर्यात बीमा एजेंसी (एन.ई.आई.ए.), टी. बोर्ड, रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड व अन्य स्कीमें। एमईए की योजना स्कीमों में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भारत सरकार से सहायता–प्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं।

4.8.3 निम्नलिखित में बाह्य क्षेत्रक की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की गई है जिसमें भारत का व्यापार परिदृश्य, व्यापार कार्यनीति, डब्ल्यूटीओ संबंधी बातचीत की वर्तमान स्थिति शामिल है और अन्ततोगत्वा, वैश्विक संदर्श को दर्शाया गया है:

4.8.3.1 दीर्घकाल में, 2020 तक, भारत विश्व व्यापार में एक प्रमुख देश के रूप में उभरेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका अदा करेगा जो भारत की बढ़ती आर्थिक और जनांकिकीय रूपरेखा के अनुरूप होगी। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को, निर्यात का सतत तीव्र विकास सुनिश्चित करने और विश्व व्यापार में भारत को एक प्रमुख राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप बनाने की जरूरत है। एफटीपी के तहत घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर उभरते आर्थिक परिदृश्यों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.8.3.2 निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सहायक उपायों के साथ–साथ पर्याप्त अवसंरचना भी जरूरी है। साथ ही, ऐसे सामान, जिनके मामले में भारत की आयात निर्भरता अधिक है और बढ़ रही है, के उत्पादन में घरेलू क्षमता सृजित करने हेतु संगठित प्रयास किए जाने की जरूरत है। इस पृष्ठ भूमि को देखते हुए, एफटीपी तैयार करते समय, बारहवीं योजना हेतु निर्यात संबंधी उद्देश्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। व्यापार घाटे को कम करने हेतु निर्यात में यथेष्ट बढ़ोतरी करने तथा उच्चतर मूल्यवर्धन हासिल करने के लिए निर्यात बास्केट में विनिर्माण के अनुपात (वर्तमान में यह 61.5 प्रतिशत है) को बढ़ाने की जरूरत है।

4.8.3.3 इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक संदर्श के साथ देश और वस्तु–विशिष्ट कार्यनीतियां तैयार करना अपेक्षित है। उत्पान संबंधी कार्यनीतियों पर 12वीं योजना दस्तावेज में विस्तृत चर्चा की गई है।

निर्यात के लिए क्षेत्र संबंधी कार्यनीति

4.8.4 दक्षिण में व्यापार में यथेष्ट वृद्धि हुई है। हालांकि, भारत के हिस्से में तीव्र वृद्धि हो रही है, तथापि, यह चीन जैसे देशों और विशेष रूप से दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है। अतः दक्षिण के साथ और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और सीआईएस के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है।

4.8.5 ग्यारहवीं योजना के दौरान, अमेरिका और यूरोप, भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थलों के रूप में बने रहे, तथापि, उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 39.82 प्रतिशत से कम होकर 35.38 प्रतिशत रह गई। भारत यूरोप संघ के साथ व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर बातचीत कर रहा है और इसके पूर्ण होने पर दोनों व्याापार भागीदारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी। एशिया और आसियान के शेयर ने नियमित वृद्धि दर्शाने के बाद, ग्यारहवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में कुछ गिरावट दर्शायी है और योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र को भारत ने अपना 50 फीसदी से अधिक निर्यात किया। अफ्रीका को निर्यात के मामले में भी योजना के प्रारंभिक वर्षों में कुछ गिरावट के बाद नियमित वृद्धि दर्ज की गई। भारत बाजार विविधीकरण की नीति पर अमल कर रहा है तथा गहन बाजार पहलों और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से एशिया और आसियान, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

4.8.6 दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) दौर, डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं हैं जिसे शासकीय तौर पर, नवम्बर, 2001 में दोहा, कतर में डब्ल्यूटीओ के चौथे मंत्रालयी सम्मेलन में आरंभ किया गया था। इसने कृषि, सेवाओं और बौद्धिक सम्पत्ति के विषयों सहित वार्ताओं हेतु आदेशपत्र मुहैया कराया। फिलहाल, कृषि संबंधी मुद्दों पर मतभेद है और मूल रूप से निर्धारित अंतिम तिथि का अनुपालन नहीं किया जा सका। अशासकीय तौर पर, वार्ताओं को 2006 तक समाप्त करने पर सहमति हुई थी परंतु कमियों को पूरा नहीं किया जा सका और 2006 में सभी वार्ताओं को स्थगित कर दिया गया।

4.8.7 अधिकांश विषयों में गंभीर वार्ताएं अपेक्षित थी। ''कार्यान्वयन'', विश्लेषण और अनुवीक्षण के तहत कार्रवाई करना अपेक्षित था। डब्ल्यूटीओ के किसी भी क्षेत्र ने, डीडीए के तहत वार्ताओं की तुलना में, न तो अधिक ध्यान आकर्षित किया और न ही अधिक विवाद उत्पन्न किया। कठिन सौदेबाजी हुई और ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका समाधान करना अपेक्षित था। 12 शीर्षकों के अंतर्गत 40 से अधिक मदों का तत्काल प्रदायगी हेतु निपटान किया गया, तथापि, अधिकांश मदें अग्रेतर वार्ताओं के लिए शेष रह गईं। हालांकि, बातचीत के नवीनतम दौर (जुलाई, 2013) से कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई है, तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि डब्ल्यूटीओ इन्हें जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। हालांकि, दोहा दौर का भविष्य अनिश्चित है, तथापि, वास्तविक कार्य की गति में बढ़ोतरी, उत्साहजनक सिद्ध हो सकती है। विशिष्ट और विभेदी व्यवहार संबंधी समिति ने नियमित रूप से समिति में विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है और बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यकतानुसार इनके स्तर को राजदूतों तक बढ़ाया है। अनुवीक्षण तंत्र संबंधी कार्य में नियमित प्रगति हो रही है। प्रथम दौर में, एलडीसी बाली पैकेज के एक भाग में शामिल सभी चार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श हुआ, इस पैकेज में शुल्क रहित, कोटा रहित बाजार सुलभता; उत्पत्ति के नियम; कपास; और एलडीसी सेवा छूट का कार्यान्वयन शामिल है। निर्यात प्रतिस्पर्धा पर जी–20 प्रस्ताव पर विभिन्न संरूपों में विचार–विमर्श किया गया है ताकि इस बात की बेहतर

जानकारी मिले कि सदस्यों की क्या स्थिति है। सर्वाधिक निर्यात सब्सिडियों की प्रतिबद्धताओं वाले सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि, हालांकि, वे निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं और अपनी इस प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने हेतु तैयार हैं, तथापि, उन परिस्थितियों, जिनके तहत वे निर्यात प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विधिक प्रतिबद्धताओं को संशोधित कर सकते हैं, पर अभी भी बहस जारी है। अब इस विषय पर तात्कालिक रूप से विचार करना अपेक्षित है। विकासशील देशों और एलडीसी के लिए कार्यान्वयन संबंधी लचीलेपन के मामले पर कार्य करने वाले व्यापार सुविधा संबंधी वार्ता दल का कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। तथापि, प्रारूप समझौते के कुछ भागों पर तकनीकी और विधिक कार्य को फिलहाल एक ओर छोड़ दिया गया है।

वैश्विक व्यापार पैटर्न में परिवर्तन

4.8.8 ऊपर वर्णित आर्थिक कार्यकलाप के पैटर्न में व्यापक रूप से जारी परिवर्तनों को अपेक्षानुसार वाणिज्य–वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के पैटर्न में परिवर्तनों में प्रतिबिम्बित किया गया है। उपनिवेशीय शासन के अंत के बाद के दशकों में, विकसित देशों की विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में तीव्र बढ़ोतरी के साथ ही, विश्व वाणिज्य–वस्तु निर्यात में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी 1948 के 34 प्रतिशत से गिरकर 1973 में 24 प्रतिशत रह गई। तत्पश्चात, कई विकासशील देशों द्वारा स्वयं को विनिर्मित माल के अधिकाधिक महत्वपूर्ण निर्यातकों के रूप में स्थापित कर लेने के साथ ही, कुल वाणिज्य–वस्तु निर्यात में उनकी हिस्सेदारी सुधरकर 2003 में 33 प्रतिशत और 2010 में 44 प्रतिशत हो गई।

4.8.9 वैश्विक वाणिज्य–वस्तुओं के आयात में एशिया (जापान को छोड़कर) की हिस्सेदारी में सबसे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जो 1993 और 2010 के बीच 17 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है। यदि हम एशिया (जापान को छोड़कर), लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व को एक साथ लेते हैं तो हम यह पाएंगे कि वैश्विक वाणिज्य–वस्तु आयात में उनकी हिस्सेदारी 1993 और 2010 के बीच 28 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान, विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और जापान की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत से कम होकर 59 प्रतिशत रह गई। यह प्रक्रिया आगामी वर्षों में और गहन ही होगी। सेवाओं, जिनमें परिवहन, यात्रा, वित्तीय और दूरसंचार के अतिरिक्त आईटी संबंधी कारोबार भी शामिल है, के लिए बाजार, वाणिज्य–वस्तुओं के बाजार की तुलना में वास्तव में अधिक समानता के साथ फैला हुआ है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आयात बाजार में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। तथापि, यहां भी, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आईटी संबंधी कारोबार में आनुपातिक रूप से अधिक तीव्र विस्तार होगा।

4.8.10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अन्य उल्लेखनीय घटना, वाणिज्य–वस्तु व्यापार का अधिकाधिक क्षेत्रीय संकेन्द्रण है। वर्ष 2010 में, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार एशिया (मध्य पूर्व को छोड़कर) में अवस्थित था जिसका मूल्य 2.9 ट्रिलियन डालर अथवा यूरोप के क्षेत्रीय व्यापार संकेन्द्रण, जिसका मूल्य 4.7 ट्रिलियन डालर था, का 63 प्रतिशत था। अपेक्षानुसार, अन्य एशियाई बाजारों को एशियाई मूल के निर्यात का अनुपात 1999 में 47 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 53 प्रतिशत हो गया है। समग्र विकासशील संसार और विशेष रूप से एशिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आनुपातिक रूप से न केवल अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं अपितु क्षेत्र के सीमांतर्गत व्यापार और संभवतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार में भविष्य में और अधिक विस्तार होने की प्रत्याशा भी है।

4.8.11 इसका, हमारी दीर्घकालिक व्यापार कार्यनीति के लिए निहितार्थ है। हालांकि, औद्योगीकृत संसार में हमारे बाजारों का संभवतः तीव्र विकास न हो, तथापि, अन्य बाजारों का काफी हद तक विस्तार होगा और इसका लाभ उठाने के लिए इन बाजारों में हमारी उपस्थिति अनिवार्य है।

4.9 पर्यावरण और वन प्रभाग

4.9.1 ईएण्डएफ प्रभाग, पर्यावरण, वन, वन्य जीवन, पशु कल्याण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4.9.2 वर्ष 2013–14 के दौरान, ई एंड एफ क्षेत्रक से संबंधित नीति निर्माण, योजना की उपलब्धियों के साथ–साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए गए:

अनुवीक्षण और मूल्यांकनः

4.9.3 पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ छमाही समीक्षा बैठकः एमओईएफ के साथ छमाही समीक्षा बैठक डॉ. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य, योजना आयोग (ई एंड एफ) की अध्यक्षता में 31 अक्तूबर, 2013 को आयोजित की गई। सचिव, एमओईएफ और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। विभिन्न स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर विचार–विमर्श किया गया। इस बैठक में, स्कीमों के कार्यान्वयन के समय झेली गई संस्थागत और वित्तीय अड़चनों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया गया। बारहवीं योजना के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भावी कार्रवाई के साथ–साथ विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामों पर चर्चा की गई।

उत्तराखंड राज्य के आपदा–पश्चात पुनर्निर्माण हेतु कार्यनीतिः

4.9.4 विगत वर्ष जून में उत्तराखंड राज्य द्वारा झेली गई अभूतपूर्व क्षति के परिणामस्वरूप राज्य को भारत सरकार की सहायता का समन्वय करने हेतु योजना आयोग को नोडल मंत्रालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था। इसमें मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्वास और अवसंरचना के पुनर्निर्माण के साथ ही आजीविका पैकेज भी शामिल है। ई एंड एफ प्रभाग ने, वैज्ञानिक और धारणीय तरीके से उत्तराखंड राज्य में आपदा–पश्चात पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार किया।

इन्सपायर (आईएनएसपीआईआरई) स्कीम के तहत पर्यावरणीय विज्ञान का समावेशन

4.9.5 पर्यावरणीय विज्ञान और अनुसंधान में मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए ई एंड एफ प्रभाग ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को, पर्यावरणीय विज्ञान को, उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु नवप्रवर्तन और विज्ञान अनुसरण (इन्सपायर) के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तंत्र तथा अनुसंधान एवं विकास आधार के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए अपेक्षित मानव संसाधन पूल का निर्माण करने हेतु इस स्कीम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रीन इंडिया मिशन संबंधी बैठकः

4.9.6 ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम), पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण स्कीम और पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस) पर एमओईएफ की समीक्षा बैठक 21 जून, 2013 को डॉ. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य (ई एंड एफ), योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ग्रीन इंडिया मिशन स्कीम के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रिमंडल से 13,000 करोड़ रू. का अनुमोदन लेने के लिए मंत्रिमंडल नोट में योजना आयोग की टिप्पणियों और विचारों को उचित रूप से शामिल किया गया था।

4.9.7 प्रभाग ने, असम के कार्बी अंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों तथा नीलगिरि के लिए पर्यावरण और वनों के संबंध में स्कीम की प्रगति की जांच की। प्रभाग ने, पर्वतीय लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर समावेशी प्रबंधन और विकास संबंधी जरूरतों के आलोक में सभी प्रस्तावों की जांच की है और लक्षित क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का समर्थन किया।

4.9.8 पर्यावरण में वर्तमान संदर्शों पर अनुसंधानः योजना आयोग के प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य इच्छुक पीजी/अनुसंधान छात्रों को राष्ट्र के शीर्ष योजना स्तर पर समग्र आयोजना प्रक्रिया से अवगत कराना है। वर्ष के दौरान, ईएंडएफ प्रभाग से सम्बद्ध तीन प्रशिक्षुओं ने निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी अनुसंधान पर अपना परियोजना कार्य प्रस्तुत किया। प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत की गई दो परियोजनाओं को नामोद्दिष्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4.9.9 जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की कार्रवाई योजनाः इस परियोजना के तहत भारत में जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसने जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्रवाई योजना (एसएपीसीसी) का विश्लेषण और समीक्षा भी की।

4.9.10 बारहवीं पंचवर्षीय योजना और हरित विकास संकेतकः इस अध्ययन के तहत ''हरित विकास'' की संकल्पना और विचार, इसे मापने और इसकी निगरानी करने के तरीके, मौजूदा ढांचों; सफलता की कहानियों का विवरण प्रस्तुत किया गया और भारत के लिए विशिष्ट हरित विकास संकेतकों का एक सेट उपलब्ध कराया गया।

4.9.11 जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुमानों से शहरी आयोजना को सुदृढ़ बनानाः इसके तहत, शहर के कार्यकरण में जलवायु परिवर्तन की भूमिका तथा शहरी आयोजना के तहत जलवायु परिवर्तन पर विचार करने के महत्व के बारे में पता लगाया गया।

4.9.12 योजना आयोग ने समावेशी विकास के लिए न्यून कार्बन कार्यनीतियां विकसित करने हेतु विशेषज्ञ समूह गठित किया। विशेषज्ञ समूह ने न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य संतुलन मॉडल विकसित किया जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथा उल्लिखित, भारत की विकास नीति नामतः तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर आधारित है। समावेशन का प्रतिरूपण, खपत वितरण वर्गों में बदलाव के माध्यम से तथा बिजली, रसोई गैस, आवास की सर्वसुलभ पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा पर वर्धित व्यय जैसी कार्रवाइयों के माध्यम से गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपातों को समाप्त करने के रूप में किया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और प्रमुख पणधारकों को प्रसारित कर दी गई है।

4.9.13 मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमंडल और व्यय वित्त समिति के समक्ष रखे जा रहे विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के अलावा, ईएंडएफ प्रभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान आरंभ की गई नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैः

- अनुसंधान और अध्ययन स्कीम के तहत अध्ययन आरंभ करना।
- न्यून कार्बन कार्यनीति पर विशेषज्ञ समूह से संबंधित और फिलहाल जारी तीन अनुसंधान अध्ययनों के अतिरिक्त ईएंडएफ प्रभाग ने एसईआर प्रभाग को वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित अध्ययन प्रस्तावों की भी सिफारिश कीः
- पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन सूचकांक (ईपीआई)
- भारत के राज्यों के लिए धारणीय विकास रिपोर्ट
- पर्यावरण और वन (ईएंडएफ) क्षेत्रक के लिए आउटकम मैट्रिक्स का मसौदा तैयार करना

ईएंडएफ प्रभाग ने, 12वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2013–14 में ईएंडएफ क्षेत्रक के व्यापक उद्देश्यों/कार्यक्रमों को शामिल करते हुए वार्षिक कार्रवाई योजना (2013–14) पुस्तिका तैयार की है। वार्षिक कार्रवाई योजना पुस्तिका को, 12वीं पंचवर्षीय योजना (जिसमें 18 स्कीमें, 54 कार्यकलाप और 220 लक्ष्य शामिल हैं) के 13 निगरानी–योग्य लक्ष्यों के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन करने हेतु एक सुलभ साधन के रूप में उपयोग किए जाने की दृष्टि से तैयार किया गया है। यह पुस्तिका नियमित निगरानी, फीडबैक और

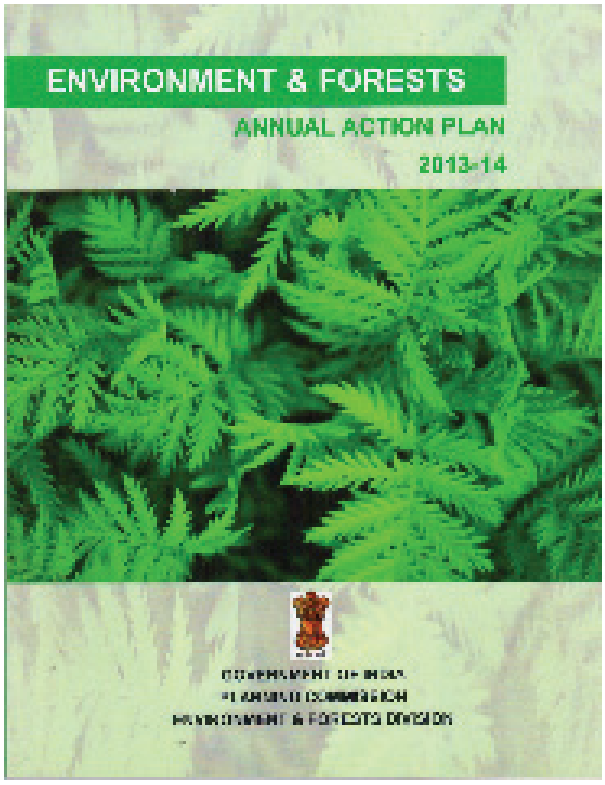

सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगी। यह पुस्तिका, वर्ष के दौरान भिन्न–भिन्न समय पर हमारी कार्रवाइयों को परिभाषित करने के नियमित अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगी तथा योजनागत लक्ष्यों को हासिल करने पर हमारा ध्यान केन्द्रित करते हुए हमें अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।

यह पुस्तिका, विशिष्ट समय–सीमाओं के साथ स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी को सुसाध्य बनाएगी और मध्यावधि मूल्यांकन के लिए सूचना उपलब्ध कराएगी। विशिष्ट नीति/कार्यक्रमों/स्कीमों के संबंध में मध्यावधि सुधार के लिए एमओईएफ के साथ विचार–विमर्श को सुसाध्य बनाने हेतु यह पुस्तिका एक सुलभ दस्तावेज के रूप में काम आएगी।

4.10 वित्तीय संसाधन प्रभाग

i) राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों का आकलन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। योजना बनाते समय संसाधनों की उपलब्धता का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाता है, संस्थागत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है और संसाधनों को जुटाने में पिछली प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है। केन्द्र और राज्यों की पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के आकार का निर्णय करते समय विभिन्न क्षेत्रकों की क्षमता के अध्ययन के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

ii) केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर – ऋण पूंजी प्राप्ति में से गैर – योजना खर्च को घटाकर तथा बजटीय लेनदारी के आधार पर सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) का आकार निर्धारित होता है। जी.बी.एस. का एक भाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) के रूप में प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय योजना परिव्यय में जीबीएस शामिल होता है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के सी.ए. तथा आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) को घटा दिया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के कुल संसाधनों में राज्य के अपने संसाधन (जिसमें उधार भी शामिल हैं) और केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। वित्तीय संसाधन प्रभाग केन्द्रीय योजना तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना दोनों के वित्तीय संसाधनों के आकलन के लिए जिम्मेदार है।

iii) समीक्षाधीन अवधि में वित्तीय संसाधन प्रभाग ने वार्षिक योजना 2013–14 के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों का आकलन किया तथा वार्षिक योजना 2014–15 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए जी.बी.एस. और इसके आबंटन का परिकलन किया। 2013–14 के लिए वार्षिक योजना बनाते समय विगत वर्षों की वार्षिक योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

वार्षिक योजना 2013–14: केन्द्र

4.10.1 2013–14 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना का परिव्यय अंतिम रूप से 680123 करोड़ रु. था, जिसमें केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता 419068 करोड़ रु. और केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का आई.ई. बी.आर. 261055 करोड़ रु. शमिल था। केन्द्रीय योजना का वित्तपोषण पैटर्न तालिका 4.10.1 में दिया गया है।

वार्षिक योजना 2013–14 (सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र)

4.10.2 सभी राज्यों और विधान मंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2013–14 के लिए कुल संसाधन 686191 करोड़ रूपए बैठता है। योजना के वित्त पोषण की संरचना तालिका 4.10.2 में दी गई है:

तालिका – 4.10.1

केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए जी.बी.एस. वित्त पोषण की योजना

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	संसाधन	2012-13 ब.अ.	2012-13 सं.अ.	2013-14 ब.अ.
1	चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.), बाह्य अनुदानों सहित		-117451	-23318
1क	बाह्य अनुदान	2887	2762	1456
2	ऋण–भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष	16924	25713	36142
3	राजकोषीय घाटा	513590	520925	542499
4	**योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (1+2+3)**	**521025**	**429187**	**555322**
5	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	129998	112002	136254
	(कुल जी.बी.एस. में प्रतिशत हिस्सा)	*24.95*	*26.10*	*24.54*
6	**केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (4-5)**	**391027**	**317185**	**419068**
	(कुल जी.बी.एस. में प्रतिशत हिस्सा)	*75.05*	*73.90*	*75.46*
7	सी.पी.एस.ई. के लिए आई.ई.बी.आर.	260482	238992	261055
8	**केन्द्रीय योजना परिव्यय (6+7)**	**651509**	**556176**	**680123**

तालिका – 4.10.2

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) के कुल योजना संसाधन

(रू. करोड़ में)

वित्त पोषण के स्रोत	2012-13		2013-14
	एपी	आरई / एलई	एपी
राज्यों के अपने संसाधन*	472038.25	427285.33	560619.11
(प्रतिशत हिस्सा)	*(78.8%)*	*(78.7%)*	*(81.7%)*
केन्द्रीय सहायता	126623.75	115460.76	125571.89
(प्रतिशत हिस्सा)	*(21.2%)*	*(21.3%)*	*(18.3%)*
कुल संसाधन	598662.00	542746.09	686191.00

*बजटीय उधार तथा पी.एस.ई. और स्थानीय निकायों के आई.ई.बी.आर. सहित

वार्षिक योजना 2014–15

4.10.3 वार्षिक योजना 2014–15 के लिए, केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को 66 स्कीमों में पुनर्संरचित करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए हैं:

i. इन स्कीमों को राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

ii. निधियां मंत्रालयों को सौंपी जाएंगी ताकि उन्हें संचित निधि मार्ग से राज्यों को अंतरित किया जा सके।

4.10.4 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2014–15 के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमान संबंधी अधिकारी स्तर की चर्चा 10 जनवरी, 2014 को शुरू हुई थी और उन्हें फरवरी, 2014 में पूरा कर लिया गया।

अन्य गतिविधियां – रिपोर्टें, समीक्षा नोट्स आदि

- केन्द्र की वार्षिक योजना 2014–15 के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) को अंतिम रूप देना।
- वार्षिक योजना 2013–14 और 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच श्रृंखलाबद्ध बैठकों के लिए राज्यों की वित्तीय स्थिति और योजना वित्तपोषण पर नोटस तैयार करना।
- राज्यों/यू.टी. (ज) की योजना और केन्द्रीय योजना के वित्तयन और विकास शीर्ष–वार उनकी वार्षिक योजना की उपलब्धियों पर आर्थिक सर्वेक्षण में योगदान दिया।
- 14वें वित्त आयोग के टी.ओ. आर्स से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों की पुनर्संरचना।
- संघीय बजट 2013–14 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समन्वय।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

4.10.5 योजना लेखाकरण और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीए एंड पीएफएमएस) जिसे केन्द्रीय योजना स्कीम अनुवीक्षण प्रणाली (सीपीएसएमएस) के नाम से भी जाना जाता है, विगत कुछ वर्षों से प्रचालनरत है। इसकी शुरूआत केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के व्यय का वास्तविक समय पर पता लगाना तथा सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई.एस.) और निर्णय सहायता प्रणाली (डी.एस.एस.) को जनरेट करना है। योजना आयोग की स्कीम के रूप में इसका कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

4.10.6 विभिन्न राज्यों में कुछ प्रायोगिक आरंभ करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए दिसम्बर, 2013 में सीपीएसएमएस को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने के लिए अनुमोदन दिया और सरकार ने इसे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का नया नाम भी दिया है। स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की योजना का उद्देश्य, राज्य और केन्द्रीय खजाना प्रणालियों और कोर बैंकिंग प्रणालियों की नेटवर्किंग की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाना था। इस स्कीम को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा 12वीं योजना की पहल के रूप में अनुमोदित किया गया।

4.10.7 इस प्रणाली में निम्नलिखित का प्रावधान होगा (i) सभी योजना स्कीमों हेतु वित्तीय प्रबंधन प्लेटफार्म; (ii) सभी प्राप्तकर्ता अभिकरणों का डेटाबेस; (iii) योजना निधियों का रख–रखाव कर रहे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकरण; (iv) राज्य खजाने के साथ एकीकरण; (v) सरकार की योजना स्कीमों हेतु

कार्यान्वयन के सबसे निचले स्तर तक निधियों के प्रवाह पर प्रभावशाली एवं कुशल निगरानी। यह निधि के सदुपयोग पर देश में कार्यान्वयन अभिकरणों/सभी योजना स्कीमों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगी जिससे बेहतर निगरानी और समीक्षा में सहायता मिलेगी तथा निर्णय सहायता को बढ़ावा मिलेगा जिससे योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही में बढ़ोतरी होगी। इसके फलस्वरुप, सरकार के लिए बेहतर नकद प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और सभी स्कीमों के तहत संसाधन उपलब्धता और उपयोग पर तत्काल सूचना के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में कारगरता और मितव्ययिता आएगी। रॉल आउट के फलस्वरुप कार्यक्रम प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, प्रणाली में लोट में कमी आएगी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान होगा तथा सार्वजनिक निधियों के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। प्रस्तावित प्रणाली, शासन को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगी।

सरकार के निर्णयों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में चार वर्षों (2013–17) की अवधि के दौरान, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के माध्यम से कार्यान्वित स्कीम का कुल योजना परिव्यय 1080 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। वांछित राशि का प्रावधान योजना में किया गया है।

ii. परियोजना संगठन ढांचा अर्थात शीर्ष स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी), केन्द्र के स्तर पर केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाइयां (सीपीएमयू) तथा राज्यों और जिलों के स्तर पर क्रमशः राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयां (एसपीएमयू) और जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयां (डीपीएमयू) गठित की जाएंगी।

iii. निम्नलिखित पदों का सृजन–एचएजी लेवल (67,000–79,000 रुपए) पद–1 (एक); एसएजी लेवल (37,400–67,000+ग्रेड पे 10000 रुपए)–22 (बाईस)–कुल 23 [एनआईसी–1 (सीपीएमयू), केन्द्रीय पीएमयू–3, राज्य पीएमयू–19]

iv. उक्त (iii) पर सृजित किए जा रहे पद तथा स्कीम के लिए सृजित किए जाने वाले अन्य पद योजना आयोग के अंतर्गत होंगे। एनआईसी के लिए निर्धारित तकनीकी पदों के अलावा, जहां तक संभव हो, नवसृजित पदों को सीजीए प्रणाली में पहले ही से उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से भरा जा सकता है तथा शेष पदों को, विभिन्न लेखा सेवाओं से यथावश्यकतानुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों से समुचित अनुभव तथा विशेषज्ञता वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाकर पूरा किया जा सकता है। स्कीम के लिए उक्त सभी पद अस्थायी होंगे तथा केवल बारहवीं योजनावधि (वित्त वर्ष 2016–17 तक) के लिए प्रचालनीय होंगे।

पीएफएमएस के संबंध में अब तक की प्रगति निम्नानुसार है:–

i. केन्द्र सरकार की योजना निधियों को प्राप्त करने वाली सभी प्रथम स्तर की एजेंसियों को प्रणाली में, उनके बैंक खातों के ब्यौरे के साथ, पंजीकृत कर लिया गया है। इसके फलस्वरुप, निधियों के भौगोलिक वितरण पर स्कीम–वार, क्षेत्रक–वार रिपोर्टें तात्कालिक आधार पर उपलब्ध हैं। ये रिपोर्टें प्रश्न और प्रपत्र आधारित हैं।

ii. पीएफएमएस ने, बैंक खातों के तुरंत विधिमान्यकरण, लाभार्थी के बैंक खातों में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक जमा और कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंक द्वारा समाधान किए गए व्यय ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु 102 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, 69 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 7 प्रमुख

निजी क्षेत्रक बैंक) के साथ सुरक्षित और सक्रिय इंटरफेस प्रचालित किया है।

iii. पीएफएमएस एक साझा मंच है जिसका उपयोग भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम के कार्यान्वयन हेतु किया जा रहा है। पीएफएमएस की ई–भुगतान सुविधा के उपयोग से 24.35 लाख लाभार्थियों को 1630.72 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

iv. पीएफएमएस पोर्टल पर 18,50,000 से अधिक एजेंसियों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है। ये एजेंसियां, उन लाभार्थियों, जिनके बैंक शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं, को निधियों के अंतरण और ई–भुगतान, दोनों के संबंध में ट्रांजेक्शनों हेतु पीएफएमएस सुविधा का उपयोग कर रही हैं।

v. पीएफएमएस को केन्द्र सरकार के स्तर पर पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों से योजना स्कीमों हेतु जारी राशि को विशिष्ट स्वीकृति आईडी के साथ पीएफएमएस के माध्यम से जारी किया जाता है।

vi. पीएफएमएस के मुख्य उपयोगकर्ताओं में योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सभी केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं।

vii. पीएफएमएस, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार, लेनदेन–आधारित, सुदृढ़, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) सृजित करने हेतु तैयार है। अन्य एमआईएस अनुप्रयोगों से भिन्न, जहां वित्तीय एमआईएस कार्योत्तर डेटा प्रविष्टि पर निर्भर करती है, पीएफएमएस में निधि उपयोग डेटा का, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित बैंकिंग लेनदेनों के साथ सीधा संबंध रहता है। अतः इस प्रणाली से उपलब्ध एफएमआईएस में, वास्तविक समय आधार पर, वित्तीय लेनदेनों का बैंकों द्वारा समाधान किया गया डेटा होता है।

viii. पीएफएमएस के माध्यम से ई–भुगतान (लाभार्थियों के खातों में सीधा अंतरण) को 64,40,000 लाभार्थियों को शामिल करते हुए एमजीएनआरईएस के तहत बिहार में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। ओडिसा में एनआरएचएम, एसएसए और मध्याह्न भोजन स्कीमों के तहत शीघ्र ही ई–भुगतान शुरु हो जाने की आशा है।

ix. विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण हेतु पीएफएमएस अनुप्रयोग का उपयोग करने में रूचि दर्शाई है।

x. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के खजानों द्वारा लाभार्थियों को सीधा भुगतान करने हेतु पीएफएमएस का उपयोग किया जा रहा है।

xi. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य खजानों के माध्यम से वितरित की गई निधियों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र राजकोष के साथ एक इंटरफेस पहले ही चालू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और ओडिसा के राजकोष के साथ इसी प्रकार के इंटरफेस चालू करने का कार्य भी प्रगति पर है।

xii. समर्पित सार्वजनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से संगत डेटा को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

4.11 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग

4.11.1 परिचय

4.11.1.1 स्वास्थ्य न केवल सामाजिक अपितु आर्थिक जरूरत भी है। सभी लोगों की शारीरिक और मानसिक

तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य–सेवा का एक मूलभूत स्तर सुनिश्चित करने की जरुरत है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण सेवाओं की सुलभता विकास कार्यनीति के प्रमुख तत्व हैं जिसके लिए योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

4.11.1.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में विगत छह दशकों से की जा रही सरकारी पहलों से, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, मृत्यु–दर और जनन–दर में गिरावट, चेचक, गुनिया के कीड़े और पोलियोमाइलीटीस के उन्मूलन की दृष्टि से देश के स्वास्थ्य मानकों में काफी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। फिर भी, स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कुपोषण और मृत्यु की उच्च दरों वाले क्षेत्र विद्यमान हैं। जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब भी गैर–संक्रामक रोगों से पीड़ित है, जो उभर कर सामने आ रहे हैं और इसके अलावा संक्रामक और प्रजनन तंत्र की स्थितियों से उत्पन्न खतरे भी बने हुए हैं।

4.11.1.3 लोगों की बढ़ती हुई उम्मीदों तथा स्वास्थ्य देख–भाल की बढ़ती लागत से देश असमंजस में है। दूरदराज स्थित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों का सामना तुरंत करना होगा। समस्या की गंभीरता को देखते हुए ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को एक जवाबदेह, स्वीकार्य और वहनीय गुणवत्तापूर्ण सेवा में बदलने पर जोर दिया गया था। सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज के दीर्घकालिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश के स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी तंत्र के सुधार हेतु रोडमैप दिया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि राज्यों द्वारा वैश्विक अनुभव और वर्तमान स्थानीय ढांचों पर विचार करने के बाद यूएचसी प्रायोगिक आंरभ किए जाएं।

4.11.2 स्वास्थ्य प्रभाग की जिम्मेदारियां

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और पोषण तथा विशेष रूप से फ्लैगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के संबंध में नीति और कार्यनीति का विकास करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण जैसे– मरक–विज्ञान से संबंधित, जनसांख्यिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियां।
- केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक, दोनों में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण में मौजूदा नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों को जांचना और उनमें मध्यावधि सुधार करना तथा उचित संशोधनों हेतु सुझाव देना।
- सेवाओं की कुशलता और गुणवत्ता में सुधार हेतु तरीके सुझाना।
- जनता की स्वास्थ्य स्थिति तथा तीव्रजन संख्या स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी, क्लिनिकल और प्रचालनात्मक सुधारों के लिए प्राथमिकताएं विकसित करना।
- अन्तर क्षेत्रकीय मुद्दों को देखना तथा उचित नीतियां और रणनीतियां विकसित करना, ताकि सेवाओं का अभिसारण किया जा सके जिससे वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सके।
- इन सभी क्षेत्रकों के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन संदर्श और लक्ष्य तैयार करना।
- प्रभाग निम्नलिखित के लिए योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:–
  - i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, एनएसीओ विभाग की विभिन्न समितियों में।
  - ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, एनएसीओ विभाग के एस.एफ.सी./ई.एफ.सी.।

iii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह।

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के बारे में योजना आयोग को सलाह देने के लिए समय–समय पर विशेषज्ञ पैनल गठित किए जाते हैं। यह प्रभाग इन समितियों की सहायता करता है।

4.11.3 बारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकताएं

12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

4.11.3.1 वित्तपोषण:

- निधियन, प्रोत्साहन और सुधार हेतु एक साधन है। 12वीं योजना में संवर्धित निधियन की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय निधियन में लचीलापन रहेगा, ताकि उनके स्वास्थ्य बजट में उचित विस्तार किया जा सके।

4.11.3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:

- समग्र स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण के निर्माण हेतु प्रतिमान शिफ्ट।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विस्तारित कर दिया गया जिसमें सार्वजनिक कवरेज के सिद्धांत, गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि, देखभाल की सततता, प्रभावी शासन संरचना तथा विकेंद्रित योजना आदि को सुनिश्चित किया गया।
- क्षेत्रकों के भीतर और बाहर सेवाओं का अभिसारण और समन्वित डिलीवरी।
- आवश्यक, जैनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी रोगियों को मुफ्त में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। ऐसी आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची, आयुष सहित मानक इलाज संबंधी दिशानिर्देश जारी करते हुए, प्रचालित की जाएगी।

4.11.3.3 विनियमन:

- समर्पित जनस्वास्थ्य संवर्ग के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यानकेंद्रण करना जिसमें राज्य स्तर पर उचित नियमन होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम को अधिनियमित और लागू करना। स्वास्थ्य, चिकित्सा पद्धति, भेषज और खाद्य का कारगर विनियमन। केन्द्रीय क्लिनिकल स्थापना अधिनियम का विस्तारण कर उसे लागू करना।

4.11.3.4 मानव संसाधन:

- देश में स्वास्थ्य कार्मिकों की मौजूदा उपलब्धता की स्थिति में सुधार करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्रक हेतु मानव संसाधन का विकास करना जो प्रति लाख आबादी के लिए 250 स्वास्थ्य कार्मिकों की न्यूनतम आवश्यकता से कम है, इसे तेरहवीं योजना के अंत तक प्रति लाख आबादी के लिए 500 स्वास्थ्य कार्मिकों तक बढ़ाना तथा डॉक्टर्स और नर्सों के अनुपात में भी सुधार करना, अर्थात 2012 में 1:1.6 से 2017 में 1:2.8 करना तथा 2022 तक 1:3 करना।
- राज्यों में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना जो वर्तमान में बहुत कम है, इसके लिए जिला अस्पतालों को शिक्षण संस्थाओं में बदलना।

4.11.3.5 स्वास्थ्य सूचना प्रणाली:

- साक्ष्य–आधारित निर्णय प्रक्रिया हेतु सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की नेटवर्किंग के माध्यम से स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का निर्माण करना। इस प्रणाली को सुस्थापित राज्य–स्तरीय रोग निगरानी प्रणालियों, जन्म एवं मृत्यु के सर्वव्यापी पंजीकरण पर आधारित किया जाएगा ताकि जनता के स्वास्थ्य की सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

4.11.3.6 सर्वसुलभ स्वास्थ्य कवरेजः

सर्वसुलभ स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की प्रणाली की स्थापना करना दीर्घकालीन उद्देश्य होगा। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले और अधिकतम तीन जिलों में यूएचसी पायलैट शुरू की जाएंगी। ऐसे जिले सम्भवतः राज्य के प्रातिनिधिक नमूने होंगे तथा वहां विद्यमान प्रणालियां इतनी सुदृढ़ होंगी कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों यथा आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर, पूर्ण प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसूति और बाल लिंग अनुपात के आधार पर सेवा पैकेज और अन्य संस्थागत नवप्रवर्तनों का परीक्षण और मापन किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रत्येक राज्य में तीन जिलों की पहचान की है और इसे सभी राज्यों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया है कि इनमें से एक जिले में प्रायोगिक (पायलट) आरंभ किया जाए। तथापि, राज्य, यूएचसी पायलट हेतु किसी अन्य जिले का विकल्प प्रस्तावित कर सकते हैं और जिले के चयन का औचित्य सिद्ध करने हेतु तर्काधार प्रस्तुत कर सकते हैं। इन यूएचसी पायलटों का वित्तपोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत किया जाएगा। इस प्रभाग ने, यूएचसी पायलटों के लिए तैयारी के संबंध में उपाध्यक्ष की पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का समन्वय किया।

4.11.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना कार्य समूह की चर्चाएं

4.11.4.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग ने वार्षिक योजना 2013–14 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के साथ तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी विस्तृत विचार–विमर्श किया। राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्रक हेतु परिव्यय में वृद्धि करने और जनता के हित के लिए निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वार्षिक योजना परिव्यय को वर्ष 2012–13 के वास्तविक व्यय की तुलना में 9.54 प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

4.11.5 प्लान स्कीमों के संबंध में स्वास्थ्य प्रभाग की भूमिका

4.11.5.1 प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और एन. ए. सी. ओ. विभाग की स्कीमों के संबंध में मौजूदा योजना स्कीमों, यानी स्थायी वित्त समिति (एस. एफ. सी.)/व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.)/आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.) के प्रस्तावों के सैद्धान्तिक अनुमोदन और उनकी जांच करने का अपना काम जारी रखा।

4.11.5.2 प्रभाग ने 2013–14 में, मंत्रिमंडल के 22 प्रस्तावों और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के 52 प्रस्तावों की पड़ताल की और उनकी संस्तुतियां कीं।

4.12 आवास और शहरी मामले प्रभाग

4.12.1 परिचय

4.12.1.1 आर्थिक विकास और शहरीकरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उनके बीच करण–कारण संबंध है। भारत के नगर देश के आर्थिक विकास के वाहकों के रूप में उभर रहे हैं क्योंकि वे सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2011 के जनगणना अनुमानों के अनुसार, भारत में 2001 में शहरी जनसंख्या 290 मिलियन थी जो 2011 में 377 मिलियन हो गई, जो देश की कुल जनसंख्या के 31 प्रतिशत से अधिक है। 2001 में कस्बों की संख्या 5161 थी, जो बढ़ कर 2011 में 7935 हो गई। तीव्र शहरीकरण ने आर्थिक विकास के साथ ठोस सकारात्मक संबंध दिखाए हैं। शहरी क्षेत्रों में यह विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अवसर सृजित करता है तथा इसकी उत्पादकता में सहायक है, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शहरों के साथ निकटस्थता से जुड़े हैं।

4.12.1.2 अभी तक शहरीकरण की सही स्थिति ज्ञात नहीं है और वर्तमान स्तर पर भारतीय शहर अब भी संघर्ष के दौर पर हैं। हमारे देश के शहरों में जीवन की गुणवत्ता खराब है, चूंकि अधिकांश नागरिकों को धारणीय जीवन–यापन के अवसर और बुनियादी सेवाएं मुश्किल से ही उपलब्ध होती हैं। शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है और कई झुग्गीवासियों के पास बुनियादी सफाई सुविधाएं और सरकारी प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर नहीं हैं। भारत में, अनौपचारिक क्षेत्र और शहरी गरीबी के बीच काफी ज्यादा समनुरूपता है क्योंकि शहरी गरीबों का एक बड़ा वर्ग ऐसे अनौपचारिक क्षेत्रक से जुड़ा है जिसकी उत्पादकता कम है, मजदूरी कम है और जो कमज़ोर है क्योंकि इनमें से अधिकतर क्षेत्रक विभिन्न नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर चल रहे हैं। अभी तक विनिर्माण क्षेत्रक ने औपचारिक नियोजन में ठीक–ठाक भूमिका निभाई है जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने की दर के काफी कम रहने को एक हद तक समझा जा सकता है।

4.12.1.3 आवास और शहरी मामले (एच. यू. ए.) प्रभाग की जिम्मेदारी आयोजना, समन्वय, स्वरूपण, प्रक्रिया, जांच, विश्लेषण और मॉनीटरण आदि की है। ये स्कीमें/कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय(एम.ओ.यू.डी.) तथा आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्रकों में शामिल हैं– सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी गरीबी उपशमन, झुग्गी बस्तियों का स्तरोन्नयन आदि।

4.12.1.4 इन मुद्दों से पार पाने के लिए, सरकार ने अपना ध्यानकेंद्रण करते हुए कई स्कीमों की शुरूआत की है, ताकि शहरी नवीकरण और विकास किया जा सके। इसमें शामिल हैं:–

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) जो अब एक प्रायोजित स्कीम है।
- एसजेएसआरवाई जिसे 24.9.2013 को एनयूएलएम के रूप में पुनर्संरचित किया गया।
- आवास तथा शहरी गरीबों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) को राजीव ऋण योजना (आर.आर.वाई) के रूप में 01 अक्टूबर, 2013 से संशोधित तथा पुनर्गठित किया गया।
- राजीव आवास योजना को, जिसमें साझेदारी से सस्ते आवास का उप–संघटक भी है, 12वीं योजनावधि में केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया।
- राष्ट्रीय संधारणीय पर्यावास मिशन (एनएमएसएच) का अनुमोदन किया गया ताकि नगरों के संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने और उन पर ऊर्जाक्षय को कम करने से जुड़ी परियोजनाओं/गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

4.12.1.5 आवास और शहरी विकास प्रभाग ने इन स्कीमों के रूपरेखण और शिल्पनिर्माण में योगदान किया है और वह मंत्रालयों के साथ वार्षिक योजना चर्चाओं का आयोजन करता रहा है तथा राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करता रहा है ताकि बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्य इनपुट प्रदान किए जा सकें। यह इन स्कीमों के तहत वार्षिक बजट आवंटन का निर्णय लेने में भी विचार–विमर्श करता रहा है।

4.12.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.)

4.12.2.1 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) एक सुधार सम्बद्ध फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो 03 दिसंबर, 2005 को 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। 65 मिशन शहरों जिनमें मेगा शहर, मिलियन से ज्यादा संख्या वाले शहर, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के अन्य शहर या राज्यों की राजधानियां हैं, को ध्यानकेंद्रण जारी रखने हेतु यह शुरू की गई है। मिशन का उद्देश्य है कि इन 65 मिशन शहरों के एकीकृत विकास का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिसके लिए इनमें प्रत्येक शहर को अपनी शहरी विकास योजना (सी. डी. पी.) तैयार करने की जरूरत है, शहर

के लिए दीर्घकालीन विजन तैयार करना है तथा अवसंरचना सहायता के माध्यम से इसके प्रयासों में सहयोग देना है। इस मिशन की एक आवश्यक जरूरत शहरी सुधारों का कार्यान्वयन है। इसका यह भी लक्ष्य है कि जहां संभव हो वहां सार्वजनिक–निजी सहभागिता व्यवस्था के माध्यम से, परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा वित्तपोषण में निजी क्षेत्रक की कुशलता का उपयोग किया जाए तथा उसे बेहतर बनाया जाए।

4.12.2.2 ग्यारहवीं योजना की समाप्ति पर, कई परियोजनाएँ पूरी नहीं हो पाई थीं। इसके अलावा, इनके सहज कार्यान्वयन हेतु यह अनिवार्य हो गया था कि जेएनएनयूआरएम की सीख को शामिल करने के बाद, कार्यक्रम की रूपरेखा बेहतर हो। बारहवीं योजना ने दूसरी पीढ़ी के मुख्य सुधारों को लागू किए जाने की सिफारिश भी की थी, जैसे–नगरपालिका कैडरों की स्थापना, नगरपालिका नियामक तथा आयोजना संबंधी सुधार। बारहवीं योजना में संस्तुत एक प्रमुख परिवर्तन यह रहा है कि छोटे और मंझोले आकार के नगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और केवल बड़े ''मिशन'' शहरों को समर्थन देने की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। लिहाजा, संक्रांति दौर के रूप में, कार्यक्रम को अगले दो वर्षों तक और जारी रखा गया जिसमें पूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने, जो ग्यारहवीं योजनावधि में एक मुख्य बाधा के रूप में सामने आया था, और शहरी आयोजना को मुख्यधारा में लाने के लिए शुरूआती कदम उठाने का अधिदेश दिया गया। एचयूए प्रभाग ने क्षमता निर्माण तथा शहरी आयोजना संबंधी संचालन समिति का गठन भी किया है ताकि इन क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए कार्यनीति और दिशानिर्देश विकसित किये जा सकें।

4.12.3 कार्यान्वयन की स्थिति

4.12.3.1 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) ने शहरी क्षेत्रक में निवेश के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम के बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी घटकों के तहत 1589 परियोजनाएं, जिनके लिए मिशन अवधि हेतु कुल 40,251 करोड़ रू. की सहायता मंजूर की गई है जिसमें से 21,595 करोड़ रूपए केंद्रीय सहायता के रूप में है और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में अब तक 17,118 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 7,95,866 आवासीय इकाइयां पूरी हो चुकी हैं, 3,69,333 आवासीय इकाइयां प्रगति पर हैं और 3,55,575 आवासीय इकाइयों का काम अभी शुरू होना है।

4.12.3.2 जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत, कुल 610 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनकी कुल परियोजना लागत 66,699.72 करोड़ रूपए है जिसमें से कुल प्रतिबद्ध अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 31,090.85 करोड़ रूपए तथा जारी की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 21,741.54 करोड़ रूपए है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 227 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

4.12.3.3 जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 494.38 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई है जिसमें से प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता राशि 406.38 करोड़ रूपए थी तथा जारी की गई एसीए 252.53 करोड़ रूपए थी।

4.12.3.4 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) राज्यों के भीतर और यू. एल. बी. (ज) में शहरी सुधारों हेतु व्यापक प्रक्रियाएं शुरू करने में निश्चित रूप से सहायक रहा है। फिर भी, सुधारों के तीव्र कदम और गहराई की आवश्यकता है। कार्यक्रम के सात वर्षों के दौरान राज्य तथा यूएलबी स्तर पर सुधार में कुछ प्रगति हुई है, हालांकि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा यूलबी द्वारा कई महत्वपूर्ण सुधारों का कार्यान्वयन अभी शेष है, जैसे–74वें संविधान संशोधन के मुताबिक, सभी कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपना, जल–संग्रहण में संगठन और प्रबंधन लागतों को शामिल करने के लिए प्रयोक्ताओं से उचित शुल्क लेना तथा संपत्ति–कर का कवरेज।

4.12.4 शहरी गतिशीलता

4.12.4.1 योजना आयोग का एक मुख्य कार्य शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं की पड़ताल, मूल्यांकन और संस्तुति करना है। योजना

आयोग इस बात पर बल देता रहा है कि कुशल और सस्ते सार्वजनिक परिवहन का सृजन कर शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने का मुद्दा कुशल शहरीकरण के लिए सबसे अहम है। सार्वजनिक परिवहन नगरों की परिवहन व्यवस्था की अफरा–तफ़री और उससे पैदा होने वाले प्रदूषण को ठीक करने के अलावा, नागरिकों और ख़ासकर महिलाओं तथा शहरी गरीबों को शहरी श्रम बाज़ार में अधिक कुशलतापूर्वक सहभागी बनने का अवसर भी प्रदान करता है। जेएनएनयूआरएम के शहरी अवसंरचना तथा शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत, 8,303.13 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत वाली 106 परियोजनाओ को मंजूरी दी गई ताकि सड़कें, शिरोपरि, पुलोपरि सडकें (आरओबी) बेहतर हो सकें। इनके अलावा, अन्य सार्वजनिक परिवहन के लिए 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनकी अनुमोदित लागत 790.64 करोड़ रूपए है। स्कीम के तहत,15,485 से अधिक बसों की ख़रीद के लिए भी ख़ासी आर्थिक सहायता दी गई जिनकी कुल लागत 4,723.94 करोड़ रूपए थी। जेएनएनयूआरएम 2013–14 की विस्तारित अवधि के दौरान, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 121 नगरों/क्लस्टरों के लिए 10,502 बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनकी अनुमानित लागत 4225 करोड़ रूपए (लगभग) है। बस त्वरित परिवहन परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। प्राप्त अनुभवों पर आधारित इन परियोजनाओं को जहां शुरू किया जाता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह अंतिम छोर तक सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराए और यह परियोजना सफल रही है।

4.12.4.2 दिल्ली मेट्रो रेल के चरण–II को, जिसके तहत मेट्रो लाइन को नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद तक विस्तारित किया जाना था, 11वीं योजना के तहत सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो का चरण–III संस्वीकृत किया गया है जिस पर 35,000 करोड़ रूपए का निवेश होगा। इस चरण का काम जारी है। बंगलौर, चेन्नै और कोलकाता में भी सरकारी क्षेत्रक परियोजना के रूप में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर 31,000 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से कार्यान्वयन हो रहा है तथा हैदराबाद और मुंबई में 22000 करोड़ रू. से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं सार्वजनिक–निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए कई नगरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के प्रयास 12वीं योजना में भी जारी रखे गए हैं। 11वीं योजना में संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिनमें जयपुर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बंगलौर मेट्रो फेज–II, मुंबई मेट्रो लाईन–III को भी संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इन पर काम चल रहा है। योजना आयोग अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के निर्माण तथा चेन्नई में मेट्रो परियोजना के विस्तार की भी पड़ताल कर रहा है।

4.12.5 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

4.12.5.1 बारहवीं योजना में की गई सिफारिश के अनुसार ही, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एसजेएसआरवाई को 24 सितम्बर, 2013 को पुनर्संरचित कर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की शुरूआत की। एनयूएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना तथा शहरी गरीब परिवारों की नाजुकता को कम करने के लिए उन्हें लाभप्रद स्वरोज़गार और मज़दूरीयुक्त कौशल नियोजन के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि उनकी आजीविका नियमित रूप से संतोषजनक बनी रहे और इसके लिए गरीबों हेतु निचले स्तर पर सशक्त संस्थानों का निर्माण करना होगा। इस मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध रूप में ऐसा आश्रय उपलब्ध कराना होगा जिनमें आवश्यक सेवाएं मौजूद हों। इसके अलावा, यह मिशन शहरी खोमचे वालों की आजीविका समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें उपयुक्त स्थान, सांस्थानिक ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा कौशल उपलब्ध कराएगा ताकि वे बाज़ार में उभरते अवसरों का लाभ उठा सकें। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, एनयूएलएम का सभी ज़िला मुख्यालय शहरों तथा ऐसे

अन्य नगरों में कार्यान्वयन किया जाएगा, जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है। राज्यों के अनुरोध पर, अन्य शहरों को भी आपवादिक रूप से शामिल किया जा सकता है।

4.12.5.2 वित्तपोषण पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम; हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के मामले में 90:10 तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 75:25 होगी।

4.12.6 सस्ता आवास तथा झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास

4.12.6.1 बारहवीं योजना के नोट्स के अनुसार, आवासीय कमी के आकलन के लिए आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर कुंडू के नेतृत्व में गठित तकनीकी समूह ने 2012–13 में शहरी क्षेत्रों में 18.78 मिलियन आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान लगाया था। विवरण निम्नवत् है:

प्रकार	2012 का आकलन (मिलियन में)
गैर–मरम्मती योग्य कच्चे घरों में रह रहे परिवार	0.99
पुराने घरों में रह रहे परिवार	2.27
भीड़ भरे घरों में रह रहे परिवार जिनके लिए नए मकान आवश्यक हैं	14.99
बेघर जैसी स्थिति में रह रहे परिवार	0.53
कुल	**18.78**

4.12.6.2 उक्त तालिका से पता चलता है कि कुल कमी का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा ऐसे मकानों का है जो भीड़ भरे हैं तथा लगभग 0.53 मिलियन लोग बेघर हैं जिनके लिए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। इन अनुमानों से इस बात की पुष्टि होती है कि ज्यादातर कमी कम आय वाले वर्ग में है। इनसे यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 9 मिलियन से ज्यादा आवासीय इकाइयां रिक्त पड़ी हैं। उक्त की एक व्याख्या यह हो सकती है कि परिवार बचत के लिए आवास क्षेत्रक में निवेश को प्राथमिकता देते हैं, किंतु बडी संख्या में खाली घरों की मौजूदगी से यह भी पता चलता है कि यह क्षेत्रक गंभीर विकृति से जूझ रहा है जो कई कारणों से है जिनमें अपर्याप्त कानूनी प्रावधान शामिल हैं जिनके कारण इन आवासीय इकाइयों को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

4.12.6.3 इतनी अधिक कमी के बावजूद, सरकार जेएनएनयूआरएम और अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत 2005 से केवल 1.6 मिलियन आवासीय इकाइयों को मंजूरी दे सकी है।

4.12.6.4 बारहवीं योजना में की गई संस्तुति के अनुसार, राजीव आवास योजना शुरू की गई है और यह पहले चरण के अपने अनुभवों को शामिल कर रही है तथा उचित प्रत्युत्तर हेतु स्कीम शुरू की गई है। बेघर लोगों के लिए, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक विशेष घटक शुरू किया गया है जिसमें बेघरों के लिए आश्रय के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

4.12.6.5 ये उपाय सही दिशा में हैं, हालांकि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि झुग्गी बस्तियों के लिए सरकार द्वारा मकान बनाना ही देश में आवास की ज़रूरतों का समाधान करने की मुख्य कार्यनीति नहीं हो सकती। इसकी बजाए, योजना आयोग यह सिफारिश करता है कि आपूर्ति बढ़ाने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क बनाकर सस्ते घरों का प्रावधान करना तथा मांग बढ़ाने के लिए सांस्थानिक ऋण का प्रवाह बनाने के उपाय करना ज़रूरी है। आयोग ने निम्नांकित स्कीमों का मूल्यांकन किया है और उन्हें शुरू करने में योगदान दिया है:

4.12.7 राजीव ऋण योजना

4.12.7.1 शहरी गरीबों को आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) को संशोधित और पुनर्संरचित कर राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) बनाई गई। आईएसएचयूपी का कार्यकाल 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त हो चुका है और राजीव ऋण योजना 01 अक्टूबर, 2013 से प्रभावी है। बारहवीं योजनावधि में, आरएवाई को केंद्रीय क्षेत्रक एक अलग स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसका लक्ष्य देश के शहरों और नगरों में रह रहे 10 लाख शहरी गरीब होंगे जिनमें झुग्गी बस्तियों और गैर–झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग भी शामिल होंगे। इस स्कीम का लक्ष्य मकान खरीदने/बनाने अथवा उसके विस्तार/जोड़ के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों/एलआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को 5 लाख रूपए तक का दीर्घकालिक ऋण 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराना है। एलआईजी श्रेणी के लिए आवासीय इकाई की लागत सीमा 8 लाख रूपए होगी। बारहवीं योजनावधि के लिए, आरआरवाई के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय लगभग 3,850 करोड़ रूपए है।

4.12.7.2 इस स्कीम के अंतर्गत 4,110 शहरों को शामिल किया गया है और कुल 5625.20 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। शहरी गरीबों को अपनी पसंदीदा शर्तों पर रोज़गार बाज़ार में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कौशलयुक्त बनाने और स्व–रोज़गार को बढ़ावा देने की ऊँची मांग तथा महत्व को देखते हुए, वास्तविक बजटीय प्रावधान 1,750 करोड़ रूपए के मूल योजना परिव्यय से कहीं अधिक था।

4.12.8 राजीव आवास योजना

4.12.8.1 झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों के पूरक के तौर पर, राजीव आवास योजना जून, 2011 में शुरू की गई थी। इसका दो वर्ष की अवधि का शुरूआती चरण जून, 2013 में समाप्त हो चुका है और 2013–2022 अवधि के लिए सितम्बर, 2013 से कार्यान्वयन चरण शुरू किया गया है। यह स्कीम देश के सभी नगरों/यूएज पर लागू है। नगरों/यूएज का चयन राज्यों द्वारा केंद्र के परामर्श से किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने तथा सृजित परिसम्पत्तियों के बुनियादी, सिविक तथा सामाजिक अवसंरचना के विकास/संवर्द्धन तथा प्रचालन और रखरखाव हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है। आरएवाई में, साझेदारी में सस्ती आवासीय स्कीमों का घटक है।

4.12.8.2 आरएवाई तथा एएचपी के अंतर्गत, 6703.39 करोड़ रूपए की लागत वाली 177 परियोजनाएँ अनुमोदित की गईं जिनमें से कुल प्रतिबद्ध एसीए 3540.92 करोड़ रूपए है और 870.86 करोड़ रूपए की एसीए जारी की जा चुकी है। कुल 1,27,680 मकान संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 4,474 मकान बनकर तैयार हैं और 19,512 मकान निर्माणाधीन हैं।

4.12.9 अन्य क्रियाकलाप

4.12.9.1 प्रभाग ने नई दिल्ली के हैरिटेज के शहरी नवीकरण विषय पर दो दिन की संगोष्ठी 23–24 जनवरी, 2014 को करने के लिए आगा खां ट्रस्ट को सहयोग दिया। सरकार ने सभी केंद्र प्रायोजित स्कीम (जिसमें जेएनएनयूआरएम शामिल है) के परिव्यय का 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधि के रूप में उपयोग करने को मंजूरी दी है जिसके तहत नवप्रवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2014–2015 से वित्तपोषित किया जा सकता है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय की मध्यावधि समीक्षा भी पूरी हो चुकी है। केंद्र प्रायोजित स्कीम में राज्य विशिष्ट के दिशानिर्देशों को शामिल करने के राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है।

4.13 उद्योग प्रभाग

4.13.1 उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के लिए नोडल प्रभाग है:

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।
- कपड़ा मंत्रालय।

- उर्वरक विभाग।
- रसायन और पेट्रो – रसायन विभाग।
- भारी उद्योग विभाग।
- लोक उद्यम विभाग।
- कारपोरेट मामले मंत्रालय।
- इस्पात मंत्रालय।
- फार्माश्यूटिकल विभाग।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय।

4.13.2 इसके अलावा, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में योजना स्कीमों के उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता है:–

- जैव – प्रौद्योगिकी विभाग।
- परमाणु ऊर्जा विभाग।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग।
- पोत परिवहन मंत्रालय।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

4.13.3 उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद प्रभाग में वर्ष 2013–14 के लिए योजनाबद्ध वार्षिक परियोजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बैठकों में भाग लिया। उद्योग प्रभाग ने विभिन्न निवेश प्रस्तावों की जांच की तथा मंत्रालय के कार्यान्वयन हेतु टिप्पणियां/अनुमोदन दीं। ईएफसी/पीआईबी/एसएफसी के लिए निवेश प्रस्तावों की प्रौद्योगिकीय–आर्थिक दृष्टि से संवीक्षा/जांच की गई तथा संबंधित नोटों में शामिल किए जाने के लिए टिप्पणियां दी गईं। निवेश विकल्पों, नीतिगत मामलों तथा विनिवेश प्रस्तावों पर योजना आयोग के विचारों से अवगत कराया गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनरूज्जीवन तथा पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा/जांच की गई तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के लिए टिप्पणियां दी गईं। विभिन्न अन्य मुद्दों के संबंध में मंत्रिमंडल/सी.सी.ई.ए./सी.ओ.एस. के लिए नोटों की प्रभाग में जांच की गई। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं से संबंधित बैठकों में भी भाग लिया। उद्योग प्रभाग विभिन्न उद्योग और वीएसई क्षेत्रक के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कार्यक्रम अनुमोदन समितियों में भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, उद्योग प्रभाग ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे– ''भारत में सस्ती दवाइयों की उपलब्धता'' और ''राज्यों में व्यावसायिक माहौल की तुलना'' संबंधी अध्ययनों का काम प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को सौंपा है।

4.13.4 उद्योग प्रभाग के समीक्षाधीन महत्वपूर्ण स्कीम/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- एन. ए. टी. आर. आई. पी. – ऑटोमोबाइल्स के लिए परीक्षण सुविधा।
- असम गैस क्रैकर परियोजना।
- सी. पी. एस. ई. (ज) का पुनर्गठन/विनिवेश।
- संशोधित औद्योगिक अवसंरचना स्तरोन्नयन स्कीम।
- भारत चमड़ा विकास कार्यक्रम।
- एकीकृत टैक्सटाइल पार्क के लिए स्कीम।
- प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि स्कीम (वस्त्र)।
- एकीकृत कौशल विकास स्कीम।
- तकनीकी टैक्सटाइल्स।
- दिल्ली – मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना।
- जन औषधि स्कीम।

4.14 श्रम, रोजगार जनशक्ति प्रभाग

4.14.1 मुख्य कार्य

4.14.1.1 एल. ई. एम. प्रभाग प्राथमिक रूप से रोजगार और कौशल विकास से संबंधित मामलों को देखता है,

जिसमें कार्यनीतियों एवं नीतियों के निर्माण का कार्य भी शामिल है। प्रभाग सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, कर्मकारों के अधिकारों और इस संबंध में विधायी मामलों संबंधी स्कीमों और कार्यक्रमों की जांच भी करता है। यह प्रभाग अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) से जुड़े मुद्दों/कन्वेंशनों को भी देखता है।

4.14.1.2 देश में श्रम बल, कार्य बल, रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करना आयोजना कार्य का अभिन्न अंग हैं। ये अनुमान एन. एम. एस. ओ. सर्वेक्षणों के आधार पर लगाए जाते हैं और इन सर्वेक्षणों और अन्य अनुमानों के आधार पर रोजगार संबंधी आकलन किए जाते हैं। एल. ई. एम. प्रभाग देश में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बेरोजगारी और रोजगार के अनुमान लगाने के लिए उत्तरदायी है।

4.14.2 कौशल विकास

4.14.2.1 तीन चरणों वाले पूर्ववर्ती ढांचे की जगह केंद्र में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) नामक एकल एजेंसी लाई गई है जिसमें पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्, योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय का विलय हो गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) काम करता रहेगा ताकि कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहलों को प्रेरित करना जारी रखा जा सके जिनमें प्रशिक्षण साझेदारों को वित्तपोषित करना और क्षेत्रक कौशल परिषदों की स्थापना करना शामिल हैं।

4.14.2.2 एनएसडीए की स्थापना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है ताकि अन्य के साथ, 12वीं पंचवर्षीय योजना में अभिकल्पित अनुसार कौशल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव क़दम उठाए जा सकें; विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, एनएसडीसी तथा निजी क्षेत्रक में कौशल विकास संबंधी दृष्टिकोण के बीच तालमेल तथा सामंजस्य बनाए रखा जा सके; यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपेक्षित तथा वंचित समूहों, जैसे–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्यरूपेण सक्षम लोगों की कौशल ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके; गुणवत्ता और मानदंडों को क्षेत्रक विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का नेतृत्व तथा प्रचालन किया जा सके और समर्थन के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जा सके।

4.14.3 अन्य महत्वपूर्ण पहलें

4.14.3.1 एलईएम प्रभाग ने भारत और चीन के बीच द्वितीय कार्यनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) के अंतर्गत नीतिगत समन्वय संबंधी कार्यदल के एक अंग के रूप में, आईएएमआर को ''चीन में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण'' विषयक अध्ययन का कार्य सौंपा। आईएएमआर ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2013 में प्रस्तुत की।

4.14.3.2 श्रम और रोज़गार मंत्रालय के योजना प्रस्तावों की मध्यावधि समीक्षा के लिए एक बैठक सदस्य (श्रम और रोज़गार) की अध्यक्षता में नवम्बर, 2013 में आयोजित की गई।

4.14.3.3 सचिव समिति द्वारा मार्च, 2013 में की गई सिफारिश के अनुसार, योजना आयोग ने अंतर–मंत्रालय समूह की रिपोर्ट तैयार की ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की पड़ताल की जा सके। तदुपरांत, वित्तीय सेवा विभाग ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट परिचालित की थी। इस रिपोर्ट को एकीकृत वित्तीय तथा प्रबंधन अनुसंधान (आईएफएमआर) ने तैयार किया था जिस पर एलईएम प्रभाग ने अपनी टिप्पणियां दी थीं।

4.15 बहुस्तरीय योजना प्रभाग

4.15.1 विशिष्ट भू–भौतिक संरचना और खराब

समाजार्थिक विकास के कारण, चिह्नित क्षेत्रों/इलाकों के सामने पेश आ रही विशेष समस्याओं के संबंध में विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.)/ पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.)

4.15.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू. जी. डी. पी.), पश्चिमी घाट क्षेत्र के 175 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (36 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत राज्य हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है। एच. ए. डी. पी. के अंतर्गत उपलब्ध निधियां कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू. जी. डी. पी.) के अंतर्गत शामिल तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं पारिस्थितिकी का संरक्षण तथा पारिस्थितिकी की बहाली जिसमें पर्वतीय पारिस्थितिकी की जैव–विविधता के संरक्षण तथा पुनर्जीवन पर विशेष बल दिया गया हो।

4.15.3 वर्ष 2013–14 के दौरान, दोनों कार्यक्रमों के लिए 333.32 करोड़ रूपए के अनुमोदित आवंटन (300 करोड़ रु. के अनुदान अंश सहित) में से 279.60 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस. सी. ए.) के तौर पर जारी की जा चुकी है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

4.15.4 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रह राज्य नामतः अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4.15.5 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। कार्यक्रम को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

4.15.6 वार्षिक योजना 2013–14 के दौरान, 990 करोड़ रूपए के आवंटन में से पूरी राशि अर्थात् 990 करोड़ रूपए बीएडीपी राज्यों को जारी की जा चुकी है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

4.15.7 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006–07 में अनुमोदित की गई। इसका उद्देश्य अभिसरण में मदद करना तथा भारत निर्माण व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यक्रमों का मूल्यवर्द्धन करना है जिन्हें ग्रामीण अवस्थापना संबंधी जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है किन्तु जिनके लिए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए पूरकता की जरूरत हो सकती है जिसकी पूर्ति बी. आर. जी. एफ. से हो सकती है। बी. आर. जी. एफ. का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा विनिर्धारित पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है। गांव, मध्यवर्ती से लेकर जिला स्तर तक, संविधान के अनुच्छेद 243 जी की

सच्ची भावना के साथ योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए, पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.) जिम्मेदार हैं।

4.15.8 बी. आर. जी. एफ. के दो संघटक हैं, नामतः (i) 27 राज्यों के 272 जिलों (22 जिले जून 2012 में अनुमोदित) को कवर करते हुए जिला घटक, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, और (ii) (क) बिहार व (ख) उड़ीसा के के. बी. के. जिले और (ग) पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजनाएं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

(I) जिला संघटक

4.15.9 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस घटक के लिए 24110 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था। इस संघटक को 2012–13 तक के लिए बढ़ा दिया गया था जिसके लिए आवंटन 5050 करोड़ रूपए था तथा नई और पुनर्गठित बीआरजीएफ के अनुमोदित तथा सरकार द्वारा प्रारम्भ किए जाने तक, इसे और आगे बढ़ाकर 2013–14 तक के लिए कर दिया गया है जिसका आवंटन 6500 करोड़ रूपए है। इस स्कीम के कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। कार्यक्रम के अंतर्गत, 2013–14 के लिए राज्य सरकारों को 2769.44 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है।

(II) विशेष योजनाएं

(क) बिहार

4.15.10 बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत बिजली, सड़कों से जोड़ने, सिंचाई, वानिकी तथा जलागम विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। 11वीं योजनावधि के दौरान इस घटक के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया। तथापि, इस आवंटन को वर्ष 2010–11 के लिए बढ़ाकर 2000 करोड़ रू. तथा वार्षिक योजना 2011–12 के लिए रू. 1468 करोड़ कर दिया गया। इस विशेष योजना को 2012–13 के लिए बढ़ा दिया गया था और परियोजना के शेष लागत को पूरा करने के लिए रू. 1500 करोड़ आवंटित किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के लिए विशेष योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में भी जारी रखा जाएगा तथा नई परियोजनाओं के लिए तथा चालू परियोजनाओं की शेष लागत को पूरा करने के लिए समग्र बारहवीं योजनावधि हेतु 12000 करोड़ रूपए का आवंटन किया जाएगा। 2013–14 के लिए, बिहार के लिए विशेष योजना के तहत 2500 करोड़ रूपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है जिसके लिए 2052.98 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

(ख) उड़ीसा के के. बी. के. जिलों के लिए विशेष योजना

4.15.11 उड़ीसा के के. बी. के. क्षेत्र के अंतर्गत अविभाजित कालाहाण्डी, बोलांगीर और कोरापुट जिले सम्मिलित हैं जिन्हें अब आठ जिलों में पुनर्व्यवस्थित किया गया है, नामतः कालाहाण्डी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकांगिरी और रायगडा। योजना आयोग इस क्षेत्र के लिए 1998–99 से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण और नूतन सुपुर्दगी तथा मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करके एक विशेष योजना तैयार करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2002–03 से के. बी. के जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। विशेष योजना के अंतर्गत सूखा से बचाव, आजीविका समर्थन, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 250 करोड़ रूपए प्रति वर्ष का आवंटन किया जा रहा था। ग्यारहवीं योजना के दौरान भी इतना ही आवंटन रहा जिसमें विशेष योजना के

अंतर्गत 130 करोड़ रूपए का वार्षिक आवंटन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.) के जिला संघटक के अंतर्गत 120 करोड़ रूपए का आवंटन शामिल है। 250 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ, विशेष योजना को 2012–13 के लिए बढ़ाया गया। चालू वर्ष में यह निर्णय लिया गया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में भी, केबीके ज़िलों के लिए विशेष योजना जारी रखी जाएगी जिसके लिए वार्षिक आवंटन 250 करोड़ रूपए का होगा। 2013–14 के लिए आवंटन 250 करोड़ रूपए था और पूरी राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना

4.15.12 सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना अनुमोदित की है जिसके लिए बीआरजीएफ के राज्य संघटक के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के रूप में 87.50 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं ताकि 2011–12 और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विशिष्ट (फोकस्ड) परियोजनाओं के जरिए राज्य के पिछड़े इलाक़ों की विकास ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यह परियोजना प्रस्ताव आवास, विद्युत, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवहन एवं शिक्षा से संबंधित हैं। 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान राज्य सरकार को 4263.46 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। 2013–14 के लिए, 1250 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जिनमें से 627.36 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

(घ) वामपंथी उग्रवादग्रस्त ज़िलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

4.15.13 यह चालू वित्त वर्ष में अनुमोदित की गई नई स्कीम है जो ''चुनिंदा जनजातीय तथा पिछड़े ज़िलों के लिए एकीकृत कार्ययोजना'' (आईएपी) के स्थान पर लाई गई है जिसे सरकार ने 25.11.2010 को मंजूरी दी थी। नई स्कीम 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी रहेगी। इस स्कीम में 88 ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमें पुरानी स्कीम अर्थात् आईएपी के 82 ज़िले और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों के छह अतिरिक्त ज़िले शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक ज़िले को 2013–14 और 2014–15 के लिए प्रतिवर्ष 30 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे। 2013–14 में 1000 करोड़ रूपए का आवंटन (88 जिलों में से प्रत्येक के लिए 30 करोड़ रूपए) किया गया था जिसमें से 1209 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

4.15.14 इस योजना को आईएपी की ही तरह कार्यान्वित किया जाएगा। आईएपी की तरह ही, जिला–स्तरीय समिति को विकास स्कीमों की आवश्यकता के अनुसार इसके द्वारा किए आकलन को मद्देनजर व्यय करने की छूट दी गई है। समिति को ऐसी योजना तैयार करनी होगी जिसमें पब्लिक अवसंरचना और सेवाओं जैसे स्कूल भवन आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, गांव की सड़कें, विद्युत–रोशनी आदि की व्यवस्था सार्वजनिक स्थलों जैसे पी. एच. सी. (ज) एवं स्कूल आदि में करनी होगी। इस प्रकार चयन की गई स्कीमों को लघु अवधि में ही परिणाम दिखाने होंगे। राज्य के विकास आयुक्त/विकास के प्रभारी समतुल्य अधिकारी आई.ए.पी. के मॉनीटरण एवं व्यय की जांच के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। आई. पी. की वृहद स्तरीय मॉनीटरण, सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी है।

4.15.15 योजना आयोग संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों/विकास आयुक्तों तथा चुने हुए जिलों के लिए कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठक के जरिए आई. ए. पी. की नियमित रूप से समीक्षा करता है। जिलों द्वारा भौतिक और वित्तीय निष्पादन को http://pcserver.nic.in/iapmis प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) पर अपलोड किया जाता है।

पंचायती राज

4.15.16 विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार उनके निष्पादन और मॉनीटरण में समुदाय की भागीदारी आयोजना और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए

जरूरी है। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी के लिए पंचायती राज संस्थान एक महत्पूर्ण साधन के रूप में उभरे है। 73वें ओर 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा स्पष्ट रूप से देश के अधिशासन में उनकी भूमिका की व्यवस्था की गई। राज्य सरकारों से उम्मीद की गई थी कि वे पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के अनुरूप उन्हें पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन सौंपकर पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाएंगी।

4.15.17 पी. आर. आई. की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने अपने–अपने कार्यकलाप क्षेत्र में पंचायतों की केन्द्रिकता को समझने की जरूरत तथा पी. आर. आई. को अपने कार्यक्रमों में अधिकारिता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को संवेदीकृत कराने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।

4.15.18 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर. जी. पी. एस. ए.) को देश में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू किया गया है। इसके तहत निधिकृत तीन प्रमुख परियोजनाएं हैं (i) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और तकनीकी सहायता का प्रावधान जो पंचायतों के क्रिया कलापों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तरालों की पूर्ति करेगी, (ii) प्रशिक्षण के लिए संस्थागत संरचना का सुदृढ़ीकरण और (iii) पेसा क्षेत्र में ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण।

4.15.19 विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों, यथा–प्रबंधन प्रकोष्ठ, बाह्य सहाय्यित परियोजनाओं, मीडिया तथा प्रचार और कार्रवाई अनुसंधान के साथ–साथ केंद्र प्रायोजित स्कीम आरजीपीएसए के लिए मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 के बजट भाषण में आरजीपीएसए के लिए 200 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि घोषित की गई। 661.23 करोड़ रूपए के व्यय की रिपोर्ट दी गई है जिसमें आरजीपीएसए का 629.58 करोड़ रूपए शामिल है।

4.16 अल्पसंख्यक प्रभाग

4.16.1 योजना आयोग में 6 दिसंबर, 2012 से अल्पसंख्यक नामक नया प्रभाग का सृजन किया गया है। इस प्रभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने में समग्र नीति और दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए।

अल्पसंख्यक सशक्तिकरण

4.16.2 विभिन्न चालू और नई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के परिव्यय में ठोस वृद्धि करते हुए इसे 2012–13 के 3135 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2013–14 के लिए 3511 करोड़ रूपए किया गया। आवंटन में यह वृद्धि प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम तथा तीन छात्रवृत्ति स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की गई: i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम; ii) अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दसवीं कक्षा के बाद मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा iii) अल्पसंख्यक छात्रों को स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को करने के लिए योग्यता–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीमें।

4.16.3 योजना आयोग ने 04 मई 2011 को दो वर्ष के लिए आकलन तथा अनुवीक्षण प्राधिकरण (ए. एम. ए.) का पुनर्गठन किया। डॉ. सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एएमए को 30 जून, 2014 तक के लिए (एक वर्ष) विस्तार दिया गया है। इस ए. एम. ए. का उद्देश्य है कि विकास लाभों के विस्तार का मूल्यांकन किया जाए, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये

विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समुदायों (एस. आर. एस.) तक पहुंच सकें। एएमए ने तीन कार्य समूहों का गठन किया है। कार्य समूह–II के अधिकारियों के एक दल ने हरियाणा में मेवात का दौरा किया और मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 01 फरवरी, 2014 को एएमए की बैठक हुई ताकि योजना आयोग के सदस्यों– डॉ. सईदा हमीद और डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता वाले कार्यसमूह–I तथा II द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्टों पर चर्चा की जा सके।

4.16.4 वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 को अंतिम रूप देने के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के साथ व्यापक विचार–विमर्श भी किया गया है। तत्पश्चात् मंत्रालय के साथ परामर्श करके वार्षिक योजना के लिए स्कीम – वार आवंटन परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया।

4.16.5 राज्य वार्षिक योजना 2013–14 को अंतिम रूप देने के लिए, राज्य सरकारों के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और योजना आयोग की बैठक हुई ताकि अल्पसंख्यक क्षेत्रक से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा, प्रत्येक राज्य के लिए वित्तीय अपेक्षाओं के आकलन पर चर्चा की गई।

4.16.6 अल्पसंख्यक प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग (पी.ए.एम.डी.) से घनिष्ट परामर्श से स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) तथा व्यय वित्त समिति (ई. एफ.सी.) के प्रस्तावों की जांच की। अल्पसंख्यक प्रभाग ने मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां भी तैयार कीं।

4.17 खनिज प्रभाग

4.17.1 खनिज प्रभाग खान मंत्रालय, खान क्षेत्र से जुड़े भू–विज्ञान तथा पॉली–मेटलिक नॉड्यूल्स कार्यक्रम, इस्पात तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों को देखता है।

4.17.2 खनिज क्षेत्रक से जुड़ी प्रमुख स्कीमों का कार्यान्वयन भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया जाता है। जीएसआई देश में उत्खनन, सर्वेक्षण, मानिचत्रण तथा खनिज संसाधनों के लिए विशेष डेटाबेस के समन्वयन हेतु सर्वोच्च संगठन है। आईबीएम के पास सांविधिक तथा विकासात्मक उत्तरदायित्व है जिसमें खनन योजनाओं का अनुमोदन शामिल है जिसके लिए खनिजों और खान पर्यावरण के संरक्षण के अलावा खनन क्षेत्रक में डेटाबेस का संकलन और रखरखाव का ध्यान रखा जाता है। इसके प्रत्यक्ष दायरे में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम हैं–राष्ट्रीय अल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को), हिंदुस्तान ताम्र लिमिटेड (एचसीएल) तथा खनिज उत्खनन निगम लिमिटेड (एमईसीएल)।

4.17.3 प्रभाग ने स्कीमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को दी गई सकल बजटीय सहायता (संशोधित अनुमान) को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया तथा ऐसे विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जो मंत्रिमंडल और इसकी समिति के समक्ष रखे गए थे।

4.18 योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग (पी. सी. एम. डी.)

4.18.1 पी. सी. एम. डी. योजना आयोग के सभी प्रभागों के समस्त विषयगत क्रियाकलापों का समन्वय करता है। इस पर पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और संसदीय कार्य के समन्वय की जिम्मेदारी भी शामिल है। इसके अलावा, योजना अयोग की आंतरिक बैठकों, पूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है।

केंद्र प्रायोजित स्कीमों का पुनर्गठन

4.18.2 केंद्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन का विषय योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। बारहवीं योजना में शासन संबंधी एक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का पुनर्गठन किया गया है ताकि वे अधिक सक्षम बन सकें। चूंकि राज्यों को केंद्रीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा सीएसएस तथा स्कीम आधारित अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (2013–14 में, 5.55 लाख करोड़ रूपए के कुल योजना बजट से सीएसएस+स्कीम आधारित एसीए अंतरण लगभग 2.73 लाख करोड़ रूपए है) के माध्यम से जाता है, अतः सीएसएस के पुनर्गठन से उसकी दक्षता में काफी सुधार होने की संभावना है। फिलहाल, प्रभाग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन का एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है तथा अन्य के साथ, मौजूदा केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) स्कीमों/केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों को 70 स्कीमों में पुनर्गठित करने के लिए अनुमोदन मांगा है जिनमें 17 फ्लैगशिप कार्यक्रम, राज्यों को राज्यों की संचित निधि के माध्यम से सीएसएस/एसीए निधियों का अंतरण, प्रत्येक सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीमों के परिव्यय में से 10 प्रतिशत को फ्लेक्सी–निधि योजना के लिए अलग से करना तथा ऐसी समस्त योजना स्कीमों को वर्गीकृत करना तथा उनके लिए बजट निर्धारित करना है जिनके अंतर्गत राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के साथ केंद्रीय सहायता दी जाती है। तदुपरांत, इन प्रस्तावों पर, इस प्रयोजनार्थ गठित मंत्रिसमूह द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। सिफारिशों के आधार पर, 18 जून, 2013 को एक संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा उसे मंत्रिमंडल ने 20.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया। निम्नांकित निर्णय लिए गए:

क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा सीएसएस/एसीए स्कीमों को 66 स्कीमों में पुनर्गठित किया गया है जिनमें फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं।

ख) बारहवीं योजना में, 66 सीएसएस की सूची में शामिल से इतर कोई नई सीएसएस नहीं शुरू की जाएगी। अगर स्कीम के दिशानिर्देशों को 12वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु बदले जाने का प्रस्ताव हो, तो 66 सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीमों के लिए कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों/विभागों को सक्षम प्राधिकारी का स्कीमवार अनुमोदन लेना चाहिए। जहां किन्हीं विशेष दिशानिर्देशों को नहीं बदला जाना है और स्कीमों को अम्ब्रेला स्कीमों में आमेलित कर दिया गया है, वहां कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों/विभाग इस आशय के अनुदेश जारी करेंगे। यह भी प्रस्तावित है कि जहां अम्ब्रेला स्कीम में किसी अतिरिक्त घटक को शामिल करने अथवा किसी मौजूदा घटक में आशोधन की अपेक्षा है, वहां अनुमोदन के स्तर का निर्धारण विद्यमान वित्तीय प्रत्यायोजन द्वारा किया जाएगा, मानो उक्त घटक एक स्टैंड–अलोन स्कीम हो।

ग) अगर कोई नई सीएसएस शुरू करने का प्रस्ताव हो, तो सामान्यतः उस पर बारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में ही विचार किया जाए। इसके अलावा, ऐसे प्रस्तावों को पहले अधिकारप्राप्त अंतर–मंत्रालय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसकी सह–अध्यक्षता योजना आयोग के सचिव तथा व्यय सचिव द्वारा की जाती है और जिसमें राज्य सरकारों के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधिगण भी होते हैं।

घ) 66 अनुमोदित सीएसएस में से, 17 को फ्लैगशिप कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

ङ) प्रत्येक सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम

के परिव्यय का 10 प्रतिशत लेक्सी निधि के रूप में रखा जाएगा।

च) 2014–15 (बजट अनुमान) से, ऐसी सभी योजना स्कीमों का वर्गीकरण और बजट–निर्माण राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता के रूप में साथ–साथ किया जाएगा जिनके लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है।

छ) प्रत्येक सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम में राज्य–विशिष्ट संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए जाएँगे जिनके लिए योजना आयोग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव की सह–अध्यक्षता वाली अंतर–मंत्रालय समिति गठित की जाएगी जिसमें संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।

ज) प्रत्येक नई सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम के लिए, कम से कम 25 प्रतिशत निधि का योगदान सामान्य श्रेणी वाले राज्य और 10 प्रतिशत योगदान विशेष श्रेणी वाले राज्य करेंगे जिनमें जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

झ) सभी सीएसएस/एसीए स्कीमों के लिए राज्यों को संबंधित राज्य की संचित निधि के माध्यम से अंतरित करने के लिए, निधि प्रशासनिक मंत्रालय के पास रखी जाएगी। अंतरण की यह प्रक्रिया बजट अनुमान 2014–2015 में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाएगी।

ञ) ये व्यवस्थाएं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए प्रभावी होंगी।

4.18.3 पीएमसीडी ने उक्त अनुमोदन से सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को अवगत करा दिया था। साथ ही, योजना में राज्य विशिष्ट संबंधी दिशानिर्देशों की पड़ताल के लिए योजना आयोग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव की सह–अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालय समिति गठित की गई है। इस संबंध में, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) में राज्य विशिष्ट संबंधी दिशानिर्देशों के समावेश के संबंध में अपने विचार/टिप्पणियां दें (यदि हों)। कुल 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस संबंध में अपनी टिप्पणियां/विचार दिए हैं। इन टिप्पणियों को विषय प्रभागों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया कि वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव के साथ परामर्श कर सीएसएस में राज्य विशिष्ट संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दें। पीसीएमडी योजना आयोग द्वारा गठित अंतर–मंत्रालय समिति की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया में है ताकि सीएसएस में राज्य विशेष के दिशानिर्देशों पर विचार किया जा सके।

4.18.4 फ्लेक्सी निधियों के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों को योजना आयोग ने तैयार किया था जिन्हें वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया था ताकि इसे वित्त वर्ष 2014–15 से प्रचालित किया जा सके।

4.18.5 वित्त मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के 2013–14 के अंतिम योजना परिव्ययों की सिफारिश की गई थी ताकि 2013–14 के संघीय बजट में उसका समावेश किया जा सके। पीसीएमडी ने वार्षिक योजना 2014–15 को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया था और तदनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने वार्षिक योजना 2014–15 के परिव्ययों को तैयार किया और उन्हें योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग को प्रस्तुत किया। पीसीएमडी ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतिम योजना परिव्ययों को तैयार और संकलित करने की प्रक्रिया पूरी की तथा इससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों और वित्त मंत्रालय को अवगत कराया ताकि संघीय बजट 2014–15 में शामिल किया जा सके।

4.18.6 प्रभाग ने वार्षिक योजना दस्तावेज़ 2013–14 को तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में सूचना और सामग्री का संकलन और

समेकन किया जिसे योजना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.planningcommission.nic.in पर डाला गया।

4.18.7 योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा – दोनों के प्रकाशन काउंटर पर रखा जाना अनिवार्य है ताकि दोनों सदनों के संसद सदस्यों को प्रति वर्ष उनका वितरण किया जा सके। 2012–13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर बजट सत्र 2012–13 के दौरान संसद के दोनों सदनों के प्रकाशन काउंटरों पर रखी गई थी।

4.18.8 फिक्की, इंडिया रेफरेंस एनुअल, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट सत्र, 2014 के लिए सामग्री संकलित कर उपलब्ध कराई गई।

4.18.9 पीसीएमडी ने सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व को देखते हुए योजना आयोग द्वारा शुरू किए गए सोशल मीडिया अभियान का राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् की मदद से बारहवीं योजना के बारे में गूगल हैंगआउट समन्वयन किया जिसका ऑनलाइन प्रसारण किया गया तथा विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर इसका पुनर्प्रसारण भी किया गया। इसके बाद, ''हैक'' द् ट्वेल्थ प्लान जैसे आयोजन किये गए तथा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए रचनात्मक तरीके विकसित किए गए। इन पहलों से पता चलता है कि योजना आयोग नागरिकों तथा ख़ासकर युवाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ना चाहता है। इससे शासन की चुनौतियों और उनके समाधान के लिए उठाए गए क़दमों के प्रति जागरूकता का स्तर तो बढ़ेगा ही, महत्वपूर्ण मुद्दों पर नागरिकों से फीडबैक लेने में भी मदद मिलेगी। मोटे तौर पर, ये योजना आयोग के क्रमिक विकास का हिस्सा हैं क्योंकि यह प्रेरक की भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहा है।

4.18.10 ''योजना निर्माण, मूल्यांकन तथा समीक्षा'' स्कीमः योजना आयोग की केंद्रीय योजना स्कीम ''योजना निर्माण, मूल्यांकन तथा समीक्षा'' (मांग सं.–75 – मुख्य शीर्ष–3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 93ःयोजना निर्माण, मूल्यांकन तथा समीक्षा) को सक्षम प्राधिकारी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी है जिसका बजट परिव्यय 97 करोड़ रूपए है तथा चालू वर्ष का बजट आवंटन 25.89 करोड़ रूपए है। निम्नांकित छह स्कीमों को इस स्कीम में समुचित रूप से आमेलित कर दिया गया हैः

क) सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण

ख) आयोजना प्रक्रिया के लिए व्यय

ग) अल्प कार्बन उत्सर्जन संबंधी विशेषज्ञ समूह

घ) परिवहन नीति पर विशेषज्ञ समूह

ङ) अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी उच्चस्तरीय समिति

च) पश्चिमी घाट सचिवालय

4.18.11 बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए): योजना आयोग स्थिति का जायजा लेने और मध्यकालिक सुधार के उपायों की सिफारिश के लिए योजना के तीसरे वर्ष में मध्यावधि मूल्यांकन तैयार करता है। बारहवीं योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन की तैयारी पर योजना आयोग में आंतरिक रूप से चर्चा की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि केवल 12वीं योजना दस्तावेज के अध्यायों में दर्शाने की बजाए, मध्यावधि मूल्यांकन को चयनित थीमों के साथ ही लिखा जाना चाहिए। योजना आयोग ने मध्यावधि मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय भी निर्धारित किया है ताकि योजना के पिछले दो वर्षों का बजट मध्यावधि मूल्यांकन की सिफारिशों के अनुरूप हो। मध्यावधि मूल्यांकन अक्टूबर, 2014 तक पूरा हो जाने की संभावना है। मध्यावधि मूल्यांकन के लिए सुझाई गई थीमें हैं–वृहद् आर्थिक कारक, रोज़गार, शासन, मानव विकास, वास्तविक अवसंरचना, भू–संसाधन, ग्रामीण रूपांतरण तथा शहरीकरण।

4.19 संसद अनुभाग

4.19.1 संसद अनुभाग संसदीय प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चाओं, संकल्पों, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों, अनियत दिन वाले प्रस्तावों, नियम 377 के अधीन लोक सभा में उठाए गए मामलों और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों, संसदीय आश्वासनों, संसदीय समितियों की बैठकों, वित्त संबंधी स्थायी समिति, संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदनों और पत्रों को रखे जाने, योजना आयोग के अधिकारियों के लिए अस्थायी और सत्र–वार सामान्य और आधिकारिक दीर्घा प्रवेश–पत्रों और संसद में उठाए जाने हेतु संभावित मुद्दों, सरकारी कार्य और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों में वितरण के लिए बजट दस्तावेज, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और संसद के दोनों सदनों को दिए गए राष्ट्रपति के भाषण की प्रतियों को प्राप्त किए जाने समेत योजना आयोग के संसद से संबंधित अन्य कार्यों के संबंध में कार्रवाई करता है। संसद अनुभाग लोक सभा/राज्य सभा के तारांकित प्रश्नों से संबंधित प्रधानमंत्री के संक्षिप्त विवरण के संबंध में जरूरी कार्रवाई भी करता है।

4.19.2 इस वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने 38 तारांकित और 320 अतारांकित प्रश्नों के लिए राज्य मंत्री (योजना) का अनुमोदन प्राप्त किया और लोक सभा और राज्य सभा के लिए सही समय पर सेटों को तैयार कराया। इसने साथ ही लोक सभा और राज्य सभा के वेब पोर्टल पर इतने ही प्रश्नों को अपलोड भी किया। योजना मंत्रालय की वर्ष 2013–14 की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई और की–गई–कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (46वां तथा 62वां) से संबंधित विवरण संसद में भेजा गया। आईएएमआर (अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान) की 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट, निर्माण उद्योग विकास परिषद् की 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट 2013–14, योजना मंत्रालय की 2013–14 की अनुदान मांगें और बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2012–17) संसद के दोनों सदनों में रखे गए। योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2012–13) तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2012–17) को संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रकाशन काउंटरों के माध्यम से परिचालित किया गया। इस अवधि के दौरान, लोकसभा में दिए गए सैंतालीस आश्वासनों तथा राज्य सभा में दिए गए सोलह आश्वासनों को पूरा किया गया। इस अनुभाग ने लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए आठ मामलों के संबंध में संबंधित संसद सदस्यों को उत्तर भेजने के लिए भी समन्वय कार्य किया। एनआईडीएआई विधेयक–2010 में आधिकारिक संशोधन राज्य सभा में संसद के 2013 के शीतकालीन सत्र में 18.12.2013 को पुरःस्थापित किए गए।

4.20 विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग

4.20.1 विद्युत एकक

- मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा विचार किए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित विभिन्न कार्यसूचियों पर विवरण तैयार किए गए। कुछ प्रस्ताव अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना, बिजली क्षेत्रक मुद्दों तथा पीजीसीआईएल के शेयरों की आईपीओ के प्राइस–बैंड से संबंधित थे।
- बिजली क्षेत्रक मुद्दों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह को टिप्पणियां उपलब्ध कराई गईं ताकि अरूणाचल प्रदेश में कार्यनीतिक तथा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शुरू की जा सकें। विद्युत मंत्रालय ने अरूणाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं के लिए अवसंरचना विकास संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है।
- परियोजनाओं के संबंध में सीसीईए/पीआईबी/ईएफसी/एसएफसी के प्रस्तावों तथा विद्युत क्षेत्र से संबधित अन्य नीतिगत मुद्दों की परीक्षा और संबंधित को योजना आयोग के विचार संसूचित करना।

- सदस्य (ऊर्जा) द्वारा सचिव, विद्युत मंत्रालय के साथ तय किए गए निगरानी–योग्य तिमाही–वार लक्ष्यों के लिए एक पृष्ठभूमि नोट तैयार किया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र बिजली प्रणाली सुधार स्कीमों के अंतर्गत (सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा विश्व बैंक वित्तपोषण के तहत क्रमिक विकास हेतु इनपुट्स उपलब्ध कराए गए।
- सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश बिजली प्रणाली सुधार स्कीम के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वित्तपोषित (एनएलसीपीआर के अंतर्गत) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा क्रमिक विकास हेतु इनपुट्स उपलब्ध कराए गए।
- सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के लिए बिजली क्षेत्र के लिए विस्तृत नोट तैयार किया।
- बारहवीं योजना के दौरान बीआरजीएफ के अंतर्गत बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग की अधिकार प्राप्त समिति को तकनीकी टिप्पणियां उपलब्ध कराईं।
- वर्ष 2013–14 के लिए ''एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ स्टेट पावर यूटिलिटीज एंड द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स'' नामक दस्तावेज तैयार किया।
- आरजीजीवीवाई पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच।
- एलडब्ल्यूई ज़िलों के लिए एकीकरण कार्ययोजना हेतु बिजली क्षेत्रक मुद्दों पर टिप्पणियां उपलब्ध कराईं।
- यूनिट के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, क्षेत्रक की समझौता–ज्ञापन बैठकों, त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) संबधी संचालन समित की बैठकों तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की बैठकों में हिस्सा लिया। यूनिट ने महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की तथा योजना आयोग के विचारों से संबंधित मंत्रालयों को अवगत कराया।
- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के संबंध में वीआईपी पत्रों/संसदीय प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों तथा अन्य अंतर–क्षेत्रक नीतिगत मुद्दों की जांच।
- यूनिट के अधिकारियों ने वित्तीय संसाधनों एवं कार्य समूह की बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

4.20.2 कोयला एकक

- कोयला एकक को कोयला खनन से जुड़े पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों तथा अन्य विकास परियोजनाओं पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) को सेवा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इसके बाद मंत्री समूह ने मंत्री समूह के विचारार्थ विषय पर चिंतन करने और समाधान सुझाने के लिए सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएं की और मंत्री समूह को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की अधिकतर सिफारिशों को मंत्री समूह द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फिलहाल, मंत्रिसमूह की अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री कर रहे हैं।
- उत्तरी करनपुरा विद्युत परियोजना के स्थानांतरण का मुद्दा भी मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा उपर्युक्त

मंत्री समूह को सौंपा गया। तत्पश्चात् मंत्री समूह ने इस मुद्दे पर विचार करने और सभी को स्वीकार्य उपयुक्त समाधान सुझाने के लिए सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय दोनों के साथ विस्तृत चर्चाएं हुईं और अंतिम प्रतिवेदन मंत्रिसमूह को इसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिसमूह ने सदस्य (बीकेसी) समिति की सिफारिश मंजूर कर ली है।

- कोयले और लिग्नाइट वाली प्रमुख मौजूदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच और सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में योजना आयोग में आयोजित अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकों में विचार किए जाने के लिए मुद्दों को उद्घाटित करना।
- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के विकास से जुड़े अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) पत्रों/संसदीय प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों तथा अन्य अंतरक्षेत्रक नीतिगत मुद्दों की जांच।
- कोयला खनन परियोजनाओं के सीसीईए/पीआईबी/आईएमजी के प्रस्तावों तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े अन्य नीतिगत मुद्दों की जांच करना और संबंधित को योजना आयोग के विचारों को सूचित करना।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आबंटन, कोयले के लिए पुल कीम–निर्धारण, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला स्थायी संपर्क समिति (दीर्घकालिक); सीमेन्ट संयंत्रों एवं स्पन्ज लौह; अंतरमंत्रालयी समूह इत्यादि से संबंधित बैठकों में भाग लिया ताकि निवेश निर्णयों इत्यादि को लेने के लिए योजना आयोग के विचारों को सूचित किया जा सके।
- कोयला मंत्रालय की 2013–14 की वार्षिक योजना के निर्माण के लिए आंकड़ों का समेकन और विश्लेषण तथा बारहवीं योजना के बाद भी कोयले की मांग और आपूर्ति के आकलन के लिए अंतर–मंत्रालय समिति में भागीदारी।
- एकक के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, इस क्षेत्र की सहमति ज्ञापन बैठकों में, और विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा आयोजित कोयला और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लिया।
- इस एकक के अधिकारियों ने ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेन्ट संयंत्रों एवं स्पन्ज लौह के लिए स्थायी संपर्क समिति (दीर्घकालिक) की बैठकों में भाग लिया ताकि योजना आयोग के विचारों से अवगत कराया जा सके।

4.21 भावी योजना प्रभाग

4.21.1 भावी योजना प्रभाग में प्रमुख गतिविधियां

- भावी योजना प्रभाग का कार्य संभावनाओं और बाधाओं को अंकित कर योजना को वृहद आर्थिक ढांचे में समग्र रूप से एकीकृत करते हुए और क्षमता, बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में लंबी अवधि के विकास हेतु दूरदृष्टि प्रस्तुत करना है।
- प्रभाग योजना और नीति के मुद्दों में आयोग की मदद करता है, जो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रकों से संबंधित होते हैं। योजनाओं में अंतर क्षेत्रकीय तालमेल लाने के लिए, योजना आदर्श और उप मॉडलों की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाग के कार्यों से बचत, निवेश, आयात, निर्यात, सरकारी वित्त के प्रक्षेपण के साथ–साथ सामाजिक विकास संकेतकों आदि के लिए समग्र वृहद आर्थिक ढांचे को विकसित करने में मदद मिलती है।

4.21.2 नियमित गतिविधियों के अंग के रूप में प्रभागः

- विकास की उपयुक्त रणनीति के लिए लंबी अवधि के उद्देश्यों के निहितार्थ विश्लेषण कर मध्यम और लंबी अवधि की योजना के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करता है;
- योजना के उद्देश्यों और योजना आवंटन, विकास की क्षेत्रीय जरूरतों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों की खपत के स्तर पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव, बचत, निवेश और अर्थव्यवस्था में विकास में रुझान, विदेश व्यापार के रुझान और सार्वजनिक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न विकास के निहितार्थों की स्थिरता का अध्ययन करता है;
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय पर वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय (एमपीसीई) आंकड़े के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्यवार गरीबी अनुपात का अलग–अलग अनुमान लगाता है और गरीबी सूचकांकों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है;
- विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ समूहों आदि के साथ ही अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा परिगणित वैकल्पिक गरीबी अनुपात और सूचकांक की जांच करता है;
- योजना बनाने की प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर अपनी राय बनाने, एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम को सरकारी खर्च के गैर–योजना से योजना में लेने और निकालने, बदलाव और अंतर–सरकारी संसाधन अन्तरण एवं राजकोषीय संघवाद से संबंधित अन्य मुद्दों में योजना आयोग की मदद करता है;
- संसद, अर्थशास्त्रियों और राज्यों के मंच, संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए उत्पन्न योजना प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर योजना आयोग द्वारा जवाबी कार्रवाई में योगदान देता है;
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत के महापंजीयक के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग की भूमिका अदा करता है;
- सार्क विकास लक्ष्यों के लिए नोडल प्रभाग (एसडीजी);
- सहस्त्राब्दि (मिलेनियम) विकास लक्ष्यों के लिए नोडल प्रभाग (एमडीजी) है।

4.21.3 प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः

- एनएसएसओ की शासी परिषद
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शासी परिषद
- राष्ट्रीय सीएसओ लेखा सलाहकार समिति
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
- आर्थिक विकास संस्थान शासी बोर्ड (आईईजी), नई दिल्ली।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र की योजना एवं नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू) की सलाहकार समिति।

4.21.4 प्रभाग के अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों के साथ संबद्ध किया गया हैः

(i) डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में ''गरीबी के मापन के लिए क्रियाविधि की समीक्षा'' के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन, पृष्ठभूमि नोट और अन्य संबंधित तकनीकी नोट्स की तैयारी।

(ii) एक वृहद् आर्थिक स्थिरता ढांचे के भीतर लक्षित विकास दर के क्षेत्रवार मानकों के साथ–साथ वृहद् आर्थिक आदर्श का विकास और वृहद् आर्थिक अनुमान।

(iii) एमडीजी, एसडीजी के तहत की गई प्रगति की आवधिक निगरानी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए संक्षिप्त नोट तैयार करना।

(iv) आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भाषण के लिए सामग्री।

(v) पीपीपी प्रभाग के दो अधिकारियों ने ''चीन में आयोजना प्रक्रिया'' का अध्ययन करने के लिए, भारत–चीन नीतिगत समन्वय कार्यदल के अंतर्गत चीन का दौरा किया।

(vi) ''चीन में आयोजना प्रक्रिया'' पर चीनी अध्ययन संस्थान (आईसीएस) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(vii) ''12वीं पंचवर्षीय योजना पर परिप्रेक्ष्य'' और ''आय असमानताओं की तुलना में विकास पर योजना का प्रभाव और उदारीकरण के युग के बाद सामाजिक इक्विटी ग्रोथ'' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के लिए पृष्ठभूमि नोट का मसौदा तैयार किया।

4.21.5 अन्य समितियों के सदस्य:

1. एनएसएसओ के 72वें दौर पर कार्य–समूह
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संबंधी कार्य–समूह।

4.22 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग कार्य

4.22.1 योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की प्रणाली को संस्थागत करने के लिए 1972 में स्थापित किया गया था। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है:

- तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने के लिए दिशानिर्देश विहित करना और प्रारूप तैयार करना।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए पद्धति और प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सहायता शोध अध्ययन करना।
- सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करना।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए समुचित प्रक्रियाएं स्थापित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

मूल्यांकन कार्य

4.22.2 एक तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग योजना के 100 करोड़ रूपये और उससे अधिक की लागत वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं का एक समग्र मूल्यांकन करता है और योजना आयोग के विषय प्रभागों के परामर्श से मूल्यांकन टिप्पण तैयार करता है। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन टिप्पण को जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय–सीमा ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह है। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन से प्रस्तावों की प्रकृति और आकार के आधार पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) द्वारा विचारित परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है। यह प्रभाग 300 करोड़ रूपये और उससे अधिक की लागत वाले रेल मंत्रालय के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है जिन पर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना होता है। प्रभाग द्वारा लागत और समय के निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने से उत्पन्न होने वाले कारकों का और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई) प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

4.22.3 विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से मूल्यांकन मंचों की वित्तीय सीमाओं और अनुमोदन प्राधिकारियों की सूचनाएं निम्नलिखित हैं।

मूल्यांकन मंच (सीमाएं करोड़ रूपए में)

< 25.0 सामान्य स्थिति मे मंत्रालय

≥ 25.0 और < 100.0 स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)

≥ 100.0 और < 300.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी)

≥ 300.0 सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी); ऐसी परियोजनाओं/स्कीमों पर पीआईबी द्वारा विचार किया जाएगा जिनमें वित्तीय आय परिमाणात्मक हो तथा अन्य पर ईएफसी द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुमोदन मंच की सीमा (करोड़ रूपए)

< 25.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव।

≥ 25.0 और < 150.0 मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री।

≥ 150.0 और < 300.0 मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री।

≥ 300.0 मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)।

नोटः उपर्युक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/स्कीम के कुल आकार के संदर्भ में हैं, जिनमें बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन, बाह्य सहायता, ऋण इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

मुख्य बातें (2013–14)

- ✓ ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों से संबंधित 299 मूल्यांकन टिप्पण, जिनमें 1220503.16 करोड़ रूपये का परिव्यय शामिल था, अप्रैल 2013–मार्च 2014 के दौरान जारी किए गए हैं।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और अनुवीक्षण प्रभाग ने अप्रैल 2013–मार्च 2014 के दौरान 1 मंत्रिमंडल/सीसीईए टिप्पणों और 4 एसएफसी प्रस्तावों की जांच की और टिप्पणियां प्रदान कीं।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग ने अप्रैल 2013–मार्च 2014 के दौरान सैद्धांतिक अनुमोदन के 19 प्रस्तावों को प्रसंस्कृत कर उन पर सलाह दी तथा समय और लागत के निर्धारित सीमा से अधिक होने के संबंध में 12 स्थायी समिति बैठकों में भाग लिया।
- ✓ परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के सलाहकार अथवा उसके मनोनीत अधिकारियों ने 199 ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर बैठकों में भाग लिया।

'सैद्धांतिक' प्रस्तावों और ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की प्रसंस्करण प्रक्रिया

4.22.4 परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में देरी को कम करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी प्राप्ति के बाद, पीआईबी/ईएफसी निर्धारित चार सप्ताहों के भीतर निर्णय ले, पीएएमडी ने ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों को योजना आयोग में प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया को दिनांक 17 जुलाई, 2013 के यू.ओ. सं. ओ–14015/1/2011–पीएएमडी द्वारा संशोधित किया है। संशोधित प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

(क) बारहवीं योजना में शुरू करने के लिए प्रस्तावित सभी नई स्कीमों के लिए, चाहे उनकी लागत कुछ भी हो, योजना आयोग के सचिव के सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) की आवश्यकता होगी। सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि योजना आवंटन में निधि उपलब्ध रहे और कार्यक्रमों का दुहराव न हो तथा यह आकलन करना भी कि नई स्कीम के उद्देश्य मौजूदा स्कीमों में समुचित आशोधन के ज़रिए प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नहीं।

(ख) सभी नई स्कीमों की सबसे पहले विषय प्रभाग (एसएमडी) द्वारा जांच की जाएगी। मंत्रालय द्वारा दिए गए ब्यौरे के आधार पर, एसएमडी आईपीए के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करेगा अथवा नहीं करेगा जिसके लिए प्रभारी सदस्य

की पहले ही सहमति ली जाएगी। अगर किसी नए प्रस्ताव को योजना में शामिल किए जाने योग्य पाया जाता है तो आईपीए देने की प्रक्रिया भी उल्लिखित है: (i) एसएफसी प्रस्तावों (100 करोड़ रूपए से कम लागत वाली) के लिए आईपीए की एसएमडी द्वारा पीएएमडी के परामर्श से जांच की जाएगी। (ii) 100 करोड़ रूपए और इससे अधिक वाले ईएफसी प्रस्ताव के लिए आईपीए की जांच एसएमडी द्वारा की जाएगी तथा बारहवीं योजना में शामिल किए जा सकने योग्य प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु पीएएमडी को अग्रेषित कर दिया जाएगा। सचिव, योजना आयोग द्वारा आईपीए–सह–मूल्यांकन नोट को मंजूरी दिए जाने के बाद, उसे पीएएमडी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) योजना आयोग का ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय की नई स्कीमों/परियोजनाओं के लिए ज़रूरी नहीं है।

(घ) व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली ईएफसी का सचिवालय पीएएमडी है। पीएएमडी द्वारा प्रबंधन सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा ईएफसी/पीआईबी मेमो प्राप्ति की तारीख़ से चार सप्ताह निर्धारित की गई है।

(ङ) पीएएमडी से अनुमोदन के लिए लम्बित ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों और विषय प्रभाग की टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहे प्रस्तावों की स्थिति का पता लगाने के लिए योजना आयोग की वेबसाइट http://efc.planningcommission.nic.in पर एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म डाला गया है।

4.22.5 पीएएमडी ने वर्ष 2012–2013 के 817913.10 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले 202 ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 2013–14 (अप्रैल, 2013–मार्च, 2014 के दौरान) में 1220503.16 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले 299 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है, जिनमें नए प्रस्तावों के साथ–साथ संशोधित लागत के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

2013–14 के लिए तथ्य और आंकड़े (अप्रैल, 2013–मार्च, 2014)

क. मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या: 299

ख. शामिल लागत: 1220503.16 करोड़ रुपये

ग. मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या:

– कृषि:	30 (11.70 प्रतिशत)
– ऊर्जा	23 (6.14 प्रतिशत)
– परिवहन	40 (8.16 प्रतिशत)
– उद्योग	45 (2.68 प्रतिशत)
– एस एवं टी	18 (0.53 प्रतिशत)
– सामाजिक क्षेत्र	99 (63.65 प्रतिशत)
– संचार	12 (0.34 प्रतिशत)
– अन्य	32 (6.80 प्रतिशत)
कुल	**299 (100 प्रतिशत)**

4.22.6 हालांकि अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग ईएफसी/पीआईबी की मूल्यांकन प्रणाली से बाहर हैं, चालू वर्ष से उनकी योजना और परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा के लिए पीएएमडी के प्रतिनिधि को इन विभागों के एसपीएसी (स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति) में आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

4.22.7 पर्वतीय राज्यों पर समिति: प्रधानमंत्री से प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसरण में श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग, की अध्यक्षता में और पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, आजीविका और मानव विकास पर विशेष ध्यान के साथ वन भूमि प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले विकास अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। पीएएमडी समिति का संयोजक है। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

4.22.8 प्रशिक्षण: पीएएमडी के अधिकारियों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नासा आदि द्वारा समय–समय पर आयोजित कार्यशालाओं में परियोजना मूल्यांकन कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्यों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्यों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

4.22.9 वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 (अप्रैल, 2013–मार्च, 2014) के दौरान मूल्यांकित **परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण** संलग्न है।

क्षेत्रों के प्रमुख समूहों से संबंधित सूचना संक्षेप में नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र	2012-13			2013-14		
		संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	%	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	%
1	कृषि	15	31492.77	3.85	30	142740.27	11.70
2	ऊर्जा	14	168918.25	20.65	23	74905.06	6.14
3	परिवहन	32	95519.51	11.68	40	99614.45	8.16
4	उद्योग	22	34764.18	4.25	45	32655.69	2.68
5	एस एवं टी	6	3970.14	0.49	18	6492.13	0.53
6	सामाजिक सेवाएं	55	402117.75	49.16	99	776842.88	63.65
7	संचार	14	14317.41	1.75	12	4199.82	0.34
8	अन्य #	44	66813.09	8.17	32	83052.86	6.80
	कुल	**202**	**817913.10**	**100.00**	**299**	**1220503.16**	**100.00**

गृह मंत्रालय एवं कार्मिक, पर्यटन, वाणिज्य, ई एवं एफ, न्याय, जल संसाधन, एनईआर, उपभोक्ता मामले, वित्त, प्रशासनिक सुधार, विदेश मंत्रालय, योजना आयोग, यूआईडीएआई और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक

पीएएमडी में मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रकवार संख्या और लागत

क्र.सं.	क्षेत्र	2012-13		2013-14	
		संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)
	कृषि				
1	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	15	31492.77	30	142740.27
	ऊर्जा				
2	विद्युत	11	153064.72	11	16875.43
3	कोयला	1	977.53	2	6137.93
4	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस			2	38223.28
5	नई एवं अक्षय ऊर्जा	2	14876.00	8	13668.42
	परिवहन				
6	रेल	7	88796.70	9	86987.31
7	भूतल परिवहन	21	6156.44	23	10218.61
8	नागर विमानन	1	149.95	1	202.00
9	पोत परिवहन	3	416.42	7	2206.53
	उद्योग				
10	उद्योग	4	2903.00	19	16118.59
11	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1	500.00	7	4695.84

12	इस्पात और खान			4	516.80
13	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	1	169.32	2	4237.50
14	वस्त्र	9	20650.95	13	7086.96
15	खाद्य प्रसंस्करण	7	10540.91		
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
16	जैव प्रौद्योगिकी	1	158.42	3	788.45
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	3065.00	5	2001.06
18	विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान			2	978.41
19	महासागर विकास				
20	भू–विज्ञान	3	746.72	8	2724.21
	समाजिक सेवाएं				
21	मानव संसाधन विकास	6	38408.00	13	381451.71
22	संस्कृति			5	950.00
23	युवा एवं खेल मामले	3	963.93	1	4513.00
24	स्वास्थ्य	12	81465.35	34	57924.06
25	महिला एवं बाल विकास	3	7961.00	2	15147.00
26	श्रम	3	4905.16	3	473.45
27	सामाजिक न्याय	5	6965.00	10	41871.90
28	शहरी विकास	8	100405.67	10	122012.24
29	ग्रामीण विकास	6	77764.64	6	126774.83
30	अल्पसंख्यक मामले	5	18780.00	6	8510.00
31	जनजातीय मामले	1	2229.00	6	9717.43
32	पेयजल आपूर्ति	2	58773.00	2	6900.00
33	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	3497.00	1	597.26
	संचार				
34	सूचना एवं प्रसारण	10	8246.41	1	630.00
35	डाक	2	5013.00	7	1903.05
36	सूचना प्रौद्योगिकी	1	280.00	4	1666.77
37	संचार	1	778.00		
	गृह				
38	गृह मंत्रालय	14	23032.09	6	6220.85
	अन्य				
39	कार्मिक प्रशिक्षण और लोक शिकायत	4	822.66	1	99.19
40	पर्यटन	1	200.00	6	10493.88
41	वाणिज्य				
42	पर्यावरण एवं वन	4	1245.62	4	46922.00
43	विधि और न्याय			1	3297.70
44	जल संसाधन	14	33262.75	2	6974.00
45	पूर्वोत्तर क्षेत्र	3	802.67	2	334.07
46	उपभोक्ता मामले	1	409.29	3	613.39
47	वित्त/कारपोरेट मामले			2	4500.00
48	योजना आयोग	1	5061.00	1	643.45
49	विदेशी मामले	2	1977.01	1	1765.54
50	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन			3	1188.79
	कुल	**202**	**817913.10**	**299**	**1220503.16**

4.23 सार्वजनिक–निजी भागीदारी संवर्द्धन (पीपीपी) व अवसंरचना प्रभाग

4.23.1 प्रभाग को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के समयबद्ध सृजन को सुनिश्चित करने वाली नीतियों के निर्माण के साथ, बुनियादी ढांचे में निवेश के वित्त पोषण, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और ओ एवं एम के लिए पसंदीदा तरीके से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने, संस्थागत, विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधार के लिए सुझाव देने, पीपीपी दस्तावेजों के मानकीकरण, सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपयुक्त सुधार और नीतिगत पहलों को विकसित करने और पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है।

अवसंरचना में निवेश

4.23.2 प्रभाग अवसंरचना में निवेश संबंधी डेटा का संकलन करता है। नीचे तालिका–1 में बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष (2012–13) में विभिन्न क्षेत्रकों में निवेश की तुलना बारहवीं योजना के संगत अनुमानों से की गई है। यह योजना अनुमान की तुलना में, योजना के पहले वर्ष में 70.5 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि को दर्शाता है।

नीतिगत पहलें

4.23.3 निजी भागीदारी के लिए एक समर्थनकारी माहौल बनाने के दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने कई पहलें आरंभ की है। इन प्रयासों में से कुछ पर नीचे चर्चा की जा रही है।

मंत्रिमंडलीय निवेश समिति

4.23.4 जनवरी 2013 में, सरकार ने निवेश पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। समिति के प्रमुख कार्यों में 1000 करोड़ या अधिक रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं की पहचान या बुनियादी ढांचे, निर्माण इत्यादि के लिए समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता वाली कोई भी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी के लिए समय सीमा

तालिका 1

2012–13 में अवसंरचना पर प्रयोजित और अनुमानित निवेश

(मौजूदा कीमतों पर करोड़ रुपए में)

क्षेत्रक	प्रयोजित	अनुमानित	उपलब्धि (%)
विद्युत	2,28,405	1,76,839	77.4
नवीकरणीय ऊर्जा	31,199	26,121	83.7
सड़क और पुल	1,50,466	1,09,940	73.1
दूरसंचार	1,05,949	35,277	33.3
रेलवे	64,713	51,433	79.5
एमआरटीएस	13,555	13,010	96.0
सिंचाई (जलसंभर सहित)	77,113	58,415	75.8
जलापूर्ति तथा स्वच्छता	36,569	29,547	80.8
पत्तन (+आईएलडब्ल्यू)	18,661	12,914	69.2
विमानपत्तन	7,691	5,037	65.5
भंडारण	4,480	5,668	126.5
तेल तथा गैस पाइपलाइन	12,211	5,353	43.8
कुल	**7,51,012**	**5,29,555**	**70.5**

निर्धारित करना, चिह्नित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित समय सीमा से परे की गई देरी की समीक्षा, मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुमोदन और मंजूरी देने/इनकार करने में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा, अनावश्यक रूप से देरी करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/मंजूरी देने/इंकार करने पर निर्णय लेना, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों/प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित चिह्नित क्षेत्रों में अनुमोदन/मंजूरी देने/इंकार करने पर निर्णय में तेजी लाने के उपाय तय करना और निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सांविधिक प्राधिकारियों की आवश्यकता भी शामिल है।

मानक दस्तावेज

4.23.5 सरकार ने पीपीपी रियायतों के लिए बोली लगाने और सौंपने के मानक दस्तावेजों को तैयार करने का फैसला किया है। एक मानकीकृत ढांचे को अपनाना जोखिमों, लागतों और दायित्वों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विवादों और दुष्कृत्य की संभावना को भी कम करता है।

4.23.6 विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित आदर्श रियायत समझौते (एमसीएएस) नीचे सूचीबद्ध हैं। केन्द्रीय तथा राज्य पीपीपी परियोजनाओं की एक बड़ी संख्या में इन दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत समझौते (एमसीए)

- राष्ट्रीय राजमार्ग
- राज्य राजमार्ग
- राजमार्गों का प्रचालन और रखरखाव
- राष्ट्रीय राजमार्ग (छः लेन)
- बिजली का पारेषण
- बिजली ख़रीद समझौता (डीबीएफओटी)
- बिजली आपूर्ति समझौता (डीबीएफओओ)
- गैर–मेट्रो हवाई अड्डे
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
- पोर्ट टर्मिनल
- शहरी मेट्रो रेल
- कंटेनर ट्रेनों का प्रचालन
- रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
- लोकोमोटिव की खरीद व रखरखाव के लिए करार
- कोयला खनन
- अनाज भंडारण
- विद्यालयी शिक्षा (केंद्रीय)
- विद्यालयी शिक्षा (राज्य)
- वार्षिक वृत्ति परियोजनाएं
- राजमार्गों के लिए ईपीसी समझौता
- रेलवे परियोजनाओं के लिए ईपीसी समझौता

अस्पतालों, लघु सिंचाई और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पीपीपी के लिए एमसीए तैयारी की प्रक्रिया में है।

4.23.7 पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली की प्रक्रिया से संबंधित मुख्य सिद्धांतों को शामिल करने वाले मानकीकृत दिशानिर्देश और आदर्श दस्तावेज भी विकसित किये गए हैं। ये नीचे संकेतित हैः

पीपीपी परियोजनाओं के लिए आदर्श बोली दस्तावेज

- o पीपीपी परियोजनाओं के योग्यता दस्तावेज (आरएफक्यू) के लिए आदर्श अनुरोध
- o पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्ताव दस्तावेज के लिए आदर्श अनुरोध (आरएफपी)
- o तकनीकी परामर्शदाताओं के चयन के लिए आदर्श आरएफपी दस्तावेज
- o कानूनी सलाहकारों के चयन के लिए आदर्श आरएफपी दस्तावेज
- o वित्तीय परामर्शदाताओं और लेन–देन सलाहकारों के चयन के लिए आदर्श आरएफपी दस्तावेज

- पारेषण परामर्शदाताओं के चयन के लिए आदर्श आरएफपी दस्तावेज

4.23.8 सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की है। ऊपर वर्णित पहलों के अनुसरण में कई दिशानिर्देश और नियमावलियां जारी की गई हैं। ये नीचे संकेतित हैं:

दिशानिर्देश और मैनुअल्स

- बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश (वीजीएफ योजना)
- पीपीपी परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन पर दिशानिर्देश (पीपीपीएसी)
- बुनियादी ढांचे में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश
- पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी के लिए दिशानिर्देश
- आईआईएफसीएल के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना
- राजमार्गों को दो लेन का बनाने के लिए निर्दिष्टीकरण और मानक की नियमावली (मैन्युअल)
- राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए निर्दिष्टीकरण और मानक की नियमावली (मैन्युअल)

क्षेत्रकगत विकास

बिजली उत्पादक परियोजनाओं के लिए नए मानक बोली दस्तावेज

4.23.9 प्रभाग ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जरिए नई बिजली उत्पादक परियोजनाओं की स्थापना के लिए डीबीएफओटी तथा डीबीओओ मोड संबंधी नए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) विकसित करने में विद्युत मंत्रालय की मदद की। नए एसबीडी में, ईंधन की क़ीमत में बदलाव का जोखिम जनोपयोगी सेवा (यूटिलिटी) को भी उठाना होगा जो बदले में, शुल्क में परिलक्षित होगा। ओडिशा और तमिलनाडु में दो अल्ट्रा–मेगा बिजली परियोजनाओं (यूएमपीपी) को इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर आमंत्रित किया गया है। आशा है कि राज्य इन दस्तावेजों को भी स्वीकार करेंगे जो विश्वसनीय और अत्यन्त प्रवर्तनीय हैं।

भारतीय रेलवे के लिए सृजनात्मक वित्तपोषण संबंधी समिति की रिपोर्ट

4.23.10 प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त एक पत्र के अनुसरण में, श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग ने भारतीय रेल के लिए सृजनात्मक वित्तपोषण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ताकि निवेश में वृद्धि हो सके। समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं–भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से लेनदारी के जरिए अर्थक्षम परियोजनाओं का वित्तपोषण, जैसे–रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल व्यवस्था, लाइनों का निर्माण, विशिष्ट माल ढुलाई गलियारा, अतिरिक्त संसाधनों के लिए राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम तथा सुधारों के लेखाकरण तथा सांस्थानिक क्षमता के सृजन के अलावा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (वार्षिक वृत्ति) मोड के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, नई लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन परियोजनाओं, लोकोमोटिव तथा ईएमयू विनिर्माण, विशिष्ट माल ढुलाई गलियारों, बिजली उत्पादन, नई लाइनों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि।

ब्राउनफील्ड विमानपत्तनों के संगठन और प्रबंधन में पीपीपी

4.23.11 नागर विमानन मंत्रालय ने चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर तथा गुवाहाटी के छह विमानपत्तनों का प्रचालन और रखरखाव सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जरिए शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने परियोजनाओं के लिए आरएफक्यू जारी किया है। परियोजना प्रदान करने के लिए, ब्राउनफील्ड विमानपत्तनों संबंधी आरपीएफ और आदर्श रियायत समझौते सहित आदर्श बोली दस्तावेजों को नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोयला खनन में पीपीपी

4.23.12 प्रभाग ने कोयला खनन में पीपीपी के लिए एमसीए का मसौदा तैयार करने में कोयला मंत्रालय की मदद की। कोयला खनन में पीपीपी के लिए एमसीए को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे अंतर–मंत्रालय समूह ने अनुमोदित कर दिया है।

लघु–सिंचाई में पीपीपी

4.23.13 प्रभाग ने पीपीपी मोड के जरिए पीपीपी की एक स्कीम विकसित करने में जल संसाधन मंत्रालय की मदद की। इस स्कीम के दो घटक हैं–''साझा अवसंरचना'' तथा ''ऑन–फार्म वितरण''। साझा अवसंरचना घटक का 60 प्रतिशत वित्तपोषण जल संसाधन मंत्रालय करेगा जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम को बारहवीं योजना में एक नए घटक के रूप में शामिल किया गया है ताकि 0.25 मिलियन हेक्टेयर को कवर किया जा सके।

खाद्यान्न कमी निवारण में पीपीपी

4.23.14 खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं सृजित करने के प्रति सरकार की गंभीरता को देखते हुए, योजना आयोग ने बुखारियों (साइलो) के रूप में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों की बरबादी को कम करना और भंडारित खाद्यान्नों की गुणवत्ता को बनाए रखना है।

4.23.15 इस योजना के अंतर्गत, पीपीपी मोड के तहत बुखारियों (साइलो) का निर्माण और संचालन किया जाएगा। लाइसेंस पर निजी संस्थाओं को बुखारियों के लिए भूमि और वीजीएफ के रूप में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तक प्रदान किया जाएगा। रियायत प्राप्तकर्ता एक आवर्ती भंडारण शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा जो प्रदर्शन और रखरखाव के मानकों के अनुपालन पर देय होगा।

4.23.16 मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में 10 स्थानों पर पीपीपी के माध्यम से खाद्यान्नों के भंडारण के रूप इस्पाती साइलो की स्थापना का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आठ स्थानों पर साइलो परियोजना प्रदान करने के लिए निजी कम्पनियों के चयन हेतु बोली प्रकिया पूरी कर ली है। योजना आयोग ने आरएफक्यू, आरपीएफ तथा रियायत समझौते सहित बोली दस्तावेजों को तैयार करने में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता की है। चयनित बोलीदाताओं को पत्र भेजे जा चुके हैं। इन आधुनिक साइलो के भंडारण प्रभार पारम्परिक भंडारण से तुलनीय हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी

4.23.17 योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार की अध्यक्षता में बने एक उप समूह ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से पीपीपी पद्धति के तहत 2,500 स्कूलों की स्थापना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी तथा इसे बारहवीं योजना में शुरू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य शोषित बच्चों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए विश्व स्तर के स्कूलों की स्थापना के सरकार के उद्देश्य को पूरा करना है। उम्मीद है कि इस योजना से 40 लाख बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिनमें से 25 लाख बच्चे शोषित वर्ग से होंगे।

4.23.18 स्कीम शुरू करने तथा ब्लॉक स्तर पर विद्यालय प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रायोगिक चरण में 41 विद्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन विद्यालयों के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं और चयनित बोलीदाताओं को निविदा आवंटित किए जाने का पत्र शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ मिलकर आदर्श रियायत समझौते को अंतिम रूप दिया है जिसे आदर्श विद्यालय प्रदान करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव के साथ जारी किया गया था तथा एमसीए के आधार पर, चयनित

बोलीदाताओं के साथ रियायत समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अन्य पहलें

अवसंरचना क्षेत्रक में प्रगति संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन

4.23.19 प्रभाग की पहल पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवसंरचना क्षेत्रक में प्रगति संबंधी अपने विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया। नए मानदंड के अनुसार, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण को उस सीमा तक सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिस सीमा तक परियोजना प्राधिकारी ने उसके प्रति आश्वस्त किया हो, बशर्ते वे कुछेक शर्तों को पूरा करते हों। इससे ऐसी परियोजनाओं की लागत में कमी आने की संभावना है।

पीपीपी संविदाओं में पुनर्समझौते संबंधी कार्यशाला

4.23.20 पीपीपी की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ ही, कुछ रियायत प्राप्तकर्ताओं ने इस आधार पर अपने पीपीपी संविदाओं के पुनर्समझौते की मांग की है कि ऐसे समझौते सम्पूर्ण संविदा अवधि (जो बीस वर्ष अथवा इससे भी अधिक है) के दौरान की सभी घटनाओं और आपात स्थितियों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ, पुनर्समझौते से संविदा की शुचिता का उल्लंघन होता है और बोली दिए जाने के बाद रियायत मिलती है जो प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया का दुरूपयोग है। सामान्यतः, इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है और प्रयोक्ता में यह प्रवृत्ति बढ़ती है कि पहले तो वह कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बाद संविदा जीते और फिर उसके साथ समझौते की उम्मीद लगाए।

4.23.21 इस विषय पर चर्चा तथा इस संबंध में संभावित सिफारिशों को तैयार करने के लिए, प्रभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. लुइस गॉश ने मुख्य संभाषण दिया। जाने–माने नीति निर्माताओं, उद्योग संगठनों, अवसंरचना से जुड़ी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों तथा विधिक प्रतिष्ठानों ने भी इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। यह प्रभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए व्यापक रूप में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

पीपीपी परियोजनाओं का अनुवीक्षण

4.23.22 पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी के लिए सांस्थानिक तंत्र संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया गया और बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने 12 जुलाई, 2012 को आयोजित बैठक में इसे मंजूरी दे दी। दिशानिर्देश में एक संस्थागत ढांचे का सुझाव दिया गया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत प्राप्तकर्ता परियोजना के लिए रियायत के समझौते के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

4.23.23 मंत्रिमंडल के निदेशों के अनुरूप, वर्ष 2012–13 के लिए त्रैमासिक अनुवीक्षण रिपोर्ट पर जुलाई 2013 में मंत्रिमंडल में विचार किया गया तथा इसे अनुमोदित किया गया। विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर, वर्ष 2013–14 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक अनुवीक्षण रिपोर्ट हेतु मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसे समीक्षार्थ सीसीईए के समक्ष रखे जाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है।

पीपीपी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के उपाय

4.23.24 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पीपीपी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना आयोग को वित्त मंत्रालय तथा अन्य पक्षों के परामर्श से एक प्रस्ताव उसके विचारार्थ यथाशीघ्र लाने का निदेश दिया। सीसीईए के इस निर्णय के अनुसरण में, प्रभाग ने उक्त विषय पर एक नोट तैयार कर उसे अंतर–मंत्रालय परामर्श हेतु परिचालित किया। इस नोट पर दो दौर के अंतर–मंत्रालय परामर्श के उपरांत, एक नोट का मसौदा तैयार कर उसे सचिवों की समिति के विचारार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय भेजा गया।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)

4.23.25 पीपीपी मूल्यांकन इकाई (पीपीपीएयू) ने 2013–2014 के दौरान 54,646 करोड़ रूपए लागत वाली 41 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जिसे नीचे तालिका–2 में दर्शाया गया है:

तालिका–2: 2013–14 में मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (करोड़ रूपए में)
सड़क	25	34,866
पोत परिवहन	11	19768
शिक्षा	5	12
कुल	**41**	**54,646**

4.23.26 पीपीपीएयू केंद्र सरकार की परियोजनाओं के अलावा, अंतर (गैप) वित्तपोषण की व्यवहार्यता (वीजीएफ) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करता है। 2013–14 के दौरान, लगभग 16938 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश वाली 37 राज्य परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है जिनका ब्यौरा नीचे तालिका–3 में दिया गया है:

तालिका–3: 2013–2014 में वीजीएफ प्रदान करने हेतु मूल्यांकित राज्यवार परियोजनाएँ

(31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (करोड़ रूपए में)
आंध्र प्रदेश	2	968
बिहार	1	917
कर्नाटक	1	168
मध्य प्रदेश	15	1,594
महाराष्ट्र	9	5,534
मिज़ोरम	1	1,750
राजस्थान	1	628
उत्तर प्रदेश	7	5,379
कुल	**37**	**16,938**

4.24 अनुसंधान प्रभाग

निष्पादन रिपोर्ट (2013–14)

अनुसंधान हेतु अनुदान सहायता

4.24.1 अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता के साथ आयोजना प्रक्रिया में अध्ययन और जांच में सहयोग के लिए अनुसंधान और अध्ययन की योजना स्कीम का मामला देखता है ताकि ऐसे अनुसंधान अध्ययन किए जा सकें और संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जा सके जो योजना आयोग के कार्यक्रमों और नीतियों के लिए प्रासंगिक हैं। इस स्कीम में प्रकाशनों के वित्तपोषण का प्रावधान भी है। स्कीम का उद्देश्य ऐसे अनुसंधान और अध्ययनों को प्रोत्साहित करना है जो योजना निर्माण तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक – दोनों प्रकार की आयोजना की भावी आवश्यकताओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक माने गए हों। इसका उद्देश्य योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया को विकसित करना तथा उन्हें आयोजना प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुरूप पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता, सामाजिक–आर्थिक अध्ययन करना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में देश में योजनाओं और नीतियों तथा अन्य उपयुक्त प्रक्रियाओं का अध्ययन करना भी है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा आयोजना प्रक्रिया के लिए अकादमिक संस्थानों तथा अन्य पक्षों से इनपुट प्राप्त करना है। अनुसंधान तथा अध्ययन स्कीम, 2013 का पूरा पाठ योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4.24.2 वर्ष 2012–13 के दौरान, 208.68 लाख रूपए की अनुदान–सहायता जारी की गई जिसमें 118.16 लाख रूपए अध्ययन के लिए तथा 90.52 लाख रूपए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए थे। वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित अनुमान 210.00 लाख रूपए का था।

4.24.3 2012–13 के दौरान 1 अध्ययन तथा 32 संगोष्ठियों के लिए अनुदान–सहायता के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था। 11 चालू अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त हुई थीं। इन्हें **अनुलग्नक 4.24.1** में सूचीबद्ध किया गया है।

4.24.4 वर्ष 2013–14 के दौरान, 64.87 लाख रूपए की अनुदान–सहायता जारी की गई जिसमें 46.42 लाख रूपए अध्ययन के लिए तथा 18.45 लाख रूपए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए थे।

(लाख रूपए में)

अनुदान सहायता (2013-14)	अनुमोदित (आरई)	जारी
कुल	210.00	64.87
अध्ययन		46.42
संगोष्ठियां		18.45

अनुलग्नक–4.24.1

वर्ष 2012–13 के दौरान योजना आयोग की एसईआर स्कीम के अंतर्गत निम्नांकित अध्ययन पूरे किए गए:

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में भोजन, पोषण तथा आजीविका सुरक्षा के लिए संधारणीय उत्पादन प्रणाली	सीएसके एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय (कृषि आर्थिकी विभाग), विस्तार शिक्षा तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, पालमपुर–176062 (हिमाचल प्रदेश)
2.	पर्यावरणीय नीतियों तथा कार्यक्रमों वाले राज्यों के सफल कार्यान्वयन मॉडल	प्रेस्टल्स, 112, पारस चैम्बर्स, लक्ष्मी नारायण सिनेमा के पास, पार्वती रोड, पुणे–411009
3.	विशेष श्रेणी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर) पैकेज का प्रभाव मूल्यांकन	स्टेलर सोसायटी (त्रिवेणी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
4.	भारत में हथकरघा विविधता के आकलन हेतु बुनाई क्लस्टर के लिए हथकरघा उद्योग नीति तथा स्कीम के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य विशिष्ट सिफारिशें	क्राफ्ट रिट्रीवल ट्रस्ट, एस–4, खिड़की एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110017
5.	भारत में कृषि व्यापार का उभरता परिदृश्य	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1, कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता–700073
6.	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा बिहार में जनजातीय/लोक कला तथा संस्कृति	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, ज़िला–24 परगना, पश्चिम बंगाल
7.	दक्ष रोज़गार सृजन तथा लघु और माइक्रो–उद्यम विकास के लिए नीतिगत विकल्पः पूर्वी भारत में आरईजीपी कार्यान्वयन तथा पीएमईजीपी की शुरूआत का आकलन	डी.जे. रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्रा. लिमि., एन–1/69, आईआरसी ग्राम, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751015 (ओडिशा)
8.	उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से राज्यों द्वारा निधियों की प्रभावशीलता और उपयोगिता में वृद्धि के तरीक़ों पर विचार करना और केंद्र द्वारा जारी निधि का समय और उसकी पद्धति	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, इंस्टीट्यूशनल एरिया (जेएनयू के पास), नई दिल्ली–110067
9.	*चुनिंदा राज्यों में स्वास्थ्य सेवा में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभाविताः दुहराव का प्रभाव तथा नौकरशाही की भूमिका–केरल, राजस्थान और बिहार	केरल डेवलपमेंट सोसायटी, नई दिल्ली
10.	उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण उद्योगः उभरता ढांचा और विकास संभावना	गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ
11.	ग्रामीण विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिकाः बिहार और ओडिशा में प्रत्येक ज़िले में तुलनात्मक मामला अध्ययन	अफॉर्ड अवार्ड फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, 5, प्रथम तल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

4.24.5 वर्ष 2013–14* के लिए 5 संगोष्ठियों हेतु अनुदान सहायता के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। चूँकि बारहवीं योजना के लिए स्कीम को संशोधित किया जा रहा है इसलिए 2013–14 के दौरान कोई भी अध्ययन अनुमोदित नहीं किया गया है।

संगोष्ठियों का ब्यौरा ***अनुलग्नक–4.24.2*** पर सूचीबद्ध किया गया है।

अनुलग्नक–4.24.2

वर्ष 2013–14* के दौरान निम्नांकित संगोष्ठियों का अनुमोदन किया गया:

मद संख्या	संगोष्ठी का शीर्षक	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कृषि विपणन पर 27वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, नागपुर
2.	XVII इंटरनेशनल कॉफ्रेंस ऑफ इनपुट–आउटपुट रिसर्च एसोसिएशन (आईओआरए)	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स, पुणे
3.	शहरी विकास के एक साधन के रूप में संस्कृति विषय पर भारतीय पर्यावास केंद्र में किया जाना है	आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर, नई दिल्ली
4.	ऑर्गेनिक फार्मिंग और कृषि तथा संबद्ध कार्यों में उत्पादकता संवर्द्धन में इसका योगदान	आदर्श रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसायटी, कोडिकोंडा–515601
5.	जम्मू और कश्मीर की पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण विषयक सम्मेलन	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली

*** 31 मार्च, 2014 तक**

4.24.6 वर्ष 2013–14* के दौरान, 10 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं। इनकी सूची ***अनुलग्नक 4.24.3*** में है।

4.27.7 1 अनुसंधान और आयोजना प्रक्रिया में अधिक व्यापक उपयोग के लिए, योजना आयोग की वेबसाइट पर अब तक कुल 220 अध्ययन रिपोर्टें डाली गई हैं।

अनुलग्नक–4.24.3

वर्ष 2013–14* के दौरान निम्नांकित अध्ययन पूरे किए गए:

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	बच्चों और कामकाजी महिलाओं के लिए राजीव गांधी क्रेच स्कीम का मूल्यांकन	सुपथ ग्रामोदय संस्थान, यूनिट–बी, चौथा तल, आविष्कार परिसर, मोतीपुरा सर्किल, हिम्मतनगर (गुजरात)
2.	*भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आरएमके की माइक्रो–ऋण स्कीम का कार्यकरण	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान निदेशालय, आईआरओआईएसईएमबीए, इम्फाल–795004 (मणिपुर)
3.	समुद्री मात्स्यिकी संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीमें तथा मात्स्यिकी विकास पर इसका प्रभाव: पारम्परिक यानों के मोटरीकरण और एचएसडी तेल स्कीमों का अध्ययन	सामाजिक विकास परिषद्, हैदराबाद
4.	*चुनिंदा ज़िलों में कृषि उत्पादकता सुधार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की भूमिका	समाज विकास परिषद्, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
5.	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में नव–साक्षरों पर जेएसएस के कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभाव	नोबल सोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, आई एस महल के पीछे, नेहरू नगर, तिरूपति–517507 (आंध्र प्रदेश)
6.	भारत में बालश्रम निषेध: आंध्र प्रदेश का अनुभवजन्य अध्ययन	काकातिय विश्वविद्यालय, वारंगल, आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
7.	हिमाचल प्रदेश, आँध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो पर अपराध तथा अत्याचार – नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार प्रस्तुति अधिनियम, 1989 के विशेष संदर्भ में	सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक विकास समिति (सीड्स), आरएफजेड 754/29, राजनगर–II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली
8.	भारत के चुनिंदा राज्यों में 24x7 स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यकरण के अध्ययन का मूल्यांकन	श्री श्याम सुंदर 'श्याम' लोक सहयोग तथा सामुदायिक विकास संस्थान, 82, आराधना नगर, भोपाल–462003 (मध्य प्रदेश)
9.	संधारणीय विकासः भारत के खनिज क्षेत्रक में उभरते मुद्दे	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
10.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान तथा इसके आसपास के इलाके में पर्यावरण स्थिति की समीक्षा	सलीम अली पक्षीविज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, कोयम्बतूर (तमिलनाडु)

*** 31 मार्च, 2014 तक**

4.24.8 योजना आयोग में रिपोर्टें मुद्रित के साथ–साथ सीडी के रूप में स्वीकार की जाती हैं। विचारों के सहज आदान–प्रदान तथा बेहतर उपयोग के लिए, इन रिपोर्टों को योजना आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है। रिपोर्टों की प्रतियां केंद्र और राज्यों के संबंधित विभागों/मंत्रालयों को तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी परिचालित की जाती हैं। योजना आयोग में संबंधित प्रभाग अध्ययन रिपोर्टों पर कार्यवाही करते हैं।

4.24.9 वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रभाग ने चालू अध्ययनों के संबंध में संबंधित संगठन (प्रदानकर्ता) को अनंतिम/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष के दौरान, प्रभाग ने सदृश अनुमोदित प्रस्तावों की पुनर्समीक्षा भी की।

4.24.10 प्रभाग ने सूचना का अधिकार संबंधी कई आवेदनों, संसदीय प्रश्नों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों के जवाब भिजवाए।

4.24.11 स्कीम को 2013 में संशोधित किया गया था जिसमें स्कीम के पुराने स्वरूप के दौरान प्राप्त अनुभवों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। मौजूदा लागत स्थितियों के मद्देनजर, स्कीम को अधिक व्यावहारिक तथा प्रासंगिक बनाने के लिए, अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई, नई उप–श्रेणियां शुरू की गईं तथा चयन–प्रक्रिया और प्रस्तावों के वित्तपोषण को समुचित रूप से आशोधित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो कि इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय आयोजना के लिए योजना आयोग की अध्ययन–प्रक्रिया जीएफआर प्रावधानों पर आधारित हो तथा और अधिक गहरी हो।

4.24.12 नए अनुसंधान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विभिन्न विषय प्रभागों से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली गई तथा तदनुसार, योजना आयोग द्वारा विभिन्न सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विज्ञापित किया गया तथा विभिन्न संस्थानों/संगठनों से ईओआई प्राप्त कर विषय प्रभाग की सहमति के लिए उनकी समीक्षा की गई।

4.25 ग्रामीण विकास प्रभाग

4.25.1 ग्रामीण विकास प्रभाग गरीबी उपशमन, रोज़गार सृजन कार्यक्रमों तथा भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) से जुड़े मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह संबंधित विकास मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग तथा भू–संसाधन विभाग) के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सरकार के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रमों, जैसे – मनरेगा, इंदिरा

आवास योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा एनएसएपी आदि का मामला ग्रामीण विकास प्रभाग ही देखता है।

4.25.2 वार्षिक योजना 2013–14 के लिए, ग्रामीण विकास विभाग तथा भू–संसाधन विभाग के वार्षिक योजना प्रस्तावों तथा बजट अनुमानों की प्रभाग में विस्तार से जांच की गई। इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्रक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना प्रस्तावों की जांच की गई तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ उन पर चर्चा की गई ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप दिया जा सके।

4.25.3 राज्य की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा के लिए, उपाध्यक्ष–मुख्यमंत्री स्तर की बैठक से पूर्व, योजना आयोग में राज्यवार बैठकें करने की बजाय, संबंधित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त बैठकें हुई जिनमें राज्यों के सचिव, योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनके कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन 4 और 5 अप्रैल, 2013 को जबकि भू–संसाधन विभाग ने आईडब्ल्यूएमपी पर चर्चा के लिए 3 अप्रैल को और एनआलआरएमपी पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन 8 अप्रैल, 2013 को किया। इन बैठकों में सभी राज्यों से संबंधित साझा मुद्दों पर तथा राज्य विशिष्ट के मुद्दों पर चर्चा की गई।

4.25.4 ग्रामीण विकास विभाग तथा भू–संसाधन विभाग के संबंध में व्यय वित्त समिति के प्रस्तावों की समीक्षा की गई तथा उन पर टिप्पणियां दी गईं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की व्यय वित्त समिति की बैठकों के लिए ज़रूरी सूचनाएं भी परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन प्रभाग को अग्रेषित की गईं।

4.25.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा इंदिरा आवास योजना आदि के संबंध में अध्ययन करने/संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान प्रभाग से प्राप्त कई अनुसंधान प्रस्तावों की जांच की गई तथा उन पर टिप्पणियां दी गईं।

4.25.6 प्रभाग ने संसदीय प्रश्नों, संसदीय आश्वासनों, संसदीय मामलों, जैसे–गैर–सरकारी सदस्य संकल्प, अति–महत्वपूर्ण पत्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्रों तथा अन्य प्रतिनिधियों से समय–समय पर प्राप्त पत्रों से जुड़े कार्यों को भी देखा।

4.25.7 योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई भी की गई है। योजना मंत्रालय की अनुदान मागों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की तिरपनवीं रिपोर्ट में निहित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रमों से संबंधित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बिंदु वार जवाब भी दिए गए हैं।

4.25.8 वर्ष 2013–14 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों पर कई आरटीआई मामलों के जवाब दिए गए।

4.25.9 सदस्य (आरडी), योजना आयोग की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की गई।

4.25.10 प्रभाग के अधिकारियों ने कई समितियों के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया जिनमें शामिल हैं:– (i) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (iii) एसजीएसवाई/एनआरएलएम की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन समिति, (iv) पीयूआरए प्रस्तावों पर परियोजना जांच समिति (v) मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन करने हेतु एक उपयुक्त सूचकांक सुझाने से संबंधित समिति (vi) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (एनआरएलपीएस) और उसकी साधारण सभा

(vii) इंदिरा आवास योजना के तहत विशेष परियोजनाओं पर विचार करने हेतु अधिकार प्राप्त समिति।

4.25.11 प्रभाग के सलाहकार और निदेशक ने उपर्युक्त समितियों की कई बैठकों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ:

4.25.12 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, नये निर्माण के लिए इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 45,000/- रु. से बढ़ाकर 70,000/- रु. और पर्वतीय / दुर्गम / आईएपी जिलों में 48,500/- रु. से बढ़ाकर 75,000/- रु. तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही घर के लिए जमीन है, के लिए वासभूमि क्रय करने / प्राप्ति के लिए इकाई सहायता को 01.04.2013 से 10,000/- रु. से बढ़ाकर 20,000/- रु. कर दिया गया है।

4.25.13 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण भारत में नई आजीविका का सृजन करके और महिलाओं को सशक्त बनाकर एनआरएलएम (आजीविका) को पूरे देश में और प्रभावी और त्वरित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन तथा अतिरिक्त नम्यता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी है।

अनुमोदित किए गए मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:–

- गरीबों की साझा पहचान (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल मानदंड की बजाय लक्ष्य समूहों की पहचान करते हुए उन्नत लक्ष्य निर्धारित करना।
- 150 जिलों में ब्याज संसहायिकी और अतिरिक्त ब्याज संसहायिकी।
- पूंजी इमदाद को सामुदायिक निवेश सहायता निधि से प्रतिस्थापित करते हुए वित्तीय सहायता के प्रतिरूप में परिवर्तन।
- और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के सोसाइटी की स्थापना करना।

4.25.14 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में वामपंथ उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 24 जिलों के युवाओं के लिए रोशनी नामक एक नई कौशल विकास स्कीम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य इन जिलों के पचास हजार युवाओं को कौशल प्रदान करना और नौकरी दिलाना था।

4.25.15 मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में 9 राज्यों– ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में फैले हुए, भारत की वृहत् प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या वाले लगभग 170 जिलों को शामिल करके विशेषकर महिलाओं पर बल देते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका और जीवन को रूपांतरित करने के लिए, सरकार के साथ भागीदारी से सिविल सोसाइटी के कार्यों को सुगम बनाने और उसका पैमाना बढ़ाने के लिए 3 सितम्बर, 2013 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, एक स्वतंत्र पूर्त (चैरिटेबल) संस्था के रूप में **भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ) की स्थापना** को अनुमोदित किया गया है।

4.25.16 यह सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) को अनुमोदित अंतःक्षेपों का पैमाना बढ़ाने हेतु उनके मानव संसाधन और संस्थागत लागतों को पूरा करने, छोटे सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण में निवेश करने और जमीनी स्तर पर व्यावसायिक संसाधनों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करेगा। बीआरएलएफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं को पांचवे वर्ष के अंत तक 10 लाख गरीब परिवारों तक पहुँचने लायक बनाया जाएगा। यह उपर्युक्त समय सीमा के भीतर 1,000 सीएसओ व्यावसायिकों के क्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण छोटे सीएसओ के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु भी सहायता प्रदान करेगा।

4.25.17 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नामावली की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के पश्चात मजदूरी भुगतान में विलंब की क्षतिपूर्ति प्रणाली का प्रावधान करते हुए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची–2 के पैरा–30 में संशोधन किया है।

4.25.18 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि बलपूर्वक नहीं ली जाएगी, किसानों को न्यायसंगत और निष्पक्ष क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए संसद द्वारा भूमि अधिग्रहण में निष्पक्ष क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता तथा पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 को पारित कर दिया गया है। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन का प्रावधान है। इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

4.26 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

4.26.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस–टी) प्रभाग परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र), अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर सहित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी–विज्ञान मंत्रालय जैसे केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य करता है।

2012–13 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 12वीं योजना के अध्याय का मसौदा तैयार कर इसे अंतिम रूप दिया गया। एसएंडटी क्षेत्रक के अंतर्गत बारहवीं योजना का ध्यान केन्द्र मुख्य रूप से ज्ञान के आधार, एसएंडटी मानव संसाधन विकास और विश्वविद्यालय सहभागिता के संवर्धन, विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए एसएंडटी को संरेखित करने, राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन, विज्ञान संबंधी बड़ी परियोजनाओं, परिवर्तनकारी बदलावों की रणनीतियों और प्रदर्शन माप–प्रणालियों आदि पर है।
- केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के वार्षिक योजना (2012–13) प्रस्तावों की जांच की गई और सलाहकार स्तर पर उन पर गहन विचार विमर्श के पश्चात वार्षिक योजना (2012–13) की आवश्यकताओं का अंतिम अनुमान लगाने के लिए संबंधित एसएंडटी विभागों के सचिवों के साथ सदस्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष होने की वजह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एसएण्डटी मंत्रालयों/विभागों के कई एसएफसी/ईएफसी/प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट के प्रस्तावों की वार्षिक योजना (2012–13) के दौरान जांच और मूल्यांकन किया गया है। इसमें 3 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना, लगभग 29 एसएफसी एसपीएसी प्रस्तावों, 12 ईएफसी और 12 प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट की जांच एवं मूल्यांकन करना शामिल हैं।
- आयोग में राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और उपलब्धता नीति (एनडीएसएपी) के कार्यान्वयन को प्रभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से संबंधित राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना (2012–13) प्रस्तावों की विस्तार से जांच की गई और एसएंडटी क्षेत्रक के अंतर्गत वार्षिक योजना 2012–13 के परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए कार्य दल की बैठकों में इस पर चर्चा की गई। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एसएंडटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए। विचार विमर्श के दौरान, प्रमुख जोर राज्य के विशिष्ट मुद्दों की पहचान और इन

मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों में केन्द्रीय एसएंडटी विभागों/एजेंसियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की तैनाती, युवा प्रतिभाओं को विज्ञान की दिशा में आकर्षित करने, केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार बातचीत करके राज्य एसएंडटी परिषदों की गतिविधियों को मजबूत बनाने पर था।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के दौरान वार्षिक योजना दस्तावेज के एसएंडटी अध्याय की तैयारी, वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय प्रश्नों और वीआईपी संदर्भ आदि के लिए जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य भी किए गए हैं।
- प्रभागों के अधिकारी एसएफसी/ईएफसी/शासी निकायों/संबंधित विभागों की परिषद की कई बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

4.27 राज्य योजना प्रभाग

4.27.1 योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभाग दिशा–निर्देश जारी करने, योजनाओं का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप–राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन करने जैसी योजनाएँ तैयार करने से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करने के साथ–साथ राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रकीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य दल की बैठकों का आयोजन करता है। प्रभाग विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मंजूरी से संबंधित मामलों तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और संशोधित परिव्यय के प्रस्तावों से संबंधित कार्य भी करता है। प्रभाग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के योजना परिव्यय और व्यय से संबंधित विस्तृत जानकारी का भंडार है।

4.27.2 वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रभाग ने उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के अलावा, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वार्षिक योजना परिव्यय, संशोधित परिव्यय, व्यय और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि से संबंधित वीआईपी संदर्भ और संसदीय प्रश्नों का भी निपटान किया।

वार्षिक योजना 2013–14

4.27.3 विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं (2013–14) परचर्चा के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ उपाध्यक्ष स्तर पर बैठकें आयोजित की गई और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

4.27.4 2013–14 के बजट अनुमान में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 1,36,254.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे जिसमें से 27,636.00 करोड़ रु. सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में, 9571.00 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता (खुली निधि) के रूप में, 6,341.00 करोड़ रुपये विशेष योजना सहायता के रूप में, 4577.00 रुपये अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय उपयोजना, सीमा क्षेत्र और पूर्वोत्तर परिषद के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में, 13,500.00 करोड़ रुपये बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में, 1261.00 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में, 3,955.00 करोड़ रु. संसद सदस्य की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के रूप में और शेष 69,413.00 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी आर जी एफ), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए थे। योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता

वाले क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने की दृष्टि से, चयनित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत परिव्यय की निर्धारित प्रथा को जारी रखा गया।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

4.27.5 द्वीप विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ का गठन सन 1986 में प्रधानमंत्री के अधीन द्वीप विकास प्राधिकरण तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन इसकी स्थायी समिति के सचिवालय के तौर पर किया गया था। भारत के सुदूर द्वीपीय प्रदेशों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने तथा उनका रचनात्मक समाधान सुझाने करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। आईडीए अडंमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के एकीकृत विकास के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा तथा द्वीपों की विशेष तकनीकी एवं वैज्ञानिक जरूरतों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित निर्णय लेता है। यह विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति एवं प्रभाव की समीक्षा भी करता है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेशों से संबधित समस्याओं एवं विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आईडीए की चौदहवीं स्थायी समिति की बैठक 17 अक्तूबर, 2012 को आयोजित की गयी। साथ ही इसमें आईडीए की दिनांक 03.05.2011 को आयोजित तेरहवीं स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की समीक्षा भी की गयी। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की चौदहवीं बैठक, बैठक की कार्यसूची के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आयोजित की जाएगी।

4.28 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (डीओएनईआर)

4.28.1 उत्तरोत्तर योजना अवधि में एनईआर की विशिष्ट आवश्यकताएँ केन्द्र बिंदु रही हैं। योजना आयोग योजनाबद्ध केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त विशेष योजना सहायता (एसपीए/एसीए) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता (खुली निधि) प्रदान करके योजना निवेश के सार्थक स्तर के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधी प्रयासों को पूरा कर रहा है। 10वीं योजना अवधि के दौरान प्रदान की गई कुल एसीए/एसपीए 3,458.18 करोड़ रु. थी जो 11वीं योजना अवधि में बढ़कर 16,555.50 करोड़ रु. (378.73% की वृद्धि के साथ) हो गई।

4.28.2 निम्नलिखित विवरण 11वीं योजना और 12वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान किए गए राज्य–वार आबंटन को प्रदर्शित करता है:

राज्य योजना आबंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

राज्य	11वीं योजना			वार्षिक योजना 2012-13			वार्षिक योजना 2013-14	
	अनुमोदित परिव्यय	कुल केन्द्रीय सहायता (टीसीए)	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	कुल केन्द्रीय सहायता (टीसीए)	व्यय (अनंतिम)	अनुमोदित परिव्यय	कुल केन्द्रीय सहायता (टीसीए)
अरुणाचल प्रदेश	11384.60	9607.57	10335.99	3535.00	3311.24	2712.25	3700	3177.15
असम	31456.51	22673.50	24578.07	10500.00	7861.07	7390.23	12500	8873.05
मणिपुर	10844.31	8802.49	8495.25	3500.00	3433.57	2421.52	3650	3745.36
मेघालय	9677.00	6677.90	8405.66	3939.00	2698.45	3475.00	4151	2912.25
मिजोरम	6300.00	6112.44	5207.80	2300.00	2246.68	2100.00	2520	2513.85
नागालैण्ड	6910.00	7051.26	6359.13	2300.00	2689.00	1735.15	2000	2904.70
सिक्किम	5163.14	4287.75	4833.92	1877.00	1614.01	1852.34	2060	1790.51
त्रिपुरा	8160.00	8161.31	7471.07	2250.00	2919.06	2150.70	2500	3106.91
अरुणाचल प्रदेश	89895.56	73374.22	75686.89	30201.00	26773.08	23837.19	33081	29023.78

नोटः 1) कुल केन्द्रीय सहायता (टीसीए) में एनसीए, एससीए, एसपीए/ओटीएसीए, एसीए (योजनाबद्ध), ईएपी के लिए एसीए शामिल हैं।
2) कुछ राज्यों में वृहत् नकारात्मक अवशेष की वजह से टीसीए के अनुमोदित परिव्यय में वृद्धि हुई।

4.28.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा योजना बजट के 10% का अनिवार्य निर्धारण भी एनईआर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा 10% अनिवार्य निर्धारित निधि की उपयोगिता में सुधार हुआ था। यह ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षों में दसवीं योजना के 80.08% से बढ़कर 89.7% हो गई।

4.28.4 पूर्वोत्तर की विशेष स्कीमों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट के माध्यम से भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं। ये स्कीमें क्षेत्र विशिष्ट विकास पैकेजों के लिए प्रावधान सहित केन्द्रीय स्कीमों और राज्य योजना स्कीम (राज्यों को केन्द्रीय सहायता) के अंतर्गत हैं। निम्नलिखित तालिका ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट में निधियों के योजनाबद्ध आबंटन और उपयोगिता को दर्शाती है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास हेतु आबंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्कीम	संपूर्ण 11वीं योजना (2007-12)		12वीं योजना		
				2012-13		2013-14
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट
1	2	3	4	5	6	8
(क)	**केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)**					
1	विज्ञापन तथा प्रचार	34.00	28.70	7.00	3.77	7.00
2	क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता	77.00	74.58	20.00	12.19	20.00
3	एनईडीएफआई को ऋण	300.00	300.00	60.00	60.00	60.00
4	पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी)–ईएपी	137.51	0.09	45.00	4.21	45.00
5	एनईआर आजीविका परियोजना–ईएपी	71.50	5.89	35.00	3.09	30.00
6	एडीबी से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर सड़क परियोजना प्रबंधन इकाई	1.50	0.00	2.00	0.37	2.00
7	एनएलसीपीआर–केन्द्रीय	0.00	0.00	36.00	35.97	62.00
उप–कुल केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम		**621.51**	**409.26**	**205.00**	**119.6**	**226.00**
(ख)	**राज्य योजना के अंतर्गत स्कीमें**					
1	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें (एनईसी)	3248.00	3187.89	770.00	732.07	770.00
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर)	3585.00	3569.78	880.00#	775.00	950.00
3	कारबी एंगलांग (विशेष पैकेज)	------	------	------	------	
4	बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद (विशेष पैकेज)	350.00	270.00	50.00	16.41	60.00
उप–कुल राज्य क्षेत्रक स्कीम		**7183.00**	**7027.67**	**1700.00**	**1523.48**	**1780.00**
कुल योग		**7804.51**	**7436.93**	**1905.00**	**1643.08**	**2006.00**

– कारबी एंगलांग पैकेज के लिए निधियाँ निर्धारित की जायेंगी जो कि प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण की शर्त पर निर्भर करेगा।

4.28.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की केन्द्रीय स्कीमों में विज्ञापन तथा प्रचार, क्षमता निर्माण तथा दुर्गम क्षेत्रों में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनईडीएफआई को 'आसान ऋण' उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनएलसीपीआर (केन्द्रीय) डीओएनईआर द्वारा प्रारंभ की गई एक नयी स्कीम है जो कि संबंधित मंत्रालय को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे वाली योजनाओं को शुरू करने में मदद करती है जिसके लिए वह संसाधनों की बाध्यता का सामना कर रहा हो। एडीबी सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी) तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एनईआर आजीविका दो ईएपी हैं। हालांकि, इन दोनों स्कीमों की प्रगति अभी धीमी है।

4.28.6 अवसंरचना विकास अर्थात् सड़क, रेल, हवाई संपर्क, विद्युत और दूरसंचार बारहवीं योजना में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रहा है। इस योजना में कई ऐसी महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु इनकी पहचान की गई जो पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, डीपीआर विलंब से तैयार होने इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से देर हो गई थी। उपर्युक्त पर निगरानी रखने हेतु गठित अधिकारिता प्राप्त समिति द्वारा नियमित अनुवर्तन के पश्चात अब इनमें से कई परियोजनाओं में अच्छी प्रगति हो रही है। यह समिति 18 जुलाई, 2013 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अवसंरचना विकास पर आयोजित की गई समीक्षा बैठक का नतीजा है। प्रमुख परियोजनाएँ जैसे पूर्वी–पश्चिमी कॉरीडोर दिसम्बर, 2014 में पूरी हो जाएगी, लुम्डिंग–सिल्चर परियोजना मार्च, 2015 तक पूरी हो जाएगी और प्रमुख परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाओं को बारहवीं योजना के दौरान पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.28.7 बारहवीं योजना में विद्युत सृजन और प्रभावी संपर्क तथा व्यापार सुनिश्चित करने हेतु बंगलादेश और म्यांमार के साथ सुदृढ़ संबंधों पर ध्यान केन्द्रित करने पर भी बल दिया गया है। कृषि, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा, ग्रामीण संपर्क, उन्नत प्रदायगी प्रणाली और प्रशासन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। कृषि आधारित आर्थिक कार्यकलाप, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन इत्यादि प्रमुख परिचालक रहे हैं।

4.29 परिवहन प्रभाग

सामान्य कार्य

- कुशल, धारणीय, पर्यावरण अनुकूल एवं क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिवहन क्षेत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराना। इस संबंध में योजना आयोग (परिवहन प्रभाग) द्वारा राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति गठित की गई है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित सभी प्रारंभिक कार्य करने एवं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना के प्रारूपण की जिम्मेदारी।
- विनियामक मुद्दों से संबंधित कार्य करना जैसे रेलवे में टैरिफ विनियामक प्राधिकरण का गठन करना, टीएएमपी दिशा–निर्देशों का युक्तिकरण, डीजीसीए में नीतिगत सुधार, आदि।
- जहाज रानी उद्योग में कर विसंगतियों, एटीएफ के मूल्य निर्धारण आदि सहित परिवहन क्षेत्र में अनुकूल स्थितियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना।

क्षेत्रक विशिष्ट कार्य

रेलवे

- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डीएफसी) का क्रियान्वयन, रोलिंग स्टॉक हेतु सुविधाएं सृजित करना, कंटेनरीकरण की प्रगति, इंटर–मॉडल हब्स की स्थापना आदि।
- द्रुतगामी रेल, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, लॉंगहॉल ट्रेन आदि में निवेश से संबंधित मामले।
- व्यावसायिक तौर पर भारतीय रेलवे का

पुनर्संगठन, लेखाकरण सुधार, एसपीवी का गठन आदि।

- राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं एवं रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं।
- पीपीपी सहित वित्त के वैकल्पिक माध्यमों और रोलिंग स्टॉक एवं कनेक्टीविटी में रेलवे की स्कीमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- दोहरी लाईन, नई लाईन, गेज परिवर्तन एवं विद्युतीकरण जैसे क्षमता विस्तार से संबंधित रेल परियोजनाएं।

सडकें

- पीएमजीएसवाई–1 का क्रियान्वयन एवं पीएमजीएसवाई–2 से संबंधित नीतिगत मुद्दे
- एसएआरडीपी–एनई का क्रियान्वयन एवं एलडब्लूई जिलों मे रोड कनेक्टीविटी।
- 50 छोटे समुद्री बंदरगाहों, 24 हवाई अड्डों के लिए सड़क संपर्क, जम्मू और कश्मीर राज्य में रणनीतिक महत्व की सड़कों आदि के विकास हेतु विशेष पैकेज।
- एनएचडीपी एवं गैर–एनएचडीपी परियोजनाएं
- एनएच नेटवर्क का विस्तार
- एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों के लिए सड़क पुनर्निर्माण योजना चरण–I (आरआरपी–I) और सड़क पुनर्निर्माण योजना चरण–II (आरआरपी–II) का क्रियान्वयन
- एसआरटीयू की बेंच मार्किंग एवं निष्पादन सहित सार्वजनिक परिवहन के संवर्धन के लिए नीति एवं बेहतर नीतिगत प्रचलनों का निर्देशन
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क द्वारा निर्बाध माल परिवहन का संवर्धन

बंदरगाह एवं जहाजरानी

- तट–व्यापार नीति एवं भारतीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- टीएएमपी द्वारा बदंरगाह नियमन एवं टैरिफ निर्धारण
- बंदरगाहों का ड्राफ्ट बढ़ाने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग
- बंदरगाह ट्रस्टों द्वारा निर्णय लेने के लिए अधिक लोचनीयता की ओर बढ़ना
- भारतीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- अंतर्देशीय जलमार्ग एवं तटीय जहाजरानी के प्रोत्साहन के लिए नीति
- भारत में हब–बंदरगाहों का विकास

नागर विमानन

- रायबरेली, यू.पी. में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना
- उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित नीतिगत मामले
- टीयर–II और टीयर–III शहरों में हवाई अड्डों का विकास।
- भारतीय उद्योग द्वारा नागरिक विमान के निर्माण से संबंधित नीति।
- दुर्गम क्षेत्रों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु मार्ग प्रसार दिशा–निर्देशों पर संशोधित नीति।
- विमान माल भाड़ा एवं संभार–तंत्र को प्रोत्साहन।
- विमानन हबों के विकास से संबंधित नीति।

निर्माण क्षेत्रक

- 12वीं योजना निर्माण अध्याय तैयार करना
- 12वीं योजना में पहचाने गए निर्माण क्षेत्रकों में बाधाओं को आसान बनाने से संबंधित कार्य
- भारत–जापान निर्माण मंच एवं निर्माण क्षेत्रक के प्रोत्साहन के लिए इस तरह के अन्य द्विपक्षीय मंचों का आयोजन

कार्य के अन्य मद

- चार मंत्रालयों (पीएमजीएसवाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर) अर्थात रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना एवं जीबीएस आवंटन
- ऊपर उल्लिखित मंत्रालयों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों की तिमाही रूप से निगरानी करना
- ऊपर दिए गए मंत्रालयों से संबंधित ईएफसी/एसएफसी प्रस्ताव
- ऊपर दिए गए मंत्रालयों (निजी निवेश वाले मामलों को छोड़कर) से संबंधित मंत्रिमंडल नोट
- एसीए के लिए प्रस्तावों के परीक्षण सहित परिवहन क्षेत्र में राज्य विशिष्ट मुद्दों से संबंधित सभी मामले
- अंर्तराष्ट्रीय परिवहन मंच से संबंधित सभी मामले
- निर्माण क्षेत्र से संबंधित सभी मामले (श्री अरुण मायरा, सदस्य को रिपोर्ट)
- राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति (एनटीडीपीसी) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके शीघ्र प्रकाशित होने की संभावना है।

परिवहन प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है:

परिवहन क्षेत्रक में निवेश प्रस्तावों का परीक्षण एवं संबंधित मंत्रालयों की बैठकों में भागीदारी

केन्द्रीय मंत्रालयों के वार्षिक योजना 2014–15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।

रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और नागर विमानन के केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावो पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), एवं रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पूर्व परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से इनका परीक्षण किया गया।

प्रभाग ने मंत्रालयों के 36 प्रस्तावों की जांच की जिन्हें ईएफसी के समक्ष और अन्य 5 प्रस्तावों को एसएफसी के समक्ष रखा गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषणापत्र संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति में सलाहकार (परिवहन) ने योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया। समिति की अध्यक्षता सचिव–सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए सड़कों की पहचान के लिए तार्किक मापदंड तैयार किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कई बोर्ड बैठकें हुईं। कार्यसूची की मदें जिनमें ठेके देने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल हैं, परीक्षण के लिए प्राप्त किए गए और एनएचएआई बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने के लिए सूचनाओं के रूप में टिप्पणियां की गईं।

परिवहन क्षेत्रक में नीति से संबंधित मुद्दों की जांच

अंतर–मंत्रालयी परामर्श के रूप में कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे योजना आयोग को विचारार्थ भेजे गए। प्रभाग ने 78 मंत्रिमंडल प्रस्तावों की जांच की। प्रभाग द्रुतगामी रेल और मुंबई में उत्थापित उप–नगरीय कॉरीडोर से संबंधित परियोजना संचालन समूह में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी करता है।

परिवहन क्षेत्रक से संबद्ध मंत्रालयों द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों में से कुछेक विवरण निम्नानुसार है:

(क) रेल मंत्रालय

1. मुंबई रेल विकास कारपोरेशन लिमिटेड की अवधि बढ़ाना।
2. स्वतंत्र रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना करना।
3. रेल परिवहन संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की समीक्षा करना।
4. मेट्रो नेटवर्क हेतु और केन्द्रीय विद्यालय खोलने इत्यादि के लिए रेल भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करना।

(ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी–एनई) चरण 'क' में बीओटी (वार्षिकी) आधार पर विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–39 (दीमापुर और कोहिमा उपमार्ग को छोड़कर) के 124.100 कि.मी. से 172.900 कि.मी. तक के दीमापुर–कोहिमा खंड को 4–लेन का बनाना।
2. (i) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी–एनई) चरण 'क' में बीओटी (वार्षिकी) आधार पर विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–37 के 403.200 कि.मी. से 454.365 कि.मी. तक के नुमालीगढ़ से जोरहट तक 4–लेन का बनाने हेतु अंतिम अनुमोदन।'' (ii) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी–एनई) चरण 'क' में बीओटी (वार्षिकी) आधार पर विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–37 के 454.365 से 534.800 कि.मी. तक के जोरहट से डेमोव खंड को 4–लेन का बनाने हेतु अंतिम अनुमोदन।'' (iii) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी–एनई) चरण 'क' में बीओटी (वार्षिकी) आधार पर विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–37 के 534.800 कि.मी. से 580.778 कि.मी. तक के डेमोव–बोगीबिल जंक्शन को 4–लेन का बनाने हेतु अंतिम अनुमोदन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत, अभियांत्रिकी प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–I के जालंधर–अमृतसर खंड (387.1 कि.मी. से 407.1 कि.मी.) के छह लेन का विकास।
4. निर्माण विकास क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा।
5. ''क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत ढांचा – राष्ट्रीय सीमाओं के किनारे राजमार्ग को चौड़ा करना/का उन्नयन करना – राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क कंपनी लिमिटेड (एनएसीसीएल) की स्थापना करना।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)–पीएमजीएसवाई

1. धारणीय गरीबी उन्मूलन कार्यनीति के हिस्से के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II (पीएमजीएसवाई–II) की शुरुआत।
2. ''(i) विशिष्ट मामले के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण लागत के प्रावधान, और (ii) एकरूपता हेतु 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों' के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, 'पर्वतीय राज्य' नामकरण में परिवर्तन की छूट।''

(घ) पोत परिवहन मंत्रालय

1. असम राज्य में बराक नदी के लखीमपुर–भांगा क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग–6 अधिसूचित किया गया है।
2. मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह द्वारा भूमि प्रबंधन हेतु नीतिगत दिशा निर्देश, 2013 को अधिसूचित किया।
3. भारत और वियतनाम के मध्य समुद्री पोत परिवहन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4. मेरिटाइम अथॉरिटी ऑफ पनामा और भारतीय पोत परिवहन महानिदेशालय के मध्य सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
5. समुद्री परिवहन के क्षेत्र में पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और यूक्रेन के अवसंरचना मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
6. मंत्रिमंडल द्वारा, सागर (पश्चिम बंगाल) और दुर्गराजपटनम (आंध्र प्रदेश) में दो नए पर्यावरण अनुकूल प्रमुख बंदरगाहों को अधिसूचित किया गया है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर तैयार किया जाना है।
7. प्रमुख बंदरगाहों के लिए केपिटल ड्रेजिंग संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति ने सदस्य (बी.के. चतुर्वेदी) की अध्यक्षता में आयोजित चार बैठकों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
8. राष्ट्रीय जलमार्गों में निजी निवेश बढ़ाने हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रक से संबंधित नई पहलें की गई हैं जिससे कि इसे तापीय विद्युत संयंत्रों, उर्वरकों, खाद्यान्नों इत्यादि हेतु कोयला परिवहन सहित यातायात के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक पद्धति बनाया जा सके।
9. प्रमुख बंदरगाहों पर परियोजनाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश 2013 को अधिसूचित किया गया है।

(ङ) नागर विमानन मंत्रालय

1. नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना करना
2. राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करना
3. भारत में विमानन केंद्रों का विकास करना
4. भोपाल, भुवनेश्वर, इंदौर, इंफाल और रायपुर के विमापत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करना
5. भारतीय होटल निगम (एचसीआई) की सेवानिवृत्ति आयु को वापस लेना

तिमाही निष्पादन समीक्षा

2013–14 की तीसरी तिमाही तक परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजना स्कीमों की प्रगति की निगरानी के लिए तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकें हुईं।

ये बैठकें प्रत्येक परिवहन क्षेत्र अर्थात सड़क, रेल, बंदरगाहों एवं नागर विमानन के लिए की गईं। ये बैठकें चिंताजनक क्षेत्र की पहचान करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने में बेहद उपयोगी रही हैं, ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके।

श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, परिवहन और ऊर्जा की अध्यक्षता में आयोजित क्यूपीआर की बैठकों के दौरान कार्य–निष्पादन समीक्षा पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, सड़क और रेलवे सहित अवसंरचना क्षेत्रकों की प्रधानमंत्री कार्यालय में समीक्षा की गई, जहाँ संबंधित मंत्रालयों को अपने क्षेत्रकों में कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिए गए।

सड़क एवं राज्य परिवहन उपक्रम

वार्षिक योजना 2014–15 में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र के संबंध में किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता आदि के लिए राज्य योजना बोर्ड से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का परीक्षण किया गया।

वार्षिक योजना 2014–15 के लिए कुछ राज्यों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर चर्चा की गई और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।

3 और 4 मार्च, 2013 को राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के प्रचालन, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रबंधन में अच्छी परंपरा पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के 35 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को अच्छी परंपराओं के आदान–प्रदान हेतु एक मंच प्रदान किया, जोकि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य–निष्पादन में सुधार हेतु उपयोगी होगा।

राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी)

परिवहन प्रभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) के साथ विचार–विमर्श में भागीदारी की।

प्रभाग ने 12वीं योजना तैयार करने में अंतिम रूप प्रदान किए गए अंतरिम रिपोर्टों और समिति द्वारा तैयार की गई कार्य दल की रिपोर्ट का भी प्रयोग किया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम

सदस्य (परिवहन) ने मई, 2013 को लीपजिग में हुई अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे क्षेत्रीय संपर्क पर पैनल चर्चा में आमंत्रित वक्ता थे। फोरम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिल्ली में द्रुतगामी रेल पर एक गोलमेज का आयोजन किया गया जिसमें परिवहन प्रभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

द्रुतगामी रेल (एचएसआर) पर गोलमेज

दिनांक 18 और 19 दिसम्बर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) के सहयोग से द्रुतगामी रेल पर एक गोलमेज का आयोजन किया गया। इसने द्रुतगामी रेल में निवेश के अर्थशास्त्र का पता लगाने का अवसर प्रदान किया। इसमें विश्व के जाने माने कई विशेषज्ञ और भारत सहित 10 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें किया गया विचार–विमर्श द्रुतगामी रेल में निवेश में शामिल मुद्दों को समझने में बहुत ही उपयोगी रहा।

पूर्वोत्तर में अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी

परिवहन प्रभाग के साथ पूर्वोत्तर प्रभाग पूर्वोत्तर में अवसंरचना परियोजनाओं की विशेष समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी था, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्रमशः 18 जुलाई, 2013 और 20 जनवरी, 2014 को आयोजित दो बैठकें शामिल थीं और जिसकी पहली बैठक में केन्द्रीय मंत्री तथा दूसरी बैठक में केन्द्रीय मंत्रियों को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसके परिणामस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पहली रेलवे लाइन सहित तीन रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने एवं सड़क, विद्युत, नागर विमानन तथा दूरसंचार जैसे अन्य क्षेत्रकों में परियोजनाओं पर विशेष ध्यानकेन्द्रण हेतु कई उपाय किए गए।

4.30 पर्यटन प्रकोष्ठ

पर्यटन प्रकोष्ठ प्रमुख रूप से पर्यटन क्षेत्र की आयोजना, संवर्धन और विकास की प्रक्रिया में शामिल है जिससे देश में पर्यटन का संतुलित एवं धारणीय विकास सुनिश्चित हो सके। यह पर्यटन क्षेत्र को देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इससे संबंधित नीतियों के सूत्रीकरण/क्रियान्वयन से भी संबंधित है। वर्ष 2013–14 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे इंगित की गई हैः

- देश में पर्यटन क्षेत्र की संपूर्ण योजना बनाना।
- पर्यटन क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप प्रदान करना।
- बड़ी पर्यटन परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करना।

पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

- पर्यटन मंत्रालय के वार्षिक योजना 2013–14 प्रस्तावों पर चर्चा की और गहराई से परीक्षण के बाद सिफारिशें की गईं।
- देश में पर्यटन के संवर्धन हेतु भारत में वीजा प्रणाली की समीक्षा करने हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
- राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त कई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावों की जांच की गई और यथेष्ट टिप्पणियाँ की गईं/विचार रखे गए।
- राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त अनेक विशेष योजना सहायता प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियाँ की गईं/विचार रखे गए।
- पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों का परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से परीक्षण किया गया।
- प्रधानमंत्री कार्यालय/वीआईपी से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच की गईं और उपयुक्त टिप्पणियाँ की गईं/विचार रखे गए।
- विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित बैठकों में भाग लिया।

4.31 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

4.31.1 यूआईडीएआई का गठन और इसका अधिदेश

4.31.1.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था। ''आधार'' नामक विशिष्ट पहचान संख्या के सृजन हेतु 10 करोड़ निवासियों को नामांकित करने के लिए यूआईडीएआई को प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही 29 दिसम्बर, 2010 को पहले आधार का सृजन करते हुए यूआईडीएआई परियोजना की शुरुआत की गई थी। आधार डेटा अनिवार्य एवं वैकल्पिक जनांकिकी ब्यौरों (जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, और माता–पिता का नाम, आवासीय पता) और बायोमीट्रिक विशेषताओं जैसे फोटोग्राफ, सभी दस अंगुलियों के फिंगर–प्रिंट और परितारिका छवियों का सेट है, जिन्हें मिलाकर एक निवासी की पहचान स्थापित करने और उसे सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है।

4.31.1.2 यूआईडीएआई को विशिष्ट पहचान (यूआईडी) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए योजना एवं नीतियां तैयार करने, यूआईडी डेटाबेस रखने एवं प्रचालित करने और इसके अद्यतन तथा सतत आधार पर इसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यूआईडी स्कीम का क्रियान्वयन निवासियों के लिए यूआईडी के सृजन और निर्धारण; साझेदार डेटाबेस के साथ यूआईडी के अंतर–संबंध के लिए तंत्र एवं प्रक्रिया निर्धारित करने; यूआईडी के जीवन चक्र के सभी चरणों का प्रचालन एवं प्रबंधन; अद्यतन तंत्र के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं तैयार करने और अन्य में विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी के लिए यूआईडी के उपयोग एवं प्रयोज्यता निर्धारित करने हेतु आवश्यक है।

4.31.2 यूआईडीएआई हेतु विधायी ढांचा

(i) यूआईडीएआई वर्तमान में योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। संगठन, योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, स्कीम, वित्तपोषण और प्राधिकरण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए स्वीकृत कार्यप्रणाली सहित यूआईडीएआई से संबंधित सभी मुद्दों का निरीक्षण करने के लिए यूआईडीएआई संबंधी मुद्दों पर एक मंत्रिमंडल समिति (सीसी–यूआईडीएआई) का गठन भी किया गया है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण (एआईडीएआई) विधेयक, 2010 को दिसम्बर, 2010 में राज्य सभा में पेश किया गया और

तत्पश्चात इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। वित्त संबंधी स्थायी समिति की 42वीं रिपोर्ट, जिसमें विधेयक पर टिप्पणियाँ अंतर्विष्ट थीं, पर सरकार द्वारा विचार किया गया। तत्पश्चात, एनआईडीएआई विधेयक में आधिकारिक संशोधन करके इसे 2013 के शीत सत्र में सदन में पेश किया, जहाँ वर्तमान में यह लंबित है।

4.31.3 परियोजना का कार्यान्वयन

4.31.3.1 यूआईडीएआई बहु–पंजीयक प्रतिदर्श पर कार्य करता है जिससे राज्य सरकारों, सीपीएसयू, बैंकों इत्यादि को आधार हेतु निवासियों को नामांकित करने के लिए नामांकित किया जाता है। बदले में पंजीयक एक खुली निविदा आधारित दर प्राप्ति के माध्यम से किसी क्षेत्र में वास्तविक नामांकन करने के लिए नामांकन एजेंसियों को नियुक्त करते हैं। वर्तमान में यूआईडीएआई पंजीयकों को सफलतापूर्वक सृजित प्रत्येक आधार के लिए 40 रु. की दर से भुगतान करता है, जिसमें से नामांकन एजेंसियों को भुगतान किया जाता है। पूरे देश में डेटा की सुरक्षा, गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित एवं मॉनीटरित साधनों, प्रचालकों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के लिए सख्त नयाचार का अनुपालन किया जाता है।

4.31.3.2 स्कीम के चरण–I में, मुख्यालय के कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना तथा प्रायोगिक परियोजनाएँ चलाने एवं संकल्पना के प्रमाण (पीओसी) के अध्ययन हेतु जांच सुविधाओं का सृजन करने के लिए 12 माह की प्रारंभिक अवधि के दौरान व्यय को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 147.31 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई।

4.31.3.3 बाद में सरकार ने स्कीम के चरण–II के रूप में 10 करोड़ आधार जारी करने के लिए 3,025 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया जिसमें मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए लागत अनुमान, अन्य परियोजना घटक और आवर्ती स्थापना लागत शामिल थी।

4.31.3.4 इसके अलावा, परियोजना के चरण I और II की सफलता को देखते हुए, चरण III के लिए प्रस्ताव में मार्च, 2012 तक 20 करोड़ निवासियों को आधार जारी करने की दिशा में अनुमानित लागत, डेटा तैयार करने, भंडारण एवं रखरखाव के लिए एवं मार्च, 2017 तक संपूर्ण अनुमानित आबादी के लिए आधार के उपयोग से लाभ उठाने हेतु सेवा के लिए तकनीकी एवं अन्य सहयोगी ढांचा लागत के रूप में (स्कीम के चरण–II के लिए पहले अनुमोदित किए गए 3,023.01 करोड़ रु. को शामिल करते हुए) 8,814.75 करोड़ रु. के परिव्यय को बाद में सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2012 को अनुमोदित कर दिया गया।

4.31.3.5 सरकार द्वारा जनवरी, 2012 को 18 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में बहु पंजीकरण योजना के माध्यम से अन्य 40 करोड़ निवासियों के नामांकन के लिए भी अनुमोदन दिया गया है। तदनुसार, यूआईडी स्कीम के चरण IV के लिए प्रस्ताव जिसमें 40 करोड़ अतिरिक्त नामांकन हेतु नामांकन लागत को पूरा करने के लिए 3,441 करोड़ रु. की राशि तथा सभी नागरिकों के लिए आधार पत्र का मुद्रण व वितरण लागत तथा अन्य परियोजना लागत शामिल है, को सरकार द्वारा सितंबर, 2012 में 3,436.16 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन करके अनुमोदित किया गया। अतः यूआईडीएआई परियोजना के लिए अब तक अनुमोदित कुल परिव्यय 12,398.22 करोड़ रु. है।

4.31.3.6 फरवरी, 2014 में सरकार द्वारा लिए गए हाल के निर्णय के आधार पर, यूआईडीएआई को अतिरिक्त चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ की कुल जनसंख्या 33.9 करोड़ है और जहाँ नामांकन बहुत ही धीमा है, में नामांकन करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार, वर्तमान में कुल 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान आधार पर आधार नामांकन हेतु यूआईडीएआई के लिए आबंटित किया गया है। ब्यौरा अनुलग्नक–I पर दिया गया है।

4.31.4 आधार के लिए नामांकन

(i) यूआईडीएआई ने 11 मार्च, 2014 तक 60 करोड़

आधार सृजन के अपने प्रारंभिक लक्ष्य को हासिल करने के साथ 31.03.2014 तक कुल 61,00,87,769 आधार सृजित कर लिये हैं। आधार सृजन के ब्यौरे अनुलग्नक–II पर दिए गए हैं। राज्य सरकार और राज्य सरकारेत्तर इकाईयों दोनों को शामिल करते हुए 70 से अधिक पंजीयक और पंजीयकों द्वारा नियुक्त नामांकन एजेंसियाँ फील्ड में नामांकन कर रही हैं। हाल में आबंटित किए गए चार राज्यों में भी नामांकन की शुरुआत की गई है।

(ii) यूआईडीएआई ने अवशिष्ट जनसंख्या के नामांकन को सुकर बनाने और फोटो तथा बायोमीट्रिक्स सहित सभी निवासियों की सूचनाओं के अद्यतन को सुकर बनाने के लिए पूरे देश में चार हजार से अधिक नामांकन केन्द्रों (आधार केन्द्र) की शुरुआत की है। निवासी के नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि और मोबाइल नम्बर को अद्यतित करने हेतु वेब आधारित ऑनलाइन और भौतिक रूप से पोस्ट करने की सुविधा नवम्बर, 2012 से प्रचालन में है। मार्च, 2014 तक अद्यतन हेतु 21 लाख से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(iii) डेटा पैकेटों के गुणवत्ता की समीक्षा करने हेतु यूआईडीएआई द्वारा विभिन्न स्थलों पर आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता की जांच दलों की तैनाती की गई है। गुणवत्ता जांचों के निष्कर्ष का उपयोग नामांकन प्रणाली में सुधार के साथ ही नामांकन स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।

(iv) देश के निवासियों से नामांकन के समय पते के प्रमाण, पहचान के प्रमाण इत्यादि के रूप में एकत्र किए गए विभिन्न भौतिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए आधार दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली भी उपयुक्त है।

(v) भारत के निर्वाचन आयोग ने यूआईडीएआई द्वारा जारी की गई आधार संख्या के उपयोग को मतदान के दिन मतदाता की पहचान के लिए एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने भी साधारण और तत्काल पासपोर्ट आवेदनों, दोनों से पते/पहचान के प्रमाण हेतु किसी अन्य निर्धारित दस्तावेज के साथ यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या को पते और फोटो पहचान के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक के रूप में शामिल किया है।

4.31.5 जरूरी प्रौद्योगिकी अवसंरचना का सृजन

(i) यूआईडीएआई ने 90 करोड़ नामांकनों की पूर्ति करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना और शुरुआत की है जिसकी क्षमता को योजनाबद्ध तरीके से तत्काल 120 करोड़ या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। बेंगलुरु में एक डेटा केन्द्र ने सितंबर, 2010 से डेटा केन्द्र सेवा प्रदाता (डीसीएसपी) की सह–स्थान सुविधा के साथ प्रचालन आरंभ किया है। ग्रेटर नोएडा डेटा केन्द्र में एक आपदा सुधार सुविधा की स्थापना भी डीसीएसपी की सह–स्थान सुविधा के साथ हुई है। यूआईडीएआई ने अपने केन्द्रीय पहचान डेटा कोष (सीआईडीआर) के लिए एक प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) की नियुक्ति की है। एमएसपी चालू हो गई है और अनुप्रयोगों का विकास और रख–रखाव, सीआईडीआर का प्रचालन तथा रख–रखान, बायोमेट्रिक का डि–डुप्लीकेशन आदि में सहज प्रगति हो रही है।

(ii) मणेसर (हरियाणा) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में से प्रत्येक में दो केप्टिव डेटा केन्द्र यूआईडीएआई डेटाबेस के प्रचालन और रख–रखाव हेतु निर्माण की उन्नत अवस्था में है। वर्तमान स्थान से केप्टिव डेटा केन्द्रों तक डेटा का स्थानांतरण कार्य नवम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह डेटा स्थानांतरण विश्व में इस

प्रकार के सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक है और चरण–दर–चरण निष्पादन हेतु इसे सतर्कतापूर्वक नियोजित किया गया है। इन डेटा केन्दों में पूर्ण तकनीकी सुविधाओं के अलावा, सक्षमता का यूआईडीएआई बायोमेट्रिक्स केन्द्र (यूबीसीसी), यूआईडीएआई की राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधाएँ, यूआईडीएआई का क्षेत्रीय कार्यालय, बेगलुरु इत्यादि जैसी अनेक गैर–डेटा सुविधाएं भी हैं।

(iii) यूआईडीएआई मुख्यालय और यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली भवन के निर्माण के लिए बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली में 1.099 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उपर्युक्त निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता और वास्तुकार इत्यादि की नियुक्ति जैसे प्रारंभिक कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है। इस दौरान यूआईडीएआई मुख्यालय जीवन भारती भवन, नई दिल्ली में किराये के कार्यालय आवास से कार्य कर रहा है।

4.31.6 आधार पत्र मुद्रण एवं वितरण

(i) यूआईडीएआई के संभार–तंत्र प्रभाग को निवासियों के लिए उनके आधार संबंधी पत्र के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है। एक बार आधार सृजित हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुज्ञय समय सीमा के भीतर निवासी के आधार का मुद्रण और निवासी को उसका वितरण हो जाए।

(ii) प्रत्येक आधार पत्र में एक मुद्रित, स्तरित (लेमिनेटेड) फोटोग्राफ के साथ चार रंगों वाला दस्तावेज, जन्मतिथि, व्यक्ति का जनांकिकी सूचना, आधार, बारकोड और एक क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड शामिल होता है। इस प्रकार की वृहत् परियोजना के लिए उच्च स्तरीय विश्वसनीयता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो देश में अब तक अपनाए गए मापदंडों में इसे सबसे वृहतर और जटिल तथा परिवर्तनीय डेटा मुद्रण कार्यों में से एक बना देता है।

(iii) आधार पत्रों के मुद्रण के लिए यूआईडीएआई ने विभिन्न स्थलों पर तीन प्रिंटर लगाए हैं। वर्तमान में 11 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रण की दर 1.5 मिलियन पत्र प्रतिदिन है।

(iv) डाक विभाग निवासियों द्वारा नामांकन के समय उपलब्ध कराए गए पते पर आधार पत्रों के वितरण हेतु साझेदार है।

(v) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, इसके प्रारंभ से 58.58 करोड़ आधार मुद्रित और भारतीय डाक से निवासियों को प्रेषित किए जा चुके हैं।

4.31.7 ई–आधार

(i) यूआईडीएआई ने यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) से पीडीएफ फार्मेट में आधार पत्र को डाउनलोड करने के लिए ई–आधार पोर्टल की शुरुआत की है।

(ii) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा केन्द्रों में ई–आधार के मुद्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन मेसर्स सीएससी ई–गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकारों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी ई–आधार पोर्टल उपलब्ध कराया जाता है।

(iii) ई–आधार एक वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जिसे मुद्रित आधार पत्र के समान माना जाता है। आधार प्रणाली में निवासी के विवरण को एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। इसलिए, ई–आधार पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में वैध है।

संबंधित परिपत्रों को यूआईडीएआई की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है और ई–आधार की वैधता हेतु व्यापक प्रचार करने के लिए मीडिया अभियान भी चलाए गए हैं।

4.31.8 आधार संपर्क केन्द्र (संपर्क केन्द्र)

(i) यूआईडीएआई ने शिकायत निवारण सहित यूआईडी संबंधी मुद्दों पर परस्पर संपर्क करने हेतु निवासियों और अन्य पणधारकों के लिए हेल्पलाइन के रूप में एक केन्द्रीकृत संपर्क केन्द्र की स्थापना की है।

उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्न है:

ई–मेलः help@uidai.gov.in

संपर्क संख्या (टोल फ्री)–'1–800–300–1947' या '1947'

(सोमवार–शनिवार, प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक)

(रविवार – प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक)

(ii) वर्तमान में इनबाउंड फोन समर्थन छह भाषाओं नामतः हिन्दी, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगाली, मराठी और कन्नड़ में उपलब्ध है। ई–मेल समर्थन अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में केन्द्र को दैनिक आधार पर लगभग 1.10 लाख कॉल्स और 1000 ई–मेल प्राप्त हो रहे हैं। संपर्क केन्द्र को प्राप्त होने वाले कुल कॉल में से लगभग 50% कॉल को इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) स्तर पर प्रबंधित और उसका निराकरण किया जा रहा है तथा शेष 50% को कॉल के लिए उपलब्ध अभिकर्ता (एजेंट) को अंतरित किया जा रहा है।

4.31.9 आधार ऑनलाइन प्रमाणन सेवा

(i) 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना के आधार पर अपनी भूमिकाओं तथा दायित्वों का पालन करते हुए, यूआईडीएआई एक सर्वव्यापक तथा लागत अनुकूल ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली उपलब्ध कराना चाहता है। कई दौर का पीओसी अध्ययन करने के बाद, आधार ऑनलाइन प्रमाणीकरण रूपरेखा तैयार की गई है, जो अन्य बातों के साथ–साथ नागरिकों की आधार संख्या के अतिरिक्त अन्य मानकों (बायोमेट्रिक्स सहित) का भी सत्यापन और प्रमाणीकरण करती है तथा पहचान के प्रमाण (पीओआई) एवं पते के प्रमाण (पीओए) के रूप में कार्य करती है। यूआईडीएआई ने फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण सुविधाएं औपचारिक रूप से 7 फरवरी, 2012 को आरंभ की थी। बाद में मनरेगा भुगतान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम छात्रवृत्तियां, पीडीएस, एलपीजी सिलेंडर वितरण जैसी विभिन्न स्कीमों को सेवा प्रदायगी हेतु आधार ऑनलाइन प्रमाणन के साथ एकीकृत किया गया।

(ii) बाद में मई, 2013 में यूआईडीएआई ने परितालिका (आईरिस) आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण, एक बारगी पिन (ओटीपी) प्रमाणन और ई–केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक–अपने ग्राहक को जानें) सेवाओं की शुरुआत की।

4.31.10 आधार प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधार संख्या के साथ अन्य विशिष्टताओं (जनांकिकी/बायोमेट्रिक्स/ओटीपी) को सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के केन्द्रीय पहचान डेटा निक्षेपागार (सीआईडीआर) को प्रस्तुत किया जाता है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किए गए डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और ''हाँ/ना'' के रूप में प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में कोई व्यक्तिगत पहचान संबंधी सूचना नहीं दी जाती है। प्रमाणन का उद्देश्य नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने योग्य बनाना और सेवा प्रदाताओं के लिए यह संपुष्टि करना है कि सेवाएँ प्रदान करने और लाभ पहुँचाने के लिए वे वही नागरिक हैं जो वे कहते हैं।

4.31.11 यूआईडीएआई, एयूए (प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसी), एएसए (प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी), केयूए (ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी) और केएसए (ई–केवाईसी सेवा एजेंसी) नामक एजेंसियों के द्वारा प्रमाणन और ई–केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति में कुल 81 एयूए, 22 एएसए, 17 केयूए और 5 केएसए कार्यरत थीं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति में इन एजेंसियों ने 6.69 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण तथा 9 लाख से अधिक ई–केवाईसी कार्य संपादित किए हैं।

4.31.12 विविध सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने हेतु अनुप्रयोग को समर्थ बनाने तथा आधार ऑनलाइन सत्यापन को स्वीकृत करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक निःशुल्क सेवा प्रदान की गई। बाद में यूआईडीएआई ने निःशुल्क प्रमाणीकरण सेवाएँ प्रदान करने की तिथि 31.06.2014 तक बढ़ा दी है। एक पृथक मूल्यन नीति शुरू की जाएगी। मूल्यन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक प्रारूप मूल्यन कार्यनीति, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि प्रतीक्षित है।

4.31.13 पहले ही प्रारंभ की जा चुकी आधार समर्थित सेवाओं कई अन्य के साथ केन्द्र और राज्य सरकार के ज्यादा–से–ज्यादा विभागों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों में प्रदायगी, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए आधार की संभावना को स्वीकार करते हुए, एप्लीकेशन का निर्माण करने और आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने की आवश्यकता है। यूआईडीएआई आधार से लाभ उठाने वाले अनुप्रयोगों और आधार समर्थित कार्य विवरण और अवसंरचना तैयार करने हेतु मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के घनिष्ठ संपर्क में रहा है। यूआईडीएआई आधार एकीकरण हेतु मौजूदा प्रक्रिया की पुनर्संरचना के लिए राज्य सरकारों को आईसीटी अवसंरचना सहायता भी प्रदान करता है। अब तक 16 राज्यों, 4 संघ राज्य क्षेत्रों और 1 केन्द्रीय मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय) को 42.5 करोड़ रु. की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

आधार समर्थित वित्तीय समावेशन

4.31.14 ई–केवाईसी सेवा

(i) यूआईडीएआई ने परिचय संबंधी धोखेबाजी, दस्तावेजी चालबाजी के जोखिमों को कम करने और कागजरहित केवाईसी सत्यापन करने हेतु औपचारिक रूप से ई–केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक–अपने ग्राहक को जानें) सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का उपयोग करते हुए निवासी द्वारा सुस्पष्ट अनुमोदन के साथ केवाईसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपन्न किया जा सकता है। ई–केवाईसी के हिस्से के रूप में निवासी को अपने जनांकिकी डेटा के साथ फोटोग्राफ (कम्प्यूटरीकृत हस्ताक्षरयुक्त और इन्क्रिप्ट किए गए) को सेवा प्रदाताओं को प्रदान करने हेतु यूआईडीएआई प्राधिकृत करता है। ई–केवाईसी दस्तावेजी चालबाजी की संभावना को समाप्त करता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2011 में अधिसूचित नवीनतम मानकों के अनुरूप होने के साथ ही सुरक्षित, कागजरहित, सहमति– आधारित, मुकरे न जा सकने योग्य, तात्कालिक, मशीन द्वारा पठनीय, कम लागत युक्त और विनियम अनुकूल है। इसके अलावा, ई–केवाईसी का पूर्णतः कागजरहित इलेक्ट्रॉनिक निम्न लागतयुक्त पक्ष वाला होने से वित्तीय समावेशन में अपने उपयोग के मामले में श्रेष्ठ है।

(ii) अब जबकि आधार ई–केवाईसी सेवा को वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, आईसीआईसीआई

प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी, द लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एबीएफसी) के क्षेत्र में बजाज फाइनेंस लिमिटेड और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही ई–केवाईसी प्लेटफार्म को अपना लिया है। वित्तीय क्षेत्रक से कई अन्य प्रमुख भूमिका अदाकर्ता पहले ही आधार संख्या आधारित ई–केवाईसी हेतु आवेदन कर चुके हैं और इसे लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) वास्तव में, ई–केवाईसी की संभाव्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक्सिस बैंक ने आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में ई–केवाईसी सेवाओं का उपयोग करते हुए तत्काल बैंक खाता खोलने की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। इस प्रायोगिक परियोजना में ई–केवाईसी सेवा का उपयोग करते हुए एक्सिस बैंक ने तत्काल खाता खोलते हुए और उसी दिन खाता को सक्रिय करते हुए अपने ही समय चक्र में 1/10 गुना समय की बचत की है।

4.31.15 आधार भुगतान सेतु (एपीबी) और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) दोनों ही वर्तमान में प्रचालित हैं और सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में लाभ का अंतरण करने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वार पर वित्तीय लेन–देन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निवासी के लिए नम्यता का अनुवर्ती प्रावधान करने हेतु भी ये पूर्णतः समाधान सुझाते हैं।

4.31.16 आधार भुगतान सेतु (एपीबी) की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा की गई है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक वैध भुगतान प्रणाली के रूप में अनुमोदित है। वर्तमान में 300 बैंकों से अधिक बैंक एपीबी की शुरुआत से इसका उपयोग कर रहे हैं और 6.43 करोड़ आधार को बैंक खातों से जोड़ चुके हैं। एपीबी का उपयोग करते हुए 7.06 करोड़ से अधिक लेन–देन सफलतापूर्वक किये जा चुके हैं।

4.31.17 वर्ष 2013 में भारत सरकार ने 43 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की और 25 स्कीमें जो सरकार को लाभार्थियों के निधियों को सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करने में समर्थ बनाती हैं, केवल आधार संख्या पर आधारित हैं। बाद में, तीन और स्कीमों को शामिल किया गया और जिलों की संख्या 78 से बढ़कर 121 हो गई।

4.31.18 1 जून, 2013 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में एलपीजी के सब्सिडी संचालन में सुधार करने के उद्देश्य से एलपीजी उपभोक्ताओं (डीबीटीएल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत की। इस स्कीम के अनुसार एलपीजी उपभोक्ता अपना सिलेंडर पूर्ण बाजार दर पर प्राप्त करेगा और सब्सिडी दर और पूर्ण बाजार दर के अंतर को उपभोक्ता के खाते में सीधे अंतरित कर दिया जाएगा। इस स्कीम की शुरुआत से 8.31 करोड़ लेन–देन (26.02.2014 की स्थिति में) किए जा चुके हैं जिसकी मूल्य राशि 4647 करोड़ रुपए है।

4.31.19 वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए यूआईडीएआई ने आधार नामांकन करते समय बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी की है। आधार डेटा के आधार पर सहमति देने वाले निवासियों का खाता खोलने के लिए बैंकों ने यूआईडीएआई के साथ करार किया है जो कि विभिन्न मानदंडों के आधार पर यूआईडीएआई द्वारा सीधे ही बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। आधार समर्थित बैंक खाते (एईबीए) खोलने की इस प्रक्रिया की शुरुआत प्रायोगिक आधार पर कर्नाटक में टुमकुर जिले में तीन बैंकों में की गई है। बाद में, 32 बैंकों द्वारा इसे अपनाया जा चुका है।

4.31.20 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) नामक एक एकीकृत भुगतान नेटवर्क को एनपीसीआई द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया गया है। एईपीएस प्रणाली मोबाइल सिम कार्ड का उपयोग करने वाले ''माइक्रो एटीएम'' नामक एक उपतंत्र के माध्यम से कार्य करती है, जिसके द्वारा डेटा कनेक्टिविटी निवासी के

आधार और फिंगरप्रिंटों के आधार पर यूआईडीएआई डेटाबेस के साथ उसे अधिप्रमाणित करता है। यदि वह मेल खा जाता है तो एईपीएस लेन–देन को वित्तीय लेन–देन हेतु बैंक को भेज देता है और इस तरह चक्र पूरा हो जाता है। यदि निवासी का अधिप्रमाणन असफल हो जाता है तो उसे उपयुक्त संदेश भेज दिया जाता है।

4.31.21 एईपीएस की औपचारिक रूप से शुरुआत दिसम्बर, 2012 में झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा और अन्य स्थानों में उसके सफलतापूर्वक प्रयोग के पश्चात की गई। वर्तमान में 23 बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) एईपीएस का उपयोग कर रहे हैं जिसमें से 7 बैंक अंतर–बैंक लेन–देन करने हेतु एईपीएस समर्थित और एईपीएस पर लाइव हैं। एईपीएस प्रणाली हेतु सबसे अधिक योगदानकर्ताओं में डाक विभाग, आंध्र प्रदेश (एपी), एपी–सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगुवाई में अन्य बैंक हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 20 लाख से अधिक लोग मनरेगा मजदूरी/पेंशन आहरित करने हेतु प्रतिमाह इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

4.31.22 वर्ष 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड प्रजेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए द्वितीय कारक अधिप्रमाणन के रूप में आधार की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। इस संबंध में जनवरी, 2013 में अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) को अपनाया गया और लागू किया गया। पीओसी के निष्कर्ष को पेश करने के बाद आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की कि नया कार्ड भुगतान अवसंरचना आधार संबद्ध बायोमेट्रिक्स का उपयोग करते हुए लेन–देन को अधिप्रमाणित करने में समर्थ हो।

जागरुकता तथा संचार का विकास

4.31.23 यूआईडीएआई वृहत् स्तर पर नागरिकों तक पहुंचने के लिए आधार के आउटडोर तथा मल्टीमीडिया प्रचार–प्रसार हेतु एक व्यापक जागरुकता तथा संचार रणनीति को क्रियान्वित कर रहा है। संचार तथा पहुंच के सभी संभावित माध्यमों तथा तरीकों में प्रिंट, श्रव्य–दृश्य, फोक मीडिया तथा सामाजिक मीडिया, संगठित प्रतियोगिता, मेलों तथा प्रदर्शनियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

प्रशिक्षण

4.31.24 यूआईडीएआई ने नामांकन कर्मियों, पंचायत राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकाय के सदस्यों, जिला स्तर के अधिकारियों तथा सत्यापकों आदि के लिए के विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। प्रशिक्षण सामग्री विविध प्रारूपों जैसे टेक्स्ट आधारित, कंप्यूटर आधारित तथा इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग आधारित है। नामांकन डेटा गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार, नामांकन कर्मियों को अभ्यास कराए जाने के लिए एक प्रशिक्षण अनुरूपक भी तैयार किया गया है। व्यवसाय संवाददाताओं तथा अन्य एयूए के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय समावेशन तथा प्रमाणन संबंधी प्रक्रिया को भी विकसित किया गया है। नामांकन कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए फिल्म आधारित प्रशिक्षण सामग्री–''आधारशिला'' भी तैयार किया गया है। अन्य पणधारियों तथा नागरिकों को सुग्राही बनाने के लिए एक फिल्म ''अनोखी पहचान'' भी उपलब्ध है। यूआईडीएआई की जांच और प्रमाणीकरण प्रणाली के द्वारा विविध क्षेत्रीय भाषाओं में 2.23 लाख से अधिक नामांकन कर्मियों को प्रमाणन दिया जा चुका है। दो जांच तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों की जांच और प्रमाणीकरण सुविधाएं पूरे देश के 225 केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

इंट्रानेट व ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

4.31.25 संचार को बढ़ावा देने, सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान तथा कर्मियों के बीच में समन्वय बढ़ाने हेतु यूआईडीएआई ने इंट्रानेट व ज्ञान प्रबंधन पोर्टलनामक एक ऑनलाईन, समुदाय आधारित, कागजरहित कार्यालय मंच की स्थापना की है। कई महत्वपूर्ण वृत्तिमूलक कार्य किए गए हैं जिनमें ज्ञान प्रबंधन (केएम) पोर्टल रखने वाली विशिष्टताएं जैसे यूआईडीएआई के सभी कार्यालय

के लिए सक्रिय निर्देशिका (एडी) एकीकरण, संपर्क प्रबंधन, उद्यम खोज, इकाई कार्य स्थान, मीडिया और संचार, प्रशिक्षण और जांच, रिच साइट समरी (आरएसएस) फीड्स, स्टेटिस्टिक्स एंड ऑडिट ट्रेल, पारदर्शिता पोर्टल आदि शामिल हैं। कार्यालय प्रबंधन प्रणाली (फाइल प्रबंधन प्रणाली), परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) मापांक, ई–प्रापण जैसी विशिष्टताओं के साथ भी इंट्रानेट क्रियाशील है।

4.31.26 2013–14 के दौरान बजट अनुमान और व्यय का विवरण

(i) राजस्व खंड के व्यय में मुख्यतः परामर्शदाताओं हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिए नामांकन लागत और व्यय चुकाने हेतु पंजीयकों को दी जाने वाली स्थापना व्यय सहायता, पीएमयू संसाधनों, डेटा केन्द्र के प्रचालन के लिए विद्युत और बैंड–विड्थ लागत अंतर्विष्ट हैं। पूंजीगत खंड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संवर्धन, दो डेटा केन्द्रों जो कि यूआईडीएआई द्वारा क्रमशः मणेसर (गुड़गांव) और बेंगलुरू में प्रस्तावित हैं, के निर्माण से संबंधित भूमि अधिग्रहण और निर्माण पेशगी हेतु किया जाने वाला व्यय अंतर्विष्ट है।

(ii) अब तक यूआईडीएआई परियोजना हेतु किए गए वार्षिक बजट आबंटन और व्यय का विवरण तालिका–I में दिया गया है:

तालिका–I

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट (संशोधित अनुमान) (करोड़ रुपये में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2009-10	26.38	26.21
2010-11	273.80	268.41
2011-12	1200.00	1187.50
2012-13	1350.00	1338.72
2013-14	1550.00	1544.29 (अनंतिम)

(iii) बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका–II

(करोड़ रुपये में)

मद शीर्ष	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	मार्च, 2014 तक किया गया व्यय (अनंतिम)
राजस्व बजट			
(i) स्थापना	105.10	75.36	70.63
(ii) नामांकन, अधिप्रमाणन, अद्यतन	1040.00	717.05	716.90
(iii) प्रौद्योगिकी प्रचालन	105.00	54.24	54.24
(iv) संभारिकी–तंत्र और अन्य संचार	286.00	270.00	269.90
(v) आधार समर्थित अनुप्रयोग	150.00	39.75	39.67
(vi) अन्य सहायक प्रचालन	95.50	16.50	16.48
(vii) यूबीसीसी प्रचालन	2.00	00.00	00.00
(viii) सूचना प्रौद्योगिकी	35.40	27.10	26.69
कुल राजस्व	**1819.00**	**1200.00**	**1194.51**
पूंजीगत बजट			
(i) सार्वजनिक प्रमुख कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	00.00	00.00
(ii) सामान्य आर्थिक सेवाओं संबंधी प्रमुख कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	155.00	106.08	106.08
(iii) मशीनरी एवं उपकरण	645.00	243.92	243.70
कुल पूंजी	**801.00**	**350.00**	**349.78**
कुल योग (राजस्व + पूंजी)	**2620.00**	**1550.00**	**1544.29**

अनुलग्नक–I

आधार नामांकन हेतु यूआईडीएआई को आबंटित किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	चंडीगढ़
4.	छत्तीसगढ़
5.	दमन और दीव
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	झारखंड
11.	कर्नाटक
12.	केरल
13.	मध्य प्रदेश
14.	महाराष्ट्र
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
16.	पुदुचेरी
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	सिक्किम
20.	त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश
22.	उत्तराखंड

अनुलग्नक–II

आधार सृजन रिपोर्ट (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1.	जम्मू एवं कश्मीर	22,22,267
2.	हिमाचल प्रदेश	64,33,260
3.	पंजाब	2,40,05,491
4.	चंडीगढ़	9,40,627
5.	उत्तराखंड	27,38,258
6.	हरियाणा	1,89,48,105
7.	दिल्ली	1,68,89,123
8.	राजस्थान	3,96,27,614
9.	उत्तर प्रदेश	2,94,97,189
10.	बिहार	84,88,181
11.	सिक्किम	5,50,565
12.	अरुणाचल प्रदेश	24,806
13.	नागालैण्ड	8,15,327
14.	मणिपुर	9,78,788
15.	मिजोरम	34,078
16.	त्रिपुरा	31,80,656
17.	मेघालय	13,373
18.	असम	73,767
19.	पश्चिम बंगाल	4,03,86,730
20.	झारखंड	2,61,94,400
21.	ओडिशा	1,97,04,282
22.	छत्तीसगढ़	35,28,317
23.	मध्य प्रदेश	4,47,32,329
24.	गुजरात	3,15,23,107
25.	दमन और दीव	1,62,022
26.	दादरा एवं नगर हवेली	1,96,215
27.	महाराष्ट्र	8,58,91,990
28.	आंध्र प्रदेश	7,98,29,359
29.	कर्नाटक	4,37,76,253
30.	गोवा	13,32,977
31.	लक्षद्वीप	55,264
32.	केरल	3,06,35,626
33.	तमिलनाडु	4,53,72,289
34.	पांडिचेरी	11,41,575
35.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1,63,564
	कुल योग	**61,00,87,769**

4.32 स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

4.32.1 देश के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। स्वैच्छिक संगठन (वीओ) देश के सभी कोनों तक पहुंचते है और जमीनी स्तर पर लोगों तक उनकी समीपता उनका सबसे बड़ा लाभ है। उन्हें अब मात्र सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन और जागरूकता बढ़ाने वालों के बजाए विकास में साझेदारों के रूप में माना जाता है।

4.32.2 वर्ष 2013–14 के दौरान स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ ने स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ 'स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य किया।

4.32.3 'स्वैच्छिक क्षेत्र' (2007) संबंधी राष्ट्रीय नीति स्वैच्छिक संगठनों और राज्यों के डेटा बेसों की आवश्यकताओं को उजागर करती है, ''विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के डाटा बेस स्वैच्छिक क्षेत्र और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के भीतर संप्रेषण के लिए उपयोगी हैं। सरकार इस प्रकार के डेटा बेस तैयार करने का कार्य उपयुक्त एजेंसियों को सौंपेगी।'' इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए एनआईसी के सहयोग और प्रमुख सहभागी मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों की सहकारिता से 2009 में योजना आयोग द्वारा एनजीओ साझेदारी पद्धति, जो एक वेब आधारित पोर्टल है, को तैयार और विकसित तथा कार्यचालित किया गया है। यह पोर्टल (http://ngo.india.gov.in) वर्तमान में एनजीओ को (1) समस्त भारत के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के विवरण, (2) एनजीओ के लिए उपलब्ध प्रमुख मंत्रालयों/विभागों की सहायता अनुदान स्कीमों के विवरण तथा (3) अनुदान प्राप्त करने हेतु एनजीओ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। एनजीओ को दिए जाने वाले सहायता अनुदान की पद्धति में अधिक पारदर्शिता, कुशलता और जवाब देही लाने के लिए सचिव, योजना आयोग ने सहभागी मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों से अनुरोध किया है कि वे सभी एजीओ के लिए योजना आयोग के एनजीओ–पीएसपोर्टल पर 'खाता खोलना' अनिवार्य कर दें। एनजीओ–पीएस पोर्टल पर (31.03.2014 की स्थिति में) लगभग 57,866 वीओ/एनजीओ ने 'खाते खोल' लिए हैं।

4.32.4 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र हेतु सूचना उपलब्ध कराने के लिए सिविल सोसाइटी के विनियोजन पर योजना आयोग में कोई आधिकारिक प्रलेखन उपलब्ध नहीं है। कई 'बाहरी' और 'भीतरी' पणधारक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने हेतु परामर्श की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं, से परामर्श के पश्चात सिविल सोसाइटी के 1,149 प्रतिनिधियों की सूची के साथ परामर्श प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

4.32.5 स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ विविध बैठकें भी आयोजित करता है और विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर वीओ/एनजीओ/सीएसओ के द्वारा सिविल सोसाइटी विन्डो प्रस्तुतीकरण करता है, जो जमीनी स्तर के संगठनों की प्रभावशीलता और योगदान को साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है। पिछले एक वर्ष (2013) के दौरान निम्नलिखित बैठकें/प्रस्तुतीकरण किए गए:–

1. सुश्री पद्मा देवस्थली, सेहट और अरुणा कश्यप, एचआरडब्ल्यू द्वारा 13 फरवरी, 2013 को आयोजित **''यौन उत्पीड़न से गुजरने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समन्वित कार्य–आगे की राह।''**
2. एएलजे पावर्टी एक्शन लैब टीम द्वारा 15 मार्च, 2014 को आयोजित **''प्रभावी लिंग संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की पहचान और उनके प्रभाव का मूल्यांकन।''**
3. श्री अशोक राव, सुश्री फिरोजा महरोत्रा द्वारा 17 अप्रैल, 2013 को आयोजित **''गर्भधारण से लेकर कक्षा VIII तक पोषण सहायता–अभिसरण की आवश्यकता।''**
4. भागीदार मंत्रालयों के साथ 13 मई, 2013 को आयोजित **''एनजीओ भागीदारी प्रणाली**

(एनजीओ–पीएस) की समीक्षा हेतु 10वीं बैठक।''

5. रहनुमा टीम द्वारा 2 जुलाई, 2013 को आयोजित **''अल्पसंख्यकों हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने संबंधी चुनौतियों को समझना – 10 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों से सीखना।''**

6. सामा–रिसोर्सेस ग्रुप फॉर विमन एंड हेल्थ द्वारा 24 जुलाई, 2013 को आयोजित **''भारत में आर्थिक लाभ के लिए गर्भाधान से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ।''**

7. 23 अगस्त, 2013 को आयोजित **''वीओ/एनजीओ के प्रत्यायन पर विश्वसनीय गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु बैठक।''**

8. विभिन्न पणधारकों के साथ 27 नवम्बर, 2013 को आयोजित **''कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर प्रावधानों पर गोलमेज।''**

9. कैथोलिक हेल्थ एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा 3 मार्च, 2014 को आयोजित **''वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वसुलभता।''**

10. स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट द्वारा 19 मार्च, 2014 को आयोजित **''निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा अंतर को दूर करना: महिलाओं का पोषण और आजीविका।''**

4.33 ग्राम एवं लघु उद्यम प्रभाग

4.33.1 ग्राम एवं लघु उद्यम प्रभाग खादी और कॉइर क्षेत्रक सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कवर करता है। यह प्रभाग वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रक तथा खाद्य प्रसंस्करण उघोग मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी कवर करता है।

4.33.2 इस प्रभाग ने मंत्रालयों विभागों के साथ गहन परीक्षण और विचार–विमर्श के बाद वर्ष 2013–14 के लिए योजनाबद्ध वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया। मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न राज्य वार्षिक योजना बैठकों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। टेक्नों–आर्थिक–दृष्टिकोण से ईएफसी/एसएफसी नोट की जांच की गई तथा ईएफसी/एसएफसी नोट में समावेशन हेतु टिप्पणियां की गई। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों आदि की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वीएसई क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन विकासात्मक स्कीमों कार्यक्रमों की जांच की गई।

4.33.3 एनएमसीपी के अंतर्गत एमएसएमई में आईसीटी उपस्करों का संवर्धन नामक नई स्कीम को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, ताकि एमएसएमई क्षेत्रक तक लाभ पहुंचाया जा सके। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीम–पीएमईजीपी पर मूल्यांकन अध्ययन एक स्वतंत्र परामर्शी फर्म को सौंपा गया है, ताकि रोजगार सृजन के लिए स्कीम के प्रभाव का आकलन किया जा सके और अध्ययन द्वारा संस्तुत उपायों से और दृष्टिगोचर प्रभाव प्राप्त किए जा सके तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए इस बारे में संबंधित मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है। केआरडीपी की प्रगति की समीक्षा भी की गई है, ताकि खादी करघा शिल्पकारों पर इसके प्रभाव के लाभ का आकलन किया जा सके तथा स्पर्धा में और सुधार लाया जा सके।

4.33.4 विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन पर अत्यधिक बल देने तथा राज्यों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) आरंभ करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मिशन में अनेक पहलें/स्कीमें शामिल होंगी जैसे शीतलन श्रृंखला हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, कसाई खाने के आधुनिकीकरण की स्कीम आदि। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा, एमएफपीआई वृहत् खाद्य उद्यान नामक एक प्रमुख स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रहा है।

2013–14 के दौरान परिव्यय के साथ ग्राम एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	परिव्यय (करोड़ रु. में)
1.	एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम	53.00
2.	क्रेडिट सम्बद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम	387.75
3.	एमएसई हेतु क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम	75.00
4.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1418.28
5.	खादी सुधार कार्यक्रम	50.00
6	पारंपरिक उद्योगों के पुनसृजन हेतु निधि स्कीम (एसएफयूआरटीआई)	55.46
7.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण	95.00
8.	व्यापक हथकरघा विकास स्कीम (सीएचडीएस)। इसमें निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं:– i. हथकरघा का विपणन एवं निर्यात संवर्धन ii. एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम	 117.00
9.	हथकरघा शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम	39.00
10.	अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम	38.00
11.	रेशम उत्पादन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	291.00
12.	विशाल समूह स्कीम	77.00
13.	नारियल–जटा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	16.00
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अवसंरचना विकास स्कीम	247.00
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी राष्ट्रीय मिशन	187.00

4.34 जल संसाधन प्रभाग

योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को जल संसाधन से संबंधित योजना, कार्यक्रम और नीतियाँ तैयार करने तथा मॉनीटरिंग का दायित्व सौंपा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई (बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाएं), बाढ़ नियंत्रण (समुद्र–अपरदन रोधी कार्य सहित) तथा कमान क्षेत्र का विकास शामिल है। यह प्रभाग ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन सहित ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग को एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। यह प्रभाग राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यों को देखने के लिए नोडल प्रभाग भी है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र का विकास

(i) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक योजना 2013–14 तैयार करने का कार्य पूरा किया गया। जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक योजना 2013–14 और अंतरिम बजट 2014–15 को भी पूरा किया गया।

(ii) वार्षिक योजना 2013–15 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट को

मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) डॉ. मिहिरशाह, सदस्य (जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास), योजना आयोग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा पंजाब में जल भराव संबंधी उच्च स्तरीय समिति गठित की गई और योजना आयोग को उसकी रिपोर्ट दिसंबर, 2012 में प्रस्तुत की गई। योजना आयोग ने रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। सीसीईए ने दक्षिण–पश्चिम पंजाब में जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए दिनांक 28.02.2014 को 2246 करोड़ रु. की राशि के एक एकीकृत कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है।

(iv) जल संसाधन प्रभाग ने तीन केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और चार राज्य क्षेत्रक स्कीमों (अब केन्द्र प्रयोजित स्कीम के नाम से जाना जाता है) के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए व्यय वित्त समिति के ज्ञापन पर कार्रवाई और टिप्पणी की। भू–संसाधन विभाग की नीलांचल परियोजना संबंधी ज्ञापन पर भी टिप्पणी की गई। जल संसाधन मंत्रालय की पांच क्षेत्रक स्कीमों और तीन केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों हेतु प्रारूप मंत्रिमंडल नोट पर भी कार्रवाई और टिप्पणी की गई। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विभिन्न विषयों पर चार मंत्रिमंडल नोटों (i) अंतर–राज्यीय जल विवाद अधिनियम (ii) जल–विज्ञान संबंधी डेटा की साझेदारी हेतु चीन के साथ समझौता ज्ञापन (iii) जल वर्ष में एक वर्ष की वृद्धि (iv) रेणुका बांध परियोजना (वन भूमि के एनपीवी के वित्तपोषण और अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु) पर कार्रवाई और टिप्पणी की गई।

(v) भू–संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में संशोधन से संबंधित मंत्रिमंडल नोट पर कार्रवाई और टिप्पणी की गई।

(vi) योजना आयोग ने 1.1.13 से 31.1.2014 तक की अवधि के दौरान 102 परियोजनाओं के लिए निवेश संबंधी मंजूरी (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संशोधित लागत शामिल थी) प्रदान की। इन परियोजनाओं में 13 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं, 80 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं थीं तथा 9 विस्तारण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं थीं। मंजूरी प्रदत्त परियोजनाओं की सूची अनुबंध पर है। इसके अलावा, बिना किसी अधिक लागत के 115 परियोजनाओं के पूर्णता समय को भी बढ़ाया गया।

(vii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पहचाने गए जल क्षेत्रक के विशिष्ट निगरानी योग्य लक्ष्यों को चुना गया है और छह माह की विशेष अवधि के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु जल संसाधन और पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को संसूचित कर दिया गया है।

(viii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2012–13 में 14242.00 करोड़ रुपये (केन्द्रीय अनुदान) के बजट अनुमान की तुलना में 2013–14 में 12962.00 करोड़ रुपये (केन्द्रीय अनुदान) का आबंटन (बजट अनुमान) प्रदान किया गया है। अंतरिम बजट 2014–15 में 10,800 करोड़ रु. के कार्यक्रम का बजट अनुमान है।

(ix) प्रभाग ने योजना आयोग द्वारा निधियों के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त एसीए तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्कीमों पर कार्रवाई और टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पैकेज

के अंतर्गत निधि प्रदत्त जल संसाधन स्कीमों पर भी टिप्पणियाँ की गईं।

(x) प्रभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय द्वारा गठित अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय टीम के सदस्यों के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले आपदा एवं राहत कोषों के मूल्यांकन हेतु केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों का दौरा किया।

(xi) योजना आयोग ने पणधारकों द्वारा कार्यान्वयन करने हेतु विशेषज्ञों के माध्यम से मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए चार योजना कार्यान्वयन सलाहकार समितियों का गठन किया। तीन समितियों, जलीय परत मानचित्रण और प्रबंधन समिति, वृहत् भू–सिंचाई सुधार समिति तथा औद्योगिक जल समिति की पहली बैठक सदस्य (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में 4–6 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई।

पेयजल एवं स्वच्छता

(i) ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, शहरी जल आपूर्ति एवं शहरी मल–व्यवस्था और जल निकास के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना 2013–14 से संबंधित कार्य पूरे किए गए। पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2013–14 भी पूरी की गयी। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2014–15 को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के परिणामी बजट को मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) वर्ष के दौरान, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता / विशेष योजना सहायता के अंतर्गत निधियां जारी करने से पहले राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों से प्राप्त पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी प्रस्तावों की तकनीकी रूप से जांच की गई है तथा उस पर टिप्पणियां की गई हैं।

(iv) ग्रामीण पेय जल और ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्रमशः दो स्कीमें नामतः (क) 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)' तथा (ख) 'निर्मल भारत अभियान (एनबीए)' कार्यान्वित की जा रही हैं।

क. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(vi) केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम अर्थात 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही है।

(vii) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, 2005 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए ''भारत निर्माण'' नामक ग्रामीण आधार संरचना का निर्माण करने संबंधी कार्यक्रम के छह घटकों में से एक है। कार्यक्रम के अतंर्गत सभी गैर–सम्मिलित पर्यावासों को शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाना है। भारत निर्माण के अंतर्गत विचारित सभी 55,067 गैर–सम्मिलित पर्यावासों को सम्मिलित किया गया है तथा जल गुणवत्ता प्रभावित 2.17 लाख निवासियों में से 1,63,972 पर्यावासों को मार्च, 2014 सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया जिसमें से अप्रैल 2013–14 के दौरान 21,771 गुणवत्ता प्रभावित पर्यावासों के लक्ष्य की तुलना में 12,440 पर्यावासों को शामिल किया गया है।

(viii) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडबल्यूएस) के वर्ष 2013–14 के बजट में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 11,000 करोड़ रुपये का योजना

परिव्यय किया गया है जिसे बाद में वर्ष 2013–14 के संशोधित अनुमान में संशोधित करके 9,700 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें से मार्च, 2014 तक राज्यों को 9,600.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावासों की लक्ष्य संख्या 1,44,030 की तुलना में मार्च, 2014 तक 1,17,839 पर्यावासों को पेयजल आपूर्ति में पूर्णतया शामिल किया गया है।

(ix) जल संसाधन प्रभाग ने निम्न आय वाले चार राज्यों में ग्रामीण पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु विश्व बैंक समर्थित परियोजना संबंधी ईएफसी नोट पर कार्रवाई और टिप्पणी की तथा बाद में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के लिए एक संक्षिप्त नोट तैयार किया।

(x) जल संसाधन प्रभाग द्वारा 'फ्लुओराइड और संखिया (आर्सेनिक) प्रभावित ग्रामीण पर्यावासों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने हेतु स्कीम' संबंधी ईएफसी ज्ञापन पर टिप्पणी की गई।

(xi) जल संसाधन प्रभाग ने ईएफसी प्रस्ताव पर और बाद में कोलकाता में 'जल गुणवत्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्थापना' संबंधी मंत्रिमंडल नोट पर कार्रवाई तथा टिप्पणी की।

ख. निर्मल भारत अभियान (एनबीए)

(xii) भारत सरकार खुले में शौच करने की रीति को समाप्त करने तथा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के मुख्य लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) चलाती है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के रूप में 1986 में तथा 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के रूप में आरंभ किया गया। पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का अब 1.04.2012 से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है। वर्ष 2013–14 के लिए एमडीडब्ल्यूएस के बजट में एनबीए के लिए 4260 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय किया गया है, जिसे बाद में 2013–14 के संशोधित अनुमान में संशोधित करके 2,300 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें से मार्च, 2014 तक राज्यों को 1274.10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(xiii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीम के आरंभ से मार्च, 2014 तक भौतिक उपलब्धियां (संचयी) हैं: 12.57 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 13.75 लाख स्कूल शौचालय, 5.34 लाख आंगनवाड़ी शौचालय तथा 33,684 स्वच्छता परिसर के परियोजना उद्देश्य की तुलना में 9.62 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 13.36 लाख स्कूल शौचालय, 4.69 लाख आंगनबाड़ी शौचालय और 27,660 स्वच्छता परिसर। प्रभाग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्रक में निवेश संबंधी 102 प्रस्तावों की जांच की।

4.35 महिला एवं बाल विकास प्रभाग

4.35.1 महिला एवं बाल विकास प्रभाग पंचवर्षीय योजनाओं में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप राष्ट्र की महिलाओं और बच्चों की संपूर्ण उत्तर जीविता, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित नीतियों का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें तैयार करने के अलावा, प्रभाग मंत्रालयों और राज्यों के साथ योजना प्रस्तावों की जांच करने, उनके द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु कार्य करता है तथा परिव्यय की

सिफारिश करता है। 2013–14 के दौरान प्रभाग के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैः–

4.35.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की पुनर्संरचना हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन को योजना आयोग से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित दिशा–निर्देशों के साथ परिचालित किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु कई परियोजनाओं की सिफारिश की गई। प्रभाग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना 2014–15 के लिए प्रस्ताव की जांच की और वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम–वार वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया। योजाना आयोग ने 2014–15 के लिए अंतरिम केन्द्रीय बजट में परिलक्षित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का निर्धारण किया। वार्षिक योजना 2014–15 में तदनुसार आबंटन किया गया है। पुनर्संरचित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम और ब्लॉक अनुदान को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को केन्द्रीय योजना परिव्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, 2014–15 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हेतु जीबीएस को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना (ब्लॉक अनुदान एवं केन्द्र प्रयोजित स्कीमें) के रूप में उद्दिष्ट 20,111.06 करोड़ रु. निर्धारित राज्य के लिए और केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए निर्धारित 888.94 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता के साथ 21,000 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है। फ्लैगशिप आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबद्ध दायित्वों के लिए मंत्रालय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आईसीडीएस स्कीम हेतु जीबीएस को बढ़ाकर 18,227.40 करोड़ रु. कर दिया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम की पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न होने वाले बजटीय प्रस्ताव में अनुवर्ती परिवर्तन के इस कार्य को करते हुए संशोधित जीबीएस फॉर्मेट के अनुसार बजट अनुमान के विवरण को अंतिम रूप देने में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक ब्रीफिंग और बैठकों को भी शामिल किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की फ्लैगशिप और अन्य स्कीमों के अंतर्गत किए गए व्यय की नियमित रूप से निगरानी की गई और निधियों को जारी करने में विशेष श्रेणी वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा कुछ स्कीमों के लिए जारी की गई कम राशि के मामले को भी उठाया गया।

4.35.3 राज्य की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्रियों और उपाध्यक्ष, योजना आयोग की बैठकों से पहले योजना आयोग में विगत वर्षों में अधिकारी स्तर पर क्षेत्रकीय चर्चाएं की गई थीं। योजना आयोग ने वर्ष 2013–14 के लिए अधिकारी स्तर की क्षेत्रकीय चर्चाओं के लिए फॉर्मेट में परिवर्तन किया था। तदनुसार, विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता और प्रधान सलाहकार योजना आयोग की सह–अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास के राज्य प्रधान सचिवों/सचिवों की बैठकें आयोजित की गईं। बैठक 11–12 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में हुई।

4.35.4 बैठक में महिला एवं बाल विकास के संबंध में बारहवीं योजना और राज्य विशिष्ट योजनाओं (2013–14) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति संबंधित सुविचारित विषयों पर भी चर्चा की गई। चालू और नई स्कीमों तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित अच्छी परंपराओं और सामान्य मुद्दों को भी चर्चा हेतु उठाया गया। केन्द्रीय योजना द्वारा पहचाने गए विशेष क्षेत्रों के अनुसार राज्य योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय मामले, स्वच्छता, जल संसाधन, श्रम एवं रोजगार, कृषि, परिवहन और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य अभिसरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। विशेषकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में महिलाओं की एजेंसी और बाल अधिकार पर अध्याय के संदर्भ में, जिसमें उनकी योजनाओं का प्रारूप तैयार

करने के लिए राज्यों में सामान्य प्रावधान की नींव रखी गई है, महिला एवं बाल विकास हेतु और अधिक व्यापक, बहु–क्षेत्रकीय, समावेशी तथा धारणीय योजनाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

4.35.5 इन क्षेत्रकों को बहु–क्षेत्रकीय दृष्टिकोण को अपनाने और इन क्षेत्रकों की नीतियां और योजनाएं तैयार करने के संबंध में लक्षित नीतियों हेतु अपने विषयों से आगे सोचना होगा। गैर–पारंपरिक क्षेत्रकों में लिंग संबंधी चिंता को मुख्य धारा में लाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित विशेषकर जमीनी स्तर पर प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व, लिंग संबंधी असंकलित डेटा तैयार करने, संसाधनों से लाभ उठाने के यथासंभव तरीकों पर जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार बारहवीं योजना से आगे सोच सकती है।

4.35.6 अच्छी परंपराओं को साझा करने के सत्र के दौरान, तमिलनाडु ने क्रेडल बेबी स्कीम प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य तमिलनाडु के कतिपय हिस्सों में प्रचलित बालिका भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त करना और बालिका शिशु को बचाना है। राजस्थान ने बालिका शिशु की देखभाल और सुरक्षा संबंधी राज्य कार्य दल को विशेष रूप से प्रदर्शित किया। ओडिशा सरकार ने 'ममता': ओडिशा की एक शर्तबंद नकद अंतरण स्कीम प्रस्तुत की जो राज्य में 8.20 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान करती है। केरल ने कुडुंबाश्री कार्यक्रम– यह दर्शाते हुए कि सूक्ष्म उद्योग किस प्रकार आजीविका का साधन बन सकता है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अनुभव को साझा किया। महाराष्ट्र ने ग्रामीण स्तरीय प्रबंधन के माध्यम से सर्वाधिक कमजोर तबके तक पहुंचने के लिए मामला–दर–मामला आधार पर बाल कुपोषण का पता लगाकर उसे दूर करने के लिए राज्य की पहल के बारे में सूचित किया।

4.35.7 दो दिवसीय राज्य योजना बैठक के अंत में यह सर्वसम्मति बनी कि राज्य, शुरुआत करने अर्थात् बालिका शिशु की देखभाल और सुरक्षा हेतु उच्चस्तरीय कार्य दल का गठन करने; बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की एजेंसी और बाल अधिकार से संबंधित अध्याय में दिए गए मैट्रिक्स की तर्ज पर राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिए कार्य योजना के अनुसरण हेतु मैट्रिक्स के विकास और आईसीडीएस मिशन संचालन समूह के गठन पर विचार करेंगे। राजस्थान जो कि कार्य दल का गठन करने वाला पहला राज्य है, ने राज्य बालिका शिशु नीति को अपनाया है और एक बहु–क्षेत्रकीय समयबद्ध राज्य कार्य योजना तैयार की है। हरियाणा ने शिशु लिंग अनुपात सहित समाजार्थिक सूचकों में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ओडिशा ने भी बालिका शिशु की देखभाल और सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया है। ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर आईसीडीएस मिशन संचालन समूह का गठन करने संबंधी सूचना दी है।

4.35.8 वित्त वर्ष 2014–15 से लागू व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित फ्लैक्सी निधि के प्रचालन हेतु दिशा–निर्देशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया है। बारहवीं योजना में सीएसएस की पुनर्संरचना के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय सरकार ने राज्य विशिष्ट दिशा–निर्देशों की शुरुआत के लिए एक तंत्र तैयार करने का निश्चय किया है। जहाँ तक उसके 90 प्रतिशत आबंटन के लिए स्कीम में राज्य विशिष्ट दिशा–निर्देशों की शुरुआत करने का संबंध है, प्रभाग ने मंत्रालय से विचार जानना चाहा है और बाद में 15 सामान्य श्रेणी तथा छह विशेष श्रेणी वाले राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित फ्लैगशिप आईसीडीएस और अन्य सीएसएस स्कीमों के दिशा–निर्देशों में संशोधन हेतु सुझावों को ठोस बनाने हेतु मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें तथा अनुवर्ती कार्रवाई की है।

4.35.9 प्रभाग ने संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति

के अभिभाषण, स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रधानमंत्री के भाषण, वीआईपी संदर्भों और भारत 2014–संदर्भ–वार्षिक में शामिल करने हेतु महिला एवं बाल क्षेत्रक से संबंधित सामग्री भी प्रस्तुत की। प्रभाग ने संसद प्रश्नों को प्रबंधन किया और योजना आयोग के अन्य संबंधित प्रभागों तथा मंत्रालयों/विभागों को उनके द्वारा प्राप्त संसद प्रश्नों का उत्तर तैयार करने के लिए संबंधित सूचना प्रदान की। महिला एवं बाल विकास से संबंधित सार भी संसदीय स्थायी समिति की बैठकों हेतु प्रदान किए गए।

4.35.10 समाजार्थिक अनुसंधान (एसईआर) प्रभाग के द्वारा प्राप्त महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रारूप अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों के लिए प्रस्तावों की जांच और उन पर टिप्पणियाँ की गईं। इसके अलावा, प्रभाग ने अनुसंधान/अध्ययन के विशेष क्षेत्रों की पहचान की, जो निम्नानुसार है:–

1. शेष योजनावधि के दौरान पोषण सुग्राहिता और पोषण विशिष्ट अंतःक्षेप की प्रभावशीलता और क्षमता का आकलन करने हेतु उच्च भार वाले चुनिंदा जिलों (नए बहु–क्षेत्रकीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल) में युवाओं, किशोर बालिकाओं और महिलाओं की पोषण स्थिति का अनुदैर्ध्य अध्ययन।

2. बाल लिंग अनुपात को कवर करने वाले जिले जिन्होंने सुधार और अपरिवर्तन दर्शाया तथा जिनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है (इसमें शहरी/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों ओर सामुदायिक प्रोफाइलों द्वारा असमेकित डेटा का विश्लेषण भी शामिल होगा), का समाधान करने के लिए निमित्त रूप रेखा और अंतःक्षेपों के पैकेज का विश्लेषण।

3. ''हॉटस्पॉट क्लस्टर्स'' की पहचान को सुगम बनाने हेतु महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और कमजोर तबके के मानचित्रण के साथ अवलोकित प्रवृत्ति का विश्लेषण।

4. जिस सीमा तक यह उन्नत लिंग संबंधी परिणामों से जुड़ा हुआ था उस सीमा तक आकलन सहित जारी लिंग बजटीय कार्य की प्रभावशीलता का रेखित क्षेत्रकीय अध्ययन।

4.35.11 वर्ष के दौरान प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) के सहयोग से एकल और निराश्रित महिला– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम– सबला (सीएसएस) संबंधी ईएफसी ज्ञापन, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन के लिए स्कीम को जारी रखने संबंधी ईएफसी ज्ञापन तथा एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत लागत मापदंडों में संशोधन संबंधी ईएफसी ज्ञापन सहित इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई), कमजोर और निचले तबके की महिलाओं के लिए एकीकृत आश्रय स्थान/घर के निर्माण के लिए स्कीम संबंधी ईएफसी ज्ञापन को जारी रखने और विस्तार करने से संबंधित व्यय वित्त समिति के ज्ञापन (ईएफसी ज्ञापन) की जांच की।

4.35.12 इसी प्रकार, किशोर बालकों के समग्र विकास हेतु प्रायोगिक स्कीम सक्षम संबंधी स्थायी वित्त समिति (एसएफसी), प्रस्तावित स्कीम ''बालिका शिशु की देखभाल और संरक्षण–बाल लिंग अनुपात में सुधार करने हेतु एक बहु–क्षेत्रकीय योजना'' पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के ज्ञापन की भी जांच की गई। इन ज्ञापनों की जांच महत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ मुद्दों, बारहवीं योजना की सिफारिशों, बारहवीं योजना के निगरानी करने योग्य लक्ष्य से परिणाम के संबंध और बारहवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों की उपलब्धता के साथ योजना आयोग के साथ–साथ वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी

किए गए प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देशों के संबंध में की गई। योजना आयोग के विचारों को इन स्कीमों से संबंधित ईएफसी बैठकों में संसूचित भी किया गया। वर्ष के दौरान प्रभाग ने सदस्य स्तर पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से बारहवीं योजना द्वारा संस्तुत स्कीमों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त लंबित ईएफसी प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की।

4.35.13 इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधनों पर मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप नोट, निर्भया निधि के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से बचाव के लिए प्रस्ताव–'शुभ' पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति हेतु प्रारूप नोट, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के विस्तार हेतु आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए प्रारूप नोट, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति पर मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप नोट, अधिक बोझ वाले 200 जिलों में माताओं और बच्चों के अल्पपोषण को दूर करने हेतु बहु–क्षेत्रकीय कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल हेतु प्रारूप नोट, ''बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति–2012'' पर मंत्रिमंडल नोट और दहेज निवारण अधिनियम, 1961 के संशोधन संबंधी प्रारूप मंत्रिमंडल नोट पर टिप्पणियाँ की गईं। मंत्रिमंडल बैठकों हेतु माननीय उपाध्यक्ष के लिए आवश्यक संक्षिप्त विवरण भी तैयार किए गए।

4.35.14 प्रभाग ने योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संबंधी संचालन समूह की बैठकों में भाग लिया तथा महिला एवं बाल विकास प्रभाग, योजना आयोग के अधिकारियों ने क्रमशः हैदराबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन (एपीआईपी) पर विचार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित आईसीडीएस के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में भाग लिया।

4.35.15 इसके अलावा, बाल लिंग अनुपात में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने पर महिला एवं बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों तथा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अंतर–मंत्रालयीय समन्वय समिति की बैठकों में भी योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया गया।

4.35.16 प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के शासी बोर्ड, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के सामान्य निकाय और राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) की कार्यकारी परिषद की बैठकों में भी सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया। प्रभाग ने एसटीईपी प्रोजेक्ट, स्वाधार गृह समिति में स्वीकृति समिति और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुसंधान परामर्शदात्री समिति एवं वित्त मंत्रालय में संशोधित अनुमान 2013–14 (योजना एवं गैर–योजना) तथा बजट अनुमान 2014–15 (गैर–योजना) को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए बजट पूर्व चर्चाओं में भी सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

कुपोषण को दूर करनाः एक मुख्य क्षेत्र

4.35.17 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 0–3 वर्ष के उम्र के बच्चों में कुपोषण में एनएफएचएस–3 स्तर में आधा कमी करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख निगरानी योग्य सूचक है। बारहवीं योजना के लिए नीतिगत निर्देश उपलब्ध कराने वाली भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक में पोषण को केन्द्रीय भूमिका के रूप में माना गया। इसकी सूचना योजना आयोग द्वारा स्थापित बहु–पणधारक पोषण रिट्रीट से प्राप्त कार्यनीति संबंधी सिफारिशों के द्वारा मिली।

4.35.18 भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद में लिए गए निर्णयों के

अनुसार, आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना, उसे मिशन मोड पर संचालित करने, पोषण संबंधी बहु–क्षेत्रकीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने और कुपोषण के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान की शुरुआत करने पर ध्यान केन्द्रित करना था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में आईसीडीएस की पुनर्संरचना संबंधी एक अंतर–मंत्रालयी समूह का गठन किया गया। राष्ट्रीय परिषद के उपर्युक्त निर्णयों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

4.35.19 नवप्रवर्तनों के लिए अवसर वाले राज्यों हेतु नम्यता के साथ यथासंस्तुत वित्तीय मानदंडों/आबंटनों और निष्कर्षों में आवश्यक परिवर्तनों के साथ कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई व्यापक रूपरेखा के अनुसार, पुनर्संरचित और सुदृढ़ आईसीडीएस के अंतर्गत, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, मातृत्व देखभाल तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर ध्यानकेन्द्रित करने के लिए, सेवाओं के व्यापक और संशोधित पैकेज के साथ योजनाबद्ध, प्रबंधन एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत की गई है। सदस्य (योजना आयोग) को उपाध्यक्ष के रूप में लेकर राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संचालन समूह का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह की पहली बैठक में अगस्त, 2013 से पूरे देश के आंगनवाड़ी केन्द्रों में नियत मासिक ग्राम ईसीसीई दिवस के रोलआउट की शुरुआत की गई।

4.35.20 वर्ष के दौरान, महिला एवं बाल विकास प्रभाग, योजना आयोग के अधिकारियों ने क्रमशः हैदराबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन (एपीआईपी) पर चर्चा करने हेतु पुनर्संरचित आईसीडीएस के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में उपस्थिति दर्ज की और विचार–विमर्श में भाग लिया। इन बैठकों में प्रभाग द्वारा एडब्ल्यूसी के निर्माण के प्रयोजन से अन्य संबद्ध मंत्रालयों से अभिसरण की आवश्यकता, आईसीडीएस एडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रावधान हेतु उच्च प्राथमिकता प्रदत्त, विशेषकर उच्च भार वाले राज्यों और जिलों में मातृत्व तथा बाल कुपोषण, रक्तक्षीणता और मृत्यु दर को कम करने में सहक्रियाशील प्रभाव को प्राप्त करने, सुरक्षित पेय जल और आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण, सुरक्षा मानक तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया नयाचार सुनिश्चित करने हेतु सहयोग से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के पश्चात पिछले दो वर्षों में हुई प्रगति निम्नलिखित है:–

- पुनर्संरचित आईसीडीएस के अंतर्गत, 2014 में सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।
- XIIवीं योजना के दौरान 158 नई परियोजनाएं और 36,000 नए एडब्ल्यूसी/मिनी–एडब्ल्यूसी शुरु किए गए।
- लाभार्थियों की संख्या मार्च, 2012 में 972.49 लाख से बढ़कर सितम्बर, 2013 में 1032.33 लाख हो गई। सामान्य बच्चों का वजन 31.03.2012 की स्थिति में 62.68% की तुलना में 7.86 प्रतिशत बढ़कर 30.09.2013 में 70.54% हो गया।
- 2013–14 के दौरान 44709 एडब्ल्यूसी के निर्माण को अनुमोदित किया गया। 2013–14 के दौरान 41015 एडब्ल्यूसी भवनों के उन्नयन को अनुमोदित किया गया। 12,653 एडब्ल्यूसी को एडब्ल्यूसी–सह शिशुसदन के रूप में अनुमोदित किया गया।
- बड़ी आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने और अंतर को पाटने के लिए मनरेगा के साथ अनिवार्य अभिसरण।
- आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना के अंतर्गत स्नेह शिविर हेतु प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश जारी किए गए।
- फार्मेट और पंजी रोल आउट सहित संशोधित एमआईएस की शुरुआत की गई।

4.35.21 प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद का अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि उच्च भार वाले 200 जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण को दूर करने के लिए

बहु–क्षेत्रकीय कार्यक्रम शुरु किया जाए। कार्य हेतु प्रारूप फ्रेमवर्क को आईसीडीएस की पुनर्संरचना की अंतिम रूपरेखा के साथ तालमेल करके तैयार किया गया जिसे योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में बहु–क्षेत्रकीय परामर्श करके समर्थ बनाया गया और इस प्रयोजन के लिए बहु–क्षेत्रकीय कोर समूह का गठन किया गया। पोषण निष्कर्षों और सूचकों संबंधी उपलब्ध जिला स्तरीय डेटा (एएचएच 2010–11 से पांच बाल मृत्यु दर डेटा के अंतर्गत फिल्टर का उपयोग करते हुए) के कार्यनीतिक विश्लेषण के माध्यम से, उच्च भार वाले 200 जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण को दूर करने हेतु बहु–क्षेत्रकीय कार्यक्रम के लिए एक प्रस्तावित रोलआउट योजना तैयार की गई। योजना आयोग ने उच्च भार वाले राज्यों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु समूह का संचालन किया तथा प्रारंभ में नौ राज्यों में 100 उच्च भार वाले जिलों में पोषण संबंधी बहु–क्षेत्रकीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

4.35.22 उच्च भार वाले 200 जिलों में बहु–क्षेत्रकीय पोषण कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन 25.11.2013 और 11.12.2013 को दिया गया तथा 24 जनवरी, 2014 को कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय पोषण परिषदें गठित की जा रही हैं। प्रस्तावित बहु–क्षेत्रकीय पोषण कार्यक्रम से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर सशक्त संस्थागत, योजनाबद्ध और प्रचालनात्मक अभिसरण के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एक साथ मिलाकर उच्च भार वाले चुनिंदा 200 जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण को चरणबद्ध ढंग से दूर किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों में विशिष्ट प्रो–न्यूट्रिशन और पोषण कार्यों को शामिल करके और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण को सशक्त बनाकर मुख्य रूप से पोषण अंतःक्षेपों पर ध्यानकेन्द्रण करके नीति, योजना और कार्य में सामंजस्य स्थापित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

4.35.23 इस कार्यक्रम को असम में उच्च भार वाले 100 जिलों (वर्ष 2013–14 के दौरान प्रारंभ करने हेतु) और 8 अधिकार–प्राप्त कार्य समूह (ईएजी) वाले राज्यों नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में उत्तरोत्तर रूप में शुरु किया गया है। उच्च भार वाले 200 जिलों के लिए आईसीडीएस में यथानिर्धारित जिलों की संख्या के आधार पर 2014–15 से 200 जिलों को शामिल करने के लिए शेष 100 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। अधिक संवेदनशील और कुपोषण पॉकेटों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों इत्यादि की आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही प्रत्येक जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित 50 प्रतिशत जिलों को शामिल करके एक चयनात्मक व्याप्ति दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली तैयार और स्वीकार की गई है।

4.35.24 बहु–क्षेत्रकीय पोषण कार्यक्रम का ध्यानकेन्द्रण राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर कुपोषण को दूर करने के लिए एक मजबूत समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख फोकस वाले क्षेत्रों, विशिष्ट भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और अभिसरण की विभिन्न दिशाओं पर होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्याख्यात्मक अंतःक्षेपों, दोनों के रूप में प्रमुख क्षेत्रकों/विभागों की विशेष भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्कीम में रूपरेखा तैयार की गई है। बारहवीं योजना के दौरान 1213.19 करोड़ रु. के कुल आबंटन में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 944.39 करोड़ रु. और राज्य के हिस्से के रूप में 268.80 करोड़ रु. शामिल है।

4.35.25 एनएफएसए, 2013 को अधिनियमित किया गया है और एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत, दिशा–निर्देशों के साथ छोटे बच्चों (6 माह–6 वर्ष) और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए टीएचआर निर्धारित करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों की एकरूपता के मुद्दे को महिला और बाल विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। एनएफएसए, 2013 की शुरुआत और आईसीडीएस (एसएनपी–एचसीएम और टीएचआर दोनों) तथा आईजीएमएसवाई के संदर्भ में प्रसार के मुद्दे को भी उठाया गया।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा

4.35.26 मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति को अनुमोदित किया है जिसमें प्रत्येक बच्चे की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास का सही आधार सुनिश्चित करने की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर बल दिया गया है। आंगनवाड़ी को प्रारंभिक बाल्यावस्था ज्ञान और विकास केन्द्र के लिए एक जोशपूर्ण तथा खुशनुमा केन्द्र बनाने के लिए पुनर्संरचित आईसीडीएस के अंतर्गत ईसीसीई घटक एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा, या तो आंगनवाड़ी केन्द्रों या विद्यालयों (राज्य विशेष पर निर्भर करता है) में 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए विद्यालय तत्परता अंतःक्षेपों सहित स्थानीय सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक खेल/कार्यकलाप संबंधी सामग्री, एडब्ल्यूसी कार्यकलाप कार्नर तथा बाल अनुकूल एडब्ल्यूसी पर्यावरण में स्थानीय खिलौना बैंकों के प्रयोग के माध्यम से ईसीसीई का समर्थन किया जाएगा। विद्यालय के साथ आईसीडीएस एडब्ल्यूसी के सह–स्थान की सिफारिश भी की गई है। एडब्ल्यूसी में विभिन्न सामुदायिक समूहों से आने वाले, साथ में सीखने/खेलने वाले और साथ में खाने वाले बच्चे एवं अधिक समावेशी प्रारंभिक समाजीकरण तथा जोड़ने वाले समुदाय की नींव रखेंगे। इसलिए, अतिरिक्त और प्रशिक्षित मानव संसाधन, खुशनुमा ज्ञान कार्यप्रणालियों के साथ विकसित रूप में उपयुक्त पाठ्यक्रम की रूपरेखा के साथ ईसीसीडी के लिए आईसीडीएस अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा को पुनःपरिभाषित करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ईसीसीई नीति को 20 नवम्बर, 2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और तत्पश्चात राज्य के लिए अनुमोदित किया गया। ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यक्रम रूपरेखा और गुणवत्ता मानकों को दिनांक 23.01.2014 को अनुमोदित किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। संचालन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक पाठ्यक्रम (3–6 वर्ष) तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा, दिनांक 19.08.2013 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियत मासिक ईसीसीई दिवस संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए और पीएसई किट संबंधी दिशा–निर्देश तथा मूल्यांकन कार्ड जनवरी, 2014 में जारी किए गए।

प्रतिकूल और घटता हुआ बाल लिंग अनुपात

4.35.27 बारहवीं योजना के दौरान अन्य मुख्य पहल 2011 की जनगणना से ज्ञात 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में अत्यधिक और सतत गिरावट को कम करने के लिए बहु–क्षेत्रकीय कार्य को गतिशीलता प्रदान करना है। प्रतिकूल और तेजी से घटते हुए बाल लिंग अनुपात में 950 तक सुधार को अब बारहवीं योजना के अति महत्वपूर्ण निगरानी योग्य लक्ष्यों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे महिलाओं की एजेंसी और बाल अधिकार तथा स्वास्थ्य संबंधी अध्याय, दोनों में क्षेत्रकीय लक्ष्य के रूप में प्रदर्शित भी किया जाता है। यह मुख्य विषय बारहवीं योजना में लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित असमानताओं, भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रदान की गई अभिभावी प्राथमिकता को संकेतित करता है।

4.35.28 लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने तथा बाल लिंग अनुपात में सुधार हेतु अंतःक्षेपों को राज्य योजनाओं संबंधी क्षेत्रकीय चर्चा में सफलतापूर्वक समाहित किया गया। इस मुद्दे को ऐसे राज्यों, जहाँ अनुपात में गिरावट अत्यधिक और/या विपरीत हो चुकी है, के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य की वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान भी उठाया गया। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बालिका की देखभाल और संरक्षण के लिए राज्य कार्य बल का गठन करें। राजस्थान कार्यबल का गठन करने वाला पहला राज्य है जिसने राज्य बालिका नीति को अपनाया है और कार्य के लिए बहु–क्षेत्रकीय समयबद्ध राज्य योजना तैयार की है। हरियाणा ने बाल

लिंग अनुपात सहित समाजार्थिक सूचकों में सुधार करने के लिए एक समिति गठित की है। पंचायती राज मंत्रालय ने गिरते बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयासों के हिस्से के रूप में ऐसे पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार की शुरुआत की है जो बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए उद्यम करते हैं और इस मुद्दे पर ग्राम सभाओं तथा महिला सभाओं का आयोजन कर रहे हैं।

4.35.29 बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करके बहु–पणधारक कार्यनीति के माध्यम से बाल लिंग अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर दूर किया जा रहा है और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालयी समन्वय समिति के तत्वाधान में कार्यान्वयन मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यापक बहु–पणधारक परामर्श, कार्य–दल प्रक्रिया और अंतर–मंत्रालयी परामर्शों की सहायता से इस व्यापक राष्ट्रीय योजना को पहले ही तैयार कर लिया है। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए कार्यनीतिक विश्लेषण और राज्य योजना चर्चाओं के दौरान प्राप्त बहुमूल्य जानकारियों ने बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिला एवं बाल विकास प्रभाग ने राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय परामर्श और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित कार्य–दल के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जोकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्थात् वर्ष 2017 तक बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार करके इसे 919 से 950 तक पहुँचाने से संबद्ध है।

4.35.30 राष्ट्रीय कार्य योजना में पहचान की गई प्रमुख कार्यनीतियों में नीति और विधिक वातावरण को समर्थ बनाना, हिमायत, सामाजिक गतिशीलता और सामुदायिक स्वामित्व; क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण; बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए तौर–तरीके और व्यवहारों तथा बहु–क्षेत्रकीय कार्य में परिवर्तन लाने हेतु संचार सुनिश्चित करना शामिल है। बालिका की देखभाल और संरक्षण–बाल लिंग अनुपात में सुधार करने हेतु एक बहु–क्षेत्रकीय योजनानामक स्कीम इस राष्ट्रव्यापी कार्यनीति का मुख्य घटक है। उपर्युक्त स्कीम की जांच की गई है और योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया है। इस स्कीम में लिंग अनुपात में अधिक अंतर वाले जिलों के लिए जिला विशिष्ट कार्य योजनाएं परिकल्पित की गई हैं।

4.35.31 प्रतिकूल जन्म लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात को पलटने तथा भारत में बालिका की उत्तरजीविता, विकास और संरक्षण में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य सरकारों द्वारा विशेष स्कीमों की शुरुआत की गई है जो बालिका को उसके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन स्कीमों का उद्देश्य इस वायदे के आधार पर कि वित्तीय प्रोत्साहनों से विशेषकर युवा माता–पिताओं में समुदायों और परिवारों में व्यवहार संबंधी बदलावों को बढ़ावा मिलेगा, बालिका के महत्व में सुधार करना है। धारणा यह थी कि इससे बालिका के महत्व में वृद्धि होगी जो कि बाल लिंग अनुपात में सुधार, विद्यालय में नामांकन तथा प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि एवं विवाह के लिए उसकी उम्र में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। यूएनएफपीए से अनुरोध किया गया कि वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश से धनलक्ष्मी स्कीम पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बालिका प्रोत्साहन स्कीम संबंधी लाभकारी परिप्रेक्ष्य के लिए अतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के द्वारा चुनिंदा राज्यों में बालिका के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम संबंधी समीक्षा–सह–मूल्यांकन अध्ययन के द्वितीय चरण का संचालन करे। हालांकि, धनलक्ष्मी स्कीम अब बंद हो गई है, तथापि, यूएनएफपीए ने विभिन्न राज्यों, जहां धनलक्ष्मी स्कीम कार्यान्वित की गई है, में सर्वेक्षण का कार्य जारी रखा है और पूर्व में की गई डेस्क समीक्षा के अनुपूरण के लिए स्कीम के लाभार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित प्रारंभिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। मंत्रालय और योजना आयोग की फीडबैक को शामिल करने के बाद इस अध्ययन का और अधिक परिमार्जन किया जाएगा।

विकास आयोजना में लैंगिक समानता और बाल–केन्द्रित आयोजना

4.35.32 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के संबंध में पूर्ववर्ती योजनाओं में कल्याण से विकास की ओर बदलाव आया है।

बाल–केन्द्रित आयोजना

4.35.33 बारहवीं योजना में हमारे समाज के सभी वर्गों के बच्चों की जरुरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसे मानव विकास की बुनियादी के रूप में तथा अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में बच्चों के उत्तरजीवन, विकास, संरक्षण और भागीदारी संबंधी अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय ने बच्चों के लिए राष्ट्र कार्रवाई योजना (एनपीएसी, 2013) का मसौदा तैयार किया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के संदर्भ में इसकी जांच की गई थी। एनपीएसी के परिमार्जन के लिए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के साथ आगे विचार किए जाने हेतु उठाए जाने वाले मुद्दों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे– 12वीं योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य के साथ संरेखण की आवश्यकता, हिंसा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, राज्य और जिला स्तरों पर ध्यान केन्द्रित करने की जरुरत, असुरक्षित बालिकाओं के लिए लक्षित अंतःक्षेप, विभिन्न विधिक हकदारियों और सेवाओं को ध्यान में रखने की जरुरत तथा सेवाओं की प्रदायगी को परिणाम संकेतकों के साथ जोड़ना।

लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना

4.35.34 लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाने और महिलाओं संबंधी एजेंसी दृष्टिकोण, जिसे ग्यारहवीं योजना में शुरु किया गया था, को बारहवीं योजना में जारी रखा गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना विकास, शहरी विकास की सुलभता को सुधारने हेतु कार्यक्रम, हालांकि, लैंगिक दृष्टि से निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, तथापि, महिलाओं के भिन्न जीवन अनुभवों, अपेक्षाओं, सामाजिक–आर्थिक प्रेरकों और प्राथमिकताओं के मद्देनजर, इन कार्यक्रमों का महिलाओं पर प्रायः भिन्न प्रभाव पड़ता है। बारहवीं योजना इस तथ्य को संज्ञान में रखती है कि नीतियों और कार्यक्रमों का पुरुषों और महिलाओं पर भिन्न प्रभाव पड़ता है और शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ बनाने और लैंगिक दृष्टि से उत्तरदायी बजट निर्धारण प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों से, योजना प्रक्रिया में लैंगिक समानता आधारित बजट निर्धारण प्रक्रिया और लैगिंक मूल्यांकन परिणामों को एकीकृत करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। राज्यों से, समावेशन सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए योजना आयोग के नारीवादी अर्थशास्त्रियों के समूह की तरह नारीवादी अर्थशास्त्रियों के समूह गठित करने का भी अनुरोध किया गया था।

4.35.35 प्रभाग ने, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाने की कार्रवाई के अगले चरण के रूप में भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों की लैंगिक लेखापरीक्षा पर प्रस्तावित दिशानिर्देशों की भी जांच की। इन दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा मार्च, 2012 में गठित किए गए कार्यदल की सहायता से तैयार किया गया है। उनके द्वारा तैयार किए गए लैंगिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील मानदंड, जांचसूची और लेखापरीक्षा मैट्रिक्स के साथ संकेतकों का विकास करने हेतु विस्तृत क्रमबद्ध साधन और तकनीकें उपलब्ध कराते हैं। यह कार्यक्रमों/स्कीमों की लैंगिक लेखापरीक्षा शुरु करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। लैंगिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का पशुपालन, डेयरी विकास और मात्यिकी विभाग की डेयरी उद्यमशीलता स्कीम पर एक प्रायोगिक अध्ययन के साथ फील्ड में परीक्षण किया गया है।

4.35.36 प्रभाग ने, राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए लैंगिक समानता वाली बजट निर्धारण प्रक्रिया पर आईआईपीए, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण और सुग्राह्यता कार्यशाला में भी भाग लिया।

बहु–क्षेत्रकीय अभिसारी कार्रवाई सांचे (मैट्रिक्स) को आगे बढ़ाना

4.35.37 चूंकि लिंग, बच्चे और पोषण संबंधी मुद्दे सभी

क्षेत्रकों के लिए प्रासंगिक हैं, इसलिए, 12वीं योजना के बच्चों, महिलाओं और पोषण से संबंधित अध्याय में उल्लिखित बहु–क्षेत्रकीय कार्रवाइयों की मैट्रिक्स को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में पहचाना गया है और इसे आरएफडी चर्चाओं के दौरान क्षेत्रकों/संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है ताकि इसे परिणामों की जवाबदेही के साथ उनके आरएफडी में शामिल किया जा सके। यह, विकास में लैंगिक समानता लाने, इसे और अधिक बाल–केन्द्रित बनाने तथा आरएफडी प्रक्रियाओं के उपयोग से पोषण पर सुदृढ़ रूप से ध्यानकेन्द्रित करने की दिशा में एक उत्तम कदम था।

बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का समाधान करना:

4.35.38 बारहवीं योजना में लिंग आधारित असमानताओं, भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने को अधिभावी प्राथमिकता दी गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने सार्वजनिक और निजी, दोनों कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक प्रमुख चुनौती के रूप में समाधान किया है। सार्वजनिक और निजी कार्यक्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को हिंसा और यौन उत्पीड़न से बचाने की जरुरत का समाधान करने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक कानून पारित किए गए हैं। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया है और किया गया सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आईपीसी के तहत, बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। महिला और बाल विकास क्षेत्रक की स्कीमों के संबंध में राज्य योजना चर्चाओं, 2014 के दौरान न्यायमूर्ति लीला सेठ ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति, जिसकी वे सदस्या थीं, की रिपोर्ट के संदर्भ में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे पर भागीदारों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं साझा कीं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, समग्र सुझाव भी शामिल थे जिनमें से कुछ आपराधिक न्याय अधिनियम के दायरे से परे थे। यह रिपोर्ट महिलाओं का लुक–छिपकर पीछा करने, एसिड अटैक, दृश्यरतिकता, एएफपीएसए के दुरुपयोग, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और वैवाहिक बलात्कार के मुद्दों को सामने लाई है। यह रिपोर्ट दंड के अत्यंत कड़े रूप यथा फांसी अथवा रासायनिक बधियाकरण के पक्ष में नहीं थी। वर्मा समिति की सिफारिशें यौन उत्पीड़न के मामले में लिंग–तटस्थता की बजाय लिंग–विशिष्ट थी। इसमें, 16–18 वर्षों के आयु–वर्ग में सहमति–जन्य यौन कार्यकलाप का अपराधीकरण न करने का उचित ध्यान रखा गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विवाह के अंतर्गत चरण यौन हिंसा के मामलों, जिन्हें प्रमाणित करना कठिन है, के संबंध में समर्थकारी उपबंध उपलब्ध कराने में समिति कुछ असमंजस में थी। समिति के विचार में यह उपबंध, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह की संस्था को अस्थिर नहीं बनाएगा। समिति को मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की राह की अड़चनों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने सहमति की आयु को 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष करने, यौन हिंसा आदि के मामलों में दंड की सीमा के संबंध में भागीदारों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का भी तत्परता से उत्तर दिया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यालयों/असंगठित क्षेत्रकों के लिए शिकायतों का नियत समय में समाधान करने हेतु आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर वे दण्ड के भागी होंगे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाता है। इन अपराधों को कानून में पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम कठोर दंडों का प्रावधान करता है जिन्हें अपराध की गंभीरता के अनुसार श्रेणीकृत किया गया है। 12वीं योजना में यह सिफारिश की गई है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) और दहेज निषेध अधिनियम (डीपीए) के कार्यान्वयन को, इस प्रयोजनार्थ एक नई स्कीम के तहत सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के साथ–साथ पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक दहेज निषेध

अधिकारियों की नियुक्ति की मदद से सुधारा जाएगा। नई पहलों यथा प्रतिकूल और तेजी से गिरते बाल लिंग अनुपात का समाधान करने हेतु बालिका–विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना, आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक, चिकित्सा और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक छत के नीचे संकटकालीन केन्द्रों तथा महिला हेल्पलाइन को कार्यान्वित किया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता के साथ–साथ सहायक सेवाओं के माध्यम से पुनरुद्धारक न्याय प्रदान करने की स्कीम को बारहवीं योजना में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रभाग ने, इनमें से तैयार की जा रही कुछ स्कीमों की रूपरेखा तैयार करने हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ सदस्य स्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से, महिलाओं के संरक्षण और अधिकारिता हेतु अंब्रैला स्कीम अर्थात साहसस्कीम को सुव्यवस्थित करने के मामले पर मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

4.35.39 महिला और बाल विकास मंत्रालय को अविवाहित महिलाओं और विधवाओं सहित सबसे कमजोर समूहों से संबंधित महिलाओं की चिंताओं का समाधान करने वाली स्कीमें तैयार करने के लिए केन्द्रीय बजट 2013–14 में 200 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई थी। योजना आयोग ने अविवाहित और निस्सहाय महिलाओं सहित कमजोर और उपेक्षित महिलाओं के लिए एकीकृत आश्रय/घर के निर्माण संबंधी स्कीम पर अपने सुझाव भी दिए हैं। सरकार के 1000 करोड़ रु. के अंशदान के साथ निर्भया कोष भी स्थापित किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने निर्भया कोष से वित्तपोषित की जाने वाली प्रासंगिक स्कीमों की पहचान करने के संबंध में योजना आयोग से अनुरोध किया था। योजना आयोग ने व्यापक कार्यनीति, जिसमें निवारण, संरक्षण, प्रतिक्रिया, पुनरुद्धारक न्याय और पुनःएकीकरण शामिल है, के साथ निर्भया कोष के प्रचालन हेतु अंतक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने में भी योगदान दिया है। निर्भया कोष के तहत निवारण, संरक्षण, पुनरुद्धारक न्याय और पुनर्वास के कार्यनीतिक क्षेत्रों को कवर करने वाले अंतःक्षेपों की सूची को डब्ल्यूसीडी प्रभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अंतःक्षेपों की सूची के साथ–साथ कोष के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा परिचालित किया था जिसमें निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित की जाने वाली स्कीमों के संबंध में अनुमोदन और धनराशि जारी करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई थी। योजना आयोग ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी भाग लिया जिसमें मंत्रालयों/विभागों ने निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण हेतु विचार करने के लिए कुछ स्कीमें प्रस्तुत की तथा कोष की संरचना, कार्यक्षेत्र और प्रयोग के बारे में विचार–विमर्श किया। तत्पश्चात, इस कोष के प्रचालन हेतु प्रारुप दिशानिर्देशों तथा त्वरित अल्पकालिक प्रभाव संबंधी प्रायोगिक हेतु सुझाव भी वित्त मंत्रालय को भेजे गए। इस कोष को फिलहाल योजना आयोग और उपर्युक्त मंत्रालयों के साथ–साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। निर्धारित समय–सीमाओं और स्पष्ट परियोजना सुपुर्दगी ढांचे के साथ विशिष्ट परियोजनाओं के समर्थन हेतु निर्भया कोष के प्रचालन के लिए योजना आयोग के सुझाव वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किए गए। केन्द्रीय बजट 2014–15 में की गई घोषणा के अनुसार 1000 करोड़ रु. के अव्यपगत अनुदान के साथ निर्भया कोष के लिए निधि की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले 2 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है जिन्हें निर्भया कोष से वित्तपोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2014–15 में 1000 करोड़ रु. की राशि पुनः प्रदान की गई है। प्रभाग ने महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के शुभनामक प्रस्ताव को निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित करने के संबध में भी अपनी टिप्पणियां उपलब्ध करायी थी।

4.35.40 जन आंदोलन के मार्फत, अग्रवर्ती कामगारों, स्वयंसेवकों और समुदाय के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों का समाधान करने के लिए समर्थकारी माहौल सृजित करने हेतु डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा ''अहिंसा मैसेंजर'' को पंचायती राज संस्थाओं, सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाले कामगारों यथा आशा और एडब्ल्यूडब्ल्यू, 'सबला' और 'सक्षम' के लाभार्थियों को लक्षित करने की जरुरत है।

4.35.41 महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रशासनिक उपायों की जांच करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति गठित की गई थी। यह देखते हुए कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के किशोरावस्था संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अभिसरण की गुंजाइश है, मंत्रिमंडल सचिव ने योजना आयोग से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के किशोरावस्था संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अभिसरण की गुंजाइश पर चर्चा करने के लिए डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवृत्त, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिशें भी शामिल थी, परिचालित किया गया था। इनमें से एक सिफारिश, किशोर और प्रजनक यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (एआरएसएच) को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने से संबंधित थी। बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, किशोर और प्रजनक यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (एआरएसएच) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नोट को परिचालित किया गया है। इस बैठक में 'सबला' स्कीम के संदर्भ में कुछ प्रासंगिक सुझाव भी प्राप्त हुए। भेदभाव, दुर्व्यवहार और हिंसा की सूचना देने तथा घरेलू हिंसा को चुनौती देने से संबंधित प्रकरण अध्ययनों के माध्यम से, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध पर ध्यान केन्द्रित करने की जरुरत है। व्यावसायिक प्रशिक्षण घटक के तहत सबला समूह द्वारा 'सैनीटरी नैपकिन' तैयार करने और किशोरियों को इनकी आपूर्ति करने के विकल्प की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। सबला बालिकाओं को इसी मंच से सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। एआरएसएच को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्कूल की लड़कियों के लिए चलाए जा रहे आईएफए के साप्ताहिक आयरन पूरक कार्यक्रम के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। लड़कियों की देखभाल में लगी लड़कियां भी रक्ताल्पता का शिकार हो सकती हैं। इसे सबला बालिकाओं को स्कूली लड़कियों के साथ संवाद स्थापित करने तथा एआरएसएच के साथ जोड़ने के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बारहवीं योजना में स्कीम को पुनरीक्षित करते समय भी इन सिफारिशों को उठाने का सुझाव दिया गया था।

बारहवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकनः

4.35.42 प्रभाग ने मध्यावधि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है। मध्यावधि मूल्यांकन वाला एक आधार–पत्र तैयार किया गया था जिसमें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। डॉ. सईदा हमीद ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक 9 दिसम्बर, 2009 तथा 12 मार्च, 2014 को ली। बैठक में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में महिला बाल विकास में प्रगति तथा मध्यावधि मूल्यांकन की रूपरेखा पर सुझाव मांगे गए। बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अनुवीक्षणीय सूचकों की उपलब्धि की दृष्टि से, परिणामों की तुलना में प्रगति की समीक्षा करने की ज़रूरत है।

4.35.43 पोषण परिणामः तीन वर्ष तक की उम्र के बच्चों में अल्पपोषित बच्चों की संख्या में, एनएफएचएस–3 स्तरों के आधे की कमी लाना 12वीं पंचवर्षीय योजना

का एक मुख्य अनुवीक्षणीय सूचक है। फिलहाल, मध्यावधि मूल्यांकन के लिए, अल्पपोषित बच्चों का आकलन करने के लिए संभावित डेटा स्रोतों का पता लगाया जा रहा है/संकलन किया जा रहा है। भारत सरकार ने ''उम्र के अनुसार वज़न'' को मुख्य सूचक के तौर पर अपनाया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) डेटा का उपयोग पोषण स्थिति संबंधी सूचना, जो वार्षिक आधार पर उपलब्ध नहीं है, के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगले दौर के लिए प्रस्तावित एनएफएचएस–IV, 2015 तक उपलब्ध हो जाएगा। डीएलएचएस–IV दौर तथा एएचएस का पोषण संघटक डेटा इस वर्ष के अंत तक प्राप्त होने की संभावना है। डीएलएचएच–IV ने दस राज्यों के लिए पोषण स्थिति संबंधी डेटा हाल ही में उपलब्ध कराया है। एनएफएचएस डेटा के अलावा, आईसीडीएस डेटा को, ख़ासकर बाल कुपोषण संबंधी सार्थक आंकड़ा जुटाने के विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है।

4.35.44 इन मुद्दों पर विचार के लिए, योजना आयोग में प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप बनाया गया था ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुपोषण संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके तथा डेटा अपेक्षा और डेटा उपलब्धता संबंधी बेसलाइन नोट तैयार किया जा सके। कोर ग्रुप की बैठकों के माध्यम से यह बात सामने आई कि आईसीडीएस प्रशासनिक डेटा ख़ासकर बाल कुपोषण संबंधी सार्थक आंकड़े प्राप्त करने का एक भरोसेमंद स्रोत हो सकता है, बशर्ते एक फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से इसकी वैधता की जांच कर ली जाए। तदनुसार, आईसीडीएस डेटा की वैधता के मुद्दे के समाधान के लिए, पीईओ/आरईओ के माध्यम से, कहीं से भी चुने गए एडब्ल्यूसी का परीक्षण जांच अध्ययन की रूपरेखा कोर ग्रुप द्वारा तैयार की गई। प्रभाग ने आरईओ/पीईओ के अधिकारियों के लिए दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली में तैयार किया तथा दिल्ली के ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में आंगनवाड़ियों का दौरा करवाया गया ताकि वे योजना आयोग द्वारा किए गए आईसीडीएस डेटा सत्यापन का अध्ययन करने के लिए आगनवाड़ियों द्वारा जुटाए गए आईसीडीएस डेटा की सरसरी तौर पर जानकारी ले सकें।

4.35.45 महिला और बाल विकास प्रभाग ने पोषण संबंधी डेटा के मुख्य स्रोतों पर भी एक पत्र तैयार किया जिसमें अन्य के साथ–साथ कार्यक्रम डेटा (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या जनगणना/सर्वेक्षणों से सृजित डेटा) शामिल था। बाल कुपोषण के संबंध में बारहवीं योजना के अनुवीक्षणीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर हुई प्रगति के आकलन के लिए पोषण संबंधी ठोस डेटा जुटाने की नितान्त आवश्यकता के समाधान के लिए, मध्यावधि मूल्यांकन हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पोषणगत अनुवीक्षणीय लक्ष्य हेतु तकनीकी नोट तैयार किया गया। इस नोट में, 12वीं योजना के अनुवीक्षणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर हुई प्रगति के आकलन के लिए पोषणगत डेटा की आवश्यकता पर बल दिया गया। जो डेटा स्रोत आकलन के लिए अधिक प्रासंगिक हैं, उन पर बल दिया गया है और स्वतंत्र रूप से प्रतिदर्श फ्रेमवर्क के साथ किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और कार्यक्रम सेवा प्रदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। 12वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए बाल पोषण संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, तकनीकी नोट में मुद्दों और कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

4.35.46 सहायता–प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी क्लिनिकों तथा सहायता–प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी बैंकों के कामकाज को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव की महिला और बाल विकास विभाग में जांच की गई है जिसमें सहायता–प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक, 2013 के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रार्थित है। ऐसा महसूस किया

गया है कि विधेयक को लेकर कुछ चिंताएं हैं जिनके कारण ही विधेयक का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने से पूर्व, सभी पक्षों की राय भी लिए जाने की ज़रूरत है। इन पक्षों में गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, एनसीपीसीआर तथा महिला समूह/अधिकार संगठन, स्वास्थ्य नेटवर्क, बाल अधिकार संगठन शामिल हैं। इन मुद्दों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की टिप्पणियां स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य प्रभाग के माध्यम से भेजी गई थीं। योजना आयोग की सदस्या (स्वास्थ्य) ने सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी विधेयक संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 फरवरी, 2014 को योजना भवन में एक बैठक ली थी।

4.35.47 योजना आयोग की सदस्या ने यात्रा के दौरान माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शबीर अहमद खार और राज्य समाज कल्याण मंत्री सुश्री सकीना इतू से मुलाकात की। एक बैठक राज्य के मुख्यमंत्री श्री खांडे, राज्य सचिवों तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आयोजित की गई ताकि 2011 के दौरे के बाद अवगत कराए गए निर्णयों का अनुवर्तन किया जा सके और हाल के फील्ड दौरों के निष्कर्षों को साझा किया जा सके। यात्रा में, नकली दवाओं से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई तथा खासकर नवजातों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य, संरक्षण तथा देखभाल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से जारी पहलों की समीक्षा भी की।

4.35.48 उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के अवसंरचना पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए, उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाक़ों के परिवारों को तत्काल सहायता देने के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला) तथा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) के कार्यान्वयन को उत्तराखंड के अन्य ज़िलों में भी लागू करने के महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव का योजना आयोग में विचाराधीन प्रस्ताव के तहत समर्थन किया गया। इसके अलावा, सीएसएस स्कीमों के दिशानिर्देशों में ढील देने पर भी विचार किया गया ताकि एडब्ल्यूसी से सर्वाधिक पीड़ित ज़िलों में पुनर्निर्माण की ज़रूरत को पूरा किया जा सके।

4.35.49 योजना आयोग के सदस्य (अल्पसंख्यक) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई ताकि बहु–क्षेत्रक अंतःक्षेपों से जुड़े मुद्दों की तत्काल पहचान की जा सके तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के संबंध में महिला तथा बाल विकास प्रभाग ने सुझाव दिया कि मानदंडों के अनुसार, आंगनवाड़ियों में से कम से कम 5 प्रतिशत को एडब्ल्यूसी–सह–क्रैच में तब्दील कर दिया जाए जिसके लिए एनजीओ को आउटसोर्स किया जा सकता है। यह सुझाव भी दिया गया कि क्रैचों के अलावा, नए एसीए खोले जाएं तथा उन्हें गैर–सरकारी संगठनों को सौंप दिया जाए। यह सिफारिश भी की गई कि दंगापीड़ित इलाक़ों में फ्लैगशिप कार्यक्रमों को मज़बूत किया जाए। कमज़ोर सामुदायिक समूहों का सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए आगामी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा) में अंतःक्षेप की ज़रूरत है। उदाहरणार्थ, विनाशकारी घटनाओं को शामिल करने के लिए लघु आंगनवाड़ी केंद्रों–सह–क्रैचों के लिए संसाधनों, स्वास्थ्य तथा पोषण उपलब्धता सत्रों, मातृत्व तथा बालचर्या के लिए परामर्श को उत्तर प्रदेश राज्य तथा वार्षिक योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम में सर्वेक्षण तथा आवश्यकता आकलन पर आधारित आईसीडीएस के लिए शामिल किए जाने की ज़रूरत है।

4.35.50 योजना आयोग की सदस्या (स्वास्थ्य तथा डब्ल्यूसीडी) डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद की अध्यक्षता में, मातृत्व तथा बाल पोषण, 2013 संबंधी लैंसेट श्रृंखला पर

एक चर्चा 19 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई ताकि हाल ही में जारी की गई मातृत्व तथा बाल पोषण संबंधी लैंसेट श्रृंखला, 2013 के बारे में प्रमुख स्वास्थ्य तथा पोषण विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

4.35.51 प्रभाग ने महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण स्कीमों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जिनमें औद्योगिक जनशक्ति अनुसंधान (आईएएमआर) के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए मौजूद अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र पर विशेष बल दिया गया। प्रभाग ने भारत सरकार के आईटीईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुवीक्षण और मूल्यांकन संबंधी तीन माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम 7 नवम्बर, 2013 से 30 जनवरी, 2014 तक आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित था।

4.35.52 देश भर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन सुदृढीकरण, गुणवत्ता संवर्द्धन तथा अनुवीक्षण हेतु मुख्य कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए डॉ. सईदा हमीद और डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता/सह–अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक अगस्त, 2013 में आयोजित की गई थी। इसके अलावा, प्रभाग ने निम्नांकित में भी हिस्सा लिया: पूर्ण मातृत्व लाभ–एनएमईडब्ल्यू/एमडब्ल्यूसीडी, जुलाई 2013; एनआईपीसीसीडी में आईसीडीएस प्रशिक्षण परामर्श; 8 मार्च, 2014 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एनएमईडब्ल्यू/एमडब्ल्यूसीडी के साथ मिलकर 'समेकित कार्रवाई–महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक' विषयक परामर्श; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के 7वां स्थापना दिवस पर 'सड़क से स्कूल तक'; दो दिवसीय राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार सम्मेलन, 18–19 फरवरी, 2014; दो दिवसीय 'बिना शर्त नकद अंतरण: दो प्रायोगिक अध्ययनों के निष्कर्ष' विषयक सम्मेलन, 30–31 मई, 2013; 'ट्रांस डिसीप्लीनरी पर्सपेक्टिव्स टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट' विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, 2–4 अप्रैल, 2014 – जामिया मिलिया इस्लामिया।

4.35.53 चीन की महिला अधिकारवादी अर्थशास्त्रियों के एक दल ने 13 नवम्बर, 2013 को योजना आयोग का दौरा कर योजना आयोग की सदस्या डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाक़ात की। शिष्टमंडल ने भारत में आयोजना प्रक्रिया तथा ख़ासकर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुख्यधारा में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति काफी दिलचस्पी दिखाई।

4.35.54 फ्रांस की महिला अधिकार मंत्री तथा सरकारी प्रवक्ता सुश्री नजत वेलॉद–बेकासेम के नेतृत्व में फ्रांस के एक शिष्टमंडल ने योजना आयोग की सदस्या डॉ (सुश्री सईदा हमीद) से 28 अक्टूबर, 2013 को मुलाक़ात की। शिष्टमंडल में माननीया मंत्री के कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ सुश्री एनी रूबिंस्टन, राजनयिक सलाहकार सुश्री शिराज गासरी तथा सामाजिक मामलों के परामर्शदाता श्री रुडोल्फ मॉनेट शामिल थे। मुलाक़ात के दौरान, शिष्टमंडल ने भारतीय आयोजना प्रक्रिया तथा ख़ासकर महिलाओं और बच्चों को दिए जा रहे महत्व के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई।

4.35.55 योजना आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में 23–25 अक्टूबर, 2013 को आयोजित ''एशिया और प्रशांत में बाल अधिकारों के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग'' विषयक द्वितीय उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार के शिष्टमंडल के सदस्य तथा परिणामी दस्तावेज की मसौदा समिति के सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 30 से ज्यादा सरकारों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिन्हें बाल अधिकारों को बढ़ावा देने संबंधी सर्वोत्तम व्यवहारों, सीखे गए सबकों तथा अंतर–देशीय अनुभव को जानने का अवसर मिला। बैठक के लिए चिह्नित तीन विशेष विषयों में शामिल हैं–(i) बाल्यकाल विकास के लिए प्रारम्भ से ही बाल अधिकारों की पूर्ति, (ii) किशोर–भावी अवसरों के लिए मौजूदा अधिकार तथा (iii) शहरी व्यवस्था में बाल–अधिकार। नई दिल्ली

घोषणापत्र को 33 देशों ने अंगीकृत किया जिससे इन क्षेत्रों में बाल अधिकारों के लिए एक नई राह बनी।

4.35.56 प्रभाग ने जकार्ता, इंडोनेशिया में 14–16 मई, 2013 तक तीन दिन की क्षमता विकास कार्यशाला में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यशाला को एशियाई विकास बैंक ने बीपीएस स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया के साथ मिलकर प्रायोजित किया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण करने के लिए रीजनल वुलनरैबिलिटी असेसमेंट एंड मैपिंग कार्यशाला का 05–07 फरवरी, 2014 को आयोजन किया जिसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के एशिया में बैंकाक स्थित क्षेत्रीय ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। प्रभाग ने भूटान में थिम्फू में 21–23 अगस्त, 2013 को आयोजित दक्षिण एशियाई देशों में महिला तंत्र परामर्श विषयक द्वितीय मिशन में हिस्सा लिया।

4.36 प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

4.36.1 प्रशासन

1. योजना आयोग को भारत सरकार के विभाग का स्तर दिया गया है, अतः भारत सरकार के नोडल विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी अनुदेश और प्रावधान जो विभिन्न सेवा नियमावली के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रखे गये हैं, वे ही योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सामान्य रूप से प्रशासन इन दिशा निर्देशों और विभिन्न सेवानियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग यहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गम्भीर है और इस संबंध में समय–समय पर उचित कदम उठाता रहता है। साथ ही में, प्रशासन अपने स्टाफ की संख्या को युक्तिसंगत करने की आवश्यकता पर भी ध्यान देता रहता है और इस संबंध में विवेक के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को सिविल पदों की सीधी भर्ती के लिए लागू करता है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर अनुसंधान छात्रों के लिए प्रशिक्षु स्कीम भी आरंभ की है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके।

4.36.2 कैरियर प्रबंधन कार्यकलाप

वित्त वर्ष 2013–14 (अप्रैल से मार्च) के दौरान 60 अधिकारियों को अंतर राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों बैठकों आदि में योजना आयोग भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतर राष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी), स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट कोआपरेशन एजेन्सी (एसआईडीए) आदि द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष, योजना आयोग के 12 विदेश दौरों, महानिदेशक, स्वतन्त्र मूल्यांकन कार्यालय के 2 विदेशी दौरों, प्रधानमंत्री की ई.ए.सी. के सचिव के 02 विदेशी दौरे और योजना आयोग के सदस्यों द्वारा 32 दौरों संबंधी प्रस्तावों पर भी कैरियर प्रबंधन डेस्क द्वारा कार्रवाई की गई।

2. इस अवधि के दौरान, बीच के स्तर के 24 मध्यस्तरीय अधिकारयों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशालाओं सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा गया। योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के आई.ए.एस., आई.ई.एस., आई.एस.एस., जी.सी.एस., पुस्तकालय स्टाफ आदि के लगभग 54 अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आर्थिक कार्य विभाग, सांख्यिकी विभाग, एनएसीएलआईएन, जयपुर आईएएसएलआईसी, पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा, सी.एस.एस., सी.एस.सी.एस. और सी.एस.एस.एस.के लगभग 48 अधिकारियों स्टाफ को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

3. उक्त अवधि के दौरान योजना आयोग ने (i) रक्षा प्रबंधन कालेज सिकन्दराबाद के 29 अधिकारियों के लिए उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी) (ii) राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला के 22 प्रशिक्षु अधिकारियों और भारतीय लागत लेखा (आईसीएस) के 9 अधिकारियों के समूह के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम आयोजित किया।

4.36.3 संगठन एवं पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

अवधि	शुरू की गई गतिविधियां
2013–14	संगठन एवं पद्धति तथा समन्वय कार्य 1. संगठन एवं पद्धति तथा समन्वय कार्य वर्ष 2012–13 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के सभी 15 फील्ड कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। 2. विभिन्न आवधिक विवरणियों का मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि के लिए संकलन/समेकन और प्रस्तुतीकरण। 3. एक नए प्रभाग यानि राष्ट्रीय डेटा भागीदारी और सुलभता नीति (एनडीएसएपी सैल) सृजित किया गया है। 4. <u>लोक/स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र:</u> योजना आयोग अपने दिन – प्रतिदिन के कामकाज में जनता के साथ कोई पारस्परिक संवाद नहीं करता है। फिर भी, आयोग ने जनता और कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार एक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। स्टाफ की शिकायतों से निपटने वाले अधिकारियों के पास कर्मचारी जा सकते हैं, जो उनकी शिकायतों को सुनते हैं और ऐसी शिकायतें तत्काल दूर की जाती हैं। 5. यू.आई.डी.ए.आई. के अनुसार योजना आयोग में शुरू की गई आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली (एबीबीएएस) कार्यान्वित की गई। 6. योजना भवन में आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किया गया जो आम जनता के लिए खुला है। इससे ने केवल योजना आयोग के कर्मचारियों और उनके मित्रों तथा परिवार के सदस्यों बल्कि बाहर के लोगों की भी मदद हुई है। केंद्र सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। 7. एन आई सी की योजना भवन यूनिट के सहयोग से एक नया साफ्टवेयर ईबिल नामक कार्यक्रम विकसित किया गया। ईबिल आनलाइन प्रणाली कर्मचारियों को विभिन्न बिलों अर्थात, चिकित्सा बिल, समाचारपत्र बिल, टेलीफोन बिल, एल.टी.सी. दावों आदि की स्थिति का पता लगाने में सहायता करती है। 8. एन आई सी की योजना भवन यूनिट के सहयोग से ऑनलाइन समिति कक्ष बुक करने की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न समिति कक्षों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूरी सूचना, प्रत्येक समिति कक्ष की क्षमता समिति कक्ष की ऑनलाइन बुकिंग, आतिथ्य और अन्य प्रबन्धों के लिए ऑनलाइन अनुरोध करना आदि इस प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषतांए हैं। इस प्रणाली से विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें आतिथ्य पर हुआ खर्च भी शामिल है।

4.36.4 हिंदी अनुभाग

हिंदी अनुभाग ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी में अधिकाधिक प्रयोग के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के कार्यान्वयन के लिए, हिंदी अनुभाग में एक संयुक्त निदेशक, दो सहायक निदेशक, चार वरिष्ठ अनुवादक, दो कनिष्ठ अनुवादक तथा एक सहायक का स्वीकृत पद हैं।

विभिन्न दस्तावेज़ों/कागजातों के अनुवाद के अतिरिक्त, यह प्रभाग योजना आयोग तथा इसके क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने विभिन्न दस्तावेज़ों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, आउटकम बजट, जनता के लिए रिपोर्ट, अनुदान मांगे, वार्षिक योजना, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, संसद प्रश्नों, मानकों प्रपत्रों/मसौदों, पत्रों इत्यादि का अनुवाद किया। योजना आयोग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए।

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जा रहे हैं। क, ख और ग क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार सुनिश्चित करने के प्रयोजन से योजना आयोग में पहचान किए गए जांच–बिंदुओं के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेशों/निदेशों को आयोग के सभी अनुभागों तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को अग्रेषित किया गया तथा उनके अनुपालन हेतु निदेश जारी किए गए।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) सलाहकार (रा.भा.) की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। समिति समय–समय पर हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करती है तथा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती हैं तथा आवश्यक सुझाव देती है। समिति की नियमित बैठकें की जाती हैं तथा आयोग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से करने के निदेश दिए गए हैं।

3. हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा लागू की गई टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया । योजना के अंतर्गत 2000/– रु. प्रत्येक के दो प्रथम पुरस्कार, 1200/– रु. प्रत्येक के तीन द्वितीय पुरस्कार तथा 600/– रु. प्रत्येक के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

4. हिंदी में डिक्टेशन के लिए नकद पुरस्कार योजना

अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने की एक प्रोत्साहन योजना चलन में है। इस योजना के अंतर्गत 2000/– रु. प्रत्येक के दो नकद पुरस्कार (एक हिंदी भाषी तथा अन्य हिंदीतर भाषी अधिकारियों हेतु) देने का प्रावधान है।

5. हिंदी पखवाड़ा

योजना आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय गृह मंत्री और मंत्रिमंडल सचिव से प्राप्त संदेशों को योजना आयोग के अनुभागों, अधिकारियों तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। हिंदी पखवाड़ा, जो 13 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2013 के दौरान मनाया गया, के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध, हिंदी टंकण, हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पण/आलेखन तथा हिंदी सामान्य ज्ञान आयोजित की गई। आयोग के मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

6. हिंदी कार्यशालाएं

हिंदी में अधिक से अधिक काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए योजना आयोग में 27 सितम्बर, 2013 को एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

7. हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़ का 22 मई, 2013 को निरीक्षण किया गया तथा 23 और 24 मई, 2013 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई।

4.36.5 पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र

योजना आयोग के ज्ञान एवं सूचना केन्द्र की हैसीयत से पुस्तकालय एवं दस्तावेजन केंद्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्टर्स आदि योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों के उपलब्ध कराता है। यह संदर्भ सेवा और उधार सुविधा पुस्तकालय के सदस्यों को उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय योजना आयोग के इन्टरनेट पर विभिन्न प्रकार के डेटाबेस भी उपलब्ध कराता है। कर्मचारियों को आंतरिक रूप से परामर्श सुविधा भी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ नामांकित शोध छात्रों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के माध्यम से प्रदान की गई।

2. पुस्तकाल के भण्डार में लगभग 2 लाख पुस्तकें, रिपोर्टर्स, बाउंड वोल्यूम जर्नल्स तथा श्रव्य – दृश्य आइटम्स उपलब्ध हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 187 पत्रिकाएं हिन्दी और अंग्रेजी में आती हैं। वर्तमान पुस्तकालय में विश्व बैंक ई–पुस्तकालय, इंडिया स्टैट, इण्डिया इन्फ्रामानीटर और न्यूजपेपर्स डाइरेक्ट का डेटाबेस है। पुस्तकालय इनफलिबनेट डिजिटल पुस्तकालय, ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउन्डेशन और आईएमएफई पुस्तकालय डाटा बेस की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। पुस्तकालय के सदस्यों को जर्नल्स की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पुस्तकालय लिब्सिज लिमिटेड के सॉफ्टवेयर लिब्सिज प्रिमा के माध्यम से पूरी तरह ऑटोमेटिड (स्वचालित) की गई है।

3. पुस्तकालय निम्नलिखित प्रकाशन भी निकालता है:

(i) **डॉकप्लान:** इसमें रचनाओं के उद्धृण होते हैं, जो योजना आयोग में प्राप्त पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। (मासिक)

(ii) **हाल ही में शामिल की गई नई सूची:** इसमें पाठकों के लिए पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों/जोड़े गए दस्तावेजों की सूची के ब्यौरे शामिल हैं। (मासिक)

(iii) **ई–न्यूज क्लिपिंग:** इसमें योजना आयोग से संबंधित और समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों पर प्रकाशित समाचार शामिल हैं। (दैनिक)

(iv) **बुक अलर्ट:** इसमें पुस्तकालय में नई खरीदी गई पुस्तकों के आवरण पृष्ठ के चित्र और संक्षिप्त सार शामिल होता है। (मासिक)

(v) **ई–बुक अलर्ट:** इसमें हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ई–पुस्तकों

संबंधी जानकारी होती है जो उनके डाटाबेस से ली गई होती है। (मासिक)

(vi) **ई–बुक:** यह हाल ही में जारी इलेक्ट्रानिक पुस्तकों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है जो निःशुल्क उपलब्ध है। (मासिक)

(vii) **विषयसूची तालिका:** इसमें पुस्तकालय द्वारा मंगाई जाने वाली पत्रकिाओं में प्रकाशित लेखों के शीर्षक शामिल हैं। (मासिक)

4. रिपोर्ट की अवधि में (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक) 1499 पुस्तकें, संग्रह में शामिल की गई। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 187 पत्रिकाएं प्राप्त हुई। पुस्तकालय ने 4500 संदर्भ पूछ–ताछों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है तथा पाठकों की विशिष्ट जरूरतों का भी ध्यान रखा है। संदर्भ कार्य और परामर्श के लिए लगभग 8000 पाठकों ने पुस्तकालय का दौरा किया।

4.36.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–योजना भवन एकक

सरकार में प्रत्येक विभाग को क्षमता के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को और अधिक अच्छे रूप में पूरा किया जा सके तथा सुधार के साथ सेवाएं दी जा सकें, जिन्हें आई.सी.टी. के माध्यम से पूरा किया जा सकता है तथा इसे उस मंत्रालय विभाग की संबंधित एन.आई.सी. द्वारा ही उपलब्ध कराया जा सकता है। आई.सी.टी. के बदलते हुए प्रतिमानों के साथ योजना आयोग की एन.आई.सी. सैल योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की अलग–अलग आवश्यकताओं को पूरा करने का सतत प्रयास करती है। आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकीय समाधान एवं सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने के नाते अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज बैक–अप सेवा नेटवर्क संबंधित सूचना प्रणाली (एमआईएस) आवश्यकताओं के अनुसार डेटाबेस विकास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों, अवसंरचना सचिवालय (एस.ओ.आई.), सूचना अवसंरचना और नवप्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण की एन.आई.सी. एकक की देख रेख भी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा की जा रही है। योजना भवन इकाई योजना भवन में ही स्थित है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान इसके द्वारा शुरू की गई कार्रवाईयों का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें 31 मार्च, 2014 के अंत तक की मुख्य उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है।

I. अवसंरचना विकास

i) **हार्डवेयर:** हार्डवेयर की जरूरी कम्प्यूटर आवश्यकता और एन.आई.सी.एन.ई.टी. (इंटरानेट और इंटरनेट संबंधी नेटवर्क दोनों) की सहायता योजना आयोग, स्थित अवसंरचना सचिवालय (एस.ओ.आई.) सूचना अवसंरचना एवं नव प्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् को प्रदान किया जाता है। नए प्रापणों को पीआईवी i5 आधारित या i7 आधारित प्रोसेसर्स यान्यूनतम 4 जी.बी. रैम, 19'' टी.एफ.टी. प्रदर्शन प्रणाली और डी.वी.डी. राइटर के साथ नवीनतम कानफीगुरेशन प्रणालियों को डी.जी.एस.एण्डडी. रेट कंट्रेक्ट के अनुसार मानकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार उपसचिव स्तर के अधिकारियों के लिए नवीनतम खाका वाली नोटबुक उन अधिकारियों को भी दी जा रही है, जिनके कार्य को प्रभाग के प्रमुख ने उचित ठहराया है और जिन्हें सदस्य, सचिव, योजना आयोग से अनुमोदन मिला है, जोकि सक्षम प्राधिकारी है।

ii) **लैन:** आज की स्थिति के अनुसार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) को पी.जी.सी.आई.एल. 1 गीगाबाइट आप्टिकल फाइबर लिंक और अन्य 1 गीगा बाइट एम.टी.एन.एल. लोड, बैलिंसिंग के साथ साइबर लिंक सम्पर्कता बनाई गई है। पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पी.जी.सी.एल.) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को

योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए एडआन 1000 एम.बी.पी.एस. एम.टी.एन.एल. अतिरिक्त फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 34 एम.बी.पी.एस. से 1000 एम.बी.पी.एस. के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है। एलसी से आरसी पैच कोडों के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है और प्राक्सी नए ले आउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट में लगभग 800 ग्राहक, विभिन्न सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

iii) **वीलैन कार्यान्वयनः** प्रत्येक तल पर बेहतर, तेज और सुरक्षित नेटवर्क के लिए वीलैन को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए वीलैन पर एक वेब आधारित 'नेटशेयर' अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों/फोल्डरों का आदान–प्रदान किया जा सके। स्पैम/वायरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर 2 स्विचों के अप्रयुक्त पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

iv) **वाई–फाई समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटीः** पहले चरण में, 'वीलैन' 4400 सीरीज नियंत्रक के माध्यम से 'सिस्को' प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली और दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित वाई–फाई समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लैपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, पहली और दूसरी मंजिल पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः 'वाई फाई' हैं। इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी निश्चितपूर्व परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायर लैस के जरिए कायम किया जा सकता है। एल. ए.पी. सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है। सम्पर्कता के लिए किसी को भी मैक एड्रैस से जुड़ना होता है तथा उचित लोग्स के लिए आंतरिक वाई–फाई से गुजरना होता है, ताकि सुरक्षित उपभोक्ता आई. डी./पासवर्ड प्राप्त करना होता है और तब ही उसे नैटवर्क से सम्पर्कता मिल सकती है। इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों, सलाहकारों के चेंबर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः वाई.फाई सुविधा से युक्त हैं।

v) **'निकनेट' पर डेस्कटॉप 'एक्जीक्यूटिव वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम'(ई.वी.सी.एस.) की स्थापना करना – एन.आई.सी. की एक ई–शासन पहल**

पिछले कुछ वर्षों में लागू की जा रही ई–शासन पहल को भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नूतनताओं और इनके कार्यान्वयन से हमारे दिन–प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे विकल्पों की व्यवस्था करके यात्राओं की जरूरत का स्थान ले रही है। तुरन्त निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों के डेस्कों पर कार्यकारी वीडियो

काफ्रेंसिंग सिस्टम (ई.वी.सी.एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 35 मुख्य सचिवों/प्रशासकों और भारत सरकार के 102 सचिवों के डेस्कों पर 'निकनेट' पर कार्यकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग पद्धति (ई.वी.सी.एस.) इससे पहले ही स्थापित कर दी गई है जिससे कि अंतरमंत्रालयी परामर्शों और तुरन्त निर्णय लेने में बाधा उत्पन्नन हो। ई.वी.सी.एस. से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा पाइंट से पाइंट तक वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू की जा सकती है और एन.आई.सी., दिल्ली के माध्यम से बहु–पाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी अब सम्मेलन कक्षों से बाहर आ गई है। यहां यह पारंपरिक रूप से सीमित थी। इसका श्रेय वीडियो काफ्रेंसिंग उपस्करों की औसत कीमत में भारी कटौती और नेटवर्क ढांचे और बैंडविड्थ क्षमताओं में कुल मिलाकर हुए सुधार को जाता है। 'निकनेट' नामक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के विद्यमान आईपी आधारित नेटवर्क ढांचे का उपयोग, उत्तम कोटि की वीडियो काफ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उच्च गति बैंडविड्थ (4 एम. बी.पी.एस.) की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

प्रमुख तकनीकी चुनौती, एक ही वर्चुअल बैठक में पूरी नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ और यह सुनिश्चित करते हुए ई.वी.सी.एस. नेट पर संचार सुरक्षित है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 मुख्य सचिवों/प्रशासकों को जोड़ने की है। एक अन्य तकनीकी चुनौती 'निकनेट' पर सेवा की गुणवत्ता को कार्यान्वित करने की है, जो आई.पी. नेटवर्क पर वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों पर अमल करने के लिए बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल सचिव के निदेश पर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डी.जी.पी.) तक 'निकनेट' के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सफलता के साथ पहुँचाया गया और वे भी सुरक्षित वातावरण में इसका उपयोग कर रहे हैं एवं इसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है।

vi) **इंटरनेट और मेल सुविधाः** इंटरनेट और ई–मेल की सुविधाओं के लिए समर्थन योजना आयोग, अवस्थापना सचिवालय, ई.ए.सी., अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई. ए.एम.आर.), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी अधिकारियों को दिया गया है। योजना आयोग के मेल खातों का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां अर्थात डेस्क टॉप लैपटॉप तथा ब्राडबैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

vii) **प्रणाली संचालनः** मौजूदा प्राक्सी सर्वर को अधुनातन आई.एस.ए. 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी सर्वरों अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटा बेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय–समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्युरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

viii) **प्रयोक्ता सहयोगः** योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) को, जब भी आवश्यक होता है, तकनीकी सहयोग (हार्डवेयर साफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि एंटी वायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क

संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता की मशीन का समरूपण, ई–मेल आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों की स्थापना) प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक और हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठक के संबंध में आवश्यक सहायता मुहैया कराई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में उद्घाटन और समापन भाषण के सत्र का एनआईसी द्वारा इंटरनेट पर सजीव वेब कास्ट भी किया गया जिस से किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बिना यह राष्ट्रीय घटना विश्व के सभी कोनों में पहुंच सके।

ix) **सेंट्रलाइज्ड एंटी वायरस साल्यूशनः** योजना भवन, ई.ए.सी. और एन.के.सी. में ट्रंड माइक्रो–आफिस स्केन इंटरप्राइजेज एडीशन साफ्टवेयर वर्जन 10.6.5162 के साथ एंटी–वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज्ड सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स को फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक **पैच मैनेजमेंट** सर्वर भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहकों पर एंटी–वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण/स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन पर निगरानी रखी गई है तथा वायरस की समय–समय पर सफाई की गई है।

x) **योजना आयोग में 'योजना के लिए मल्टी लेयर जीआईएस (ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम) हेतु स्पेशिअल डाटा इनफ्रास्ट्रक्चर' के लिए आधारित ढांचे की स्थापनाः** योजना आयोग में स्थित एनआईसी यूनिट जी.आई.सी. के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता दे रहा है : ***एन.आई.सी–योजना भवन यूनिट, योजना आयोग ने योजना आयोग के सभी अधिकारियों के लिए वीडियो–वॉल पर राष्ट्रीय जी.आई.एस. पोर्टल को दिखाने की भी व्यवस्था की। योजना भवन में आयोजित वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जी.आई.एस. के क्रियाकलाप भी दिखाए गए।*** उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने दो जी.आई.एस. परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात

(क) स्पेशिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी–लेयर जी.आई.एस. फॉर प्लानिंग (राष्ट्रीय जी.आई.एस.)।

(ख) कंप्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग ऑफ सिक्स मेगा सिटीज।

इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किया जाता है। उपरोक्त प्रोजेक्ट **'नेशनल जी.आई.एस. वेब पोर्टल'** के रूप में **'फ्रेमवर्क सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर'** सृजित करने मे समर्थ है जिससे बहु–स्रोतों से डाटा की हिस्सेदारी और लीवरेज के स्थान का लाभ उठाने में सुविधा मिलती है। विशिष्ट जी.आई.एस. सेवाएं, जिनसे योजना और ई–शासन प्रोसेस में सम्मिलित विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) की जरूरत के अनुसार और अधिक प्रथागत बनाया जा सकता है।

II. वेब आधारित एमआईएस और डाटाबेस

1. राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता पर सीएएस–एमआईएस

इस पोर्टल (http://cas.planningcommission.nic.in) का डिजाइन और विकास योजना आयोग की एनआईसी ने इस उद्देश्य के साथ किया है, ताकि वैब आधारित विभिन्न प्रक्रियाओं का स्वचालन और केन्द्रीय सहायता से संबंधित प्रवाह का संवितरण स्वतः होता रहे जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों को दी जाने

वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता शामिल है। साफ्टवेयर एप्लीकेशन योजना आयोग के लिए विकसित किया गया है ताकि परियोजनाओं का अनुमोदन और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विशेष योजना सहायता (एसपीए) के अधीन निधियों की नियुक्ति की सिफारिश आनलाइन की जा सके। एमआईएस की मदद से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आनलाइन अनुमोदन के लिए एसीए/एसपीए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और योजना आयोग आनलाइन प्रस्ताव मंजूर कर वित्त मत्रालय को निधियां जारी करने की सिफारिश करता है। एमआईएस, एसीए/एसपीए परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है।

इस प्रणाली में तीन स्तरीय संरचना है। राज्य स्तर पर स्वचलित प्रक्रियाएं हैं– राज्य स्तरीय प्रक्रियाएं, परियोजना अनुमोदन हेतु योजना आयोग को परियोजनाएं प्रस्तुत करना, योजना आयोग को पुरानी और नई परियोजनाओं हेतु निधि जारी करने हेतु परियोजना प्रस्तुत करना, परियोजना संबंधी ब्यौरों के संबंध में राज्यों द्वारा पूछी गई बातों का जवाब, व्यय और परिणामी ब्यौरों की प्रविष्टि, परियोजना चित्रों को अपलोड करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर प्रस्तुत करना। योजना आयोग स्तर पर स्वचलित प्रक्रियाएं हैं: परियोजना का अनुमोदन, परियोजना संबंधी ब्यौरे बदलने के लिए राज्यों को अनुमति प्रदान/रद्द करना, परियोजनाओं के परिणाम की निगरानी करना। वित्त मंत्रालय स्तर पर स्वचलित प्रक्रियाएं हैं:– परियोजनाओं के स्तर, अनुमोदन ब्यौरों और परिणामी ब्यौरों की निगरानी।

परिणाम

परियोजना ने एसीए और एसपीए परियोजनाओं के अनुमोदन और नई और चालू परियोजनाओं दोनों के लिए राज्यों द्वारा निधियां जारी करने के अनुरोध की सिफारिश के लिए पेपर रहित वातावरण बनाकर योजना आयोग और सभी राज्यों की पूर्ण सन्तुष्टि से अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अब तक वर्ष 2013–14 के लिए 6,522.12 करोड़ रूपये की 2079 एसपीए परियोजनाएं और 1036.83 करोड़ रूपये की 311 एसीए नई परियोजनाएं 24 राज्यों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की थीं जिन्हें योजना आयोग द्वारा मंजूर कर दिया गया है। एसपीए परियोजनाओं के लिए 2011 स्वीकृतियों और एसीए परियोजनाओं के लिए 294 स्वीकृतियों की योजना आयोग द्वारा संस्तुति की गई है। प्रणाली के माध्यम से पुरानी परियोजनाओं के लिए 253 स्वीकृतियों की भी संस्तुति की गई है। राज्यों ने मानीटरण ब्यौरों की प्रविष्टि की है और पुरानी परियोजनाओं के चित्रों को भी अपलोड किया है।

2. राष्ट्रीय डाटा भागीदारी और सुलभता नीति कार्यान्वयन और डाटा पोर्टल का विकास एनडीएसएपीः योजना आयोग डाटासेट्स

राष्ट्रीय डाटा भागीदारी और सुलभता नीति (एनडीएसएपी) (17 मार्च, 2012 को राजपत्र में अधिसूचित) की अधिसूचना के साथ भारत सरकार ने सार्वजनिक निधियों के उपयोग से सृजित किए गए सरकार के स्वामित्व वाले शेयर किए जाने योग्य डाटा को देश–भर में मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य तथा सक्रिय और समय–समय पर अद्यतन किए जाने योग्य रूप में सुलभता के उद्देश्य को परिभाषित किया है। देश में विभिन्न सरकारी संगठनों और संस्थाओं द्वारा हाल में सृजित हो रही सरकारी डाटा की एक बड़ी मात्रा सिविल सोसाइटी की पहुंच के बाहर है हालांकि ऐसा अधिकतर डाटा गैर–संवेदनशील प्रकृति का है और उसे जनता द्वारा वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। सभी स्तरों पर डाटा का पूर्ण उपयोग क्षमता प्राप्त करने के लिए एक समर्थकारी प्रावधान और प्लेटफार्म अपेक्षित है। इसके अलावा खुले सरकारी डाटा से सरकारी सूचना की उपलब्धता को बेहतर बनाने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, जवाबदेही और जनता की भागीदारी में मदद मिलेगी।

योजना आयोग में एनडीएसएपी का कार्यान्वयनः योजना आयोग में नीति के कार्यान्वयन के लिए **11 मई, 2012** को एक पर्यवेक्षण समिति गठित की गई।

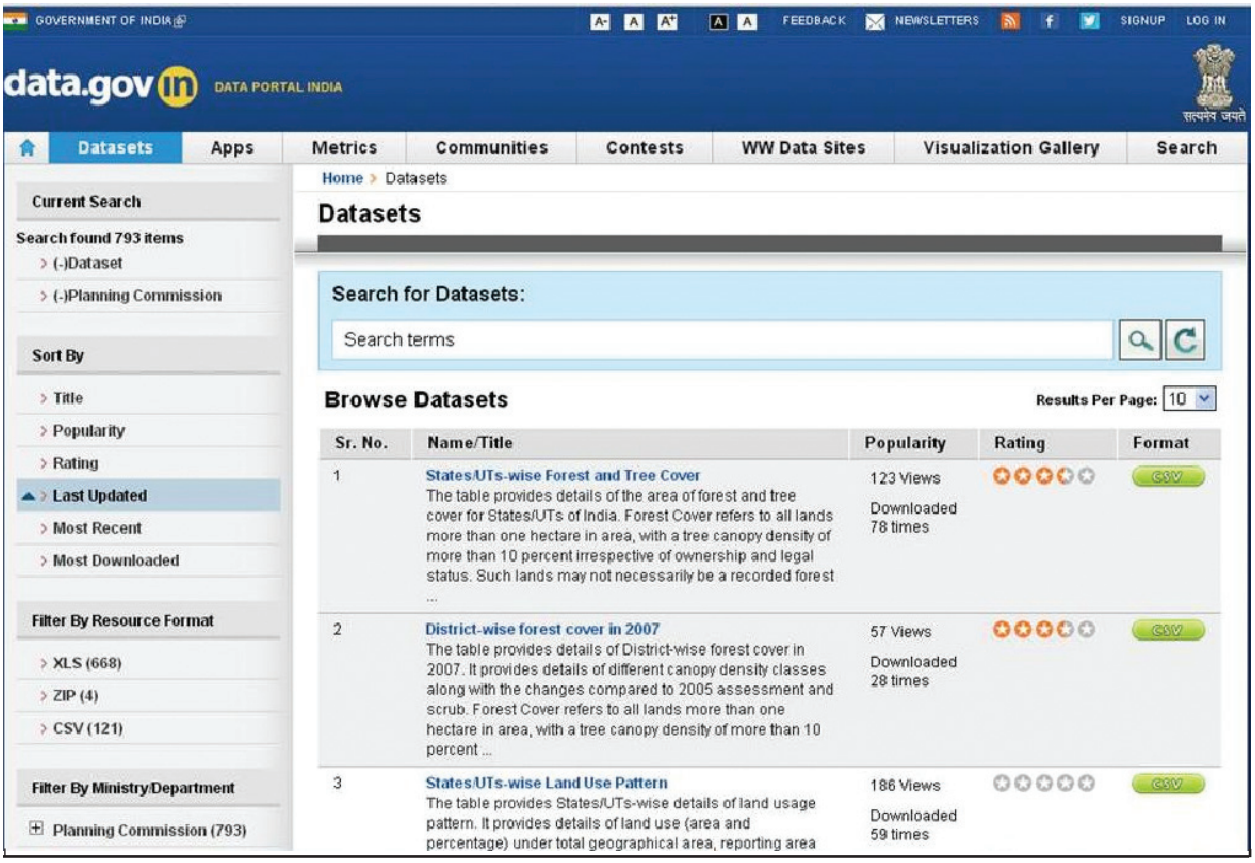

31 मार्च, 2014 तक पोर्टल http://data.gov.in पर 915 डाटासेट्स अपलोड किए गए हैं और निकट भविष्य में 1,000 डाटासेट्स का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

क्र.सं.	प्रभाग / विषय	डाटासेट्स की संख्या
1.	कृषि प्रभाग (दसवीं, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना)	14
2.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी	55
3.	प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण संबंधी	02
4.	आपदा प्रबंधन	01
5.	डीआईसीई 2012 सहित प्रारंभिक शिक्षा	45
6.	उच्च शिक्षा	20
7.	पर्यावरण एवं वन प्रभाग (राज्य वन रिपोर्ट सहित)	267
8.	वित्तीय संसाधन प्रभाग (दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना सहित)	25
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	49
10.	आवास एवं शहरी विकास	16
11.	श्रम एवं रोजगार	10

12.	भावी योजना प्रभाग एवं वृहत अर्थव्यवस्था संबंधी	18
13.	विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग	53
14.	ग्रामीण विकास	14
15.	सामाजिक न्याय प्रभाग (10वीं और 11वीं योजना)	28
16.	परिवहन प्रभाग	54
17.	जल संसाधन	07
18.	यूआईडीएआई संबंधी	04
19.	उद्योग क्षेत्रक	06
20.	चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी)	14
21.	**योजना मूल्यांकन संगठन (पीईओ)–** पकाया हुआ मध्याह्न भोजन मूल्यांकन अध्ययन आईसीडीएस एवं टीएससी मूल्यांकन अध्ययन ग्रामीण सड़क मूल्यांकन अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)	 28 77 32 43 24
22.	राज्य योजनाओं संबंधी	09
	कुल	**915**

3. केन्द्रीय योजना मानिटरिंग सूचना पद्धति (सी.पी.एल.ए.एन. – एम.आई.एस.)

यह एक वेब आधारित सूचना पद्धति है जो सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को अन्तिम रूप देने और बारहवीं योजना के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि अद्यतन बनाने के लिए है।

डाटा प्रविष्टि और ऑनलाईन सूचना अद्यतन करने हेतु यह एप्लीकेशन पहले से ही संचालित है। लगभग 74 मंत्रालय/विभागों हेतु यूजर्स बना दिये गये है। सभी मंत्रालय विभाग इस वित्तीय वर्ष 2014–15 जीबीएस एक्ससाईज ऑनलाईन हेतु आंकड़ों का अद्यतन इस पेकैज के माध्यम से कर रहे हैं।

परिणामी बजट 2013–14 के अनुसार परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2013–14) का विवरण और अद्यतन वार्षिक उपलब्धि, विशेष रूप से देशज संसाधनों द्वारा अथवा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित करने के लिए परियोजनाओं कार्यक्रम, जो स्कीम समाप्त कर दी गई है अथवा जिन्हें मिला दिया गया है, आदि का ब्यौरा इस एमआईएस के जरिए सृजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब आधारित एम.आई.एस. डिजाइन और विकसित की गई है अर्थात यू.आर.एल. http://pcserver.nic.in/cplan

इसे चालू वार्षिक योजना (2014–15) पर चर्चा के लिए योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया। प्रस्ताव, जिसमें विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए योजना व्यय दिया गया है, बाहरी और घरेलू संसाधन घटक दिए गए हैं, 12वीं योजना के लिए आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधन का पी एस ई. वार प्राक्कलन दिया गया है, को प्रस्तुत करने के लिए इनपुट प्रोफार्मा को 08 परिशिष्टों (12 फारमेट) में मानकीकृत किया गया है। विकास शीर्ष–वार योजना परिव्यय आदि साइट में उपलब्ध किया गया है जिससे प्रयोक्ता फारमेट को डाउनलोड कर सकें और सभी 12 प्रोफार्मा के लिए ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि कर सकें/माड्यूल को अद्यतन बना सकें। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में निम्नलिखित सुविधाएं हैं।

प्रमाणीकरण के साथ पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तीन प्रकार के प्रयोक्ता हैं, प्रशासन जो प्रयोक्ता का प्रोफाइल, मंत्रालय विभाग के लिए मास्टर सारिणी बनाता है अथवा गलत प्रविष्टि को लोप करता है योजना आयोग का प्रयोक्ता जो विभिन्न मंत्रालय प्रभाग का काम देखता है, वह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भरी गई सूचना की स्थिति को देखता है। 74 मंत्रालय/विभाग स्तर के प्रयोक्ता ऑनलाइन सूचना को अद्यतन करते हैं।

- तीन विभिन्न किस्म के प्रयोक्ता उपकरण होते हैं, जो विशेषाधिकार पर निर्भर हैं।
- इस पद्धति के एक्सेल टेबुलर फार्म में सभी परिशिष्टों को डाउनलोड करने की सुविधा है।
- उपभोक्ता एक्सल फारमेट में डाटा अपलोड कर सकते हैं।
- मंत्रालय और विभाग.वार प्रश्न/रिपोर्ट, उपलब्ध हैं।

4. वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) ग्रस्त जिलों के लिए एमआईएस अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी)

सरकार ने एसीए या वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) शीर्षक नामक योजना के माध्यम से पूर्ववर्ती आईएपी के अधीन आने वाले चुनिंदा 88 जनजातीय और पिछड़े जिलों और 6 नए जिलों (कुल 88 जिले) को सहायता जारी रखने का निर्णय किया है। योजनाओं की मासिक प्रगति की निगरानी के लिए योजना आयोग में एक निगरानी प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। 11 क्षेत्रकीय स्कीमों के लिए परियोजनाओं का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। जनजातीय जिलों में विकास की कमी जिसमें वामपंथ उग्रवाद संबंधी भी शामिल है चिंता का विषय रही है। वित्त मंत्री ने अपने 2010–11 के बजट भाषण में वामपंथ उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष स्कीम शुरू करने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। सरकार पिछले कुछ वर्षों में ई–शासन की दिशा में की जा रही पहलों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है।

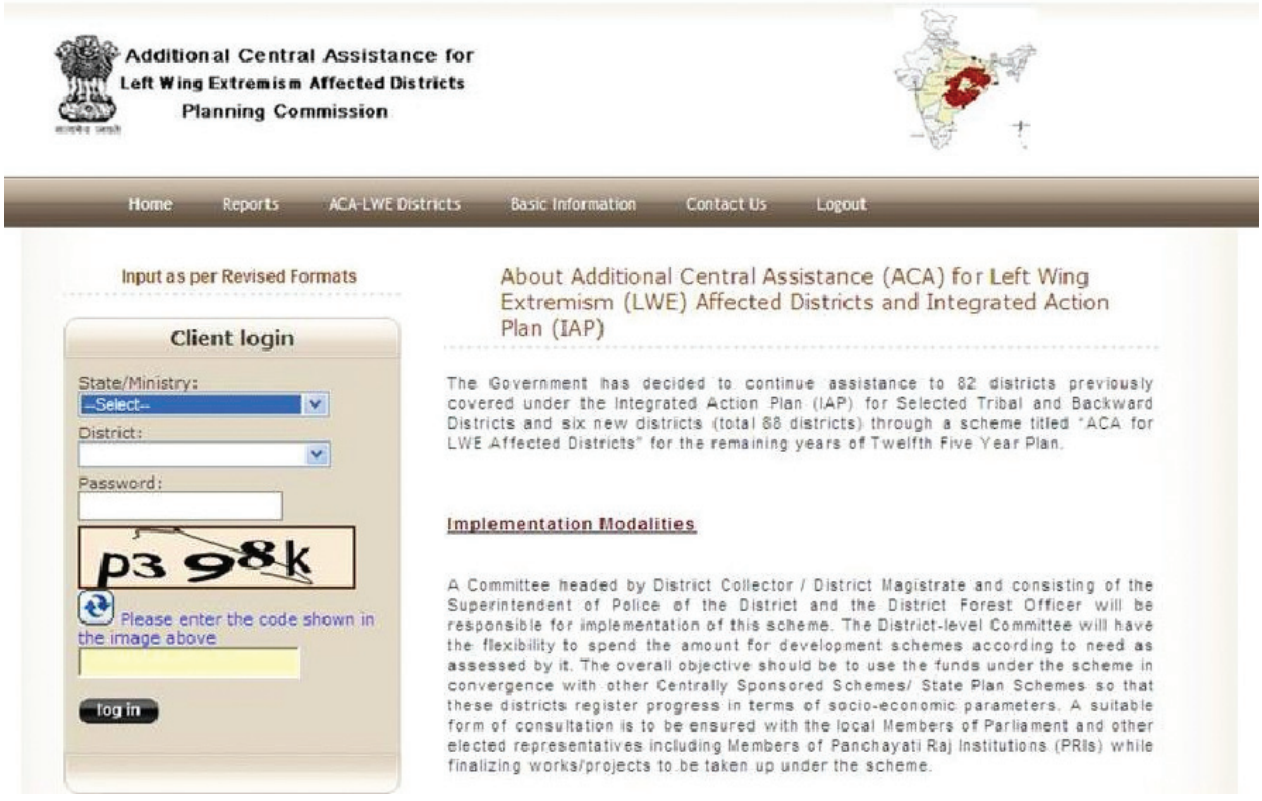

चुनिंदा 88 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना पर एम.आई.एस. एक वैब आधारित एप्लीकेशन है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों का ऑनलाइन मॉनिटरण किया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि बामपंथ उग्रवाद पर कार्यदल का गठन 12 फरवरी, 2008 को मंत्रिमडल सचिव की अध्यक्षता में किया गया ताकि काफी व्यापक दायरे पर नक्सल समस्या से निबटने के लिए जारी प्रयासों में सुरक्षा गतिविधियों तथा बृहद स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों के समन्वित प्रयासों को बढ़ाया जा सके।

चुनिंदा 88 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) पर एम.आई.एस.एफ वैब आधारित एप्लीकेशन है ताकि विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों का मॉनिटरण किया जा सके। योजना आयोग की एन.आई.सी. एकक ने **09 राज्यों के 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.)** हेतु एम.आई.एस. का विकास किया है। ग्यारह प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों तथा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान रु. 25 करोड़ तथा 2011–12 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में जारी रु. 30.00 करोड़ के सदुपयोग के मॉनिटरण तथा निष्पादन को अद्यतन बनाने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान पिछली अवधि में व्यय के निष्पादन के आधार पर 30 करोड़ रू.जारी किए जा रहे हैं और शुरू किए कार्यों/परियोजनाओं का सफल ऑडिट के बाद ही ऐसा किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2010–14 के लिए रु. 85 करोड़ के अनुदान वाली परियोजनाओं/स्कीमों की मासिक प्रगति के मॉनिटरण के लिए योजना आयोग हेतु मॉनिटरण प्रणाली विकसित की गई।

भूमिका आधारित प्रमाणीकरण के साथ प्रणाली को लागू किया जा सकता है। अतः यूजर प्रणाली के विशेषाधिकार के अनुसार तीन अलग–अलग प्रकार के इन्टरफेस बनाए गए हैं। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के हैं, प्रशासक जो राज्य जिलों स्कीमों के लिए उपभोक्ता प्रोफाइल और मास्टर टेबल का उपयोग कर सकते हैं तथा असंगत सूचना के लिए विकल्प को हटा सकते हैं योजना आयोग प्रयोक्ता, जो विभिन्न प्रभागों/मंत्रालयों को देखता है वह विभिन्न राज्यों/जिलों द्वारा फाइल की गई सूचनाओं की स्थिति को देख सकते हैं। जिला और राज्य स्कीम यूजर अपने संबंधित जिलों से सूचनाओं को ऑनलाइन अद्यतन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन 88 जिलों से वेब आधारित एमआईएस आनलाइन पर प्रविष्टि अद्यतन हेतु प्रचालन में हैं तथा और आवधिक रूप से प्रत्येक माह 100 प्रतिशत अद्यतनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगभग हर माह सदस्य सचिव, योजना आयोग निष्पादन की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक भी बुलाती है, जिसमें योजना अयोग में मीडिया कांफ्रेंस प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा मुख्य सचिवों के साथ एन.आई.सी. के सिक्यार्ड वी.सी. नैटवर्क का उपयोग किया जाता है तथा 9 राज्यों में उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उनके साथ होते हैं और उनके आई.ए.पी. जिलों से कलैक्टर और जिला मजिस्ट्रेट भी होते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के साथ तैयार किए गए दस्तावेजों का उपयोग करते हुए तथा एम.आई.एस.आई.ए.पी. प्रणाली के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के उपयोग से निष्पादन का विश्लेषण किया जाता है।

एमआईएस को व्यापक बनाया गया है और यह नौ प्रकार की बुनियादी सुविधाओं संबंधी जिला और ग्राम स्तर की सूचना उपलब्ध कराती है। इस साइट का सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किया गया ताकि असुरक्षा की स्थिति को दूर किया जा सके। **मॉनिटर की जा रही ग्यारह स्कीमें इस प्रकार है:**

1. पूरक पोषण (आई.सी.डी.एस.)
2. सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)
3. सड़क संपर्कता (पी.एम.जी.एस.वाई.)
4. एम. जी. नरेगा
5. आवास (इंदिरा आवास योजना)
6. स्वास्थ्य (एन.आर.एच.एम.)
7. विद्युतीकरण (पी.एम.जी.एस.वाई.)
8. पेयजल आपूर्ति (डी. डब्ल्यू. एस.)
9. आश्रम स्कूल
10. वनाधिकार अधिनियम
11. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग

एमआईएस का बड़े पैमाने पर उपयोग फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन के साथ–साथ इन 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और 60 जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सों के दौरान इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग में हुआ। इन 882 जिलों से संबंधित जनगणना 2001 के जनानकिकी और डाटाबेस के आधार पर एम.आई.एस. को भी व्यापक बना दिया गया है। यह प्रणाली 9 प्रकार की बुनियादी सुविधाओं जैसे **शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार, मनोरंजन सुविधा, बैंकिंग, डाक तार, टेलिफोन विद्युत आपूर्ति एवं संपर्कता के संबंध में** यह प्रणाली जिला एवं राज्य स्तरीय सूचना बामपंथ उग्रवाद प्रभावित 60 जिलों के बारे में उपलब्ध कराती है।

आज की स्थिति के अनुसार यह राष्ट्र स्तरीय परियोजना को 9 राज्यों में योजना आयोग से विडियोग्राफी सूत्र चलाकर इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 88 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों के शीर्षस्थ स्तर पर इसका मॉनिटरण किया जा रहा है तथा सभी फ्लैगशीप स्कीमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का मॉनिटरण किया जाता है तथा योजना आयोग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों द्वारा विकास खर्च के सदुपयोग का मॉनिटरण किया जाता है।

5. व्यय वित्त समिति के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं का मॉनिटरण (एम. आई.एस–ई.एफ.सी.)

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी.ए.एम.डी.), योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं और स्कीमों को सरकारी विनिवेश बोर्ड अथवा व्यय वित्त समिति द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन/निर्णय जो परियोजना के आकार और लागत पर निर्भर होती है, के लिए विचार करने से पूर्व विषय प्रभाग के परामर्श पर मूल्यांकन करता है। इस समय यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। पी.ए.एम.डी. द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन में मोटे तौर पर विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे आवश्यकता और औचित्य, योजना के साथ संपर्क, मांग आपूर्ति, तकनीकी व्यवहार्यता, परियोजना प्राधिकारियों की संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमता, लागत प्राक्कलन पर विश्वसनीयता, परियोजना/स्कीमों की वित्तीय और आर्थिक लाभप्रदाता।

सरकार के निवेश संबंधी निर्णय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक में बड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्कीमों तथा केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के टेक्नो–आर्थिक मूल्यांकन को शुरू करने हेतु मूल्यांकनों के लिए जारी मूल्यांकन नोट्स की स्थिति का पता लगाने के लिए और बकाया ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावद्व एवं ईएफसीसी/पीआईबी हेतु वैब आधारित सूचना प्रणाली विकसित की गई है। जनवरी, 2008 से जारी मूल्यांकन नोट्स की स्थिति तथा आज तक बकाया ईएफसी/बीआईबी प्रस्तावों की सूचना को अपलोड किया गया।

इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू.आर.एल. का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। मूल्यांकन नोट के लिए जारी इनपुट और ई.एफ.सी./पी.आई.बी. के पास लंबित प्रस्ताव भी अद्यतन है। परियोजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और उसमें मंत्रिमंडल, सी.सी.ई.ए. और अवस्थापना संबंधी समिति आदि से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है इत्यादि इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू.आर.एल. का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। इसे योजना आयोग के सरकारी बेवसाइट http://planningcommission.gov.in पर इनपुट किया गया है ताकि मूल्यांकन नोट जारी किए जा सकें और ई.एफ.सी./पी.आई.बी. प्रस्तावों को अद्यतन किया जा सके।

6. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी), मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी (डीसीएन) और अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के लिए निगरानी प्रणालीः

उपर्युक्त श्रेणियों के मूल्यांकन के लिए स्कीम/परियोजना प्रस्तावों के स्तर की निगरानी हेतु योजना आयोग के लिए एक वेब आधारित प्रणाली डिजाइन और विकसित की गई है। प्रणाली का इस्तेमाल संबंधित प्रभाग के नोडल अधिकारियों और प्रशासक द्वारा किया जा सकता है। प्रणाली की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मूल्यांकन प्रस्तावों की परियोजना लागत, प्राप्ति की तारीख आदि इनपुट ब्यौरों के लिए प्रविष्टि/अद्यतीकरण माड्यूल। प्रारंभ में मूल्यांकन नोट का स्तर लंबित रहेगा। प्रणाली ने कई प्रकार के विधिमान्यकरण लगाए हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

- अद्यतीकरण विकास का उपयोग करके लंबित मूल्यांकन/प्रस्तावों के स्तर को जारी होने और पूरा करने की तारीख आदि की सूचना देते हुए स्वीकृत/जारी के रूप में अद्यतनीकृत किया जा सकता है।
- नोडल अधिकारी द्वारा किसी भी समय स्तर की समीक्षा की जा सकती है।
- लंबित/जारी प्रस्तावों की रिपोर्ट की संख्या आम जनता के लिए उपलब्ध है।

7. ईबिल ट्रैकिंग प्रणालीः योजना आयोग में **ईबिल ट्रैकिंग प्रणाली** साफ्टवेयर एप्लीकेशन लागू किया गया है। यह अनुप्रयोग कर्मचारियों को अपने यात्रा भत्ता बिलों, टेलीफोन बिलों, समाचार पत्र बिलों, चिकित्सा बिलों और एलटीसी दावों आदि की आनलाइन प्रस्तुती की सुविधा प्रदान करता है। यह बेहतर रिकार्ड रखरखाव के लिए लाभकारी है और सभी प्रकार के बिलों की ईबिल निगरानी रखने के लिए एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न बिलों की कार्यवाही की प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ईबिल निगरानी प्रणाली शुरू की गई। इस अनुप्रयोग की उपयोगिता के कारण अनेक प्रकार के अन्य बिल अर्थात बाल शिक्षा भत्ता, समयोपरि भत्ता, सामान्य भविष्य निधि अग्रिम निकासी, वाहन/कम्प्यूटर अग्रिम शामिल किए गए हैं।

8. आतिथ्य संबंधी मांग प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित

की गई है। इस प्रणाली से योजना आयोग में कैन्टीन, कॉफी हाउस, टी बोर्ड में उपलब्ध विभिन्न मदों के आर्डर की बुकिंग आनलाइन कर सकते हैं। इसमें उपलब्ध मदों की संबंधित कीमत। मात्रक की सूची प्रदर्शित होती है। उपभोक्ता मांग की प्रिन्ट आउट ले सकता है और आर्डर प्राप्त कर सकता है। इससे आर्डर और गणना समय में कमी आती है और रिकार्ड रखने में मदद मिलती है। प्रणाली तारीख आधारित उपभोक्तावार और मदवार रिपोर्ट भी तैयार करती है।

9. समिति कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस)

योजना आयोग में विकसित और कार्यान्वित की गई है। यह एक वेब आधारित आनलाइन प्रणाली है जिससे योजना आयोग के समिति कक्ष की बुकिंग होती है। यह प्रणाली सभी बैठकों के कार्यक्रमों संबंधी जानकारी और विभिन्न समिति कक्षों संबंधी सामान्य जानकारी उपलब्ध कराती है और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करती है। यह 1 अक्टूबर, 2013 से क्रियान्वित की गई है। यह प्रणाली http://pcserve/crbs पर उपलब्ध है। प्रणाली ASP.NET और SQL सर्वर का उपयोग करके विकसित की गई है। सीआरबीएल व्यापक विशेषताएं प्रदान करता है। यह एक आनलाइन पेपर रहित बुकिंग प्रणाली है। उपभोक्ता को समिति कक्ष बुक करने के लिए केवल एक आनलाइन प्रपत्र भरना होता है।

- अनुरोध प्रोटोकाल अधिकारी और तकनीकी अधिकारी दोनों को साथ-साथ अग्रेषित हो जाएगी।
- प्रणाली उपलब्ध सुविधाओं, प्रत्येक समिति कक्ष का नाम, बैठने की क्षमता, आतिथ्य व्यवस्थाओं संबंधी ब्यौरा, समिति कक्ष बुक करने के लिए प्रदान की गई प्राथमिकताओं आदि के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है।
- प्रणाली समिति कक्षों के दृश्य चित्र भी उपलब्ध कराती है।
- चार्ट्स और मैप्स यूनिट पावरपौइंट प्रस्तुतीकरण, डिस्प्ले बोर्ड आदि पर प्रदर्शित करने की व्यवस्थाओं के बारे में पुष्टि करेगी।
- समिति कक्षों की उपलब्धता, उक्त दिन होने वाली बैठकों का ब्यौरा, आगामी बैठकों आदि को 'होम पेज' पर देखा जा सकता है।

- उपभोक्ता यह देख सकता है कि उसके द्वारा अब तक कितनी बैठकों के लिए समिति कक्षों को बुक किया गया है।
- प्रतिभागियों की सूची और स्वीकृति पत्र जैसे दस्तावेजों, यदि आवश्यक हों, के लिए दस्तावेज अपलोड करने की विशेषता भी उपलब्ध है।
- प्रोटोकाल अधिकारी के पास प्रत्येक बैठक में जलपान/मध्याह्न भोजन पर हुए व्यय के लिए इनपुट माड्यूल है।

सीआरबीएस लागू होने के बाद समिति कक्षों की बुकिंग के लिए बैठकों की बुकिंग के लिए केवल आनलाइन बुकिंग स्वीकार की जाती हैं पेपर मांग के आधार पर नहीं। अब तक इस प्रणाली का उपयोग करते हुए 600 से अधिक बैठकों की बुकिंग सफलतापूर्वक की गई है।

10. उपभोज्य वस्तुओं के वितरण हेतु ई–मांग प्रणाली (ई.आर.एस.): ई–मांग एप्लीकेशन विकसित की गई है और योजना आयोग में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जारी करने की मैनुअल रूप से मांग प्रक्रिया के स्वचालन को कार्यान्वित किया जाता रहा है। प्रणाली में ऑनलाइन मांग को स्वीकार किया जाता है और तदनुसार वस्तुएं जारी की जाती हैं। सभी श्रेणियों की स्टेशनरी जैसे – इलैक्ट्रिकल, वर्दी, कम्प्यूटर – उपभोज्य वस्तुओं तथा सैनेटरी आइटम्स सहित सामान्य अनुभाग की सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सामान्य प्रशासन अनुभाग के अधिकारियों के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आई है।

11. वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के लिए निगरानी प्रणाली:

कर्मचारी का एपीएआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह अधिकारी के कार्य निष्पादन के आकलन के लिए और उसके अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स और आधार प्रदान करता है। इसलिए सूचना देने वाले अधिकारी, प्रतिवेदन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र सावधानीपूर्वक जिम्मेदारी से भरा जाना चाहिए। वर्ष (2012–13) के लिए 650 से अधिक कर्मचारियों के एपीएआर के लिए योजना आयोग में एक कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली को पुनः तैयार, विकसित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। प्रणाली रोल्ड आधारित है। एपीएआर चक्र के प्रत्येक चरण पर कर्मचारी अपने एपीएआर की निगरानी कर सकता है।

12. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) योजना आयोग के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणालियां

मूल्यांकन योजना प्रक्रिया से जुड़ा एक अभिन्न अंग है। परियोजना क्षेत्र, लक्षित समूहों निचले स्तर के संस्थानों और कार्यान्वयन कर्ताओं एवं लाभार्थियों के संभावित व्यवहार के बारे में बना पर्याप्त जानकारी के योजना स्कीमें तैयार करके उनका कार्यान्वयन किया जाता है अतः मूल्यांकन एवं मॉनिटरण संबंधी फीड बैक एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। जिससे निष्पादन में सुधार के लिए उचित डिजाइन कार्यान्वयन पद्धतियों एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायों का पता लगाया जा

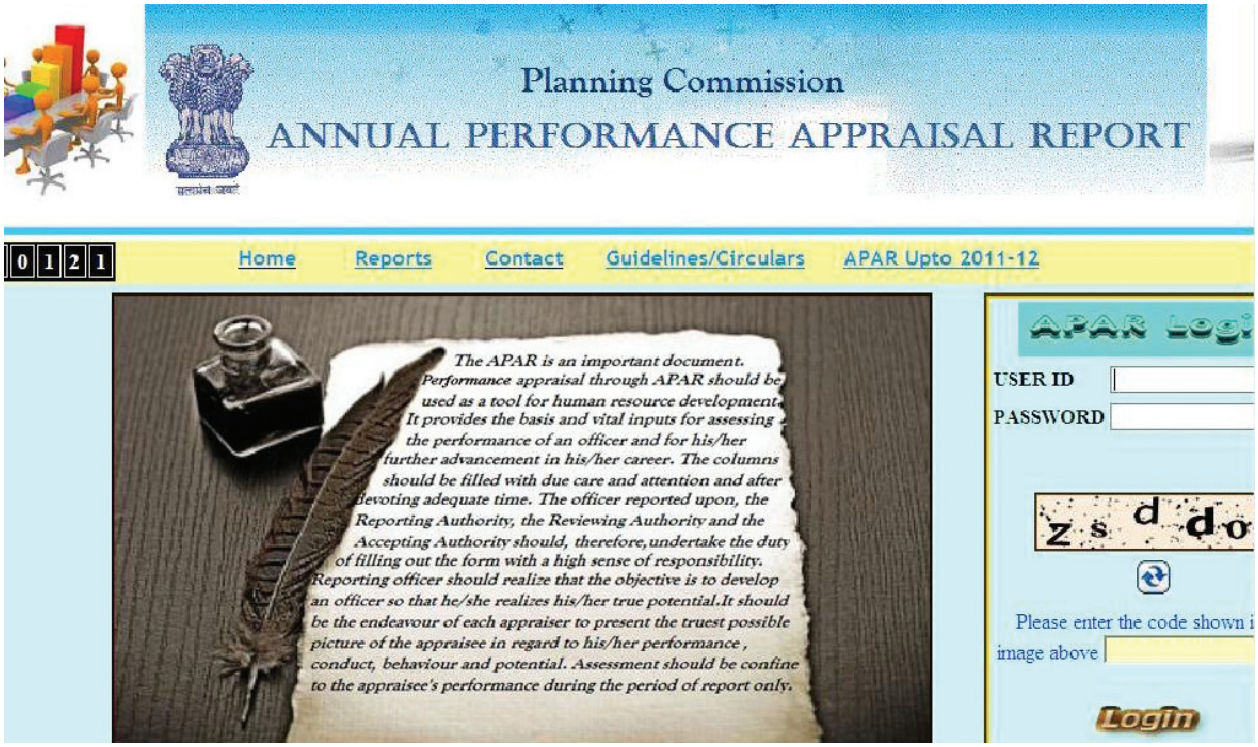

सकता है। ऐसी कुशल मूल्यांकन प्रणाली की महत्ता मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) की स्थापना योजना आयोग, भारत सरकार इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि आरंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए। उत्तरोत्तर रूप से पी.ई.ओ. का दायरा और व्यापक होता गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक के प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययन को कवर किया जा सके। प्रत्येक वर्ष लगभग 3 से 4 मूल्यांकन अध्ययन संचालित किये जाते हैं। इन मूल्यांकन अध्ययनों में आंकड़े लाभार्थियों और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन कर्ताओं जैसे ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य से विभिन्न मुद्दों से संबंधित आंकड़े का कार्यान्वयन कर्ताओं और स्कीमों के प्रभाव के संबंध में लिये जाते हैं और पी.ई.ओ. द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनका गहन विश्लेषण किया जाता है।

ये मूल्यांकन रिपोर्ट सामाजिक वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं विद्यार्थियों नीति निर्माताओं सामान्य जनता को उन कारकों के संबंध में उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं जो कार्यक्रमों की प्रभावी कार्यान्वयन को रोकते हैं तथा कार्यान्वयन की सफलता में योगदान देते हैं।

मूल्यांकन अध्ययनों का कम्प्यूटरीकरण

एकीकृत सूचना प्रणाली के माध्यम से इन प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययनों के लिए एन.आई.सी. हर कदम आंकड़ा तैयार करने प्रविष्टि आंकड़ा विश्लेषण की वैधता तक प्रमुख भूमिका निभाता है।

प्रत्येक अध्ययन में सूचना 8 से 12 अनुसूचियों से ली जाती है, प्रत्येक अनुसूची में निचले स्तर से ऐसे सैंकड़ों मापदंड एकत्र किए जाते हैं जहां विभिन्न प्रकार की असंगतियों और गलतियों की संभावना होती है। अनेक प्रश्न विषयपरक होते हैं जिन का आंकड़ों से समानता नहीं होती उनको भी देखना पड़ता है जो एक अन्य समस्या है। ये आंकड़े देश के भविष्य के लिये संवेदनशील होते हैं। अतः उनमें शत प्रतिशत सच्चाई का होना जरूरी है, जो ऑनलाइन और ऑफ लाइन वैधता दोनों ही के आधार पर कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से लिए जाते हैं।

प्रकृति से उपचारात्मक होने के नाते आंकड़ा विश्लेषण मूल्यांकन रिपोर्टों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम घर लाभार्थी और प्रत्येक अध्ययन के लिए विशिष्ट स्तरों से प्राप्त आंकड़ों का गहन विश्लेषण सभी मापदंडों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न स्तरों से विभिन्न पैरामीटरों से रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है।

सही आंकड़ें उपलब्ध कराने और उनकी सतत बनाये रखने और समय पर विश्लेषित सूचना दे दें की पी.ई. ओ. की मांग का पूरा करना एन.आई.सी. के लिये एक चुनौती बन जाता है, जिसके लिए सूचना में नए विकास शुरू करने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है, इस नई प्रौद्योगिकी के लिये कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद ही यह संभव हो पाता है कि इस प्रक्रिया को और अधिक सहज और प्रभावी बनाया जाए।

योजना आयोग के अधीन एक प्रभाग द्वारा योजना मूल्यांकन संगठन द्वारा किए जा रहे तीन मूल्यांकन अध्ययनों के लिए कुछ डाटा विश्लेषण प्रणालियां विकसित की गई हैं। ये अध्ययन इस प्रकार हैः

क. पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कीम (सीएमडीएम) पर मूल्यांकन अध्ययन

ख. भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक (ग्रामीण सड़क) पर मूल्यांकन अध्ययन

ग. समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) पर मूल्यांकन अध्ययन

13. राज्य वित्त संबंधी आंकड़े – एम.आई.एस.

यह एक वेब–आधारित मानीटरिंग सूचना प्रणाली है जो वर्ष 1980 के बाद से सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के राजस्व और व्यय संबंधी राज्य वित्त आंकड़ों के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि/अद्यतन और पुनः प्राप्ति प्रणाली के विकास हेतु योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा एन. आई. सी., योजना भवन यूनिट को सौंपी गई है। राज्य वित्त संबंधी डाटाबेस का प्रभाव केन्द्र और राज्यों के बीच और राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों के बंटवारे से संबंधित केन्द्र और राज्यों की संघ वित्त व्यवस्था पर और अन्तर कार्यक्षेत्र के कारण मामलों और करों के सरलीकरण के लिए भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डाटाबेस का मुख्य रूप से ध्यान निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर होगाः

- सरकारी वित्त।
- मैक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से वित्तीय, धन संबंधी तथा वाणिज्यिक नीति।
- माइक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र और नगरीय आर्थिक स्थिति और उद्योग का अध्ययन।
- योजना और विकास।
- आर्थिक सिद्धांत और प्रक्रिया।

डाटाबेस में शामिल हैंः–

- राजस्व प्रबंधन।
- व्यय प्रबंधन, सभी राज्य और संघ क्षेत्र।

सिस्टम डिजाइनिंग तथा ले आउट का काम पूरा हो गया है और वेब आधारित अनुप्रयोग का कार्य चल रहा है। योजना और गैर – योजना परिव्यय, व्यय आदि के लिए पुनः प्राप्ति मॉड्यूल विकसित हो गए हैं और परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

14. 'काप्रीहैंसिव डी. डी. ओ. और ई–सर्विस बुक कार्यान्वयन' – एन. आई. सी. का एक ई–शासन टूलः

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सितम्बर, 2008 महीने से योजना आयोग में सुचारु रूप से वेतन वितरण के लिए एन. आई. सी. योजना भवन यूनिट ने केन्द्रीकृत सी. डी. डी. ओ. पैकेज को योजना आयोग में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। एन. आई सी. योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और लेखा अनुभागों में पूर्णरूपेण स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व मास्टर रिकार्ड को ले जाने तथा सी डी. डी. ओ. पैकेज के कार्यान्वयन हेतु

योजना भवन में विभिन्न डी. डी. ओ. के लिए सी. ओ. एम. पी. डी. ओ. सफलतापूर्वक दो सर्वरों में लगाया गया।

इस साइट का उपयोग ई. सी. एस. (इलेक्ट्रानिक क्लियरेंस प्रणाली) जनरेट करने के लिए वेतन बिलों के लिए टेक्स्ट फाइल तैयार करने के लिए किया जाता है। सी. डी. डी. ओ. पैकेज के कार्यान्वयन से सभी कार्मिकों को ई. सी. एस. प्रणाली से वेतन मिलता है और चैक से भुगतान नहीं किया जाता, जो योजना आयोग के लेखा और प्रशासन अनुभाग के लिए सफलता की कहानी है और उन्होंने यह लक्ष्य योजना आयोग की एन. आई. सी. इकाई के माध्यम से प्राप्त किया है। निम्नलिखित मॉडयूल भी कार्यान्वित किए गए है:

सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) मॉड्यूल: इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि की लेखा संख्या (एकाउंट नंबर) आबंटित की गई है और साथ ही सामान्य जानकारी दी गई है। पहली बार रनिंग एडवांस ब्यौरे भरने के साथ–साथ वित्तीय वर्ष आंकड़ा और ओपनिंग बैलेंस एंट्री करके रीकास्टिंग केल्कुलेशन किया गया।

आय कर (इनकम टैक्स) मॉड्यूल: इस प्रक्रिया का उद्देश्य विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु कर्मचारियों का समेकित विवरण/वार्षिक आय विवरण तैयार करना है। कर केल्कुलेशन शीट के साथ कर्मचारियों को विवरण दिया जाता है ताकि आयकर में अधिकतम छूट के लिए वे अधिक बचत कर पाएं।

ई–सर्विस बुक: ई–सर्विस बुक के सुचारु कार्यान्वयन हेतु एन. आई. सी. योजना आयोग यूनिट प्रयोक्ताओं को अपेक्षित सभी तकनीकी तथा अन्य सहायता देता है। योजना आयोग से नोडल अधिकारी होने के नाते एन. आई. सी. यूनिट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं में भी भाग लिया। कर्मचारियों की ई–सर्विस बुक में आंकड़े दर्ज किए जाते हैं ताकि यह पूरी तरह प्रभावी हो जाए और डाटा तथा कर्मचारियों के प्रोफाइल का सत्यापन करने के लिए कुछ मामलों का प्रचालन किया जा रहा है।

15. फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफ.टी.एस.):

योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार योजना भवन में केंद्रीकृत डायरी/डिस्पैच तथा फाइल मानीटरिंग प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग के सभी प्रभागों में फाइल ट्रेकिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एन. आई. सी. योजना भवन यूनिट ने इस कार्य के लिए अनेक कार्यशालाएं, हैंड्स आन–ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा प्रयोक्ता को निजी प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई और उन्हें ओ.पी.ए. प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी दी ताकि सम्पूर्ण कार्यालय में केन्द्रीयकृत डायरी/डिस्पैच और फाइल मॉनीटरिंग का उपयोग हो सके। संशोधन करके अब इसे बेहतरीन एप्लीकेशन बना दिया गया है, जिसके तहत फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफ.टी.एस.) जैसी कुछ और विशेषताएं जोड़ दी गई हैं। एफ.टी.एस. एक वैब आधारित एप्लीकेशन है, जो पावतियों और फाइलों की बकाया स्थिति की मॉनीटरिंग करती है, तथा उन्हें आसानी से ढूंढनें में मदद करती है, जिसका योजना आयोग और इसके सभी प्रभागों में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है । यह एक एकीकृत पैकेज है, जिसकी विशेषताएं फाइल की डायरी से लेकर स्थिति को अद्यतन करने तक है, नई फाइलें भी खोलती है, फाइलों के आवागमन की जानकारी भी ली जा सकती है, फाइलों/पत्रों का प्रेषण भी इससे किया जाता है, और अंतिम रूप से प्रबंधन का रिकार्ड भी रखती है। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिन की कार्यशाला लगाई और ओ.पी.ए./एफ.टी.एस प्रणाली का ऑनलाइन प्रदर्शन किया।
2. प्रशिक्षण और कठिनाइयाँ दूर करना: नये प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और जब भी प्रयोक्ताओं को जरूरत हो, तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद की जाती है।
3. नियमित प्रशासनिक कार्य किया जाता है,

जिसमें शामिल है – नये सेक्शन/अधिकारियों की प्रविष्टि, कर्मचारियों की पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन तथा प्रयोक्ता की आवश्यकतानुसार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानांतरण के ब्यौरे को अद्यतन करना।

16. ई–कार्यालय का कार्यान्वयन – एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, डिजिटल कार्यस्थल के समाधान की ओर अग्रसर

विभिन्न एप्लीकेशन्स में वन स्टॉप एकसैस प्वाइंट उपलब्ध करा कर संगठनात्मक क्षमता में सुधार की दृष्टि से और योजना आयोग में आसानी की दृष्टि से दस्तावेज प्रबंधन कंटेंट प्रबंधन सहयोग/संदेश देने की सेवा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल गतिशीलता हेतु लचीले प्लेटफार्म की जरूरत थी।

- ई–कार्यालय पोर्टल नेटवर्क एक जी2ई/जी2जी समाधान है, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो संगठन सूचनाओं और एप्लीकेशन/सेवाओं के लिए वन स्टॉप एक्सैस प्वाइंट प्रदान करता है, जो दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक लचीला प्लेटफार्म है। कंटेंट प्रबंधन, सहयोग, मैसेज–सेवा और कार्य प्रवाह मॉड्यूल्स आदि किसी संगठन के कर्मचारियों को सेवाएं एक साथ मुहैया करा कर एप्लीकेशन को एकल खिड़की प्लेटफार्म प्रदान कर, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- ई–फाईल मॉड्यूल ई–कार्यालय का अभिन्न अंग है, जो सरकार के बीच इलेक्ट्रिक फाइलों के शुरू से आखिर तक आवागमन के लिए कार्य प्रवाह आधारित उत्पाद है जिसमें विभिन्न विशेषताएं जैसे – स्कैनिंग, डायराइजेशन, फाइल सृजन नोटिंग, डिजिटल हस्ताक्षर सर्टीफीकेट्स फाइल पर साइन के लिए, ई–फाइल के साथ पत्राचार को सुलभता और ई–फाइल मुवमैंट भी उपलब्ध है। योजना आयोग में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई.सी.) ई–कार्यालय का कार्यान्वयन कर रहा है और कुछ अन्य मॉड्यूल पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। ई–ऑफिस पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं में शामिल हैं–

क. **ई–फाइलः** ई–फाइल, ई–कार्यालय की मुख्य विशेषता है, ताकि स्कैनिंग, रजिस्टरिंग और पत्राचार की ओर अभिमुख होकर अनुमोदन के लिए फाइल, नोटिंग और फाइलें सृजित की जा सकें एवं अंत में पावतियों और फाइलों का आवागमन किया जा सके। योजना आयोग में ई–फाइल कार्यान्वयन की प्रक्रिया जून, 2010 में शुरू की गई।

ख. **वेतन पर्चीः** सभी कर्मचारी पोर्टल से चालू एवं पिछले माह के लिए वेतन पर्ची निकाल सकते हैं। सी. डी. डी. ओ. पैकज से तैयार की गई सभी कर्मचारियों की वेतनपर्ची के साथ–साथ इन हाउस पैकेज को तैयार की गई परामर्शदाताओं की वेतनपर्ची इंट्रा (ई–कार्यालय पोर्टल) पर दी गई है। कुल मिलाकर लगभग 1095 कर्मचारियों की वेतन पर्ची इंट्रा पर प्रदर्शित की गई हैं।

ग. **जी.पी.एफ. विवरणः** सभी कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से चालू वर्ष एवं विगत दो वित्त वर्षों का जी.पी.एफ. विवरण निकाल सकते हैं। वर्ष 2012–13 के लिये जी.पी.एफ. संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है।

घ. **ई–अवकाशः** इस पोर्टल पर अवकाश प्रबंधन प्रणाली का लिंक है जिससे कर्मचारी अवकाश के लिये आवेदन कर सकते हैं और इसे योजना आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। मैनुअल रूप से अवकाश मंजूरी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अवकाश प्रबंधन प्रणाली (ई–अवकाश) का कार्यान्वयन किया गया और इसे 8 फरवरी, 2011 से ऑनलाइन प्रारंभ किया गया।

ङ. **पुस्तकालयः** इस पोर्टल पर योजना आयोग के पुस्तकालय डेटा बेस का लिंक दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को पोर्टल से पुस्तकों को

ढूंढने में मदद मिलती है।

च. **ज्ञान प्रबंधन प्रणाली:** ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जो इस पोर्टल का अभिन्न अंग है, से विभिन्न प्रभागों को स्वतंत्र रूप से सूचना भेजने में सहायता मिलती है। वित्तीय स्रोत प्रभाग और राज्य योजना प्रभाग इस सुविधा का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ज्ञान प्रबंधन सूचना प्रणाली से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है जैसे :–

(i) **परिपत्र/आदेश:** इस पोर्टल पर प्रतिदिन महत्वपूर्ण परिपत्रों और आदेशों को डाला जाता है। वर्ष 2005 से परिपत्रों और आदेशों का एक संग्रहालय भी रखा गया है।

(ii) **डेली डायजैस्ट:** संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रभाग द्वारा डेली–न्यूज डाइजेस्ट को अपलोड किया जाता है।

(iii) **प्रशासन प्रभाग के दस्तावेज:** जैसे संदर्भ सामग्री जिसके तहत विभिन्न प्रभागों के कार्य, भर्ती नियम, पात्रता एवं सुविधाएं प्रस्तुति के चैनल और वरिष्ठता सूची आदि।

(iv) **फार्म:** कर्मचारी इस पोर्टल से प्रशासन और लेखा प्रभागों के विभिन्न प्रकार के फार्मों को डाउनलोड कर सकते हैं।

(v) **एप्लीकेशनों के लिंक/योजना आयोग का डाटाबेस:** इस पोर्टल से कर्माचरी इंट्रानेट/इंटरनेट पर उपलब्ध पीईओ मूल्यांकन अध्ययन, गैर–सरकारी संस्थाओं, एसीआर आदि के डाटाबेस से योजना आयोग के विभिन्न डाटाबेस और सूचना प्रणाली को भी देख सकते हैं।

17. **केन्द्रीकृत ए. सी. सी. रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (ए.वी.एम.एस.) – एन.आई.सी. द्वारा डिजाइन तथा विकसित ई–शासन टूल:** एन.आई.सी. मुख्यालय द्वारा संचालित यह एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग प्रणाली है, जिसे एन.आई.सी. द्वारा चालू किया गया है जिससे ए.सी.सी. की सहमति प्राप्त किए जाने वाले मामलों की सामयिक प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी। यह प्रणाली http://avms.gov.in पर उपलब्ध है। एन.आई.सी. योजना भवन यूनिट ने योजना आयोग के संबंधित नोडल अधिकारी को इसका डाटाबेस अद्यतन करने में सहायता प्रदान की।

18. **सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जी.ए.एम.एस.):** जी.ए.एम.एस. को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना आयोग के सभी लेखा अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई है। जी.ए.एम.एस. एक आनलाइन लाइसेंस फीस कलेक्शन और मानीटरिंग प्रणाली है।

19. **केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मानीटरिंग प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.):** सी.पी. जी.आर.एम.एस. संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों और एन.आई.सी. यूनिट के अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रणाली को लागू करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई।

20. **केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पी.ई.एन.जी.आर.ए.एम.एस.):** एन.आई.सी. के सहयोग से पेंशन तथा पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सरकारी/पेंशन संबंधी शिकायतें दूर करने वाले अधिकारियों के लिए पेंशन संबंधी शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केंद्रीकृत प्रणाली (सी.पी.ई.एन.जी.आर.ए.एम.एस.) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पेंशन प्राप्त करने वालों की सभी शिकायतों की मानीटरिंग के प्रयोजन से इन शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर पोर्टल में डाल कर इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है।

21. योजना आयोग व्यय मानीटरिंग प्रणाली (पी.सी.–ई.एम.एस.): योजना आयोग के योजना और गैर–योजना व्यय दोनों को मानीटर करने के लिए एमआईएस है। इसका मांग और अनुदान के साथ समेकन है और इसे कार्यान्वित किया गया है। इस साफ्टवेयर को इंटेगरेटिड फाइनेंस एकाउंट (आई.एफ.ए.) प्रभाग के लिए तैयार किया गया है और इसका प्रयोग मासिक व्यय और अनुदानों की मांग को मानीटर करने के लिए किया जाता है। इस एम.आई.एस. द्वारा अनुदानों की मांग योजना बजट लिंक तथा अन्य वक्तव्यों, जिनमें बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार योजना और गैर–योजना विवरण का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है।

22. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी.पी.आई.एस.) – सुविधाएं: मानीटरिंग के लिए 'फोर्थ टीयर टूल' को सुदृढ़ करने के लिए जनता के प्रयोग हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों ने ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी.पी.आई.एस.) को डिजाइन, विकसित तथा कार्यान्वित किया है। यह एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति प्रणाली है, जो 31.03.1999 को ग्राम स्तर जनगणना आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें जनगणना 2001 आंकड़ों के साथ एकत्रित किया गया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रणाली में नौ विभिन्न सुविधाएं हैं, जिनमें शामिल हैं–शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, डाक–तार, टेलीफोन, संचार साधनों की उपलब्धता, समाचारपत्रों की उपलब्धता, बैंकिंग, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं, संयुक्तता और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता आदि। **यह प्रणाली दो भागों में आंकड़े दिखाती है – एक टेबुलर व्यू और दूसरे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यू के रूप में।** इसे डॉट नेट में विकसित किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, 2005 का प्रयोग किया गया है। इसका यू.आर.एल. http://pcserver.nic.in/vpis है।

23. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी.पी.आई.एस.)–जनांकिकी: यह भी एक वेब आधारित रिट्रीवल प्रणाली है, जो भारत सरकार के जनगणना–2001 आंकड़ों पर आधारित है। इस प्रणाली के द्वारा भारत के सभी गांवों की जनांकिकी (डेमोग्राफिक) विश्लेषणात्मक जानकारी को रिट्रीव किया जाता है। राज्य पुनः प्राप्ति के लिए डायनमिक क्वेरी ईंजन और डेमोग्राफिक डाटा के विश्लेषण करके इस एमआईएस को विकसित किया गया है।

24. 'ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तंत्र – योजना सेवा': ई–शासन परियोजना के अधीन योजना आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना सेवा के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सेवाओं के बारे में आनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा मानीटरिंग किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा योजना आयोग के सभी कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा नेटवर्क पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और योजना भवन में नियुक्त हार्डवेयर अनुरक्षण इंजीनियर उन शिकायतों को कम से कम समय में अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं।

25. हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली (एच.आई.एम.एस.):

आयोग के लिए विकसित नई हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली में साफ्टवेयर विकास, समेकन और कार्यान्वयन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के पैकेज के जरिये योजना द्वारा खरीदी गई और प्रयोग की जाने वाली सभी हार्डवेयर इन्वेंटरी मदों के लिए यह वेब आधारित प्रणाली है और सभी नई आने वाली मदों, भण्डारित मदों तथा

सौंदों के ब्योरों के बारे में सूचनाएं मिल सकती हैं। परिवर्धित और संशोधित संस्करण में सभी सुरक्षा फीचर, संचलन पर्ची की नई रिपोर्ट तैयार करना और अन्य कई फीचर्स शामिल हैं।

26. ई–परिसंपत्ति सूची : (http://pcmis/e_assetinventory)

योजना आयोग के सामान्य–I और सामान्य–II अनुभाग में अनुरक्षित उपभोज्य और गैर–उपभोज्य सामग्री की सूची के प्रबंधन के लिए ई–एसेटइनवेंटरी एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस प्रणाली का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि इनवैंटरी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाया जा सके।

27. भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों संबंधी एमआईएस:

यह भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में सिंगल विंडो वेब आधारित एम.आई.एस. है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन करके और आपस में जोड़कर डिजाइन और विकिसत किया गया है और योजना भवन में इसे कार्यान्वित किया गया है और यह बाहर से यू.आर.एल. का प्रयोग करके http://pcserver.nic.in/flagship पर उपलब्ध है। किसी विशेष अवधि के दौरान महीने–वार और वर्ष–वार फ्लैगशिप कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को जोड़कर यह साइट सूचना उपलब्ध कराती है।

28. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए एम.आई.एस. (एम.आई.एस.–एन.ई.आर.डी.):

पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में क्षेत्रकीय स्कीमों की प्रगति के मॉनिटरण के लिए ऑनलाइन वैब आधारित पोर्टल कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर जिलों से मासिक निवेष्टियों की सूचना ली जा रही है और सभी रिपोटों को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। यह प्रणाली पहचान की गई 11 स्कीमों से संबंधित जिला वार और राज्य–वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति उपलब्ध कराती है, जिनकी पहचान चुनिंदा सघन मॉनिटरण के लिए की गई है, जिनका मासिक आधार पर मॉनिटरण करना जरूरी है। इस एम.आई.एस. पोर्टल http://pcserver.nic.in/ner के जरिए पहुंचा जा सकता है।

29. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए एम.आई.एस.:

यह एम.आई.एस. विशेष रूप से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए ही डिजाइन तथा तैयार किया गया है। जैसे ही नई जानकारी मिलती है, इसे अपडेट किया जाता है। यह एमआईएस उपाध्यक्ष को वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफ.डी.आई.) पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी अपडेटिड डाटा, डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी मामलों तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी मामलों की नवीनतम जानकारी देता है। इस एमआईएस से 1990–91 से लेकर आज तक, स्वीकृत परिव्यय और व्यय के संबंध में, पिछले वर्षों में प्रतिशत उन्नति, तुलनात्मक विवरण और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त जी.एस.डी.पी. की जानकारी भी मिलती है। डाटाबेस में अन्य जानकारियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, वित्तीय घाटे, कृषि जी.डी.पी. प्रायोजन, जी.आई.एन.आई. को–एफिसिएंट, राज्य–वार पावर टी. एण्ड डी. हानियां, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय घाटे, गरीबी संबंधी आंकड़े, एफ.डी.आई. और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी आंकड़े, चुनिंदा देशों की जी.डी.पी. प्रयोजनाएं, जी–20 और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि जानकारियां शामिल

हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्षिक योजना के बारे में चर्चाओं के दौरान तथा राज्यों और विदेश यात्राओं के समय यह एम. आई.एस. उपाध्यक्ष को जानकारियां देकर सहायता करता है। यह यू.आर.एल. http://planningcommission.gov.in/data/datatable/index.php?data=datatab पर उपलब्ध है।

30. बहुस्तरीय जीआईएस एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचा:

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित तथा एन.आई.सी. की सहायता से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सी.एस.) स्पाशिअल डाटा इफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टीलेयर्ड जियोग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएस) योजना आयोग में चालू है। स्पाटिशल डाटा और जी.आई.एस. एप्लीकेशन सेवा अब जी2जी में एन.आई.सी. के जरिये योजना आयोग में भी उपलब्ध है। *एन.आई.सी. मुख्यालय के मिरर सर्वर अर्थात सन फायर वी 440 सर्वर सन–सोलारिस को भी चालू किया गया है और कोई भी व्यक्ति यू.आर.एल.–http://plangis/website/nsdb/viewer.htm का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्थानिक डाटाबेस एप्लीकेशन को आसानी से देख सकता है।*

एन.एस.डी.बी. डाटाबेस वाले सन–सोलारिस सर्वर के अलावा अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपनी मिरर साइट डाली है और योजना आयोग में इन्ट्रा योजना पोर्टल के माध्यम से इन लेयर्स को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग सर्वर की निम्नलिखित लेयर्स हैं:–

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरल : राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, गांव/कच्ची सड़कें (अनमेटल्ड रोड), रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां, जलाशय, वाटरशेड लेवल्स, भूमि उपयोग वनस्पतियां टाइप भू–उत्पादकता भूमि ढ़लान भूमि गहराई, भूमि की बनावट भू–क्षरण आदि।

डाटा स्रोत में शामिल हैं:

- जनगणना 2001 डाटा, प्राथमिक जनगणना सारांश और सुविधा डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा, खादी और ग्राम उद्योग।
- एनआरएसए आदि से प्राप्त डाटा।

योजना आयोग में एन.आई.सी.वाई.बी.यू. यूनिट ऐसी सभी जी.आई.एस. एप्लीकेशन्स का संरक्षक है, जहां–साइट कार्यरत है और योजना आयोग के लिए डिजीटाइज्ड नक्शे बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में बनाए गए नक्शों और डाटाबेसों को योजना आयोग में एन.आई.सी. वाई.बी.यू. यूनिट स्थानीय रूप से देखभाल कर रहा है और योजना आयोग के विभिन्न प्रयोक्ताओं को बड़ी संख्या में इनपुट प्रदान करता है।

31. गैर–सरकारी संगठन भागीदारी प्रणाली (एन.जी.ओ.पी.एस.):

योजना आयोग के निदेशानुसार गैर–सरकारी संगठनों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एन.जी.ओ./वी.ओ. के वर्तमान डाटाबेस को एन.जी.ओ. भागीदारी प्रणाली में डाल दिया गया है। भारत के योजना आयोग ने सभी स्वयंसेवी संगठनों (वी.ओ.)/गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को इस प्रणाली पर साइन–अप करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों के साथ परामर्श कर के विकसित किया गया है ताकि इन निकायों की विभिन्न स्कीमों हेतु सरकारी अनुदानों के लिए अनुरोध के संबंध में सरकार

से बातचीत के समय इन वी.ओ./एन.जी.ओ. को सुविधा हो सके:

- संस्कृति मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- जनजाति कार्य मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- उच्च शिक्षा विभाग
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.)
- लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी गति परिषद (कापार्ट)
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस. डब्ल्यू.बी.)
- युवा मामले विभाग

सभी वी.ओ./एन.जी.ओ. से अनुरोध है कि वर्तमान वी.ओ./एन.जी.ओ. का डाटाबेस बनाने और भागीदार मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए वे पोर्टल http://ngo.india.gov.in में साइन–अप कर दें (एक बार)। भारत की राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए, अपने भाषण में 100 दिवसीय वचनबद्धता में एन.जी.ओ. भागीदारी प्रणाली का प्रस्ताव किया था। आज तक अर्थात 20 अप्रैल, 2014 के अंत तक लगभग 58,198 एनजीओ ने पोर्टल के साथ आनलाइन साइन–अप किए हैं और लगभग 4730 एन.जी.ओ. ने अनुदान के लिए ऑनलाइन और 3616 ने ऑफलाइन आवेदन किए हैं। एन.आई.सी.वाई.बी.यू. में प्रशासक के लिए इंटरफेस विकसित किया है। इस प्रणाली में सर्च, एफ.ए.क्यू. और एन.जी.ओ.पी.एस. पोर्टल में एन.जी.ओ./वी.ओ. द्वारा किए गए साइन–अप एकाउंट की पुष्टि सक्रिय करने के लिए आटो मेटिड मेल से यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड भेजने जैसी सुविधाएं भी हैं। आम तौर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) को भी तैयार कर लिया गया है और उन्हें साइट से जोड़ा गया है, ताकि एन.जी.ओ. की उनकी सहभागिता हेतु मदद की जा सके।

32. संसद प्रश्नोत्तर का डाटा बैंक:

संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए उत्तर का एक वेब–आधारित डाटाबेस, जिसका कार्य योजना आयोग का संसद अनुभाग देखता है, इंटरनेट साइट http://pcserver.nic.in/parliament पर उपलब्ध है। वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है और विभिन्न सत्रों के दौरान योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर वेब फारमेट में डाले गए और अपेक्षित की डेफिकेशन के बाद श्रेणी–वार और प्रभाग–वार अपेक्षित जानकारी के लिए उनके डाटा बेस को अपडेट किया गया है। वेबसाइट पर एक नया मोड् 'क्विक सर्च' बनाया गया है। संसद के सभी सत्रों में योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर इस साइट पर उपलब्ध हैं।

33. कॉम्प डीडीओ पैकेज के जरिए ईसीएस प्रणाली के स्थान पर ई–भुगतान करना:

वेतनपत्रक के लिए विस्तृत डीडीओ पैकेज सभी लेखा अनुभागों के कारगर संचालन को सुगम बनाता है तथा विभिन्न कार्यों से उनकी मदद करता है। योजना आयोग में ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) के जरिए वेतन का भुगतान मार्च, 2010 से शुरु किया गया। सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से ई–भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है। ई–भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तथा ई–भुगतान के जरिए वेतन का

संवितरण नवम्बर, 2013 से शुरु किया गया है। सीडीडीओ पैकेज से तैयार वेतन पर्ची को उनके इंट्रा साइट के माध्यम से प्रदर्शित करने के लए डीजीएस एण्ड डी को मदद की गई।

34. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली (भविष्य): इस प्रणाली को योजना आयोग में कार्यान्वित किया गया है। योजना आयोग के सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों से संबंधित डेटा पोर्टल पर मुहैया तथा अपलोड किया गया है।

35. वित्तीय संसाधन और डाटा प्रबंधन हेतु वेबसाइट – वित्तीय संसाधन प्रभाग को सहायता:

एन.आई.सी. (वाई.बी.यू.) ने एक वेब आधारित एप्लीकेशन जो योजना आयोग के वित्तीय प्रभाग (एफ.आर.) हेतु इन्टरनेट पर उपलब्ध है। इस साइट को अब पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है और सामग्री की दृष्टि से यह काफी सम्पन्न है जिसमें वित्तीय आबंटन, परिव्यय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी योजनाओं से संबंधित व्यय के ब्यौरें केंद्रीय वित्त संसाधनों के स्थूल और सूक्ष्म ब्यौरे हैं। इसके कुछ और वेब पृष्ठों में संशोधन और परिवर्धन किया गया है और अपलोड किया गया है। यह एम.आई.एस. एक ही स्थान पर सभी सूचनाओं का संग्रह है तथा डेटाबेस के यूजर इंटरफेस में संशोधन करके इसे प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है।

36. राज्य योजना एवं आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट – राज्य योजना प्रभाग प्रभाग की सहायता:

आंतरिक प्रयोग के लिए किसी भी समय 'यूजर फ्रैंडली' ढंग से इंट्रा पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टों, लेखों, इनपुट, डाटा डिपोजिटरी तथा विभिन्न प्रभागों के संबंधित सभी जानकारी लेने के लिए राज्य योजना प्रभाग हेतु एक वेब आधारित अनुप्रयोग डिजाइन किया गया है। इस साइट में सभी पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं और उनके सेक्टर तथा उप सेक्टर परिव्यय, योजना आयोग में तथा राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर तैयार किए गए। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राज्यों/संघ क्षेत्रों के संक्षेपण और मुख्यमंत्री स्तर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरणों आदि का डाटा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

मौजूदा वैब आधारित एप्लीकेशन में संशोधन किया गया है ताकि 12वीं योजना और वार्षिक योजना 2013–14 और 2014–15 के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वित्तीय संसाधनों के अनुमानों की सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। ग्यारह संशोधित निवेष्टि फार्मों को भी अपलोड किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नोडल अधिकारी इंट्रासाइट–http://pcserve/spr1415 से 11 फार्मो को डाउनलोड/सूचनाओं को अपलोड कर सकते हैं। प्रयोक्त टिप्पणियों और अन्य सूचनाओं को भी अपलोड कर सकता है जिनकी जरूरत योजना आयोग को होती है। यह एप्लीकेशन डॉट नेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विकसित की गई है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये सूचना अपलोड की गई है।

37. योजना आयोग के लिए ई–स्टाफ कार सेल:

उद्देश्य: योजना आयोग के स्टाफ कार सेल का वेब आधारित स्वचालन तथा वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग।

परियोजना विवरण: सिस्टम के तीन मॉड्यूल हैं **(क) मांग मॉड्यूल:** योजना आयोग के

कर्मचारियों को सिस्टम में लॉग इन करने के लिए अनुमति देता है तथा इंटरनेट पर वाहनों के बुकिंग के लिए मांग जमा कर सकते हैं एवं मांग की स्थिति देखने के लिए सर्च कर सकते हैं। **(ख) मांग प्रसंस्करण मॉड्यूलः** मांग की प्रसंस्करण सुविधा तथा वाहनों की मांग का आबंटन तथा आबंटन रद्द करना, ड्राईवर तथा वाहन मास्टरों का संरक्षण, ड्राईवरों को वाहनों के साथ जोड़ना, दैनिक लॉग का रख–रखाव। **(ग) प्रशासन मॉड्यूलः** वेबसाइट एटमिनिस्ट्रेशन और प्रयोक्ता के लिए एटमिनिस्ट्रेटर द्वारा पहुंच।

संपन्न कार्यः सिस्टम का विकास सम्पन्न हो चुका है। योजना आयोग के संबंधित अनुभाग के अधिकारियों को निकट भविष्य में लागू होने वाली एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का परीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है, जो स्टाफ कार सेल अनुभाग के कार्यों को आसान कर देगा। इसके अलावा, योजना आयोग में आईसीटी का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कई अन्य स्वचालन कामों का निष्पादित किया जा रहा है।

38. भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य, 2047 पोर्टल

आईईएसएस, 2047 योजना आयोग के ऊर्जा और अनुसंधान प्रभाग में है; और इसे ऊर्जा परिदृश्य निर्माण उपकरण के रूप में विकसित किया गया है। इसकी प्रेरक महत्वाकांक्षा वर्ष 2047 तक के लिए ऊर्जा के मार्ग विकसित किए जांए जिसके लिए भारत के भावी ऊर्जा करना, नवीकरणीय उर्जा, तेल गैस, कोयला और नाभकीय जैसे ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रकों में भारत के लिए संभावित भावी ऊर्जा परिदृश्य की श्रृखंला का पता लगाना और परिवहन, उद्योग, कृषि, कुकिंग, लाइटिंग और उपकरणों आदि जैसे ऊर्जा मांग वाले क्षेत्रकों का पता लगाना है। इस मॉडल के परिणाम कार्बन–डाईऑक्साइड उत्सर्जन और विभिन्न ऊर्जा परिदृश्यों के लिए भू–उपयोग प्रभावों का मूल्यांकन भी होता है। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (आईईएसएस, 2047) टूल अपने प्रभावों में से एक के रूप में, चुने गए मार्गों के लिए कुल कार्बन–डाईऑक्साइड (CO_2), फुटप्रिंट भी सृजित करता है। हालांकि इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा है। क्योंकि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि इसके ऊर्जा माध्यम पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय रहे। देश में दीर्घकालिक रूप से कार्बन–डाईऑक्साइड उत्सर्जन का आकलन करने के लिए कई अध्ययन शुरू किये गए हैं किंतु यह माध्यम अकेले ही प्रयोक्ता को यह समझाने में मददगार है कि ऊर्जा के विभिन्न साधनों पर उत्सर्जन का संचयी प्रभाव क्या होता है क्योंकि यह आपूर्ति पक्ष से ऊर्जा दक्षता अंतःक्षेपों और आपूर्ति पक्ष से ईंधन मिश्रण को मध्यकालिक दृष्टि से संयुक्त करता है तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जांच के लिए केवल कार्बन–डाईऑक्साइड उत्सर्जन को शामिल किया गया है और यह उपकरण जीएचजीएस पर अपने अगले संस्करणों में विचार करेगा।

वैकल्पिक ऊर्जा परिदृश्यों का पता लगाने के लिए हमने अपेक्षाकृत सरल गणक का विकास किया है जिसकी मदद से हम मुख्य मानदंडों में किए गए बदलावों के आधार पर सेक्टरों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मात्रा में ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक रूप से सम्भव उपायों का पता लगा सकते हैं। वर्ष 2047 भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी और इसी वर्ष सभी सिमुलेशन समाप्त हो जाएंगे। यह 2050 के मध्य शताब्दी की तारीख के भी पास है जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चा में किया गया है ताकि वैश्विक उत्सर्जन के लक्ष्यों के सुझाव दिया जा सके। इन परिदृश्यों को उपस्थित करते हुए हमारा लक्ष्य यह पता लगाना

था कि क्या–क्या विकल्प है और साथ ही उनके लिए सभी पक्षों को प्रोत्साहित करना भी है। अतः योजना आयोग की वेब–साईट पर ''संगणक'' उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कोई भी वैकल्पिक अनुमान लगाकर कह सके कि अन्य कौन से परिदृश्य व्यवहार्य है तथा इस पर चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके कि इन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। इसका प्रायोजन अधिकाधिक लोगों का इस साधन का उपयोग करने और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने प्राथमिकतापूर्ण विकल्पों को सामने रखने के लिए प्रेरित करना था।

यूके एनर्जी पाथवे कैलकुलेटर का उपयोग और अंगीकरण योजना आयोग के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में किया गया था। यह एक ओपन सोर्स टूल है जिसने डेटा को सार्वजनिक किया और जो प्रयोक्ता के पूर्ति की पसंद के अनुसार अनुमानों में फेर–बदल की आजादी देता है। यह चलाने में भी आसान है। निम्नांकित सुविधा के लिए एक वेब–साईट विकसित की गई है:–

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए संभावित साधनों पर अकादमिक और नीतिगत चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना और गहन विश्लेषण के लिए कुछ एक सम्भव अंतःक्षेपों की प्राथमिकताएं निर्धारित कराना। इतनी सारी संभावनाओं के बीच प्रत्येक परिदृश्य के लिए यह मांग और आपूर्ति के लिए सांकेतिक संख्या उपलब्ध कराएगा और आयात निर्भरता लागत और भूमि आवश्यकता जैसे मुद्दों पर संभावित प्रभावों को सामने रखेगा।

प्रयुक्त प्रोद्योगिकी ओपन सोर्स उबनटू ओएस 12.04, एलएमपी, यूके एनर्जी पाथवेज कैलकुलेटर–2050.

स्थिति: परियोजना विभाग पर 05 लाग से स्थानीय संसाधनों के साथ आंतरिक रूप से कार्यान्वित, अभिकल्पित और विकसित तथा सार्वजनिक डोमेन में स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध कराई गई। वेबसाईट 28 फरवरी, 2014 को योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष द्वारा शुरू की गई थी।

III. नेशनल पोर्टल ऑफ इण्डिया तथा अन्य वेबसाइट की विषय वस्तु:

इंडिया पोर्टल (http://india.gov.in) की विषय वस्तु को समृद्ध बनाने के लिए योजना आयोग से संबंधित बहुत से दस्तावेज डाले गए हैं।

वेबसाइट का अपडेशन और अनुरक्षण (मेनटेनेंस): योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 2013–14 की अवधि के दौरान निम्नलिखित वेब साइटों को अद्यतन बनाया गया और अनुरक्षित किया गया:

- योजना आयोग की वेबसाइट http://planningcommission.gov.in
- 12वीं पंचवर्षीय योजना की वेबसाइट http://12thplan.gov.in
- अवसंरचना सचिवालय (एसओआई) वेबसाइट http://infrastructure.gov.in
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.) वेबसाइट http://eac.gov.in
- अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) वेबसाइट http://iamrindia.gov.in
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वेबसाइट http://knowledgecommission.gov.in
- पीआईआईआई पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय (http://iii.gov.in)
- भारतीय राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद (http://innovation.gov.in)
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) पोर्टल (http://dbtportal.gov.in)

1. योजना आयोग की वेबसाइट:

योजना आयोग की वेबसाइट अर्थात http://

planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। विभिन्न पेजों के हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के पाठ भी तैयार कर के वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। योजना आयोग की वेबसाइट को पुनः डिजाइन कर के आकर्षक बनाया गया है और कंटेंट्स को अच्छी प्रकार वर्गीकृत किया गया है ताकि वे अधिक यूजर फ्रेंडली हों।

नवीन रूप में वेबसाइट में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर जोड़े गए:

- ➢ नौवहन – अधिक सरल (सिम्पलर): कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खनिज, उद्योग, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय तथा अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- ➢ मीडिया और प्रेस रिलीज, इन्टर्नशिप ई. एफ.सी./पी.आई.बी. स्टेट्स टेंडर्स की विशेष कवरेज
- ➢ एक बार में ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों की मानीटरिंग
- ➢ रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और दो से अधिक बार क्लिक नहीं करना पड़ता।

2. 12वीं पंचवर्षीय योजना की वेबसाइट:

भारत में बेहतरीन योजना में हमारी सहायता के उद्देश्य से डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की पहली विमर्शी वेबसाइट http://12thplan.gov.in 02 फरवरी, 2011 को मीडिया की उपस्थिति में शुरू की, जिसमें वेबसाइट की प्रस्तुति भी दी गई। वेबसाइट का उद्देश्य था कि योजना बनाने की प्रक्रिया को अभिकल्पना और सुलभता हो, जिसका नेतृत्व टैक्नैक्रेट्स विशेषज्ञों या केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता इसे लोक नेतृत्व प्रक्रिया पर छोड़ा गया है, और सोसाइटी और गैर सरकारी विशेषज्ञ उनमें से कुछ साइट्स पर प्लानिंग में योगदान दे सकते हैं तथा इसे और अधिक रूप से हाशिए पर रहने वालों के लिए जगह सृजित कर सकते हैं। यह 12 रणनीतिक चुनौतियों पर आधारित थी जिसका उद्देश्य विभिन्न समूहों तक पहुंचना था:

- o सिविल सोसाइटी निकायों के साथ व्यापक परामर्श।
- o सूक्ष्म, लघु उद्योग और व्यापार संघों की सेवाएं लेना।
- o राज्य सरकारों और राज्य सरकार के विभागों के साथ परामर्श।
- o अंततः पूरी दुनिया में ''नैटीजन्स'' से जुड़ना।

....अगली पंचवर्षीय योजना की सहभागी आयोजना संचालन में योगदान का एक साधन

- o आगामी दृष्टिकोण पत्र और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोग चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को देखने का अवसर।
- o इन चुनौतियों के बारे में लोगों के प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं की व्याख्या।
- o विविध पणधारियों को एक मंच पर लाना।
- o विभिन्न चिंताओं वाले विषयों के बारे में सामाजिक समूहों को लगाना, विभिन्न विचारों, नेटवर्क और संसाधनों को एकत्र करना।

इस वेबसाइट की फेस बुक के साथ इंटरफेस होना महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह सामाजिक

नेटवर्किंग साइट है। इसकी विषय वस्तु सक्रिय हैं, विषय एवं पोस्ट्स हैं, जिन्हें प्रयोक्ता पोस्ट कर सकता है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के लिए यह निवेष्टि बन सकती है। आज की स्थिति के अनुसार 78 हजार लोगों ने इस साइट को देखा है।

3. आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) की वेबसाइटः

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि परिषद की अलग वेबसाइट हो। तदनुसार साइट को रजिस्टर करा लिया गया और 27 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव द्वारा एक अलग वेबसाइट http://eac.gov.in शुरू की गयी है। सरकार ने आर्थिक मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है। यह वेबसाइट ईएसी द्वारा की गई पहल की जानकारी को लिंक करने और सरकारी नीतियों के बारे में प्रमुख पहल की जानकारी को सिंगल विंडो के जरिये उपलब्ध कराने के लिए है।

4. अवसंरचना सचिवालय (एस.ओ.आई.) की वेबसाइटः

माननीय वित्त मंत्री द्वारा 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अवसंरचना सचिवालय के लिए एक नई वेबसाइट http://infrastructure.gov.in शुरू की गई है। एन.आई.सी. (वाई.बी.यू.) ने इस साइट को शुरू करने हेतु एस.ओ.आई. सचिवालय को पूरी मदद दी है और योजना भवन में एन.आई.सी. यूनिट इस प्रभाग को पूरी मदद दे रहा है ताकि इस वेबसाइट का समय पर अपडेशन हो और कंटेंट्स भी व्यापक हो जाए।

5. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइटः

'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' की वेबसाइट http://knowledgecommission.gov.in को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में सरकारी तौर पर GOV.in डोमेन के अंतर्गत शुरू किया गया। इस साइट को शुरू करने में एन.आई.सी. (वाई.बी.यू.) ने पूरी मदद की है और समय पर अपडेशन के लिए तथा कंटेंट्स बढ़ाने के लिए लगातार मदद कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी साइट को अधिक व्यापक बनाया गया है। श्री सैम पित्रोदा, पी III से संबंधित प्रधानमंत्री के सहायक ने क्रमशः http://innovationcouncil.gov.in और http://innovation.gov.in साइट और पोर्टल को भी शुरू किया है। इन दोनों साइटों का डिजाइन, विकास और अनुरक्षण NIC द्वारा किया जाता है।

6. अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) की वेबसाइटः

अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.), नरेला, जो योजना आयोग की एक स्वायत्तशासी संस्था है, की वेबसाइट सरकारी तौर पर GOV.in डोमेन के अंतर्गत शुरू की गई है। इस साइट को शुरू करने में एन.आई.सी. (वाई.बी.यू.)ने पूरी सहायता दी है और इसके समय पर अपडेशन तथा कंटेंट्स व्यापक बनाने के लिए लगातार सहायता दे रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी इसे अधिक व्यापक बनाया गया है।

7. इन्ट्रा–योजना पोर्टल (http://intrayojana.nic.in)

एन.आई.सी. (वाई.बी.यू.) ने योजना आयोग के कर्मचारियों हेतु सभी जी2ई/जी2जी एप्लीकेशन के लिए इंट्रा योजना पोर्टल को विकसित और कार्यान्वित किया है, ताकि विभिन्न जानकारियों को एक स्टाप वेब आधारित पोर्टल में समेकित किया जा सके और सर्विस का समाधान हो सके। इसे ओपन स्टेंडर्ड पर बनाया गया है और

'लीनेक्स', 'प्लोन' और 'जोप' साफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। पोर्टल को महत्वपूर्ण जानकारी से समृद्ध किया गया है और इसमें कंटेंट और दस्तावेज प्रबंधन, केंटेंट्स की व्यक्तिगत डिलीवरी, कार्य–प्रवाह और अन्य रीयल टाइम सहयोगी सेवा जैसी विशेषताएं हैं। इस पोर्टल पर वर्ष के दौरान व्यवस्थित की गई सामग्री में शामिल है:–

क. नये प्रयोक्ताओं का सृजन।

ख. प्रयोक्ता प्रोफाइल की स्थिति को अद्यतन करना।

ग. राज्य योजना वित्तीय संसाधनों और अन्य प्रभागों की सामग्री को अपलोड करना।

घ. सभी कर्मचारियों की माह–वार पे–रोल और जीपीएफ डाटा को अपलोड करना।

ङ. परिपत्र / कार्यालय आदेश / सूचनाओं को दैनिक आधार पर अपलोड करना।

च. अनुरोध प्राप्त होने पर अन्य कंटेंट्स की अपलोडिंग।

छ. पे–रोल सीडीडीओ पैकेज साफ्टवेयर के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी मदद।

ज. एन.आई.सी., योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित की गई एम.आई.एस. के लिंक्स की व्यवस्था।

झ. फाइल ट्रेकिंग सिस्टम (एफटीएस) प्रबंधन आदि।

8. सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005:

आर.टी.आई. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की है। इसमें संबंधित दस्तावेज सूचना अपलोड की जाती है। आर.टी.आई. अधिनियम से संबंधित पूछताछ और उत्तर प्रक्रिया सर्वर पर इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह साइट शुरू की गई है और योजना आयोग के होम पेज से इसे जोड़ा गया है।

9. पी.ए.ओ. कम्पेक्ट साफ्टवेयर:

एन.आई.सी. ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रयोग हेतु विभिन्न अदायगियों और लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली साफ्टवेयर 'पी.ए.ओ. काम्पेक्ट' शुरू की है। विंडो 2003 सर्वर की, जिस पर यह साफ्टवेयर एप्लीकेशन लगाया गया है की, देखभाल एन.आई.सी. (वाई. बी.यू.) करता है और योजना आयोग के वेतन तथा लेखा कार्यालय को सभी जरूरी सहायता दी जाती है।

10. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की 57वीं बैठक का वेब प्रसारण:

12वीं योजना (2012 से 2017) के दृष्टिकोण पत्र पर 27 दिसंबर, 2012 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की 57वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों के साथ मंत्रिगण भी मौजूद थे, एन.आई.सी. द्वारा विज्ञान भवन से उद्घाटन एवं समापन सत्र का सीधा वेब प्रसारण किया गया। इससे पहले भी योजना आयोग की एन.आई.सी. की इकाई ने नेटवर्क सुविधा के साथ वर्क–सेंटर उपलब्ध कराते हुए विज्ञान भवन में सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी ताकि समारोह का सफल संचालन हो सके।

11. योजना आयोग में वीडियो सम्मेलन सेवा:

एनआईसी विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी करने, लोक शिकायत, राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा कानून और व्यवस्था की निगरानी, सीआईसी द्वारा सूचना का अधिकारी की सुनवाई, दूरस्थ शिक्षा, टेली

परामर्श, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, नई योजनाओं का शुभारंभ, आदि के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को वीडियो सम्मेलन की तकनीकी अवसंरचना उपलब्ध कराता है।

योजना आयोग की पहल पर दि एक्सक्यूटिव वीडियों कांफ्रेंसिंग सिस्टम (ईवीसीएस) मौजूदा आईपी आधारित नेटवर्क अवंसरचना निकनेट पर कार्यान्वित किया गया है – जो संचार के लिए कम लागत वाला है। एनआईसी की योजना भवन स्थित यूनिट ने इसे लागू करने की पहल की है ताकि शीर्षस्थ अधिकारियों को आईपी पर बेहतर संचार प्रणाली की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस परियोजना को मौजूदा आईपी आधारित नेटवर्क अवसंरचना–निकनेट पर क्रियान्वयन किया गया – जो संचार के लिए कम लागत की है। इस कैलेण्डर वर्ष के दौरान, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अंतर्गत सदस्यों और सचिव (योजना आयोग) तथा अन्य शीर्षस्थ अधिकारियों की अध्यक्षता में लगभग 100 वीडियो कांफ्रेंस की गई तथा इस सेवा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद जिलों, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों तथा अन्य मुद्दों पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अनेक अवसरों पर मल्टी कांफ्रेसिंग की गई।

इसके अलावा योजना आयोग में एनआईसी एकक ने स्टूडियोज द्वारा मल्टीपोइंट वीडियो कांफ्रेंस सत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वीडियों कांफ्रेंसिंग संचालित की और इन वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्रों में औसतन 10 से अधिक वीडियों कांफ्रेंसिंग स्टूडियोज का प्रत्येक सत्र में इस्तेमाल किया गया।

12. राष्ट्रीय डेटा साझेदारी नीति की मुक्त सरकारी डेटा पहलः

मुक्त सरकारी डेटा पहल को सुदृढ़ बनाने, विकासकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं से लेकर नीचे तक के लोगों के समुदाय और उद्योगों में जागरुकता फैलाने के लिए योजना आयोग में बारहवीं योजना हैकथॉन का आयोजन किया गया। इनमें शामिल हैं:–

- योजना आयोग ने बारहवीं योजना पर पहली बार 32 घण्टे के हैकथॉन का आयोजन पूरे भारत को 10 स्थानों पर और ऑनलाइन किया जिसमें 1900 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन स्थानों में जम्मू विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़कपुर, आईआईटी कानपुर, टीआईएसएस मुम्बई, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईएससी बैंगलौर, आईआईटी मद्रास शामिल थे।
- हैकथॉन का आयोजन 6–7 अप्रैल, 2013 को किया गया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, डॉ. सैम पित्रोदा, प्रधानमंत्री के सलाहकार तथा योजना आयोग के सचिव, श्रीमति सिंधुश्री खुल्लर ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसे http://webcast.gov.in/hackathon पर देखा जा सकता है।
- बारहवीं योजना हैकथॉन प्रतिभागियों ने तीन श्रेणियों मोबाइल वेब–अप्लीकेशन, इंफो–ग्राफिक्स तथा लघु फिल्मों में पुरस्कार के लिए भाग लिया। हैकथॉन के लिए चुने गए क्षेत्रक थे – वृहद् आर्थिक ढांचा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा और कौशल विकास, ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण। बारहवीं हैकथान योजना के विजेता आवेदकों की सूचना वेबसाइट http://data.gov.in/hackathon पर देखी जा सकती है।

13. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षणः

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरुकता में वृद्धि करने के लिए कम्प्यूटर संबंधित विषयों पर योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना भवन में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कम्प्यूटर के बेसिक्स, विंडों आधारित माइक्रोसाफ्ट ऑफिस टूल्स/एप्लीकेशन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ई–मेल, पावर प्वाइंट, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग शामिल थे। 2013–14 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन योजना आयोग में एनआईसी एकक द्वारा आयोजित किया गयाः

- 2013 के दौरान 31 मार्च, 2014 तक 21 मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को 10 दिनों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।
- **समूह 'घ' के कर्मचारियों को कंप्यूटर (फेमिलियर) की बुनियादी जानकारी और डायरी/डिस्पैच तथा फाइलों का संचालन (एफटीएस) संबंधी प्रशिक्षण।** योजना आयोग के समूह 'घ' के काफी कर्मचारियों (एम.टी.एस.) को कई समूहों में कवर किया गया, उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया ताकि वे आफिस ऑटोमेशन उपकरणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जान सकें।
- योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए डिजीटल कार्यस्थल हेतु ई–ऑफिस–एक ई–गवर्नेंस टूल को लागू करने का प्रशिक्षण दिया गया।

4.36.7 नयाचार अनुभाग

योजना आयोग के नयाचार अनुभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं (i) अति विशिष्ट व्यक्तियों/उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों को प्रोटोकोल सुविधाएं उपलब्ध कराना। (ii) कार्यालय तथा बाहरी स्थानों में बैठकों, सम्मेलनों सेमिनारों आदि का आयोजन करना तथा (iii) इस तरह के आयोजनों के दौरान सभी अतिथ्य सत्कार की व्यवस्था करना।

1. आतिथ्य

चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग के 7 (सात) समिति कक्षों में लगभग 500 बैठकों का आयोजन किया गया।

(i) अतिविशिष्ट व्यक्तियों/प्रतिनिधि मण्डलों का कार्यालय तथा हवाई अड्डे पर स्वागत/विदाई करना।

(ii) समिति कक्षों का आरक्षण।

(iii) आतिथ्य की व्यवस्था।

(iv) कार्यालय तथा बाहरी स्थानों में बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि का आयोजन करना।

(v) समिति कक्षों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों/उच्च अधिकारों के कमरों में नाश्ता/दोपहर का भोजन तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति/आपूर्ति करना।

2. नयाचार

(vi) प्रतिनिधि मण्डलों के स्वागत/विदाई के लिए हवाई अड्डे के 150 से अधिक ट्रिप लगाए।

(vii) सरकारी यात्रा के लिए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट खरीदी गई।

(viii) अतिविशिष्ट व्यक्तियों/वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए वीज़ा, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना।

3. टेलीफोन

(ix) सरकारी/आवासीय एमटीएनएल टेलीफोन लगाना/शिफ्ट करना/बंद करना/बिल पारित करना।

(x) पात्र वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय/आवास पर रेक्स टेलीफोन उपलब्ध कराना।

(xi) एमटीएनएल, सरकारी, आरएएक्स, आंतरिक आदि निर्देशिकाओं में संशोधन, अधिप्राप्ति, अद्यतन तथा वितरण।

4.36.8 योजना आयोग क्लब

मौजूदा प्रबंधन समिति ने श्री यू. के. शर्मा, संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में मार्च, अगस्त 2011 माह के दौरान अपनी गतिविधियां शुरू की थीं। श्री शर्मा ने प्रबंधन समिति का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें स्पोर्ट्स एवं अन्य गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित किया।

क्रिकेट

योजना आयोग से क्रिकेट टीम अंतरमंत्रालयी स्पर्धा के लिए भेजी गई तथा अभ्यास के लिए खेल के मैदान भी बुक कराए गए। खेल–कूद प्रतियोगिता के दौरान टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखा।

टेबल टेनिस

लाजिस्टिक सहायता जैसे अच्छे टेबल टेनिस बैट्स की कमी होते हुए भी योजना आयोग से टेबल टेनिस की पांच सदस्यों की टीम को अंतरमंत्रालयी स्पर्धा के लिए भेजा गया।

वार्षिक एथलेटिक मीट

वार्षिक एथलीट मीट का आयोजन 8 मार्च, 2014 को किया गया, जिसमें विभिन्न एथलैटिक विधाएं जैसे – 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर की दौड़, लम्बी कूद, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, युवा और वैटरन के लिए हैमर थ्रो – महिला और पुरूषों दोनों के लिए आयोजित किए गए। बच्चों की दौड़ कराई गई। विशेष खेल जैसे– म्यूजिक चेयर, लैमन रेस भी महिलाओं और बच्चों हेतु भी कराई गई। किसी भी घटना की संभावना को देखते हुए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की गई। क्लब का फिर से तैयार किया नया ध्वज सलाहकार (एचई, संस्कृति/जीए) श्री पवन अग्रवाल और निदेशक (जीए/एचओडी) श्री शांतनु मित्रा द्वारा फहराया गया।

4.36.9 कल्याण एकक

कल्याण एकक योजना आयोग में कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यों को देखता है। यह योजना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहित ओटीसी दवाओं या सामान्य जांचों जैसे रक्तचाप/रक्त शर्करा आदि की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह एकक अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन करता है। कल्याण एकक निजी एवं अंतर–पारस्परिक मामलों में कर्मचारियों को कार्यालय में परामर्श भी देता है। यह कर्मचारियों के बीच दोस्ताना संबंध को बढ़ावा देता है और सामान्य हित के मामलों पर चर्चा के लिए भी मंच प्रदान करता है।

कल्याण एकक शहीद दिवस, आतंक विरोधी दिवस, सद्भावना दिवस, कौमी एकता दिवस, झण्डा दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन करता है और साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सशस्त्र बल झण्डा दिवस आदि के लिए निधि जुटाने की व्यवस्था करता है।

यह एकक योजना आयोग क्लब को खेल साहित्य तथा सांस्कृतिक गतिविधियों/योजना आयोग कर्मचारियों के यात्रा भ्रमण के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है। खिलाड़ियों ने अंतर–मंत्रालय क्रिकेट टूर्नामेंट 2013–14 तथा अन्तर–मंत्रालय शतरंज टूर्नामेंट 2013–14 में भाग लिया। श्री अरुण कुमार भारद्वाज, उच्च श्रेणी लिपिक ने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया तथा 508 कि. मी. की दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

विभागीय कैन्टीन, चाय बुफे, ईसीडब्ल्यूआई, सीएस (कॉफी बोर्ड), केन्द्रीय भण्डार और डीएमएस स्टाल को भी इस एकक द्वारा देखा जाता है।

कल्याण एकक शारीरिक के साथ–साथ नैतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कल्याण एकक अन्य कार्यक्रमों जैसे नव वर्ष मनाना, स्वप्रेरणा, एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण, योग तथा अन्य शैक्षिक शिविरों का भी आयोजन करता है।

4.36.10 चार्ट, नक्शा एवं उपस्कर एकक

योजना आयोग की चार्ट, नक्शा और उपस्कर एकक

डिजाइन सैटअप (चार्ट और नक्शा) और उपस्कर सैट–अप (फोटो स्टेट एकक) का संयोजन है। चार्ट और नक्शा एकक में विभिन्न प्रकार के डिजाइन कार्य तथा डिजाइनों की मल्टीपल प्रतियां तथा बाइंडिंग कार्य फोटोकॉपी एकक में किए जाते हैं। यह एकक दैनिक कार्यों के लिए योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों को तकनीकी और उपस्कर सहायता उपलब्ध कराता है। डिजाइन कार्यों के अलावा मीटिंग संबंधी अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पावर पोइंट प्रस्तुति, नाम प्रदर्शन कार्ड, बैठकों की अनुसूचियां दिखाना आदि। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिचय पत्र तैयार करना, कैलीग्राफिक तथा स्कैनिंग संबंधी कार्य आदि। जबकि थोक प्रतिलिपियों (रंगीन तथा काला और सफेद) एवं विभिन्न प्रकार की जिल्दसाजी के कार्य फोटोस्टेट एकक में किए जाते हैं। यह एकक योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों तथा सेमिनारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक सम्पूर्ण योजना आयोग की बैठक, संसद सत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान हम अधिक ध्यान देते हैं और कार्यक्रमों के आयोजन में इस प्रभाग की सहायता करते हैं।

1. **कार्यालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एकक निम्नलिखित आधुनिक उपस्करों का कार्य देखती है:–**

- इन्टरनेट सुविधा के साथ लैपटॉप। इन लैपटॉप्स का इस्तेमाल मीटिंग स्थल पर पॉवर पोइंट प्रस्तुति के लिए किया जाता है।
- मीटिंग अनुसूचियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रदर्शन (प्रवेश के पास) तथा विभिन्न समिति कक्षों में प्रस्तुति हेतु प्लाज्मा स्क्रीन/एल.सी.डी. का उपयोग किया जाता है।
- रंगीन, काले और सफेद लैजर प्रिंटर।
- स्कैनर (हार्डकॉपी को सोफ्टकॉपी में बदलने हेतु)।
- डी.वी.डी. प्लेयर (डी.वी.डी. दिखाने हेतु)।
- सोफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर जैसे कोरल ड्रा, पेजमेकर, फोटोशॉप आदि।
- लैमिनेटर (महत्वपूर्ण पेपर्स को लेमिनेट से सुरक्षित रखने के लिए)।
- हैवी ड्यूटी फोटो कॉपीयर और डिजिटल स्क्रीनिंग सह प्रिंटिंग मशीन (भारी मात्रा में फोटो कॉपी कराने के लिए इसे फोटो कॉपी एकक में रखा गया है)।
- बाइंडिंग मशीनें (स्पाइरल, स्पाइको और स्ट्रिप बाइंडिंग)।

2. **मौजूदा वित्त वर्ष 2013–14 में शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रमुख उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रण सहित इस प्रकार है:–**

❖ डिजाइन संबंधी कार्यः योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा अवसंरचना प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रकाशनों के लिए निकाले गए कवर पेज यानि वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) पर मूल्याकंन अध्ययन, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर मूल्यांकन अध्ययन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन, सात राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर मूल्यांकन अध्ययन, प्रत्यक्ष लाभार्थी स्थानांतरण पर हैण्डबुक, परिणामी बजट (2013–14), डिजाइनिंग पोस्टर– ''मनरेगाः सिक्किम हिमालय में कायाकल्प वसंत।''

- ❖ हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी कार्यशाला के प्रमाणपत्र आदि की डिजाइनिंग और छपाई।
- ❖ योजना आयोग के अधिकारियों के वाहनों (कार/स्कूटर) को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति के लिए पार्किंग लेबल्स बनाए गए।
- ❖ योजना आयोग का सलाहकार स्तर तक को संगठनात्मक चार्ट (अंग्रेजी – हिन्दी)।
- ❖ योजना आयोग की आंतरिक बैठक (विज्ञान भवन में डीबीटी सम्मेलन, होटल ताज पैलेस में कर्टेन रेजर क्लीन मिनिस्ट्रीयल–41) तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य विभिन्न प्रकार की बैठकों/सेमिनारों/सम्मेलनों के सिटिंग प्लान को दर्शाने वाले चार्टस तैयार किए गए।
- ❖ योजना राज्य मंत्री/उपाध्यक्ष/सदस्यों/प्रधान सलाहकारों/सलाहकारों – योजना आयोग के उपयोग हेतु बैठकों/सेमिनारों की रंगीन पारदर्शिताएं तैयार की।
- ❖ उपाध्यक्ष कार्यालय, सचिव कार्यालय आदि के निमंत्रण पत्रों पर कैलीग्राफिक कार्य।
- ❖ वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लैमिनेटिड परिचय पत्र तैयार किए।
- ❖ महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का लेमिनेशन कार्य।
- ❖ सरकारी दस्तावेजों, फोटोज आदि की स्क्रीनिंग, और उन्हें आवश्यकतानुसार ई–मेल पर भेजा गया। सरकारी दस्तावेजों जैसे वार्षिक योजना, विभिन्न रिपोर्टों, प्रस्तुतियों के हैंड आउट आदि के प्रिंट आउट (रंगीन, काले, सफेद) विभिन्न प्रभागों के लिए भेजे गए।
- ❖ **सभी बैठकों के नाम डिस्प्ले कार्ड (प्लेकार्ड) तैयार करना तथा संबंधित सम्मेलन कक्ष/स्थल पर पीपीटी के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। कुछ बैठकों के विषय इस प्रकार हैं:–**

योजना भवन के बाहर बैठक: विज्ञान भवन में डीबीटी सम्मेलन, होटल ताज में कर्टेन रेजर क्लीन मिनिस्ट्रीयल–41।

विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक: इराकी प्रतिनिधि मण्डल का योजना आयोग का दौरा, सिंक्लेयर नाइट मर्ज, आस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक, इंडिया चीन एसईडी, विश्व बैंक द्वारा ''लाइटेनिंग रुरल इंडिया–एक्सपेरियंस ऑफ रुरल लोड सेगरेशन एक्सेस स्टेटस'' से संबंधित बैठक। केनेडिया प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक, मोजाम्बिक के संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक, चीनी नारीवादी अर्थशास्त्री के साथ बैठक, जापानी प्रतिनिधिमण्डल निवेशक/संस्थागत विदेशी निवेशक, महिला अधिकारों के फ्रेंच मंत्री तथा भारत के फ्रांस राजदूत के साथ बैठक, केनिया सरकार से उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का दौरा, नेपाल सरकार के अधिकारियों के दौरे का अध्ययन, स्टेण्डफोर्ड विश्वविद्यालय के जीएसबी छात्र समूह के दौरे का अध्ययन, आईसीआईएमओडी काठमाण्डु (नेपाल) द्वारा आपदाओं का प्रबंधन पर प्रस्तुती, निव बर्नस्वीक के मंत्री श्री ब्रुस फीथ के साथ बैठक।

आवश्यक/अतिआवश्यक बैठक/उच्च स्तरीय समिति: योजना आयोग की आंतरिक बैठक, वित्तीय अवसंरचना पर 22वीं बैठक, योजना आयोग और राष्ट्रीय नवाचार परिषद द्वारा हैकथोन आयोजना, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार–आईटी संयोजकता, उत्तराखण्ड के पारिस्थितिकी पर हाईडल परियोजना के प्रभाव का अध्ययन/टीईआर विश्वविद्यालय तथा एनसीएईआर के माध्यम से एनटीडीपीसी द्वारा अध्ययन/विनिर्माण के लिए व्यावसायिक परिवेश के सर्वेक्षण के लिए परामर्श के चयन के लिए अध्ययन की पद्धति।

कार्यदल: मिट्टी का कटाव/भूस्खलन, नदी के किनारों

का कटाव तथा गाद के जमाव की समस्या के अध्ययन के लिए गठित समिति की बैठक।

संचालन समिति की बैठक: सेतुबंधन संबंधी उद्घाटन परियोजना के संबंध में मानव विकास एचडीबीआई पर राष्ट्रीय संचालन समिति की चौथी बैठक।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति / विशेषज्ञ समिति: उड़िशा के केबीके के जिलों के लिए विशेष योजना के मसौदा पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त ऑटोफ्यूअल विशेषज्ञ समिति की बैठक।

कार्यबल: ओडिशा पर विशेष ध्यान देने के साथ सौर और पवन ऊर्जा, आरजीजीवीवाई पर कार्य बल की बैठक।

परामर्श: मातृ और शिशु पोषण–2013 पर एलएएनसीईटी श्रृंखला पर परामर्श, भारतीय ऊर्जा योजना टूल–राज्य धारक परामर्श, विकेन्द्रीकृत नियोजना और कार्यान्वयन के डिजाइन की नई परियोजना पर परामर्श, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास की विशिष्ट चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श, 'बाल बंधू योजना' पर मल्टी सेक्टोरल परामर्श, अत्यंत गरीब के लिए वितरण में सुधार लाने के लिए कार्रवाई अनुसंधान पर परामर्श।

विशेषज्ञ समिति / तकनीकी समिति: माध्यमिक कृषि पर तकनीकी समिति की बैठकें, सीबीएम और कोयला खनन क्षेत्रों के अतिव्यापी से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए तकनीकी समिति, ऑटोफ्यूल विजन एंड पोलिसी 2015 पर विशेषज्ञ समिति, भारत में वित्त पोषित पुस्तकालय भागीदारी की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति।

गोलमेज / वार्तालाप: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर प्रावधान पर गोलमेज, आईआर पर वार्तालाप।

सीएसडब्ल्यू / स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन: स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों के प्रत्यायन पर बैठक, ट्राइबल मध्य भारत में ग्रामीण आजीविका (बीआरआईएफ), भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन को बढ़ावा देने में दात्ता साझेदारी पर बैठक, यौन उत्पीड़न झेलने वालों की जरुरतों को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई–एक पहल अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की चुनौतियों को समझना–अल्पसंख्यक घनत्व वाले 10 जिलों से सीखना, कक्षा–VIII तक के संकल्पना से पोषण सहायता के अभिसरण के लिए आवश्यक, प्रभावी स्त्री–पुरूष नीति और कार्यक्रम का प्रभावी मूल्यांकन और पहचान।

समीक्षा / मूल्यांकन / अध्ययन / सर्वेक्षण: सभी राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की एचपीआर बैठक आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश में डीबीटी / डीबीटीएल, बीएडीपी / टीएससी पर मूल्यांकन अध्ययन, रसोई गैस में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को वापस लेने से संबंधित प्रगति और मुद्दे, भारतीय ऊर्जा योजना उपकरण, एनएमईआईसीटी का क्रियान्वयन, अवसंरचना क्षेत्रक, ऊर्जा योजना दौरा–2052, उत्तराखंड की एसपीए परियोजनाएं, बिहार में गंगा नदी पर रेलवे रोड सेतु की प्रगति की समीक्षा।

कार्यशाला / सम्मेलन: ऊर्जा प्रतिरूपण पर कार्यशाला, राज्य योजना बोर्ड के साथ योजना आयोग का दूसरा सम्मेलन, विश्वविद्यालय समूह सम्मेलन।

प्रशिक्षण / परिचय कार्यक्रम: आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल के क्रियान्वयन के लिए सीपीआईओ / एएएस का लक्ष्य कार्यक्रम, पुस्तकालय डेटाबेस का प्रदर्शन, मणिपुर सिविल सेवा (एमसीएस अधिकारी) / एनएएए अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरे के लिए लक्ष्य कार्यक्रम, शिमला और आईसीओएएस के लिए सिकन्दराबाद रक्षा प्रबंधन कॉलेज के प्रशिक्षुओं के लिए परिचय कार्यक्रम। सतर्कता जागरूकता पर सहभागी पाठ्यक्रम, निगरानी और मूल्यांकन पर डिप्लोमा कोर्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वीडियो सम्मेलन बैठक: प्रबंध निदेशक (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) द्वारा राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ

वीडियो सम्मेलन किया गया। वार्षिक योजना 2014–15 के लिए आधिकारिक स्तर की बैठक, एफआर आधिकारिक स्तर की बैठक, मेगा सिटी के रूप में मुबंई की चुनौतियां, पीIII का वीडियो सम्मेलन।

अन्य बैठक: ओडिशा की महानदी पर नदीय बन्दरगाह का विकास, जम्मू और कश्मीर में विद्युत वितरण, 2500 राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय के लिए एमसीए की तैयारी, मुम्बई उन्नत रेल परियोजना, पीपीपी कोयला खनन, पीपीपी में अपशिष्ट प्रबंधन/जैव जन संयत्र/शिक्षा/भण्डार में, एनएसएआई के रोड परियोजना पर चर्चा, एसबीडीएस/हैदराबाद मेट्रो रेल पर प्रारूपण समिति।

उपरोक्त के अलावा, अवकाश के दिनों में आयोजित या देर रात तक चली बैठकों के लिए भी तकनीकी सहायता की व्यवस्था की गई है।

- ❖ फ्लेशिंग वर्क इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड (प्लाजमा स्क्रीन) के माध्यम से पिछले बुलेट में उल्लिखित सभी घटनाक्रम का क्रियान्वयन किया गया है।
- ❖ भारी मात्रा में फोटोप्रतियों/डुप्लीकेटिंग का कार्य फोटोस्टेट यूनिट द्वारा किया गया। 2293185 (बाईस लाख तिरानवे हजार एक सौ पचासी) काले और सफेद छायाप्रति/अनुलिपिकरण का कार्य किया गया। 48,518 (अड़तालिस हजार पांच सौ अठारह) रंगीन छायाप्रति को सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए लिया गया।
- ❖ विभिन्न प्रकार के बाइंडिग कार्य निष्पादित किए गए, वर्ष के दौरान 4164 (चार हजार एक सौ चौंसठ) सरकारी रिपोर्ट/दस्तावेजों की बाईंडिंग की गई।
- ❖ हैवी ड्यूटी फोटोकोपियर, डिजीटल स्केनर सह प्रिंटर (रंगीन और मोनो) के लिए सर्वोत्तम विनिर्देश।
- ❖ फोटोकोपियर (रंगीन और काला तथा सफेद) की एएमसी बिलों का प्रमाण पत्र।

4.36.11 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

4.36.11.1 योजना आयोग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी। यह योजना आयोग के भूतल पर स्थित सूचना द्वार पर कार्यरत है। योजना आयोग की वेबसाइट http://planningcommission.nic.in/ के होम पेज पर अलग से आर.टी.आई. अधिनियमन का प्रावधान है। सूचना द्वार के विजिटरों/आगन्तुकों की सुविधा के लिए पूछ–ताछ का समाधान ऑनलाइन किया जाता है। 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि तक आरटीआई प्रकोष्ठ में 1389 पूछताछ की गईं और 1389 का निपटान किया गया।

अध्याय–5
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निष्पादन का मूल्यांकन

परिचय

5.1 नियोजन प्रक्रिया के शुरुआत से ही योजना और नीति बनाने के लिए एक कुशल मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा स्वीकार की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से ही भारत सरकार ने अनुभव किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन समस्या की प्रकृति का आकलन और जांच जरूरी हो गया था जिससे कार्यक्रम की समस्याओं का सामना करते हुए सही दिशा में हस्तक्षेप किया जा सके। मूल्यांकन तकनीक में मूल्यांकन के लिए, समस्या के द्वारा कौन और क्या प्रभावित हुआ, समस्या का कितना व्यापक असर हुआ और समस्या का क्या असर पड़ा, शामिल था। विशाल जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत के विकास के मूल उद्देश्यों के समन्वय की योजना प्रक्रिया और इस दिशा में अपेक्षित परिणामों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन परिणाम की जरूरत है जो सार्वजनिक हस्तक्षेप के आधारभूत वास्तविकता को सही तरह से अभिव्यक्त कर सके और लोगों के जीवन स्तर पर इसका प्रभाव हो।

5.2 विकास कार्यक्रमों के बेहतर योजना बनाने के लिए तथा उन्हें प्रभावी और धारणीय बनाने के क्रम में, बहुमुखी बातचीत की समझ के माध्यम से एक कार्यक्रम तथा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता है। चालू कार्यक्रमों का व्यवस्थित मूल्यांकन, नियोजन प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बुनियादी स्तर पर बहुपक्षीय बातचीत को समझने के बाद यह सफलताओं और विफलताओं के उत्तरदायी कारकों की पहचान में मदद करता है। नियोजन प्रक्रिया में मूल्याकंन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया का निष्पक्ष आकलन तथा विकास के कार्यक्रमों को प्रभावित करता है, प्रशासन और निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर सफलता और विफलता की पहचान करता है, पद्धति एवं लोगों की प्रतिक्रियाओं की जांच करना तथा नए कार्यक्रमों/स्कीमों के निर्धारण और कार्यान्वयन में सुधार के लिए पाठ तैयार करता है।

पी.ई.ओ. का संगठनात्मक इतिहास

5.3 पी.ई.ओ. की स्थापना सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में की गई थी। मूल्यांकन पद्धति को पहली पंचवर्षीय योजना में पद्धतियों और तकनीकों का विकास करके तथा तीसरी योजना (1961–66) और चौथी योजना (1969–74) के दौरान राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करके और परिपक्व व सुदृढ़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कायक्रमों/स्कीमों के विस्तारीकरण से, पी.ई.ओ. द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे–धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया।

पीईओ के कार्य और उद्देश्य

5.4 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कहने पर प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रम/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति

प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इन का उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा/अथवा असफल हुए और इस के साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन करना इनका उद्देश्य है।

5.5 पी.ई.ओ. द्वारा निष्पादित मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रकियाओं और प्रभावों का उद्देश्य परक आकलन, कार्यान्वयवन के विभिन्न चरणों पर सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्रों का विनिर्धारण, सफलताओं और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण, विस्तार विधियों की जांच तथा उनके संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया और नए कार्यक्रमों स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भावी सुधार के लिए सबक सीखना सम्मिलित है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को काफी विशिष्ट और एक ओर प्रगति तथा समीक्षा के विश्लेषण से पृथक और दूसरी ओर स्कीमों और कार्यों के निरीक्षण, चेकिंग और संवीक्षा से पृथक समझ गया है।

सेवा डिलीवरी में सुधार के लिए सहभागी दृष्टिकोण

5.6 पी.ई.ओ. प्रत्यक्ष प्रेक्षणों, नमूना सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान अनुसंधान विधियों के जरिए प्रशासनिक माध्यमों से युक्त बाह्य मूल्यांकन करता है। इस प्रकार पी.ई.ओ. द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन, प्रगति की रिपोर्ट करने अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में किए जा रहे कार्यों की चेकिंग और संवीक्षा के अतिरिक्त होते हैं। फिर भी मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाता है ताकि पी.ई.ओ. रिपोर्टों के निष्कर्ष और सिफारिशें अधिक उपयोगी हो सकें।

पी.ई.ओ. का संगठनात्मक ढांचा

5.7 पी.ई.ओ. मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है, जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जिनका प्रतिनिधित्व मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिटें हैं जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जानी जाती हैं।

5.8 पी.ई.ओ. मुख्यालय मे संगठन की अध्यक्षता सलाहकार (मूल्यांकन) द्वारा की जाती है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप–सलाहकार और अन्य सहायक जनसंसाधन प्रत्येक निदेशक/उप–सलाहकार अध्ययनों की डिजाइन बनाने, अध्ययन संचालित कराने और पी.ई.ओ. की क्षेत्रीय ईकाइयों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना है जिसे वे सलाहकार (मूल्यांकन) के समग्र मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में करते हैं।

5.9 वर्तमान में पी.ई.ओ. की 15 क्षेत्रीय ईकाइयां – 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आर.ई.ओ.) और 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पी.ई.ओ.) हैं जो देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी में स्थित है। ग्रामीण और घरेलू स्तरीय प्राथमिक आंकड़ों और विभिन्न कार्यान्वयन तंत्रों जो राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्रामीण स्तर पर स्थित हैं, से आंकड़ों का प्रसंस्करण करने के लिए निष्पादन और प्रभाव मूल्यांकन कराने की आवश्यकता होती है। पी.ई.ओ. की क्षेत्रीय ईकाइयां प्राथमिक और माध्यमिक आंकड़ों की सुनिश्चितता में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और उनका उपयोग मूल्यांकन अध्ययनों में किया जाता है जो जमीनी वास्तविक सच्चाई का प्रतिधिनित्व करती हैं चूंकि मूल्यांकन निष्कर्ष का उपयोग योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है अतः उपचार एवं प्रभाव अध्ययन से सृजित आंकड़ों की यथार्थता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पी.ई.ओ. की क्षेत्रीय इकाईयां आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पी.ई.ओ. की रूपरेखा संलग्नक में दर्शाई गई है।

परिशिष्ट

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रूप–रेखा

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आर.ई.ओ.) का नाम 1	संबंधित आरईओ से संबद्ध परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पी.ई.ओ.) 2	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिसके अंतर्गत संबंधित आर.ई.ओ./पी.ई.ओ. आते हैं 3
I. पूर्वक्षेत्र 1. आर.ई.ओ., कोलकाता	पी.ई.ओ, गुवाहाटी एवं पी.ई.ओ, भुवनेश्वर	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिम बंगाल 11. अं. एवं नि. द्वीप समूह
II. उत्तर क्षेत्र 2. आर.ई.ओ., चंडीगढ़	पी.ई.ओ., शिमला	1. हरियाणा 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू व कश्मीर 4. पंजाब 5. चंडीगढ़ 6. दिल्ली
III. दक्षिण क्षेत्र 3. आर.ई.ओ., चेन्नई	पी.ई.ओ., तिरूवनंतपुरम	1. केरल 2. तमिलनाडु 3. लक्षद्वीप 4. पांडिचेरी
IV. दक्षिण मध्य क्षेत्र 4. आर.ई.ओ., हैदराबाद	पी.ई.ओ., बंगलौर	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
V. मध्य क्षेत्र 5. आर.ई.ओ., जयपुर	पी.ई.ओ., भोपाल	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. राजस्थान
VI. उत्तर मध्य क्षेत्र 6. आर.ई.ओ., लखनऊ	पी.ई.ओ., पटना	1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल
VII. पश्चिम क्षेत्र 7. आर.ई.ओ., मुम्बई	पी.ई.ओ., अहमदाबाद	1. गोवा 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र 4. दादर व नगर हवेली 5. दमन व दीव

पीईओ के लिए विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डी.ई.ए.सी.)

5.12 बदलते परिदृश्यों को देखते हुए तत्कालीन मूल्यांकन सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) में सुधार करते हुए और विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डी.ई.सी.ए.) के रूप में इसका पुनर्गठन 6 जनवरी, 2010 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान मौजूदा डीईएसी का गठन अगस्त, 2013 में किया गया था और उसमें योजना आयोग के सभी सदस्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय और प्रख्यात अनुसंधान संस्थानों के तीन प्रसिद्ध अनुसंधान व्यावसायिक भी इसके सदस्य हैं। सलाहकार (पी.ई.ओ.) इस डी.ई.ए.सी. के संयोजक हैं। समिति अन्य अतिरिक्त सदस्यों को भी ले सकती है। डी.ई.ए.सी. के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :–

- देश में मूल्यांकन अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) के लिए प्रमुख वैचारिक क्षेत्रों का विनिर्धारण करना।
- पी.ई.ओ. के लिए वार्षिक योजना दीर्घावधिक योजना पर विचार और उन्हें अनुमोदित करना।
- देश में विकास मूल्यांकन अनुसंधान की कोटि का आकलन और मॉनीटरण करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- आयोजना और कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन निष्कर्षों के अनुपालन का मानकीकरण करना।
- पी.ई.ओ. और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य मूल्यांकन संस्थानों और साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के बीच और अधिक संयोजन विकसित करने के लिए उपाय और साधनों का सुझाव देना, जो कार्यक्रमों/स्कीमों और अनुसंधान के मॉनीटरण और मूल्यांकन के कार्य में लगे हैं।
- सूचना सृजन और उपयोग की विधियों, मानकों और प्रक्रियाओ का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मंत्रालयों/विभागों, एन.जी.ओ. और देश में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में मूल्यांकन क्षमता विकास के लिए मूल्यांकन संसाधनों का आकलन और उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना।
- योजनाओं/नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना सृजित करने के लिए पी.ई.ओ. द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि का सुझाव देना।

5.13 मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम/अध्ययनों का नाम	31.03.2014 के अनुसार स्थिति
1.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.)	मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है।
2.	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	फील्ड कार्य आंकड़ा समाहरण लेने का कार्यचल रहा है।
3.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन	रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया जो योजना आयोग की वेबसाइट पर है।
4.	असहाय व्यक्तियों हेतु सहायक अनुप्रयोग सामग्री की खरीद हेतु सहायता स्कीम (ए.डी.आई.पी.)	रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया तथा अध्ययन के निष्कर्षों को योजना आयोग की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।
5.	किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)	रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य चल रहा है।

6.	नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.)	डेटा की तालिका बनाने का कार्य चल रहा है।
7.	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन (टी.टी.आई)	अध्ययन की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया चल रही है।
8.	लघु सिंचाई	रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे योजना आयोग की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) पर अध्ययन	अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट अनुमोदन के अधीन है।
10.	समग्र साफ – सफाई अभियान (टी.एस.सी.) पर मूल्यांकन अध्ययन।	रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और अध्ययन के निष्कर्षों को योजना आयोग की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।
11.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	रिपोर्ट के अंतिम मसौदे की संवीक्षा की जा रही है।
12.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)	अध्ययन का आउटसोर्स करा लिया गया है और फील्ड कार्यचल रहा है।

पी.ई.ओ. द्वारा आयोजित परामर्शी मूल्यांकन – सह–मॉनीटरण समिति (सी.ई.एम.सी.) और संचालन समिति की बैठकें

5.14 मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सी.ई.एम.सी. की बैठकों में लिए गए निर्णय और सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अध्ययन के परियोजना समन्वयक से अपेक्षित है कि वह अध्ययन डिजाइन की प्रस्तुति सी.ई.एम.सी. के सम्मुख करें, ताकि इन अध्ययनों के अंतर्गत अधिकतम उद्देश्यों को कवर किया जा सके। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, सीएडी और डब्ल्यूएम, एनवीएस, टीटीएस, बीएडीपी पर सीईएमसी की बैठक तथा मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन की मंजूरी के लिए एमएसपी आयोजित की गई। मनरेगा पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन की मंजूरी के लिए परिचालन समिति की बैठक भी की गई थी।

पीईओ द्वारा आयोजित प्रस्तुति कार्यक्रम

5.15 योजना आयोग में सूक्ष्म सिंचाई (एमआई), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर मूल्यांकन अध्ययन का मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण बैठक आयोजित की गई। प्रस्तुतीकरण बैठकें आमतौर पर डीसीएच, सचिव, योजना आयोग के सदस्यों तथा सीईएमसी की उपस्थिति में की जाती है।

मूल्यांकन निष्कर्षों और सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई–पीईओ का मूर्त रूप परिणाम

5.16 पी.ई.ओ. द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टें में दिए गए निष्कर्षों और सुझावों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को भेजा जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि पी.ई.ओ. मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्षों और सुझावों को संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर शामिल किया गया है। लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा इनमें से कुछ मूल्यांकन रिपोर्टों को अत्यंत उपयोगी पाया गया है।

पी.ई. अन्य ओ. की गतिविधियां

5.17 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राज्य सरकारों विशेष रूप से योजना एवं मूल्यांकन विभागों से अपना ताल–मेल बढ़ाया है। राज्यों में मूल्यांकन खंड स्थापित करने के लिए पी.ई.ओ. द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पी.ई.ओ. ने राज्य मूल्यांकन संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अपनी रिपोर्टें योजना आयोग को भेजें।

पी.ई.ओ. में ई–शासन

5.18 ई–शासन और सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाने और पी.ई.ओ. में ऑन लाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है और

योजना आयोग के सामान्य प्रशासन प्रभाग तथा एन. आई.सी., योजना भवन एकक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। आईसीडीएस, सीएमडीएम, ग्रामीण सड़कें, टीएसपी और एसएसए पर मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित डेटा और सूचना डेटा साझा एकक को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए प्रदान किया गया है। पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जनजातीय उपयोजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

पी.ई.ओ. के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना

5.19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। पी.ई.ओ. के अधिकारियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया ओर विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान भी दिए।

पी.ई.ओ. की क्षेत्रीय ईकाइयों का आधुनिकीकरण

5.20 पी.ई.ओ. (आर.ई.ओ.) तथा (पी.ई.ओ.) की क्षेत्रीय इकाइयों को साफ्टवेयर एवं अन्य हार्डवेयर उपस्कर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन अनुभाग, योजना आयोग के विचाराधीन है। पीईओ गुवाहाटी कार्यालय को राज्य सरकार के परिसर में स्थान आबंटित किया गया है। असम राज्य सरकार के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही हैं।

प्रशासनिक बैठकें

5.21 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन एक फील्ड अभिमुख संगठन है और इसके प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले योजना आयोग के प्रशासन द्वारा नई दिल्ली में देखे जाते हैं। विभिन्न अवस्थापनाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा रूटीन कार्यों के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सलाहकार पी.ई.ओ. ने योजना आयोग के प्रशासनिक प्राधिकारियों से चर्चा की है कि इन मुद्दों का समाधान निकाला जा सके।

अध्याय–6
सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

1. योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसे कि समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक आयोग के कर्मचारियों को सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह योजना आयोग के प्रभागों और अन्य संगठनों द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह भी देता है।

2. अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान सतर्कता एकक को 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से तीन शिकायतें निपटान के विभिन्न चरणों में हैं तथा अन्य चार की जांच की गई और उनका निपटान कर दिया गया। योजना आयोग के एक कर्मचारी को सेंसर किया गया। योजना आयोग के एक कर्मचारी पर साधारण दण्ड के रूप में संचयी प्रभाव के बिना तीन वर्षों की अवधि के लिए निचले वेतन मान में लाया गया।

निवारक सतर्कता

3. योजना आयोग में 28 अक्तूबर से 02 नवम्बर, 2013 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष विषय था–''सुशासन को बढ़ावा देने में सतर्कता का सकारात्मक योगदान''। इस संबंध में योजना और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री द्वारा शपथ भी दिलाई गई। योजना आयोग के प्रमुख स्थानों पर उचित नारों के साथ बैनर भी लगाए गए। सतर्कता जागरुकता विषय में आचरण नियमों और अन्य मुद्दे के महत्वपूर्ण प्रावधानों को ई–मेल के माध्यम से प्रसारित किया गया। योजना आयोग में 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त पूर्व वर्ष की अचल सम्पत्ति विवरणी (आईपीआर) 31 जनवरी, 2014 तक भेजने के लिए मानक वितरण तथा ई–मेल के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई। चेतावनी मेल भी जारी किए गए।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

4. भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा जनहित याचिका डब्ल्यूपी न. (क्रि.) 1992 का 666–70 में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना आयोग में यौन उत्पीड़न पर एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामला पाया गया था। शिकायत निवारण समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट विचाराधीन है। इसके अलावा, योजना आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2014 से शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

परिशिष्ट–I

मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का सारांश

1. वर्ष 2013 के रिपोर्ट सं. 1

अनुबंध–III–ई के साथ पठित पैरा 3.7 उस विवरण से संबंधित है जो विभिन्न अनुदानों/समायोजनों के अंतर्गत 100 करोड़ रू. या अधिक बचत को दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न अनुदानों पूँजी दत्तमत (क्रम सं. 69, मांग सं. 74 योजना मंत्रालय) के अंतर्गत कुल बचत 480.12 करोड़ रू. थी।

अनुबंध–III–एच के साथ पठित पैरा 3.9 जो उन प्रकरणों से संबंधित है, जहां 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बचत की अधिकांश राशि वापस कर दी गई थी और राशि के ब्यौरे व्यपगत हो गए थे।

- 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल 303.58 करोड़ रू. की राशि वापस की गई तथा वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान वापस न की गई और व्यपगत हुई राशि 5176 करोड़ रू. थी (क्रम सं. 39, मांग सं. 74 – योजना मंत्रालय)।

अनुबंध–III–ओ के साथ पठित पैरा 3.17 उन प्रकरणों के विवरण को दर्शाता है, जो उपशीर्ष (बजट प्रावधानों का 10 प्रतिशत या इससे ऊपर है तथा 100 करोड़ रू. और इससे अधिक की बचत है) के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमान हैं।

- वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान उपशीर्ष 5475.00.112.38 – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (क्रम सं. 72) के अंतर्गत, 700.00 करोड़ रू. के बजट प्रावधान की तुलना में 454.25 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था।

मुद्रक: विद्या प्रेस प्रा. लि., 9810049515